त्रयोदश माला, खंड 7, अंक 35

शुक्रवार, 12 मई, 2000

22 वैशाख, 1922 (शक)

FOR REFFRNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY

No. ... 61

4/2/2001

(खण्ड 7 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

त्रयोदश माला खंड 7, तीसरा सत्र, 2000/1922 (शक)
[अंक 35, शुक्रवार, 12 मई, 2000/22 वैशाख, 1922 (शक)]

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 661 से 664	1-28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 665 से 680	28-62
अतारांकित प्रश्न संख्या 7183 से 7412	62-349
सभा पटल पर रखे गए पत्र	350-355
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	355
कार्य मंत्रणा समिति	
नौवां प्रतिवेदन	355
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	355-356
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति	
पहला प्रतिवेदन	356
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
उन्यासीवां प्रतिवेदन	356
सभा का कार्य	356-361
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	362-370
केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों के लिए सिपाहियों की भर्ती में कतिपय राज्यों से असमानुपाती प्रतिनिधित्व	
श्री एन. जनार्दन रेड्डी	362, 367, 368, 370
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	362-366, 368-369
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
विशेषाधिकार का हनन	370-371
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक	373
राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	373-404

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

श्री यशवन्त सिन्हा . . . 373-375, 377,401-404

श्री रमेश चेन्नितला . . . 380-382

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता . 382-384

श्री वरकला राधाकृष्णन . . . 384-389

श्री गिरधारी लाल भार्गव . 389-390

श्री पी. एच. पांडियन . . . 390-392

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति . . . 392

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह . . . 392-395

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन . . . 395-398

डॉ. संजय पासवान . . . 398-399

श्री मणि शंकर अय्यर . . . 399

श्री लक्ष्मण सिंह . . . 399-401

खण्ड 2 से 29 और 1
पारित करने के लिए प्रस्ताव . . . 403-404

रेल अभिसमय समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में संकल्प . . . 404

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प . . 404-452

(एक) राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग . . . 404-449

श्री अनादि साहू . . . 404-412

श्री राशिद अलवी . . . 413-417

श्री महेश्वर सिंह . . . 417-423

श्री हरीभाऊ शंकर महाले . . . 423-425

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया . . . 425-426

श्री पी. एच. पांडियान . . . 426-430

श्री पी. सी. थॉमस . . . 430-433

श्री छत्रपाल सिंह . . . 433-436

श्री खारबेल स्वाइं . . 436-439

प्रो. रासा सिंह रावत . . 439-441

श्री पी. एस. गढ़वी . . . 441-442

श्री राम टहल चौधरी . . . 442-443

श्री ए. राजा . . . 443-447

श्री रामानन्द सिंह . . . 447-449

(दो) गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में ग्राम सभाओं की भागीदारी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह . . . 449-452

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार, 12 मई, 2000/22 वैशाख, 1922 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
18	नीचे से 3	श्री वित्त	वित्त मंत्री
124	नीचे से 8	आथार संहिता	आचार संहिता
173	3	श्री भान सिंह मीरा	श्री भान सिंह भौरा
263	6	श्री रवि प्रकाश शर्मा	श्री रवि प्रकाश वर्मा
302	4	प्रश्न संख्या '7281'	7381

लोक सभा

शुक्रवार, 12 मई, 2000/22, वैशाख 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

बालको और नालको का विलय

+

***661. श्री के. पी. सिंह देव :**

श्री अनन्त नायक :

क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारत एल्यूमीनियम कम्पनी (बालको) और नेशनल अल्यूमिनियम कम्पनी (नालको) के विलय का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विलय करने के क्या कारण हैं;

(ग) यह विलय की प्रक्रिया कब तक पूरी किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या बालको का निजीकरण करने का पूर्व प्रस्ताव वापिस ले लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) सरकार का भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि. (बालको) और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी (नालको) के विलय का कोई विचार नहीं है। बालको की 51% इक्विटी को किसी महत्वपूर्ण भागीदार को देने का प्रस्ताव अभी भी है।

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, उत्तर अत्यंत समझदारी से दिया गया है। सरकार (क) से (ङ) तक कहती है : "सरकार का भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि. (बालको) और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी (नालको) के विलय का कोई विचार नहीं है।"

अध्यक्ष महोदय : आप अपना अनुपूरक प्रश्न अत्यन्त समझदारी से पूछ सकते हैं।

श्री के. पी. सिंह देव : जब सरकार कहती है कि उसका कोई इरादा नहीं है, इसके लिए कोई समयबद्धता नहीं है। इस समय, जोर–शोर से बहस चल रही है। खान मंत्रालय इस पक्ष में नहीं है कि कुशलतापूर्वक चल रहे नालको का विलय बालको में किया जाए, जो कि एक अत्यंत पुराना संयंत्र है। लेकिन खान मंत्रालय की स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है कि यह विकल्प खुला रखा जाना चाहिए। इसलिए मैं यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि नालको का विलय बालको में न किया जाए। क्या सरकार इस प्रकार का स्पष्ट आश्वासन देगी?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : जी हां, महोदय।

श्री के. पी. सिंह देव : मंत्री महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है, कि नालको ने जब अपना इष्टतम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उसके ऊपर एक समय कमीशन से संबंधित इतने अधिक आरोप लगाए गए हैं। यह उन्नति के चरम शिखर पर है। इसका विस्तार हो रहा है। यह देश में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक है। ये आरोप उड़ीसा विधान सभा में विपक्ष के नेता द्वारा लगाए गए थे। ये आरोप यहां संसद में भी लगाए गए हैं जो कि इसके हस्तान्तरण से संबंधित हैं। बालको, बिधान बाग को लेने से परेशानी में पड़ गई थी। हाल ही में नालको ने भी आई. ए. पी. एल. को लिया है जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 300 करोड़ रुपये है, लेकिन यह समय और लागत की दृष्टि से पहले से ही कमजोर स्थिति में थी। उन्होंने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है और अनेक आरोप भी लगाए गए हैं। क्या सरकार इसके विषय में पारदर्शिता का परिचय देगी क्योंकि हमने श्री नवीन पटनायक के मंत्री रहते यह प्रश्न उठाया था तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, इसके लिए यह उचित अवसर नहीं है। अब तो अवसर है। क्या सरकार पारदर्शिता का परिचय देते हुए हमें यह बताएगी कि नालको द्वारा आई. ए. पी. एल. को लेने में कमीशन संबंधी आरोप में क्या सच्चाई है?

प्रो. रीता वर्मा : महोदय, हम पूर्णतः स्पष्ट कर सकते हैं। मैं नालको द्वारा आई. ए. पी. एल. को लेने संबंधी पूरा विवरण दूंगी। शुरू में आई. ए. पी. एल. मैसर्स मुकुन्द लिमिटेड तथा ग्लोबल इमरजिंग मार्केटस् के साथ और मैसर्स एफ. ए. टी. ए. हंटर इंजीनियरिंग, इटली के साथ नेलकोस् समेलटर एट अंगुल, उड़ीसा के निकट 100% आयात के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। जनवरी, 1998 में सरकार ने नालको को 30.82 करोड़ रु. का निवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी जो कि आई. ए.

पी. एल. की 26% इक्विटी के बराबर था। मई, 1998 में, मैसर्स मुकुन्द लिमिटेड ने नालको से आई. ए. पी. एल. में और ज्यादा निवेश करने का अनुरोध किया। आई. ए. पी. एल. के घाटे वाली तथा पूर्णतः निर्यात वाली ईकाई होने की वजह से नालको के बोर्ड ने आई. ए. पी. एल. के नालको में विलय का निर्णय लिया तथा इसे नालको के पूर्णतः निर्यात वाला पृथक प्रभाग बनाए रखा। यह निर्णय सरकारी क्षेत्र की यूनिट मैसर्स मेकोन के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट तथा मैसर्स ए. एफ. फरगुसन एण्ड कम्पनी की वित्तीय आत्मनिर्भरता संबंधी रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। तब नालको ने आई. ए. पी. एल. की पूंजी के उन समस्त शेयरों को खरीदकर उसके सारे शेयर अपने नाम करवा लिए जो कि दूसरे शेयरधारकों के पास थे। शेयरों के स्थानान्तरण से आई. ए. पी. एल. पूर्ण रूप से नालको की एक सहायक कम्पनी बन गई। नालको के सभी कार्यकारी निदेशक आई. ए. पी. एल. के निदेशक-मंडल में सम्मिलित कर लिए गए और अब सारा प्रबंधकीय नियंत्रण नालको के हाथ में है।

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ मंत्री का उत्तर अत्यंत संक्षेप में था।

प्रो. रीता वर्मा : महोदय, माननीय सदस्य मुझसे अत्यधिक पारदर्शिता चाहते हैं। वे पूर्णतः पारदर्शिता चाहते हैं।... *(व्यवधान)*

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, वह राष्ट्र की सेवा कर रही हैं। पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। मैडम, धन्यवाद।

प्रो. रीता वर्मा : प्रस्तावित विलय में लाभ की जो रूपरेखा रखी गई है उसमें नालको के सेकेण्डरी बाजार में उपस्थिति तथा मंदा उत्पादों के विविधीकरण से स्थिति में सुधार तथा नालको के प्रोडक्ट मिक्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मैसर्स ए. एफ. फर्गुसन और कम्पनी द्वारा आई. ए. पी. एल. के शेयरों के मूल्यांकन के अनुसार, प्रति शेयर मूल्य 10 रुपये से 19 रुपये तक तय हुए। नालको के बोर्ड ने निम्नतम मूल्य 10 रुपया प्रति शेयर स्वीकार किया।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : महोदय, पूर्वी गोदावरी से उड़ीसा तक विशाखापटनम के आस-पास फैले हुए पूर्वी घाट पर बाक्साइट अयस्क का प्रचुर भण्डार है। इसी प्रचुरता की वजह से वहां नालको की स्थापना की गई है। एल्यूमिनियम की विश्व स्तर पर व्यापक मांग की संभावना है। कुछ फ्रांस की फर्में और अन्य दूसरी फर्में विशाखापत्तनम जिले के साउथ कोटा के निकट एक यूनिट की स्थापना के लिए आगे आयी थीं। अनेक सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। अनेक दल आ चुके हैं। हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के एक मंत्री ने कहा था कि साउथ कोटा में एल्यूमिनियम उत्पादन का संयंत्र लागने के बारे में बातचीत चल रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यदि इस तरह की मांग है तो संयंत्र की स्थापना में देरी क्यों की जा रही है। यदि इस तरह की मांग हो तो नालको से निर्यात की संभाव्यता वाला संयंत्र लगाने के बारे में कहा जा सकता है। हमें विदेशी सहयोग की जरूरत है। भंडार तो पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ है। यह पूर्वी गोदावरी और विशाखापतनम जिले के जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से वहां इस प्रकार के संयंत्र लगाए जाने की संभावना के बारे में जानना चाहूंगा।

प्रो. रीता वर्मा : महोदय, नालको की बाजार में अत्यन्त प्रभावशाली उपस्थिति है। यह निर्यात पर ध्यान केंन्द्रित कर रही है। सरकार इसका और अधिक विस्तार करना चाहती है। उसके पास बाक्साइट का भंडार है। पर्याप्त क्षमता है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न का संबंध है। इसमें कुछ समस्याएं हैं। बाक्साइट का पर्याप्त भंडार है। लेकिन फिर भी वन एवं जनजातीय मामलों के विभाग के सामने समस्या है। हम उन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : तो मैं समझूं कि इस संयंत्र की स्थापना होगी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : महोदय, मेरे विचार में मुझे स्पष्ट करना चाहिए। यदि मैं बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहूं तो वर्तमान स्थिति यह है कि हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। जिसमें सरकार को स्पष्ट रूप से निर्देश है कि जनजातीय क्षेत्रों में पट्टे गैर जनजाति के लोगों को न दिए जाएं। इससे थोड़ी सी समस्या आती है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी भी गैर जनजाति व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत की गई है। हमारे सामने यह मुद्दा है और वास्तव में हम इस समस्या को ध्यान में ला रहे हैं। अधिक संभावना है कि हम संसद में इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई समाधान लाएं। अतः जब तक इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मैं इस कम्पनी की स्थापना का वादा नहीं कर सकता।

श्री के. येरननायडू : महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम इस यूनिट के लिए 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी जो कुछ कह रहे हैं, वह सत्य है। हमें अपने कानून को संशोधित करना चाहिए।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : इसलिए मैंने कहा कि हम संसद में इसका समाधान लायेंगे।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : निर्यात की व्यापक संभावना है।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : हां, हमें यह ज्ञात है। लेकिन एक निर्णय भी तो है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वि.ि.वेश के प्रस्ताव से खतरा है। मेरा प्रश्न सीधे विषय से संबंधित है। मैं जानना चाहता हूं, क्या बालको को विनिवेश का खतरा है और क्या यह एक मुनाफा देने वाली यूनिट है। इस यूनिट को लेने के लिए महत्वपूर्ण भागीदार बनने कौन जा रहा है?

प्रो. रीता वर्मा : मेरे विचार में 'खतरा' शब्द का प्रयोग अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बालको को कोई भयभीत नहीं कर रहा है। मैं यह भी कहूंगी कि मुझसे पूछने से और अच्छा हुआ होता यदि यह प्रश्न विनिवेश मंत्री से किया जाता।

प्रश्न का दूसरा भाग कि महत्वपूर्ण भागीदारी कौन है, उससे संबंधित कार्य प्रणाली अभी तय की जा रही है। हमने एक विश्वव्यापी सलाहकार नियुक्त किया है। हमें अभी निविदाएं निकालनी हैं। हमें महत्वपूर्ण भागीदार का निश्चय करना है।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूं क्योंकि यह विनिवेश से संबंधित एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात यह नहीं है कि बालको एक घाटे वाली यूनिट है लेकिन कुछ वर्षों में यह निश्चय ही एक घाटे वाली यूनिट हो जाएगी क्योंकि इसकी तकनीकी पुरानी पद्धति की है और इसके बदलवाने का खर्चा इतना अधिक है कि ड्यूटी के कम होने से बालको को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। आज ड्यूटी अधिक है। आज यह 35% से अधिक है और आने वाले वर्षों में ड्यूटी के कम होने के साथ ही बालको को इस क्षेत्र में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बालको में विनिवेश करने की आवश्यकता है। यह विनिवेश केवल उसके विस्तार के लिए ही नहीं बल्कि उसके द्वारा प्रयोग की जा रही पूरी तकनीकी में बदलाव लाने के लिए भी आवश्यक है। बालको और नालको में स्पष्ट अंतर है कि बिजली की खपत के मामले में प्रति टन लागत का अन्तर 2000 रुपए है। इसी के कारण दोनों में मूल्यों में अन्तर आ जाता है और इसी कारण से बालको को एक ऐसे महत्वपूर्ण भागीदार की आवश्यकता है जो इसमें विनिवेश कर सके। मापदण्ड यह होना चाहिए कि सक्रिय भागीदार भी योजना क्या होगी, उस योजना का आयाम या विस्तार कितना होगा, तथा वे कितना धन विनिवेशित कर सकेंगे तथा उनके द्वारा लाई जाने वाली अद्यतन तकनीकी क्या होगी। हमने जारडाइन फ्लेमिंग को लाभ की दशायें तय करने हेतु बतौर सलाहकार नियुक्त किया है। यदि आवश्यक हुआ तो हम सभा में यह बात कहेंगे। यदि कोई विस्तृत सूचना चाहेगा तो उसे दी जाएगी।

श्री सुनील खां : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण भागीदार कौन होगा। मेरा प्रश्न यह है, क्या कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी आयेगी या भारतीय पूंजी से बालको का आधुनिकीकरण किया जायेगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि बालको और नालको का क्यों विलय नहीं किया जा सकता है और वे एक कम्पनी के रूप में कार्य नहीं कर सकतीं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैंने यह बात भी के. पी. सिंह देव को मात्र दो शब्दों "हां महोदय" में बताकर स्पष्ट की है। मुझे पुनः यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि हमारा पुनः गलती करने का कोई इरादा नहीं है। जो कि आर्थिक रूप से कमजोर संस्था बालको के विलय में की गई थी। इससे आर्थिक रूप से मजबूत संस्था भी कमजोर हो गई थी। महत्वपूर्ण यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर संस्था में और अधिक विनिवेश करवाकर उसे मजबूत किया जाए।

मुझे यह पूर्णतः स्पष्ट करना चाहिए कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि गैर अन्तः क्षेत्र (नान–कोर सेक्टर) में उनका इरादा है कि सरकार की इक्विटी घटाकर 26% की जाए। यह एक नीतिगत मामला है कि अन्तः क्षेत्रों (कोर सेक्टर) उदाहरण के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए सरकार के पास जो दुर्लभ संसाधन उपलब्ध हैं, उस पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। और गैर अन्तः क्षेत्रों (नान–कोर सेक्टर) के लिए हमें निजी पूंजी की जरूरत है जो कि आने के लिए तैयार है। और यदि यह पूंजी उपलब्ध है तो हमें इसे क्यों नहीं लेना चाहिए?

श्री सुनील खां : मेरा प्रश्न अत्यंत साधारण है, कि क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आएंगी या नहीं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : वे भारतीय हो सकती हैं।

कपास की खेती के लिए महत्वाकांक्षी योजना

\+

*662. **श्री सी. पी. राधाकृष्णन :**

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कपास निगम ने देश में कपास की बेहतर खेती के लिए एक महत्वकांक्षी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य–वार किन–किन गांवों को चुना गया है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत गांवों का चयन करने के लिये क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ङ) क्या तमिलनाडु के गांवों को इस योजना में शामिल किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (च) एक विवरण–पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआई) ने वाणिज्यिक और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के अपने प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों/सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए देश में कपास की बेहतर उपज के लिए विकास/विस्तार कार्यक्रम शुरू करने की पहल भी की है।

(ख) विकास/विस्तार कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार है:–

1. किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रचार करने के लिए ग्राम अपनाने का कार्यक्रम, प्रमाणीकृत और वास्तविक लेबल के बीजों और गुणवत्ता कीटनाशकों का वितरण तथा एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन (आई पी एम) प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन।

2. कपास संबंधी अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों/परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण करना।

3. किसानों में जागरूकता पैदा करके और उन्हें शिक्षित करके गैर परंपरागत क्षेत्रों में कपास की खेती को प्रोत्साहन देना।

(ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान राज्य–वार अपनाए गए ग्रामों की संख्या निम्नानुसार हैं:–

राज्य	ग्रामों की संख्या
राजस्थान	20
हरियाणा	29
पंजाब	09
गुजरात	47
मध्य प्रदेश	07
आंध्र प्रदेश	06
कुल	131

(घ) कपास की निम्न उत्पादकता स्तर के मामूली किसानों को प्राथमिकता देने के अतिरिक्त कपास लिंट और बीज की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से "एक ग्राम एक किस्म अवधारणा" के मानदंड का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के परामर्श से ग्रामों को अपनाया जाता है।

(ङ) और (च) भारतीय कपास निगम तमिलनाडु राज्य में विस्तार/विकास कार्यक्रमों को भी क्रियान्वित कर रहा है। इस राज्य में अभी तक ग्राम अपनाने का कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है। तथापि, दक्षिण भारत मिल संघ (एसआईएमए), कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य में किसी प्रकार के विस्तार कार्य चला रहा है।

श्री सी. पी. राधाकृष्णन : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर बहुत अच्छा है लेकिन वास्तव में, सी. पी. आई. से अपेक्षा की जाती है कि वह बाजार में उसी समय प्रवेश करे जब कपास के मूल्य गिर रहे होते हैं जबकि वह बाजार में प्रवेश तब करता है जब कपास के मूल्य निम्नतम स्तर तक पहुंच जाते हैं। वह मात्र व्यापारी का काम कर रहे हैं। वह निम्नतम दर पर कपास खरीदने की कोशिश में रहते हैं और अधिक से अधिक लाभ से बेचना चाहते हैं। वास्तव में इससे किसानों को लाभ नहीं हो रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जैसे ही कपास के मूल्य गिरने शुरू हो सी. पी. आई. को बाजार में प्रवेश करना चाहिए।

महोदय, क्या मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न इसके साथ ही रख सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप अपने पहले प्रश्न के बाद ही दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। आपने जो कुछ अभी तक कहा है वह मात्र अपना अनुरोध है अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री सी. पी. राधाकृष्णन : तो मेरा अनुपूरक प्रश्न ग्रामों को अपनाए जाने के संबंध में है। मुझे आश्चर्य है कि तमिलनाडु में भारतीय कपास निगम लि. द्वारा एक भी ग्राम को अपनाया नहीं गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन आप प्रश्न पूछिए।

श्री सी. पी. राधाकृष्णन : मैं प्रश्न पूछने वाला हूं। महोदय, उत्तर में बताया गया है कि गुजरात में अपनाए गए ग्रामों की संख्या 47 है। हमारे मंत्री महोदय भी गुजरात के हैं। मुझे पता है कि हमारे मंत्री राष्ट्रवादी हैं। मेरा विश्वास है कि इस संबंध में कोई पक्षपात नहीं हुआ है। मुझे आशा है कि इसमें कोई पक्षपात नहीं किया गया है। लेकिन तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में किसी ग्राम को अपनाया नहीं गया है। यहां तक कि आंध्र प्रदेश में जहां कपास उगाने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों

में से एक क्षेत्र है और कर्नाटक में बहुत कम ही ग्रामों को अपनाया जा रहा है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है....

अध्यक्ष महोदय : पुनः आप मंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं और कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री सी. पी. राधाकृष्णन : मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि भारतीय कपास निगम लि. ने तमिलनाडु के किसी ग्राम को क्यों नहीं अपनाया और उन्होंने पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में और अधिक ग्रामों को क्यों नहीं अपनाया? महाराष्ट्र में भी किसी ग्राम को अपनाया नहीं गया है।

श्री काशीराम राणा : महोदय, माननीय सदस्य, जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध है, भारतीय कपास निगम लि. की भूमिका के बारे में जानना चाहते हैं। जब भी कपास का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूता है वैसे ही भारतीय कपास निगम लि. न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन शुरू कर देता है। पिछले वर्ष में भा. क. नि. ने बिना किसी हिचक के बौर बिना किसी परिमाणात्मक सीमा के कपास की खरीद आरंभ कर दी थी। मैं समझता हूं जब पंजाब के भालोत, राजस्थान में श्रीगंगानगर और भीलवाड़ा में कपास की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य तक पहुंची थी तो भारतीय कपास निगम लि. ने तुरन्त इसकी खरीद आरम्भ कर दी थी और वहां से 8,000 गांठे खरीदी गई।

महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि जब भी कपास की कीमत गिरती है उसी समय भा. क. नि. लि. कपास की खरीद आरम्भ करती है। यह गलत धारणा है। भारतीय कपास निगम लि., हमेशा देश भर के विभिन्न केन्द्रों से कपास की खरीद करता है।

महोदय, इनका दूसरा अनुपूरक प्रश्न ग्राम अपनाए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में है। भारतीय कपास नि. लि. ने राज्य सरकारों को कितने भी ग्रामों के नाम भेजने का अनुरोध किया है। भारतीय कपास निगम लि. ने उन सभी ग्रामों को अपनाया है जिनके नाम राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए थे। भारतीय कपास निगम लि. ने तमिलनाडु सरकार से भी ग्रामों के नाम भेजने का अनुराध किया था और मैं आशा करता हूं कि तमिलनाडु सरकार द्वारा जितने भी ग्रामों के नाम भेजे गए होंगे भारतीय कपास निगम लि. ने उन्हें अवश्य अपनाया होगा।

श्री सी. पी. राधाकृष्णन : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर भारतीय कपास निगम लि. द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए। भारतीय कपास निगम लि. का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था। लेकिन वास्तव में, जो मैंने कहा है कि वह सत्य है। वह तभी कपास की खरीद करते हैं जब कपास के मूल्य काफी कम होते हैं और अधिक मूल्यों पर बेचने का प्रयास करते हैं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रभावशाली निरीक्षण तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, यह प्रश्न कपास की खरीद से नहीं बल्कि कृषि से संबंधित है।

श्री सी. पी. राधाकृष्णन : भारतीय कपास निगम नियंत्रण रखने के लिए अपनाए गए निरीक्षण उपाय क्या हैं ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर बेहतर स्तर पर बनाए रखा जा सके जिससे किसानों को ही अन्ततः लाभ हो।

श्री काशीराम राणा : महोदय, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा आई सी ए आर की सिफारिशों पर कृषि मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध है भारतीय कपास निगम लि. हमेशा न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर ही कपास खरीदता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

जहां तक वी–797 किस्म का संबंध है न्यूनतम समर्थन मूल्य 1475 रु. है और बाजार मूल्य 1,838 रु. है जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से 24.58% अधिक है। जे–34 किस्म के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1575 रु. है और बाजार मूल्य 1,836 रु. है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से 16 प्रतिशत अधिक है। एल के ए किस्म के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1650 रु. है और बाजार मूल्य 1835 रु. है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से 11.21 प्रतिशत अधिक है। एच–4 किस्म के संबंध में न्यू. स. मू. 1775 रु. है और बाजार मूल्य 1909 रु. है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, प्रश्न कपास की खेती से संबंधित है, क्या ऐसा नहीं है?

श्री काशीराम राणा : माननीय सदस्य बाजार मूल्य के बारे में जानना चाहते थे।

[हिन्दी]

श्री रामशेठ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में 36 प्रतिशत क्षेत्र में कपास की खेती होती है। इतने बड़े क्षेत्र में कपास की खेती होने के बाद भी पिछले तीन–चार सालों में कपास का प्रति–हैक्टेयर उत्पादन कम होता जा रहा है। जैसा मेरे दोस्त ने कहा कि जो 131 सैंटर्स खोले गए हैं, लेकिन उनमें से महाराष्ट्र में एक भी विकास और विस्तार योजना का सैंटर नहीं खोला गया। हमें जवाब मिला है कि जब मांग आएगी, तब खोला जाएगा। हमें आशा है कि मंत्री महोदय उसके बारे में जरूर सोचेंगे। महाराष्ट्र में कपास एकाधिकार योजना की अवधि 30 अगस्त, 2000 तक ही है। यह अवधि सीमित होने के कारण किसानों के दिल में यह बात आ रही है कि जहां उन्हें इसका मीनिमम मूल्य मिलना चाहिए, वहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसमें बाधा आएगी। क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोई ऐसा प्रपोजल भेजा है कि इस योजना की अवधि बढ़ानी चाहिए और क्या सरकार इसकी अवधि बढाने के बारे में सोच रही है?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, देश भर में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां कॉटन के लिए कॉटन मॉनोपली प्रक्योरमैंट एक्ट है। जिस कपास एकाधिकार योजना की चर्चा हुई, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वह योजना अभी महाराष्ट्र में इम्पलीमैंट हो रही है। वहां सी. सी. आई. इसलिए काम नहीं करता क्योंकि कॉटन मॉनोपली एक्ट होने की वजह से वहीं परचेज करता है। महाराष्ट्र गवर्नमैंट कॉटन प्रक्योर भी करती है और सेलिंग भी अपने नियमों के मुताबिक करती है। कपास एकाधिकार योजना का पीरियड जून में पूरा होने जा रहा है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के किसानों को कॉटन के अच्छे दाम मिलें ओर देश भर में उसका एक ही कानून हो। महाराष्ट्र गवर्नमैंट की ओर से कपास एकाधिकार कानून की अवधि आगे बढ़ाने के लिए हमेशा रिकवैस्ट की जाती है। हमारे कई सांसद भी सरकार के ऊपर प्रैशर डालते हैं। हम उस प्रेशर के आधार पर इसका समय बढाते हैं। राज्य सरकार इस बार भी रिक्वैस्ट करेंगी। जैसा आपने शिकायत की है कि कॉटन ग्रोअर्स को कम दाम मिलते हैं और देश भर में इसके जैसे दाम मिलते हैं, उसी तरह महाराष्ट्र के किसानों को भी इसके अच्छे दाम मिलें, इसलिए कपास एकाधिकार कानून को खत्म करने के लिए आप अवश्य महाराष्ट्र सरकार को समझाएं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री एन. जनार्दन रेड्डी को बुलाया है। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, आपने यह स्पष्ट करके बड़ी कृपा की है कि यह प्रश्न कपास की खेती से सम्बन्धित है। ग्रामों का चयन करने के संबंध में, मुझे नहीं मालूम कि आन्ध्र प्रदेश में से केवल छः ग्रामों का ही चयन क्यों किया गया है जहां पर्याप्त मात्रा में कपास उगाई जाती है। मंत्री महोदय को अच्छी तरह मालूम है कि भारतीय कपास निगम लि. ने वहां कार्यरत आपके अधिकारी से अनुरोध करने पर भी गुंटूर में खरीदी कपास के लिए अभी तक धनराशि का भुगतान नहीं किया है इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है।

आप उन किसानों की देय राशियों का भुगतान कब करने जा रहे हैं जो सरकार द्वारा भुगतान किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं?

श्री काशीराम राणा : महोदय, जहां तक गुंटूर से कपास की खरीद का संबंध है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को भली भांति मालूम है कि लेनदेन के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच इस मामले में अभी पूरी नहीं हुई है और अतः यह मामला लम्बित पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री थावर चंद गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, भारतीय कपास निगम द्वारा कपास का जो समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, वर्तमान में कपास की खेती की जो लागत आती है, उससे बहुत कम है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने किसानों को कपास उत्पादन के लागत मूल्य के आधार पर लाभकारी मूल्य देने की कोई योजना बनाई है? अभी कपास उत्पादक किसानों को जो सपोर्ट प्राइस दी जाती है, वह लागत मूल्य से कम होती है।

दूसरे, मध्य प्रदेश में रंगीन कपास की खेती होती है जिसे बाद में रंगीन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह बहुत अच्छी क्वालटी की होती है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार किसी कार्य योजना के अंतर्गत रंगीन कपास के विकास के लिये मध्य प्रदेश सरकार को कोई सहायता देगी?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा जो सिफारिश की जाती है, उसके आधार पर लघुतम कपास मूल्य कृषि मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। हम चाहते हैं कि कपास उत्पादक किसानों को अच्छा मूल्य मिले। माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन एवं विकास के लिये जो सुझाव दिया, उसके लिये हम कृषि मंत्रालय को जरूर बतायेंगे।

श्री राशिद अलवी : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने कपास कल्टीवेशन के लिये, क्या उपाय कर रहे हैं, उसका ठीक से जवाब नहीं दिया। मुझे यह प्रश्न पूछना है कि जो सीड्स फार्मर्स को सप्लाई किये जा रहे हैं,

[अनुवाद]

क्या इन्हें भारतीय कपास निगम लि. के मार्फत हमारे अपने देश में विकसित किया जा रहा है अथवा हम इन बीजों का आयात कर रहे हैं। यदि हम इन बीजों का आयात कर रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हम संयुक्त राज्य अमरीका से इन बीजों का आयात कर रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दो वर्ष पहले अमरीका और विशेषकर मानसेंटों कैमिकल्स कम्पनी द्वारा विकसित किए गए ये बीज रोग से ग्रसित पाए गए थे। इस कम्पनी को अमरीका के किसानों को भारी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करना पड़ा था।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, काटन कल्टीवेशन के लिये कपास कारपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से अच्छे

पैस्टीसाइड्स और अच्छे सीड्स दिये जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वे सीड्स डैवलेप करती है और हम उसे प्रोवाइड करते हैं। इतना ही नहीं, कॉटन कल्टीवेशन के लिये हमने कॉटन टैक्नॉलॉजी मिशन शुरू किया है।

श्री राशिद अल्वी : इम्पोर्ट करते हैं या नहीं?

श्री काशीराम राणा : कॉटन क्वालिटी इम्प्रूव करना, कॉटन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करने, अच्छा मार्किटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर देने और कनटैमिनेटेड कॉटन को रिड्यूस करने के लिये हमने कॉटन टैक्नालाजी मिशन शुरू किया है। आज कॉटन प्रोडक्शन का नेशनल एवरेज प्रति हैक्टेयर 333 किलोग्राम है।

[अनुवाद]

श्री राशिद अल्वी : मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार बीजों का आयात कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री अल्वी, कृपया पहले जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं उसे सुनिए।

श्री राशिद अल्वी : मेरा प्रश्न यह है क्या बीजों का आयात किया जा रहा है कि नहीं। और यदि उनका आयात किया जा रहा है तो क्या वह संयुक्त राज्य अमरीका से अथवा किसी अन्य देश में आयात किए जा रहे हैं।

श्री काशीराम राणा : महोदय, जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का संबंध हैं, यह कृषि मंत्रालय से संबंधित है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कपास का प्रोडक्शन प्रति हैक्टेयर 333 किलोग्राम है जिसे बढ़ाकर हम इंटरनैशनल एवरेज 558 किलोग्राम तक करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री राशिद अल्वी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या बीजों का आयात किया जा रहा है कि नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अल्वी, आपका अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सीधा सा सवाल पूछा था कि क्या सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य देने पर विचार कर रही है। क्योंकि किसान यह हिसाब नहीं रख पाता है कि पैदावार में उसकी कितनी लागत लगती है। लेकिन आपके सरकारी विभाग के पास ज़हां कपास पैदा करने का कार्य होता है, उसका हिसाब होगा। यदि आपके पास हिसाब है तो कृपा करके बतायें कि एक क्विंटल कपास पैदा करने में कितना सरकारी खर्चा होता है। जो हिसाब होता है उसके अनुसार क्या सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य देने पर विचार करेगी?

श्री काशीराम राणा : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार अवश्य विचार करती है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसीलिए हर साल समय–समय पर न्यूनतम मूल्यों की घोषणा की जाती है। चाहे सीड्स का भाव बढ़े, चाहें पेस्टीसाइड्स का भाव बढ़े..... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : लाभकारी मूल्यों की जो घोषणा की जाती है, वह अपने मन से करते हैं। अगर लाभकारी मूल्य तय किया जाए तो किसानों से पूछकर किया जाए। जिन्होंने कभी खेती नहीं की, जिन्हें खेती का पता नहीं है, वे मूल्य तय करते हैं। यही देश का दुर्भाग्य है, किसानों का दुर्भाग्य है कि किसानों के माल की कीमत कौन तय करते हैं। महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कपड़ा है, फैक्टरी का बना हुआ सामान है, वहां फैक्टरी का मालिक अपने माल की कीमत तय करता है।

अध्यक्ष महोदय : वह समाधान दे रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : लेकिन किसानों के माल की कीमत वे लोग तय करते हैं जो खेती के बारे में नहीं जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर को रिप्लाई देने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, हमने सीधा सा सवाल पूछा है कि आपकी जो कपास की कीमत है, उसकी लागत का खर्चा एक क्विंटल पर कितना होता है और क्या उस हिसाब से आप कितनों को लाभकारी मूल्य देंगे?

श्री काशीराम राणा : लाभकारी मूल्य देने वाली संस्था इस सरकार की बनाई हुई नहीं है, यह बहुत सालों से बनी हुई है और वह संस्था ही लाभकारी मूल्य तय करती है इनपुट्स के जो भी प्रीवेलिंग प्राइस हैं उसके आधार पर वह अल्टीमेटली एम. एस. पी. तय करती है।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है और महाराष्ट्र में कई वर्षों से कपास एकाधिकार योजना चल रही है। इसीलिए वहां जो किसान कपास का उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, वह समर्थन मूल्य उन्हें

मिल रहा है। मंत्री जी ने अपने जवाब मे यहां बताया कि जो एकाधिकार योजना चल रही है, उसे खत्म करना चाहिए। हमारी मंत्री जी से यह मांग है कि उस योजना को एक्सटेंशन मिलना चाहिए और जब तक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा...*(व्यवधान)* इस योजना को सारे देश में एक्सटेंशन मिलना चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गीते, आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, हमारी सरकार से मांग है कि इस योजना को सारे देश में एक्सटेंशन मिलना चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न पूछने का यह उचित तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, यह हमारी मांग है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : कपास एकाधिकार योजना को एक्सटैंशन देने के बारे में हम मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं, क्या मंत्री जी हमें इस बारे में आश्वासन देंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अन्य सदस्य क्यों खडे हो रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : सर भारत सरकार का अब तक यह रवैया है कि जब-जब भी महाराष्ट्र सरकार ने रिक्वेस्ट की है, हम उसे कंसीडर करते ही रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री गीते, यह क्या है?

श्री काशीराम राणा : आपकी फीलिंग्स के ऊपर सरकार अवश्य विचार करेगी।

राज्यों पर बकाया ऋण

***663. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों पर बकाया ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 2000-2001 के दौरान राज्य सरकारों को दिए गए ऋण और अग्रिम की धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन राज्य सरकारों, जिनकी वित्तीय स्थिति खराब है को दिए गए ऋण माफ करने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) एक विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार वित्त मंत्रालय की बकाया ऋणों तथा अग्रिमों का राज्यवार विवरण तथा राज्य सरकारों द्वारा 2000-2001 के दौरान पुनभुगतेय राशियों को दर्शाने वाला विवरण : -

क्रम संख्या	राज्य	31.3.2000 की तक बकाया ऋण	वर्ष 2000-2001 के दौरान भुगतान किए जाने योग्य ऋण और अग्रिम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	16396.31	706.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	360.03	15.90
3.	असम	4433.07	300.18
4.	बिहार	15641.60	626.68
5.	गोवा	1049.80	39.17
6.	गुजरात	17458.22	538.68
7.	हरियाणा	5781.70	188.64

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	2839.64	98.45
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3927.34	265.40
10.	कर्नाटक	10494.61	406.84
11.	केरल	6408.61	304.19
12.	मध्य प्रदेश	10966.99	494.13
13.	महाराष्ट्र	27240.20	852.66
14.	मणिपुर	429.99	25.56
15.	मेघालय	328.40	16.01
16.	मिजोरम	336.15	30.24
17.	नागालैंड	415.60	32.93
18.	उड़ीसा	7672.83	385.91
19.	पंजाब	14393.49	707.05
20.	राजस्थान	12251.64	509.57
21.	सिक्किम	237.04	14.63
22.	तमिलनाडु	12134.73	515.75
23.	त्रिपुरा	649.18	25.04
24.	उत्तर प्रदेश	33778.76	1372.36
25.	पश्चिम बंगाल	26355.69	689.85
	कुल	231981.53	9164.41

(ग) और (घ) ऋण माफी के लिए भारत सरकार सामान्यतः वित्त आयोग की सिफारिशों से निर्देशित होती है। अपने विचारार्थ विषयों के मुताबिक ग्याहवें वित्त आयोग को राज्यों की ऋण स्थितियों का आकलन और केन्द्र तथा राज्य दोनों ही के दीर्घ आवधिक संपोषण को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक उपचारात्मक उपायों को सुझाना है। राज्य/राज्यों को किसी भी ऋण राहत हेतु ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का इंतजार करना होगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार के हिसाब-किताब से साफ जाहिर है कि गरीब राज्य और लगभग सभी राज्य ऋण से दबे हुए हैं, सभी राज्यां की आर्थिक हालत दयनीय है, आर्थिक हालत खराब है, उन सभी राज्यों पर इनका लगभग 2,31,981 करोड़ रुपया बकाया है। हमारा सवाल था कि जो गरीब राज्य हैं, जिनकी आर्थिक हालत खराब है, उनके ऋण माफ किये जाएं, लेकिन मंत्री जी टाल रहे हैं और कहते हैं कि हम वित्त आयोग से निदेशित होते है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि दशम् वित्त आयोग ने राज्यों की खराब वित्तीय हालत तथा उन पर ऋण के बोझ को देखते हुए क्या अनुशंसाएं की हैं कि उनका ऋण माफ करना चाहिए अथवा नहीं या उनके ऊपर ऋण पर सूद, दंड सूद, दर सूद, पैनल इंटरेस्ट और सब इंटरेस्ट बढ़ाकर लेना चाहिए। वित्त आयोग ने इस बारे में क्या अनुशंसाएं की हैं?

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : महोदय, हम दसवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार यह क्रियान्वित कर रहे हैं। अब, प्रश्न वर्ष 2000-01 के बारे में है। ग्यारहवाँ वित्त अयोग अपना कार्य कर रहा है। दसवें वित्त आयोग की पंजाब सिफारशें (जिसमें विशेष श्रेणी के राज्य, उच्च वित्तीय दबाव वाले राज्य और पंजाब भी आता है) के बावजूद पंजाब को छोड़कर किसी भी राज्य को कोई ऋण राहत विशेष रूप से नहीं दी गई।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि जैसा इन्होंने कहा है कि सामान्यतः हम वित्त आयोग की सिफारिशों से निदेशित होते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि विशेष परिस्थितियों में जिन राज्यों की हालत खराब है, सभी संकेतों के हिसाब से नार्मल से खराब हालत है। राज्य सरकारें वेतन देने की स्थिति में नहीं है, अपने विकास कार्यक्रमों को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं, केन्द्र सरकार से सैंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में पैसा जाता है, जिसके तहत 50-50 प्रतिशत हिस्सा देना होता है। लेकिन राज्य सरकार अपना 50 प्रतिशत हिस्सा देने की स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति में जिन राज्यों की आर्थिक हालत ज्यादा खराब है, क्या उनके ऋण माफ करने के बारे में केन्द्र सरकार विचार करने वाली है। चूंकि खराब आर्थिक हालत के चलते किसी राज्य ने बकाया नहीं दिया और वह डिफाल्टर हो गया, जिसके कारण उन्हें आगे ऋण देने पर रोक लगा दी जाती है। राज्यों की खराब वित्तीय स्थिति में देखते हुए क्या केन्द्र सरकार इन दोनों बातों पर उनके बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी या मुगलों की तरह राज्यों के साथ व्यवहार करेगी?...*व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : रघुवंश बाबू के प्रश्न पर आपको खड़ा होना पड़ा।

श्री वित्त (श्री यशवंत सिन्हा) : रघुवंश बाबू ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, जिसका सरोकार देश के हर राज्य से है। पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि दसवें वित्त आयोग

की सिफारिशों के अनुसार जितनी राशि उन्होंने कही थी, चाहे वह स्पेशल डैट रिलीफ हो, चाहे जनरल डैट रिलीफ हो, उन सिफारिशों के अनुसार पिछले पाचं वर्ष में जितनी राशि को राइट ऑफ करना था, वह राशि हमने राइट ऑफ की है। उसके आंकड़ें हमारे पास हैं।

दूसरा जो सवाल रघुवंश बाबू ने उठाया, उसके बारे में मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्यों और केन्द्र के बीच संसाधनों का जिस तरह बंटवारा होता है, वह वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है, उससे सदन अवगत है। टैक्सिज में हम जो उनका अंश उन्हें देते हैं और योजना आयोग के माध्यम से उनकी योजना के लिए उन्हें हम समर्थन देते हैं, इन दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर वित्त आयोग की सिफारिशें हमें लागू करनी ही हैं। उसमें हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वे लागू होती हैं। जहां तक योजना आयोग का प्रश्न है, माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना का आकार राज्यों के साथ बातचीत करके तय होता है, हर वर्ष की योजना का आकार राज्यों के साथ बातचीत करके तय होता है और उसके आकार के अनुसार जितनी राशि और संसाधन राज्यों को इकट्ठे करने पड़ते हैं, वे इकट्ठा करते है। जितने संसाधन भारत सरकार को देने पड़ते हैं, वह भारत सरकार देती है। इस प्रकार से यह व्यवस्था चल रही है। मैंने पहले भी इस सदन में कहा है कि जैसे इस समय भारत सरकार की स्थिति नाजुक है।

उसी प्रकार राज्यों की माली हालत भी नाजुक है, इसलिए हम लोग मिलकर उपाय ढूंढ रहे हैं कि हम इस अनावश्यक हालत से देश को कैसे निकालें। मैंने यहां पर कहा कि हम राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं और उनकी वेदना और पीड़ा को समझते हैं और लगातार हमारा यह प्रयास रहा है कि किसी भी राज्य में जब कभी कोई विशेष परिस्थिति हो या विशेष संकट आ जाए तो हम आगे बढ़कर उसकी मदद करें। यह हमारी नीति है और उसके अनुसार हमने पिछले दो वर्षों में काम किया है और आगे भी करते रहेंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं आया है। बकाया रहने के चलते जो आगामी ऋण देने से रोक है, उसका कोई उत्तर नहीं आया है।

श्री यशवन्त सिन्हा : बकाया के चलते कोई रोक नहीं है। राज्य सरकार स्वयं कहें कि हम नहीं देंगे, ऐसी इजाजत नहीं है, लेकिन हमसे बातचीत करके अगर वह तय करते हैं, हम दोनों मिलकर तय करते हैं, तो उसमें हम राज्यों का हिस्सा रोकते नहीं हैं, उनको देते हैं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं क्या दसवें वित्त आयोग ने कुछ राज्यों के ऋण माफ कर देने की सिफारिश की थी। यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं और कितना ऋण विशेषत: उड़ीसा के मामले में कितना ऋण माफ किया गया है? ऋण माफ करने हेतु सुधारात्मक उपाय क्या हैं जिसे दसवें वित्त अयोग द्वारा सुझाया गया था और कौन से राज्य हैं जिनके ऊपर यह लागू होता है।

श्री बाला साहब विखे पाटील : इस योजना के तहत दसवें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों को छूट देने की सिफारिश की थी। तीन अन्य राज्य उडीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं जिन्हें दसवें वित्त आयोग द्वारा अधिक वित्तीय घाटे वाले राज्य के रूप में श्रेणीबद्ध किया है और 1989—90 और 1993—94 के दौरान भुगतान की औसत ब्याज दर 17% से अधिक नहीं रही है। विवरण यहां दिया गया है। 1995—1996 से 1999—2000 तक राज्यों को विशेष ऋण छूट और साधारण ऋण छूट के रूप में दी गई राशि का कोटा तालिका में दिया गया है। यदि आप चाहते हैं तो मैं उन राज्यों के नाम आपको बता सकता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस प्रश्न के बिल्कुल भिन्न पहलू की ओर दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। वित्त आयोग और योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार धनराशि और ऋण सहायता राज्य सरकारों को दी जाती हैं और यह अपेक्षा की जाती है कि जिस प्रयोजन के लिए धनराशि दी गई है उसके लिए ही खर्च की जाए। लेकिन कुछ मामलों में—यदि मैं गलत हूं तो मुझे बताया जाए—धनराशि का उचित प्रयोग नहीं किया जाता है और निधियों का दुरुपयोग किया जाता है। जिसके कारण राज्य की वित्तीय स्थिति बदतर होती जा रही है और इसका प्रभाव देश की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ रहा है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के पास ऐसा कौन सा तंत्र उपलब्ध है जिससे जाना जा सके कि विधियों का समुचित उपयोग किया जाता है और उनका दुरुपयोग नहीं होता और राज्य तथा देश की भी वित्तीय स्थिति बदतर न हो। मैं उस प्रणाली के बारे में जानना चाहता हूं कि और यदि वह तंत्र है तो क्या वह उपयुक्त है और यदि यह तंत्र उपयुक्त नहीं है, अपर्याप्त है अनुचित है तो क्या यह देखने हेतु कोई प्रस्ताव है कि कुछ किया जाए ताकि निगरानी तंत्र बेहतर बनाया जा सके? और यदि हां तो किस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे और यदि नहीं तो क्यों?

श्री यशवन्त सिन्हा : मैंने पहले पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के जवाब में पहले ही बता दिया है कि राज्य सरकारों को दिये जाने वाला धन साधारणतया दो प्रकार का होता है। एक जो वित्त आयोग वितरण के अधीन है जो संविधान के अंतर्गत उनका अधिकार है। यह धन उनके स्वयं के संसाधनों के रूप में उन्हें मिलता है।

दूसरा वह धन है जो भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को योजना धनराशि के रूप में योजना आयोग के मार्फत दिया जाता रहा है। जैसा कि हमें पता है भारत राज्यों का संघ है और राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की जिम्मेदारियां भारत के संविधान में अत्यंत स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। यहां लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है।

राज्य सरकारों के लेखा परीक्षित लेखे उस राज्य की विधानपालिका के समक्ष रखे जाने अपेक्षित हैं। जिस प्रकार हमारे यहां लोक लेखा समिति है, राज्य विधान पालिकाओं में उसकी लोक लेखा समितियां हैं। उन्हें उसकी छानबीन करनी चाहिए। अतः संवैधानिक प्रबंध अत्यंक स्पष्ट है। जहां तक विशेष तंत्र का संबंध है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है विशेष तंत्र मात्र योजना धन के संबंध में है। हम योजना आयोग में भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच परामर्श बैठकें करते हैं। प्रत्येक वर्ष जब राज्य सरकार योजना आयोग के पास आती है तो वह उस राज्य की विकासात्मक प्रक्रिया के पूरे रवैये की समीक्षा करते हैं। योजना आयोग का अपना मूल्यांकन तंत्र है। भारत सरकार ने अन्य मंत्रालयों, जो उससे प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, के पास राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए भी अपना तंत्र है। लेकिन मैं यहां जोड़ना चाहूंगा कि हमारे देश की संघीय व्यवस्था में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो पूर्णरूप से भारत सरकार द्वारा ही किया जाए। हम राज्य सरकारों के लेखों के लेखापरीक्षक नहीं बन सकते। हम राज्य सरकारों के साथ विभिन्न योजनाओं की वित्तीय और वास्तविक प्रगति के बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह राज्य और केन्द्र संबंधों का अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है और इसे अत्यंत सावधानी पूर्वक हल करना चाहिए।

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया ऋण लगभग 2,31,81,000/–रु. है जिसे अपने उत्तरप्रदेश और उड़ीसा सहित कुछ राज्यों के संबंध में माफ किया है। ऋण को माफ करने में आपने कौन सा मानदण्ड अपनाया है? ऋण माफ करने के संबंध में कुछ राज्यों का चयन करने के संबंध में अपनाया गया मानदण्ड क्या है? ऐसी कौन सी वित्तीय बाध्यताएं हैं जिनके कारण तमिलनाडु पर 12,135.75 करोड़ रु. का ऋण बकाया है। क्या आप इन ऋणों को माफ करने के बारे में सोच रहे हैं? आपको सभी राज्यों के साथ एकसा रवैया अपनाना चाहिए। अतः राज्यों के बीच वित्तीय अनुशासन लाने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? आपने कहा कि संघीय व्यवस्था में कोई निगरानी तंत्र नहीं होता है। क्या आप कुछ राज्यों द्वारा बकाया ऋण में वित्तीय व्यवस्था लाने के लिए कोई कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री बाबा साहिब विखे पाटील : महोदय, प्रश्न के अंतिम भाग का उत्तर माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिया गया है। हम राज्यों के क्षेत्र में हस्ताक्षेप नहीं कर सकते। उनके अपने अधिकार हैं। यह अत्यंत नाजुक और संदेवनशील मुद्दा है। हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था की व्यवस्था करते हैं। राज्यों की अपनी जिम्मेदारियां हैं क्योंकि वे अपने–अपने राज्यों का शासन कर रहे हैं। हम उनके कार्य में हस्ताक्षेप नहीं कर सकते। मैं प्रश्न के पहले भाग का पहले ही जवाब दे चुका हूं। दसवें वित्त आयोग ने राज्यों की वित्तीय कार्यनिष्पादिता के आधार पर उन्हें राहत दे दी है। राहत विशेष श्रेणी के राज्यों को दी गई है और उन राज्यों का विशेष ध्यान रखा गया है जिन्हें सेवानिवृत्ति आयु बढ़ने, विनिवेश और इक्विटी धारिता के लिए राहत की आवश्यकता है। दसवें वित्त आयोग ने बाकी चीजों के लिए भी सिफारिश की है। उसके अतिरिक्त भारत सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है।

श्री पी. एच. पांडियन : क्या आपने पिछले वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये दिये हैं अथवा एक साथ अभी दिये हैं?

श्री बाबा साहिब विखे पाटील : यह सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि राज्य सरकारों की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की आर्थिक हालत सूखे और अकाल की वजह से बहुत बुरी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे राज्य, जिनकी उनकी आर्थिक हालत वैसे ही खराब है, सूखे और अकाल की वजह से और खराब हो गयी है, उनके ऋण माफ करने के बारे में कोई विचार रखती है या नहीं?

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : जहां तक ऋण माफ करने का सवाल है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इलैवन्थ फाईनैंस कमीशन ने इस बारे में क्राईटेरिया तय किया है और उसकी टर्म्स एंड रैफरैंस के हिसाब से वे ऐसा कर सकते हैं। भारत सरकार उस बारे में कुछ नहीं कह सकती।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उसमें सूखा और अकाल के बारे में प्रावधान है या नहीं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हमने बजट और वित्त विधेयक पर पिछले सप्ताह में ही चर्चा की है। कृपया समझिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बालासाहिब विखे पाटील : हम मानते हैं कि भयंकर सूखा पड़ा है और राहत कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने धनराशि दे दी है और यदि आवश्यक हुआ तो सरकार और धन दे देगी। यह निरंतर प्रक्रिया है। अतः धन की कोई समस्या नहीं होगी।

[हिन्दी]

एन टी सी मिलों का आधुनिकीकरण

***664. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ख) क्या एन. टी. सी. की मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आधुनिकीकरण के लिए आबंटित निधियों को अन्य शीर्षों पर व्यय किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भीं राज्य में एन. टी. सी. की मिलों के आधुनिकीकरण के लिए कोई निधि आबंटित अथवा खर्च नहीं की गई है।

(ख) और (ग) अभी तक एन. टी. सी. मिलों के आधुनिकीकरण पर कुल 512.14 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है। आधुनिकीकरण पर व्यय के राज्य–वार ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	राशि (करोड़ रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	25.23
2.	असम	1.88
3.	बिहार	2.90
4.	दिल्ली	2.04
5.	गुजरात	40.37
6.	कर्नाटक	27.04
7.	केरल	39.16
8.	मध्य प्रदेश	29.78
9.	महाराष्ट्र	110.62
10.	उड़ीसा	2.98
11.	पांडिचेरी	18.15
12.	पंजाब	14.64
13.	राजस्थान	10.60
14.	तमिलनाडु	135.26
15.	उत्तर प्रदेश	27.42
16.	पश्चिमी बंगाल	24.07
	कुल	512.14

[हिन्दी]

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, 1968 में बीमार कपड़ा मिलों को सुधारने, उनके आधुनिकीकरण करने, और उनमें काम कर रहे कामगारों की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने 119 कपड़ा मिलों का अधिगृहण किया था। उनमें से 49 मिलें पूरी तरह बंद हो गई हैं और 80 मिलों में से कुछ काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही हैं। पिछले वर्षों में सरकार ने इन मिलों की वजह से 6,336 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा उठाया है, लेकिन जो विकास की राशि दी गई है, वह केवल 514 करोड़ रुपये है। पिछले 3 वर्षों में एक पैसा भी उनके आधुनिकीकरण के लिए नहीं दिया गया जबकि उन मिलों में एक लाख मजदूर कार्यरत हैं। सरकार द्वारा जो उत्तर आया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले तीन वर्षों में एक पैसा की राशि भी आधुनिकीकरण के लिए नहीं दी गई। 1999–2000 में

लगभग 936 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था है कि जो मिलें नहीं चल सकती या कुछ मिलें ऐसी हैं जिन्हें आधुनिकीकरण करके चलाया जा सकता है, उनमें से कितनी ऐसी मिलें हैं जो सक्षम हैं और आधुनिकीकरण करके उनसे फायदा लिया जा सकता है? क्या मंत्री जी उनकी संख्या बताने की कृपा करेंगे?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया, पिछले तीन सालों में मौडर्नाईजेशन के लिए कोई पैसा इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि एन. टी. सी. की 119 मिलों में से 42 मिलें ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल कामकाज नहीं होता। सरकार चाहती है कि जितनी मिलें चल सकती हैं, उनको आधुनिकीकरण करके चलाए और बाकी मिलों के कामगारों को अच्छा वी. आर. एस. देकर उनके साथ समझौता किया जाए। 1992–93 तक आधुनिकीकरण की योजना चली और 1992–93 के बाद रिवाइवल प्लान बनाया गया। उसके लिए फाईनैंशियल इन्स्टीट्यूशन से पैसा आने वाला था, वह नहीं आया इसलिए वह प्लान फेल हो गया। उसके बाद 1995 में रिवाइवल प्लान बना। फिर रिवाईज्ड रिवाइवल प्लान 1997 में बना। अभी जितनी भी मिलें चल सकती हैं। वे चलें, इसके लिए हमने एक प्री–प्लान स्ट्रैटजी रिवाइवल प्लान बनाया है। मुझे लगता है कि इसके तहत जितनी मिलें चल सकेंगी, उन्हें हम चलाने की कोशिश करेंगे। आज 119 मिलों में से 24 मिलें ऐसी हैं जो पूरी तरह काम कर रही हैं और 53 मिलें पार्शियली काम कर रही हैं।

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या यह बात सही है कि 119 कपड़ा मिलों में से केवल 34 कपड़ा मिलों के लिए राशि की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने आग्रह किया है? क्या उस राशि की कैबिनेट द्वारा स्वीकृति हो गई है और यदि नहीं हुई, तो कब तक होगी? मैं जानना चाहता हूं कि उन 34 मिलों को चलाने के लिए सरकार कब तक व्यवस्था करने जा रही है। सरकार की उन मिलों को चलाने की इच्छा शक्ति नहीं है। मैं सही बात कह रहा हूं। यदि सरकार की इच्छा शक्ति होती तो पिछले तीन वर्षों से उनके आधुनिकीकरण के लिए कोई राशि नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कैबिनेट ने एन. टी. सी. की मिलों के रिवाइवल के लिए स्वीकृति दी है या नहीं, मंत्री जी इस बारे में जानकारी दें।

श्री काशीराम राणा : जैसा मैंने बताया कि सरकार की इच्छाशक्ति है, लेकिन जितनी मिलें चल सकेंगी, उतनी मिलों को हम माडर्नाइज करेंगे। जहां तक सैलरी का सवाल है.. *(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : आपने बिहार को सिर्फ दो करोड़ रुपया दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मि. राजो सिंह, यह ठीक नहीं है। आप बैठिए।

श्री काशीराम राणा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद कहते हैं कि कुछ ऐसी मिलें हैं, उन्हें जो राशि चाहिए, वह नहीं मिल पाती, यह बात सिर्फ बी. आई. सी. की मिलों के लिए लागू होती है और कैबिनेट उस पर भी अपना निर्णय लेकर आइडियल वेजिज उन मिलों के श्रमिकों को देती है। मिलें बन्द होते हुए भी हम सभी 88,246 कामगारों को आज भी सैलरी देते हैं और सैलरी के लिए 436.79 करोड़ रुपये हमने 1999–2000 में दिये। ऐसा नहीं है कि अभी तक हमने सैलरी नहीं दी, मार्च तक की सैलरी सभी मिलों के एम्पलाइज को मिल गई है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : आपने बजटरी सपोर्ट दी है या नहीं, इसका जवाब आपने नहीं दिया।

श्री काशीराम राणा : बजटरी सपोर्ट में इसका प्रावधान होता ही है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि कानपुर में जो तीन मिलें हैं, उनके लिए कैबिनेट अलग से निर्णय लेती है और हमेशा पोजिटिव निर्णय लेती है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, एन. टी. सी. की मिलों के एम्पलाइज की ओर से एक प्रस्ताव केन्द्र के पास आया था कि एन. टी. सी. की कुछ यूनिटों की सम्पति को बेचकर कुछ यूनिटों को चलाया जाये। क्योंकि आज भारत सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या धन की है और हमारे श्रमिक इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर कुछ यूनिटों को बेचकर बन्द कर दिया जाये और उस पैसे से थोड़ी सी यूनिटें चलाई जायें–मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? अगर ऐसा प्रस्ताव आपके पास आया है तो उस प्रस्ताव के क्रियान्वयन में सरकार को क्या मुश्किलें हैं?

श्री काशीराम राणा : माननीय सांसद की जानकारी सही है। इस आधार पर लेबर मिनिस्ट्री ने 1995 में एक स्पेशल ट्रीपाटाईट कमेटी बनाई थी और उन्होंने जो सिफारिश की, उनमें ऐसा कहा गया कि जो मिलें नहीं चल सकतीं, उसकी लैंड बेची जाये और उस पैसे से जो भी मिलें चल सकती हैं, वे मिलें चलायी जायें। उसके तहत 1997 में एक रिवाइज्ड रिवाइवल प्लान बना, जिसमें महाराष्ट्र की जो मिलें ऐसी हैं, जो नहीं चल सकती हैं, उनकी जमीन बेचकर करीब 2005 करोड़ रुपये हमें मिलने वाले थे।....*(व्यवधान)* महाराष्ट्र में नहीं, सिर्फ मुम्बई में। मोहन रावले जी, मैं आपके शहर की ही बात कर रहा हूं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय मंत्री जी आप उत्तर प्रदेश की भी बात करिये, केवल राजस्थान और महाराष्ट्र की ही नहीं।

श्री काशीराम राणा : मैं सही फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं कि 2005 करोड़ रुपये जमीन बेचकर उसमें से आने थे, लेकिन उसी समय दो बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने वह परमीशन नहीं दी, इसीलिए वह रिवाइवल प्लान इम्पलीमेंट नहीं हो पाया।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति नहीं आई थी?.....*(व्यवधान)* क्या वहां की सरकार ने भी कोई प्राब्लम बताई है?.....*(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा : इसमें मुझे क्लैरीफाई करने का अवसर दिया जाये, क्योंकि 1997 में, तब के प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर सब चीफ मिनिस्टर्स को हमने लैटर लिखा कि सिर्फ एम्पलाइज की जिम्मेदारी आप लें, बाकी सब ड्यूज सरकार वेव करने के लिए तैयार हैं, हम आपको दे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से कोई पोजिटिव रिप्लाई नहीं आया।

श्री मोहन रावले : माडर्नाइजेशन करने वाला रिवाइवल प्लान क्या है? यहां सदन में 1994 में एक आश्वासन दिया गया था कि जब तक माडर्नाइजेशन नहीं होता, तब तक जो लोग आइडियल बैठे हुए हैं, चूंकि वे मिल चलाने में सक्षम हैं, क्या सरकार की तरफ से रॉ मैटीरियल, कपास और वर्किंग कैपीटल उन्हें नहीं दिया जाता है, जब तक माडर्नाइजेशन नहीं होता, तब तक क्या आप वर्किंग कैपीटल उन्हें दे देंगे। यहां वित्त मंत्री जी बैठे हैं तो आप जरा जवाब दीजिए।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री काशीराम राणा : जो मिलें चल सकती हैं, उनको चलाने के लिए हम सी. सी. आई. की ओर से कॉटन भी देते हैं।

श्री मोहन रावले : मुम्बई में नहीं मिल रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : हम मिल चलाने के लिए बाहर से भी जॉब वर्क देते हैं।....*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : व्यापारियों को देते हैं...*(व्यवधान)* उससे व्यापारियों को फायदा होता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? आप मंत्री महोदय को जवाब भी नहीं देने दे रहे हैं। मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर पूरा कीजिए।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : मैंने जैसा बताया जो मिलें चल सकती हैं, उनको चलाने के लिए हम कॉटन देते हैं, किसी भी मिल को से की कमी नहीं हुई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बैंकों को स्वायत्तता

*665. **श्री भालचन्द्र यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों को और अधिक स्वायत्तता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। जैसा कि वर्ष 2000–2001 के बजट भाषण में बताया गया है, बैंकों के बोर्डों को आवश्यक लोच एवं स्वायत्तता प्रदान करने के लिए संबंधित संविधियों में आवश्यक परिवर्तन लाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेश

*666. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :** क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को और अधिक दक्ष बनाने और उन्हें विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का सामना करने योग्य बनाने हेतु उनसे विनिवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेश किया जाना है, उनकी संख्या कितनी है और उनसे कितना विनिवेश किये जाने का प्रस्ताव है और गैर–सरकारी कंपनियों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश सामरिक–भिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सामान्यतः मामलों में 74

प्रतिशत तक या इससे अधिक इक्विटी का विनिवेश करने के लिए सरकार की घोषित नीति के अनुसार किया जाना है। बाजार दशाओं, कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन, संबंधित विभागों के विचारों तथा व्यावसायिक परामर्शदाताओं की सलाह जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर विनिवेश किया जाता है। विनिवेश का स्वरूप तथा सीमा इन कारकों पर निर्भर होती है। निजी क्षेत्र की अनुक्रिया तब ज्ञात होगी जब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अनुकूल बिक्री के लिए बोलियां मांगी जाएंगी।

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्राकृतिक रबर की खरीद

***667. श्री जार्ज ईडन :**

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रबर की गिरती कीमतों पर रोक लगाने और रबर–उत्पादकों की सहायता करने के लिए उनसे राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्राकृतिक रबर की खरीद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूरे रबर क्षेत्र के संरक्षण के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। रबड़ की गिरती हुई कीमतों को रोकने और रबड़ उपजकर्त्ताओं को उनके उत्पाद की लाभकारी कीमत दिलाने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी खाते से एसटीसी के जरिए प्राकृतिक रबड़ की खरीद करने हेतु बाजार हस्तक्षेप किया है। एसटीसी ने अब तक 30,623 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद कर ली है और अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत प्रयोक्ता उद्योगों की मांग पूरी करने के लिए प्राकृतिक रबड़ की खरीद जारी है।

(ग) स्वदेशी रबड़ की घरेलू मांग बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने (क) 20.2.1999 से अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है; (ख) सड़कों पर रबड़ चढ़ाने के लिए रबड़ और पालिमर संशोधित बिटुमेन का प्रयोग करने हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं; और (ग) इस्तेमाल शुदा/रिट्रिट्रेड टायरों के आयात पर 25 अमरीकी डालर से 175 अमरीकी डालर की रैंज में न्यूनतम सी आई एफ मूल्य की सीमा तय की है।

चाय का उत्पादन

***668. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की तुलना में 1999–2000 के दौरान चाय का उत्पादन और निर्यात कितना रहा;

(ख) देश के भीतर चाय की खपत कितनी है;

(ग) देश में चाय की मांग और आपूर्ति के बीच कितना अंतर है;

(घ) क्या 1999–2000 के दौरान चाय के निर्यात में भारी कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) चाय के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और इस वर्ष चाय के निर्यात में कमी से कितने रुपयों के राजस्व की हानि हुई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) गत चार वर्षों के दौरान, चाय के उत्पादन, निर्यात और खपत की स्थिति निम्नानुसार रही:

(आंकड़े मिलियन कि.ग्रा. में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	खपत
1996–97	786.62	169.04	626
1997–98	834.88	211.26	636
1998–99	850.25	205.86	648
1999–2000	816.06	188.91	657

(ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान चाय की मांग और उत्पादन के बीच अंतर (–)29.85 मिलियन कि.ग्रा. रहा था। तथापि, पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम स्टॉक को ध्यान में रखते हुए 30.3.2000 की स्थिति के अनुसार 31.88 मिलियन कि.ग्रा. की बेशी थी।

(घ) और (ङ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान हुए निर्यात की तुलना में वर्ष 1999–2000 के दौरान चाय के निर्यात में 16.95 मि.कि.ग्रा. तक की गिरावट आई है। यह गिरावट विभिन्न कारकों जैसे श्रीलंका, चीन, इन्डोनेशिया और केन्या जैसे अन्य उत्पादक एवं निर्यातक देशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्द्धा; नीदरलैंड, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, मिस्र, सं. अ. अमीरात, टर्की इत्यादि देशों की विशिष्ट समस्याओं के कारण आई है।

(च) वर्ष 1999–2000 के दौरान, चाय के निर्यात से 1795.36 करोड़ रु. विदेशी मुद्रा आय होने का अनुमान है जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा की तुलना में "396.02" करोड़ रु. कम है।

[हिन्दी]

जूट संगठन का बंद किया जाना

***669. श्री दलपत सिंह परस्ते :**

श्री जयप्रकाश :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेश की राष्ट्रीय राजधानी ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन को बंद किए जाने के कारण भारतीय जूट उद्योग समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत को इसके कारण कितना घाटा उठाना पड़ रहा है;

(घ) क्या सरकार इसको पुनः चालू करने के लिए कोई प्रयास कर रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने किसी अन्य जूट उत्पादक देश की सहायता से एक नया और वैकल्पिक मंच तैयार करने की दिशा में कोई प्रयास किया है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रयास का क्या परिणाम निकला?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय पटसन व पटसन उत्पाद करार, 12 अप्रैल, 2000 तक वैध था। करार के उपबंधों में यह अपेक्षित है कि मौजूदा करार की समाप्ति से पहले एक परवर्ती करार पर वार्ता की जाए। यूरोपीय यूनियन और सदस्य देशों में परवर्ती करार पर बातचीत करने के लिए मार्च, 2000 में अंकटाड द्वारा बुलाई गयी बैठक में भाग लेने से मना कर दिया।

हालांकि भारत की सक्रिय सहभागिता से परवर्ती करार पर वार्ता हो गयी, मौजूदा करार को यूरोपीय यूनियन और उसके सदस्य देशों से आपत्तियां होने के कारण आगे नहीं बढ़ाये जा सके। हालांकि तकनीकी रूप से अंतर्राष्ट्रीय पटसन संगठन (आईजीओ) परिसमापन के चरण में प्रवेश कर गया है फिर भी सदस्य देशों द्वारा पटसन और पटसन उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के वैकल्पिक उपाय पर सहमत होने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। परिसमापन चरण की अवधि 18 महीनों तक बढ़ाई गयी है। जून, 2000 के अंतिम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय पटसन परिषद का विशेष सत्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के स्वीकार्य प्रपत्र को प्राप्त करने के प्रयास करने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय पटसन संगठन के "बंद" होने के कारण भारतीय पटसन उद्योग को समस्याओं और घाटों का सामना करने का फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिसंबर, 1999 में जब से भारत ने इस संगठन में पुनः प्रवेश किया है तब से भारत अंतर्राष्ट्रीय पटसन संगठन को पुनर्जीवित करने के प्रयास में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत ने संशोधित करार का प्रारूप तैयार करने में पहले की और उसने साथ ही पटसन और उत्पादों पर संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में वार्ताओं से एक करार को अंतिम रूप देने के प्रयास भी किए जोकि 8 अप्रैल, 2000 को ढाका में संपन्न हुआ।

(ङ) और (च) जून, 2000 के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पटसन परिषद के विशेष सत्र को ध्यान में रखते हुए कोई पृथक मंच बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पटसन का निर्यात और आयात करने वाले अधिकांश देशों को स्वीकार्य करार के प्रपत्र पर सहमति प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सामुदायिक विकास के लिए धनराशि

***670. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि. की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी खासतौर पर सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. और भारत कोकिंग कोल लि. के सामुदायिक विकासात्मक कार्यों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) प्रत्येक अनुषंगी कंपनी, खासतौर पर सी.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. द्वारा आबंटित धनराशि से उपरोक्त अवधि के दौरान किए गए कार्यों और चालू वर्ष के दौरान किए जाने वाले संभावित विकासात्मक कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोल इंडिया लि. द्वारा कोयला कंपनियों के आसपास के क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य करने के लिए अपनाए जा रहे वर्तमान मानदंड क्या हैं?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सामुदायिक विकास और अन्य विकासगत कार्यों के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. और भारत कोकिंग कोल लि. सहित कोल इंडिया लि. की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी में आबंटित निधियों और चालू वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:–

(लाख रुपए में)

कंपनी	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001 (प्रस्तावित)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	72.00	65.00	65.00	100.00
भारत कोकिंग कोल लि.	80.00	102.00	116.00	117.00
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	90.00	100.00	85.00	99.00
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	72.00	72.00	74.00	74.00
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	150.00	300.00	251.00	265.00
महानदी कोलफील्ड्स लि.	545.00	640.00	400.00	400.00
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	82.00	81.00	101.00	100.00
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	10.00	10.00	14.00	10.00
केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि.	60.00	10.00	10.00	10.00
जोड़	1161.00	1380.00	1116.00	1175.00

(ख) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 1999–2000 के लेखे को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष, अर्थात 2000–01 के दौरान शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य, अनुषंगी कंपनियों में विभिन्न कल्याण समितियों द्वारा उन्हें अंतिम रूप दिए जाने के अंतर्गत है। किन्तु वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान सी.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. सहित कोल इंडिया लि. की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी द्वारा शुरू किए गए कार्यों के ब्यौरे दर्शाये गए हैं:–

कंपनी	वर्ष	सामुदायिक विकास कार्यों की मदें				
		पेयजल	शिक्षा	सड़क/ पुलिया	स्वास्थ्य	विविध
1	2	3	4	5	6	7
ई.सी.एल.	1997–98	06	05	05	–	13
	1998–99	21	39	05	01	38
बी.सी.सी.एल.	1997–98	39	14	07	-	21
	1998–99	49	17	09	12	23
सी.सी.एल.	1997–98	03	03	03	03	12
	1998–99	24	45	14	10	42
डब्ल्यू.सी.एल.	1997–98	17	25	11	–	38
	1998–99	13	30	14	05	64
एस. ई. सी. एल.	1997–98	32	35	21	02	47
	1998–99	43	44	17	17	48
एन. सी. एल.	1997–98	06	05	05	02	05
	1998–99	22	07	04	04	15
एम.सी.एल.	1997–98	23	49	10	03	24
	1998–99					

1	2	3	4	5	6	7
एन.ई.सी.	1997–98	01	–	–	–	14
	1998–99					
सी.एम.पी.डी.आई.	1997–98	–	01	–	01	–
	1998–99	–	01	–	–	–

(ग) कोल इंडिया लि. की नीति, कोलफील्ड क्षेत्रों के आसपास सामान्य पर्यावरण और पारिस्थितिकी में सुधार लाने पर बल देने की है और तदनुसार कोलफील्ड के आसपास के क्षेत्रों में सामुदायिक विकास/अन्य विकास के कार्य किए जाते हैं। सामुदायिक विकास और अन्य विकास के कार्यों के लिए कार्रवाई योजना को अंतिम रूप, एक समिति के माध्यम से संयुक्त रूप से परामर्श करके दिया जाता है। उक्त समिति में केन्द्रीय मजदूर संघों और प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कर-अपवंचन

***671. श्री अमर रायप्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां सैंकड़ों करोड़ रुपए के कर अपवंचन में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने कितनी–कितनी धनराशि का कर अपवंचन किया;

(ग) उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन के लिए क्या कार्य प्रणाली अपनाई गई; और

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा इस प्रकार अपवंचित कर की वसूली करने समेत उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर के अपवंचन के पता लगाए गए मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कर अपवंचन हेतु प्रयोग किए गए तरीकों में माल को चोरी–छुपे हटाना, कम या अधिक के बीजक बनाना, मॉडवेट क्रेडिट का दुरुपयोग, वर्गीकरण की गलत घोषणा करना, छूट अधिसूचना का दुरुपयोग तथा आय को छुपाना अथवा आय के गलत विवरण प्रस्तुत करना शामिल हैं।

(घ) की गई कार्रवाई में मांग सूचनाओं को जारी करना तथा करों की वसूली हेतु चल तथा अचल सम्पत्तियों की कुर्की एवं बिक्री तथा कानून के अनुसार जुर्माना अर्थदंड तथा ब्याज लगाना शामिल है।

विवरण

वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 (दिसम्बर, 1999 तक) के दौरान पता लगाए गए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामले।

क्रम सं.	बहुराष्ट्रीय कम्पनी का नाम	कर अपवंचन (रु. करोडों में)
1	2	3
1.	हिन्दुस्तान लीवर लि., औरंगाबाद	1.39
2.	लार्सन एण्ड टूब्रो लि., बंगलौर	4.21
3.	ब्रिटिश हैल्थ प्रो. (ई.) लि., भिवाड़ी	4.87
4.	एलैन ब्रेडली इंडिया लि., साहिबाबाद	1.09
5.	बाटा इंडिया लि.	4.10
6.	कैडबरी (इ.) लि., मुम्बई	1.19
7.	ई. ओई. टी. डी. पैरी (इं.) लि.	1.99
8.	पिजाइल इंडिया लि.	2.12
9.	टाइड वाटर आयल (इं.) लि.	1.00
10.	रैकेट कोलमेन इंडिया लि.	1.50
11.	इंडियन शेविंग प्रो. लि. (जिलेट)	5.67
12.	डेवू मोटर्स लि.	2.00
13.	औटो इंडिया लि.	3.20
14.	फेनर इंडिया लि.	1.30
15.	पेप्सिको इंडिया होल्डिंग इंडिया लि.	3.65
16.	पेप्सी कोला इंडिया मार्केटिंग लि.	3.00
17.	जान्सन एण्ड जान्सन लि.	5.50
18.	लार्सन एण्ड टूब्रो	1.04

1	2	3
19.	केस्ट्राल इंडिया लि.	1.17
20.	आई टी. सी. लि.	1.07
21.	एशिया ब्राऊन ब्रोवरी लि.	3.53
22.	मोजोन्टो केमिकल्स इंडिया लि.	3.56
23.	हिन्दुस्तान लीवर लि.	22.99
24.	प्रोक्टर एण्ड गैम्बल इंडिया लि.	13.57
25.	नेस्ले इंडिया, मोगा	2.64
26.	बेयर (इंडिया) लि.	1.25
27.	वोल्टास लि.	5.58
28.	इलैक्ट्रालाक्स केल्विनेटर लि.	3.35
29.	परफीटी इंडिया लि.	4.68
30.	हीरो होण्डा	1.72
31.	सोनी इंडिया	2.07
32.	हिन्दुस्तान लीवर लि., राजपुरा	3.88
33.	पैप्सी फुड्ल लि., चान्नू	3.66
34.	बी. टी. आर. वाडको ऑटोमोटिव्स लि., साहिबाबाद	1.40
35.	नेस्ले इंडिया पुणे	12.05
36.	जर्मन रीमेडिज	2.61
37.	नोवार्टीज इंडिया लि.	2.35
38.	कैरियर एयरकौन	1.85
	कुल	143.8

वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान पता लगाए गए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा सीमा शुल्क अपवंचन के मामले

क्रम सं.	बहुराष्ट्रीय कम्पनी का नाम	कर अपवंचन (रु. करोड़ों में)
1	2	3
1.	मै. सेडको फोरेक्स इन्टरनेशनल ट्रिलिंग इंक	131.22
2.	मै. ब्रो वेलकम इंडिया लि.	0.03
3.	मै. जान्सन एण्ड जान्सन लि.	0.16
4.	मै. हिन्दुस्तान लीवर लि.	5.76
5.	रैनबैक्सी लैब, देवास	26.84
6.	मै. उषा मार्टिन	1.24
7.	मै. सकलम्बरगर एशिया सर्विसेज लि., मुम्बई	2.10
8.	मै. हलीबर्टन आफ शोर सर्विसेज इन्क मुम्बई	0.69
9.	मै. फिलिप्स इंडिया लि., मुम्बई	1.88
10.	मै. इस्कलमबरगर एशिया सर्विसेज	0.95
11.	हुन्डई मोटर इंडिया लि.	44.40
12.	मै. एमीरेटस ट्रेडिंग एजेंसी	1.60
13.	मै. सीमैनस पब्लिक कम्युनिकेशन्स नेटवर्क लि.	2.57
14.	मै. सोनी इंडिया प्रा. लि.	457.65
15.	मै. एल. जी. इलैक्टॉनिक्स प्रा. लि.	0.36
16.	मै. सोनी इंडिया लि.	2.19
17.	मै. इलैक्ट्लास इंडिया लि.	0.24
18.	मै. हालैट पैकर्ड इंडिया लि.	2.64
19.	मै. महाराजा इण्टरनेशनल इंडिया लि.	2.59
20.	मै. सलोरा इंटरनेशनल	0.47
21.	मै. सैमसंग इंडिया लि.	0.68
22.	मै. ए. एच. पी. मैन्युफैक्चरिंग बी. वी. लि.	0.31
23.	ए. बी. बी. लि.	62.00
24.	एस. बी. सी. एच. लि.	0.80
25.	एस. बी. सी. एच.	0.38
26.	मै. पी. एण्ड जी. इंडिया लि.	5.08
27.	मै. जर्मनरैमेडिज	2.61
28.	मै. नोवाटीज इंडिया लि.	3.20
29.	मै. नेस्ले इंडिया लि.	12.05
30.	मै. हिन्दुस्तान लीवर लि.	18.49
31.	मै. फिलिप्स इंडिया लि.	2.14
32.	मै. अल्फा लीवल इंडिया लि.	1.17
33.	मै. होन्डा सील कारस इंडिया लि.	3.00.
	कुल	535.05

कर निर्धारण वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998-99 के दौरान पता लगाए गए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा आयकर अपवंचन के मामले

क्रम सं.	बहुराष्ट्रीय कम्पनी का नाम	आय कर अपवंचन (रु. करोड़ों)
1	2	3
1.	गैलिलियों इन्टरनेशनल	42.11
2.	एमेडल मार्केटिंग एस. ए.	67.06
3.	अबाकस डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम पी. टी. ई. लि.	27.75
4.	अमेरिकन एयरलाइन्स इन्क	37.95
5.	सबेरे ग्रुप इन्ड	124.32
6.	ब्रिटिश एयरवेज	12.22
7.	यूनाइटेड एयरलाइन्स	1.24
8.	जापान एयरलाइन्स	7.89
9.	मास्टर कार्ड इन्टरनेशनल	18.93
10.	वीजा इन्टरनेशनल सर्विसेज एसोसिएशन कम्पनी	20.07
11.	पैन एमलैट	52.10
12.	एशिया सेटेलाइट टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	195.70
13.	इनटेल सैट	17.80
14.	फिन सैटेलाइट कॉय प्रा. लि.	10.26
15.	इनमार्ससेट	15.67
16.	नोकिया नेटवर्क ओ वाई	119.82
17.	इरीक्शन रेडियो सिस्टम्स ए. बी.	69.40
18.	लूसेन्ट टेक्नालाजिस इन्ट. इन्क	125.87
19.	मोटेरोला इन्क	50.09
20.	सीमेन्स इन्फ. एण्ड कम्यूनिकेशन्स नेटवर्क (एसपीए) इटालटेल (एसपीए)	1.69
21.	मोटीपाथ साफटवेयर इन्ट लि.	2.74
22.	मै. मौरिस क्रिसप	40.63
23.	जान्स डे रिब्ज एण्ड रोग्यू	10.89
24.	एटलस एयर इन्क	8.72
25.	तुर्किमिनीस्तान एयरलाइन्स	3.75
26.	शेरेटान इन्टरनेशनल इन्क	10.26
27.	एलाइड सिग्नल इन्क	97.50
28.	एलाइड सिग्नल इन्टरनेशनल इन्क	3.20
29.	सोफेमा	25.08
30.	स्विफ्ट	3.83
31.	पिकर (इंडिया) लि.	2.51
32.	फरपीटी एस. पी. ए.	1.99
33.	वेन्टले वेन्चर वन एल एल सी	1.25
34.	इसकोडा एक्सपोर्टस कं. लि.	2.25
35.	ए आर बी इन्क लि.	4.04
36.	राइटर्स इंडिया लि.	21.01
37.	के रिसर्च इंडिया लि.	1.05
38.	कैरिबजेट इन्क	113.84
39.	हैक्स्ट मैरियन रसेल लि.	9.10
40.	सिटी काप सिक्योरिटीस एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.	2.92

1	2	3
41.	ए. बी. एन. एमरो	29.04
42.	बैंक ऑफ टोकियो	17.60
	कुल	1433.89

[हिन्दी]

आसवनशाला (डिस्टिलरी) क्षेत्र में विदेशी निवेश

*672. **श्री सुकदेव पासवान :**

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आसवनशाला (डिस्टिलरी) क्षेत्र में विदेशी निवेश के संबंध में महान्यायवादी की राय मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विदेशी निवेश के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में अल्कोहल क्षेत्र में निवेश के सम्बन्ध में भारत के महान्यायवादी की राय मांगी थी भारत के महान्यायवादी ने यह राय व्यक्त की कि विदेशी सहयोग मात्र केन्द्रीय सरकार के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि-दर

*673. **श्री जी. जे. जावीया : क्या वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूंजीगत वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं, मोटर वाहनों और सीमेंट उद्योग की वृद्धि दर में लगातार कमी हो रही है;

(ख) यदि हो, तो 1998-99 और 1999-2000 के दौरान वृद्धि दर कितनी थी;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) वृद्धि दर को बढाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास दर निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	भार	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1998-99 (अप्रैल-फर.)	1999-2000 (अप्रैल-फर.)
समग्र	1000	12.7	5.6	6.6	4.0	3.8	7.9
पूंजीगत माल	96.9	4.1	9.3	5.3	12.6	11.9	5.4
उपभोक्ता सामान	51.2	25.8	4.6	7.8	4.7	3.6	12.9
सभी प्रकार के सीमेंट	19.8913	6.7	8.2	13.1	5.8	5.2	15.0
मोटर-गाड़ी यात्री कारें	3.5795	26.2	20.7	-3.8	2.4	उ. न.	48.5
मोटर साइकिलें	3.1970	25.3	22.6	9.8	22.7	उ. न.	36.3
स्कूटर तथा मोपेड	4.8986	15.3	6.4	3.3	-6.0	उ. न.	6.0

(ग) एक गतिशील अर्थव्यवस्था में, विभिन्न उद्योग क्षेत्र विकासशील नये क्षेत्रों की तुलना में अलग–अलग विकास दरों का अनुभव करते हैं। प्रौद्योगिकी परिवर्तन तथा नवीनता हमेशा चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। नये उत्पाद और/अथवा प्रक्रियाएं पुराने उत्पादों/प्रक्रियाओं को बदल देते हैं। कुछ उद्योग भी चक्रीय–पथ अपनाते हैं और तनदुसार विकास दर भी परिवर्तित होती है।

(घ) औद्योगिक विकास दर में वृद्धि करने संबंधी विभिन्न उपायों में, अन्य बातों के साथ–साथ उद्योगों की स्थापना करने के लिए सरकारी अनुमोदनों की संख्या में कमी करके उद्योग को नियंत्रण–मुक्त करना, अवसंरचनात्मक क्षेत्र के लिए निवेशकों के अनुकूल वातावरण बनाना, प्रतिस्पर्धा की शुरूआत करना तथा कर ढांचे को युक्तियुक्त बनाना, आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

आर्थिक सुधार

*674. **प्रो. रासासिंह रावत :**

श्री शिवराजसिंह चौहान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकों की ब्याज दरों में कितनी बार संशोधन किया है;

(ख) ब्याज दर में निरन्तर कमी किए जाने के कारण आर्थिक सुधारों की गति में किस हद तक तेजी आयी है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि इन आर्थिक सुधारों के माध्यम से समाज का प्रत्येक क्षेत्र लाभांवित हो?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाने और उन पर नियंत्रण हटाने के साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक बचत जमाराशियों और निर्यात ऋण पर ब्याज के मामले के अतिरिक्त बैंकों की ब्याज दरों का निर्धारण नहीं कर रहा है बचत जमाराशियों पर ब्याज दर जो नवम्बर, 1994 से 4.5 प्रतिशत वार्षिक थी, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अप्रैल, 2000 से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। निर्यात ऋण पर ब्याज दर में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बारह बार संशोधन किया गया। अप्रैल, 1997 में बैंक दर को संकेतन (सिग्नलिंग) और संदर्भ दर के रूप में पुनः सक्रिय किया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में नौ बार संशोधन किया गया, जिसमें 3 अप्रैल, 2000 से 8 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की अद्यतन कटौती शामिल है।

(ख) यद्यपि इसका लक्ष्य न्यून ब्याज दर प्रणाली की दिशा में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना रहा है फिर भी देश एवं विदेश दोनों में वित्तीय बाजारों का घटनाक्रम कभी–कभी मौद्रिक नीतिगत उपायों जिसमें बैंक दर में वृद्धि भी शामिल है, का सहारा लेने को आवश्यक बना देता है। बैंक दर में संशोधन के ऊपर उल्लिखित नौ अवसरों में से एक अवसर पर अर्थात् 17 जनवरी, 1998 को विदेशी परिवेश के घटनाक्रम के कारण बैंक दर 9 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत की गई। लेकिन, भारतीय रिजर्व बैंक ने बाद में मौद्रिक एवं ऋण स्थिति की समीक्षा की और 29 अप्रैल, 1998 से बैंक दर चरणबद्ध रूप से घटाकर 9 प्रतिशत की गई। बैंक दर 3 मार्च, 1999 और 3 अप्रैल, 2000 से पुनः घटाकर क्रमशः 8 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की गई। न्यूनतर बैंक दर से पुनर्वित्त, जिसमें बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया निर्यात ऋण पुनर्वित भी शामिल है, की लागत न्यूनतर हो जाती है। इसके अलावा, बैंक दर में कमी के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक बैंकों की प्रधान ऋण दरों (पी. एल. आर.) से उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत कम हो जाती है और विकास में तेजी आती है। चूंकि उच्च आर्थिक विकास वित्तीय बाजारों के सक्षम कामकाज और लचीली ब्याज दरों पर निर्भर करता है, अतः कारगर मौद्रिक व्यवस्था विकास की प्रक्रिया को सुचारु बनाती है।

(ग) चूंकि गरीबी कम करने, आय और रोजगार का सृजन करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उद्योग और सेवाओं के लिए एक वृद्धिशील घरेलू बाजार को प्रोत्साहन देने हेतु कृषि का सतत और व्यापक आधार युक्त विकास अनिवार्य है, अतः कृषि ऋण के प्रवाह को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी संख्या में उपाय किए गए हैं। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को विशेष कृषि ऋण योजनाएं तैयार करने को कहा गया है। इस योजना के तहत किया गया कुल संवितरण 1997–98 में 14.808 करोड़ रुपए से बढ़कर 1998–99 में 17,788 करोड़ रुपए हो गया। अन्य उपायों

में अधिक संख्या में किसान क्रेडिट कार्डों को जारी करने के लिए संवर्धनात्मक प्रयास, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आर. आई. डी. एफ.) के लिए आबंटन को बढ़ाना ग्राम स्तर की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों स्वयंसेवी समूहों और अन्य पात्र संगठनों को ऋण देने के अधिकार प्रदान करने के लिए आर. आई. डी. एफ. के दायरे को विस्तृत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास इकाइयों का प्रावधान, विशेषकर उन लोगों के लिए जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, ''जनश्री बीमा योजना'' की नई समूह बीमा योजना के जरिए गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं को अधिकार प्रदान करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

दूरदर्शन द्वारा मितव्ययता के उपाय

*675. **श्री अनन्त गंगाराम गीते :**

श्री जसवंत सिंह यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने खर्च में कटौती करने के उद्देश्य से सरकार के मितव्ययता संबंधी निर्देशों का अनुपालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1999–2000 के दौरान क्या परिणाम प्राप्त किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) दूरदर्शन ने वर्ष 1999–2000 के दौरान अपने व्यय को कम करने का प्रयास किया है। वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान व्यय को बजटीय आबंटन तक सीमित रखा गया। परिणामस्वरूप, कार्यालय व्यय, अतिथ्य–सत्कार, मोटर वाहन और रायल्टी बजट पर खर्चा आबंटित धनराशि की अपेक्षा कम रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विश्व बैंक की सहायता

*676. **श्री होलखोमांग हौकिप :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर मणिपुर राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए और अधिक धन का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) सरकार अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की ही भांति उत्तर–पूर्वी राज्यों से प्राप्त परियोजनाओं प्रस्तावों को विश्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक अवसर को उपयोग में लाती है। ये प्रस्ताव सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों (जिनमें आधारभूत ढांचे का विकास भी शामिल है) से संबंधित होते हैं।

(ख) उत्तर–पूर्वी क्षेत्र (मणिपुर सहित) से संबंधित उन प्रस्तावों का ब्यौरा जिन पर कार्रवाई की जा रही है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाओं को अंतिम रूप देना एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और किसी भी समय विशेष पर कुछ परियोजनाएं कार्रवाई अधीन होती हैं। ये परियोजनाएं भारत सरकार की स्वीकृतियां प्राप्त करने और विश्व बैंक द्वारा विचार किए जाने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में होती है। इन परियोजनाओं को बारीकी से मॉनीटर किया जा रहा है।

विवरण

(आंकड़े अनन्तिम)

क्रम संख्या	परियोजनाएं	केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र	शामिल किए गए उत्तर–पूर्वी राज्य
1	2	3	4
1.	तृतीय तकनीकी शिक्षा	बहु–राज्यीय	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैण्ड
2.	असम सिंचाई	राज्य	असम
3.	त्रिपुरा सिंचाई योजनाएं और बाढ़ प्रबंध कार्य	राज्य	त्रिपुरा
4.	बुरीसुति सिंचाई योज ा	राज्य	असम

1	2	3	4
5.	अरुणाचल प्रदेश वानिकी	राज्य	अरुणाचल प्रदेश
6.	असम वानिकी	राज्य	असम
7.	त्रिपुरा कृषि विकास	राज्य	त्रिपुरा
8.	मिजोरम राज्य सड़क	राज्य	मिजोरम
9.	मणिपुर राज्य सड़क	राज्य	मणिपुर
10.	त्रिपुरा राज्य सड़क	राज्य	त्रिपुरा
11.	असम राज्य सड़क	राज्य	असम

औद्योगिक विकास

*677. **डॉ. गिरिजा व्यास :**

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1991 में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किये जाने के पश्चात् 1981-91 के दशक की तुलना में चालू दशक में औद्योगिक विकास में काफी गिरावट आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक विकास के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या इस दशक के दूसरे भाग में औद्योगिक विकास में काफी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास में वर्षवार कितनी गिरावट आई है;

(ङ) औद्योगिक विकास में गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) 1981-82 से 1991-92 और 1992-93 से 1999-2000 की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा मूल्यांकन किए गये औद्योगिक विकास दर के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गये हैं:-

अवधि	औसत औद्योगिक विकास दर(%)
1981-82 से 1991-92	7.01
1992-93 से 1999-2000	6.69*

*औसत वर्ष 1999-2000 की औद्योगिक विकास दर से संबंधित अप्रैल-फरवरी के आंकड़ों पर आधारित है।

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

(ग) जी, नहीं। नब्बे के दशक के पूवार्ध के दौरान 4.72% की तुलना में नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में औसत औद्योगिक विकास दर 6.02% रही थी।

(घ) 1995-96 से 1999-2000 (अप्रैल-फरवरी) वर्ष दर वर्ष औद्योगिक विकास दर नीचे की गई है:-

वर्ष	विकास दर (%)
1995-96	12.7
1996-97	5.6
1997-98	6.6
1998-99	4.0
1999-2000 (अप्रैल-फरवरी)	7.9

(ङ) 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की विकास दर में गिरावट के लिए कई घटनाएं उत्तरदायी हैं, जो कि एक के बाद एक तेजी से घटित हुई हैं। प्रतिभूति घोटाले के कारण इक्विटी से पूंजी दर चली गई, जिसके कारण निवेश में कमी आई। इसके बाद 1997-98 में एशियाई वित्तीय संकट आया जिसकी वजह से पूर्वी एशियाई देशों, जिनकी मुद्राओं का अत्यधिक अवमूल्यन हुआ था, उक्त के साथ निर्यात के मामले में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 1998-99 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में कम विकास दर आंशिक रूप से 1997-98 में कृषि उत्पादन में गिरावट के कारण और केन्द्रीय योजनागत परिव्यय में कमी होने के कारण हुई है।

(च) औद्योगिक विकास दर बढ़ाने के लिए किये गये उपाय मुख्यतः उद्योग के विनियमन मुक्ति और विनियन्त्रण द्वारा निवेशक अनुकूल वातावरण का सृजन करने से संबंधित थे। विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहन दिये गये हैं और ब्याज की दरें घटाई गई हैं। निवेश को मुख्यतः सड़क, दूर-संचार, विद्युत और बीमा जैसे अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में आकृष्ट करने की

अपेक्षा की गई है। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि अवसंरचनात्मक ढांचा औद्योगिक विकास के मामले में कोई बाधा के रूप में नहीं है।

1999–2000 में औद्योगिक उत्पादन में हुए बदलाव से, यह संकेत मिलते हैं कि जो वृहत आर्थिक वातावरण लाया गया है, वह अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की योजनाबद्ध बिक्री

***678. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की योजनाबद्ध बिक्री के लिए पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के किस–किस उपक्रम के बेचे जाने की संभावना है और उन्हें किसे बेचा जाएगा;

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के कितने शेयर बेचे जाने का प्रस्ताव है;

(घ) अब तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम–वार कितने शेयर बेचे गए और किस–किस मूल्य पर; और

(ङ) इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेश करने से देश की अर्थव्यवस्था में कितना सुधार होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री(श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) विनिवेश एक अनवरत प्रक्रिया है और सरकारी क्षेत्र के कई उद्यम विनिवेश के लिए सरकार के विचाराधीन रहते हैं। सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम में विनिवेश विभिन्न कारकों जैसे बाजार स्थितियां, कंपनी का वित्तीय कार्यनिष्पादन, व्यावसायिक परामर्शदाताओं की सलाह और संबंधित मंत्रालयों के विचारों पर विचार करने के बाद किया जाता है। इन परिस्थितियों में भविष्य में एक विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर विनिवेश के लिए किसी सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम देना संभव नहीं है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) सरकारी विनिवेश नीति पूंजी के इष्टतम उपयोग, बेहतर कार्पोरेट अभिशासन, करदाता के धन के व्यावसायिक जोखिम में कमी, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्र तथा अपेक्षाकृत अधिक जनहित वाले अन्य क्षेत्रों में नियोजन के लिए दुर्लभ संसाधनों को निर्मुक्त करने की ओर लक्षित है। यह अर्थव्यवस्था के समग्र हित में होगा।

विवरण

विनिवेश की सरकारी क्षेत्र उपक्रम वार प्रतिशतता तथा वर्तमान सरकारी शेयरधारिता

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	30.4.2000 की स्थिति के अनुसार	
		विनिवेश की प्रतिशतता	वर्तमान सरकारी शेयरधारिता
1	2	3	4
1.	एंड्रयू यूल	9.60	62.84**
2.	भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड	39.19*	60.81
3.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	24.14	75.86
4.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	32.28	67.72
5.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	33.80	66.20
6.	बोगाईगांव रिफाइनरीज लिमिटेड	25.54	74.46
7.	सी. एम. सी. लिमिटेड	16.69	83.31
8.	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड	6.12	55.04**

1	2	3	4
9.	कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	36.92	63.08
10.	ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1.44	98.56
11.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	5.98	94.02
12.	फर्टि. एण्ड कैमि. (त्रावणकोर लि.)	1.70	97.38 **
13.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	32.66	67.34
14.	एच. एम. टी. लि.	8.44	91.56
15.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	1.04	98.96
16.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	1.24	98.76
17.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमि. लि.	41.39 *	58.61
18.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	48.94 *	51.06
19.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्यू कं. लि.	9.87	90.13
20.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	24.08	75.92
21.	भारतीय तेल निगम लि.	17.85	82.03
22.	इंडियन पैट्रो–कैमिकल्स कार्पो. लि.	40.05 *	59.95
23.	इरकान इंटरनेशनल लि.	0.27	99.73
24.	भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि.	22.98	76.67 **
25.	भारत पर्यटन एवं विकास निगम	10.03	89.97
26.	कुद्रेमुख आयरन एण्ड ओर कंप. लि.	1.00	99.00
27.	मद्रास रिफाइनरीज लि.	16.92	53.80 **
28.	महानगर टेलिफोन निगम लि.	43.80 *	56.20
29.	मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कार्पो. लि.	0.67	99.33
30.	नेशनल एल्यूमिनियम कंप. लि.	12.85	87.15
31.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	2.35	97.65
32.	नेशनल मिनरल डेव. कार्पो. लि.	1.62	96.36 **
33.	नेवेली लिग्नाइट कार्पो.	6.01	93.99
34.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम	16.36	83.64
35.	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लि.	7.50	92.50
36.	शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	19.88	80.12

1	2	3	4
37.	स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन	8.97	91.03
38.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	14.18 *	85.82
39.	विदेश संचार निगम लि.	47.04	52.96
40.	माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि.	74.00	26.00

* सार्वजनिक निर्गम/जी डी आर निर्गमों द्वारा सरकारी शेयरधारिता के न्यूनीकरण सहित।

** शेष इक्विटी राज्य सरकारों/अन्य सहयोगियों द्वारा धारित है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

***679. कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी :**

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हथकरघा उद्योग के विकास और संवर्धन के लिए क्रियान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके अंतर्गत किए गए वित्तीय प्रावधानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और देश में राज्यवार कितने हथकरघे कार्य कर रहे हैं; और

(घ) हथकरघा बुनकरों को हो रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनकी कठिनाईयों को समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) देश में हथकरघा उद्योग के विकास तथा संवर्धन के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान उनके लिए किये गये वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दर्शाया गया है। वित्तीय प्रावधान राज्यवार नहीं किये जाते हैं। यद्यपि, राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने पर इन स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई राशि का ब्यौरा विवरण–II में दर्शाया गया है। विभिन्न राज्यों में कार्यरत करघों का विवरण केन्द्रीय सरकार द्वारा मॉनीटर नहीं किया जाता है। यद्यपि, उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्यवार करघों की संख्या विवरण–III में दर्शायी गयी है।

(घ) प्रत्येक राज्य के हथकरघा बुनकरों द्वारा सामना की जा रही समस्याएं अलग होती हैं इनमें मुख्यतः अच्छे कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादों के विकास, विपणन तथा साख–सुविधाओं आदि से संबंधित होती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार विभिन्न विकासात्मक तथा कल्याण स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित करती हैं जो विवरण–I में दर्शाया गया है।

विवरण-I

देश में हथकरघा उद्योग के विकास तथा संवर्धन के लिए कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का विवरण।

1. **प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम : -** हथकरघा बुनकरों को स्वीकृत और समन्वित तरीके से अपेक्षित साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह स्कीम वर्ष 1991–92 से प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषण के मध्य 50:50 केन्द्र तथा राज्य सरकार/कार्यान्वयन अभिकरणों के आधार पर किया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों तथा कार्यान्वयन अभिकरण के मामले में जहां 100% महिलाएं हैं, केन्द्र सरकार तथा राज्य/कार्यान्वयन अभिकरण के मध्य वित्त पोषण 75:25 से होता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत 104.86 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

2. **कार्यशाला-सह-आवास स्कीम : -** यह स्कीम बुनकरों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करने के लिए, उन्हें आवास तथा एक उपयुक्त कार्यशाला मुहैया कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण कार्यशाला के लिए 7000 रुपये तथा शहरी कार्यशाला के लिए 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण कार्यशाला–सह–आवास के लिए 18,000 रुपये तथा शहरी के लिए 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत 38.06 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया था।

3. **निर्यातयोग्य उत्पादों का विकास और उनके विपणन की स्कीम :-** देश में हथकरघा कपड़े तैयार माल तथा उन्हें हथकरघा वस्तुओं के निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निर्यातयोग्य उत्पादों के विकास के लिए स्कीम 1995–96 से आरंभ की गई थी। पिछले 3 वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत 12.35 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया था।

4. **बाजार विकास सहायता :** हथकरघा क्षेत्र में रोजगार तथा लगातार उत्पादन सुनिश्चित करने तथा बिक्री में छूट की सहायता से आवधिक भंडारण को एकत्रित होने से बचाने के उद्देश्य से बाजार विकास सहायता स्कीम 1989–90 में आरंभ की गई थी। पिछले 3 वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत 90.69 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया था।

5. **समूह बीमा स्कीम :** - समूह बीमा स्कीम बुनकरों के अपने परिवार के प्रति सामाजिक आर्थिक दायित्वों को पूरा करने तथा वृद्धावस्था में कार्यकारी क्षमता की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए आरंभ की गई थी। पिछले 3 वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत 6.75 करोड़ रुपये वित्तीय प्रावधान किया गया था।

6. **हथकरघा बुनकरों के लिए नई बीमा स्कीम :** - स्कीम में दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर तथा स्थायी असमर्थता होने पर तथा विभिन्न प्रकार के जोखिम हेतु 120 रुपये प्रिमियम पर सुविधा प्रदान की गई है। केन्द्र सरकार का अंशदान 40 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। हथकरघा बुनकरों पर लगातार वित्तीय बोझ को कम करके 40 रुपये प्रतिवर्ष प्रिमियम का भुगतान कम करके 20 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत 1.15 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया था।

विवरण-II

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों में जारी निधि का राज्यवार विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्यशाला–सह–आवास स्कीम			प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम			समूह बीमा स्कीम		
		97–98	98–99	99–2000	97–98	98–99	99–2000	97–98	98–99	99–2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अरुणाचल प्रदेश	50.31	–	72.08	–	28.90	39.90	–	–	–
2.	आन्ध्र प्रदेश	146.54	280.39	340.20	610.64	782.68	479.59	–	16.80	16.00
3.	असम	39.59	38.78	59.18	765.85	1052.40	591.47	–	1.50	1.50
4.	बिहार	–	–	–	36.75	8.50	8.85	–	–	–
5.	गुजरात	–	–	–	3.60	10.99	19.35	–	–	0.97
6.	हरियाणा	–	–	–	10.89	1.08	4.00	–	–	–
7.	हिमाचल प्रदेश	–	22.93	22.93	79.13	35.26	34.16	–	–	–
8.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	159.74	54.18	28.55	–	–	–
9.	कर्नाटक	53.70	116.47	–	51.14	16.85	20.95	–	–	20.00
10.	केरल	–	90.00	–	518.95	233.68	68.80	–	–	–
11.	मध्य प्रदेश	200.00	–	–	84.48	50.26	78.40	2.92	0.50	–
12.	महाराष्ट्र	28.39	124.04	0.95	54.35	14.78	5.03	–	–	–
13.	मणिपुर	–	66.00	127.50	–	111.40	237.95	–	–	–
14.	मिजोरम	–	13.60	–	20.00	10.00	7.50	–	–	–
15.	नागालैंड	352.25	44.00	150.00	572.06	214.19	189.14	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	उड़ीसा	90.36	88.54	180.00	69.08	126.55	198.53	–	–	–
17.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–			
18.	पंजाब	–	–	–	–	5.10	9.40	–	–	–
19.	राजस्थान	120.50	–	92.24	2.50	34.05	92.99	–	–	–
20.	तमिलनाडु	110.06	248.72	199.92	419.03	252.53	121.38	33.69	37.44	36.67
21.	त्रिपुरा	14.05	–	–	9.50	11.25	66.75	–	–	–
22.	उत्तर प्रदेश	–	20.00	–	419.27	610.96	644.51	–	–	–
23.	पश्चिम बंगाल	96.25	–	–	55.80	56.74	150.52	3.00	2.63	2.77
24.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	मेघालय	–	5.53	–	–	–	–	–	–	–
26.	सिक्किम	–	100.00	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	1302.00	1259.00	1245.00	3942.76	3722.33	3097.72	39.61	58.87	77.91

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों में जारी निधि का राज्यवार विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	नई बीमा स्कीम			निर्यात योग्य उत्पादों का विकास और उनकी विपणन योजना			एमडीए स्कीम		
		97–98	98–99	99–2000	97–98	98–99	99–2000	97–98	98–99	99–2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	आन्ध्र प्रदेश	32.98	12.28	15.19	14.00	–	14.72	37.57	66.27	450.31
3.	असम	–	–	0.25	–	27.00	4.40	81.76	33.04	50.22
4.	बिहार	–	2.34	3.59	–	–	–	–	14.29	5.76
5.	गुजरात	–	2.79	2.63	12.50	–	–	63.81	103.27	21.04
6.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	25.84	43.47	116.59
7.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	25.00	56.25	36.81	58.01	42.14
8.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	8.75	–	2.64	183.84	47.96	34.94
9.	कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	244.08	40.00	102.52
10.	केरल	3.00	–	–	11.00	–	–	319.46	761.06	308.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	मध्य प्रदेश	–	2.55	1.83	27.75	–	7.50	278.25	81.30	99.59
12.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	50.45	–
13.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	0.74
14.	मिजोरम	–		–	–	–	7.48	–	–	–
15.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	0.77	–
16.	उड़ीसा	–	18.00	–	–	–	7.50	290.00	78.93	223.47
17.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	1.76	28.53	57.80
18.	पंजाब	–	–	–	–	–	13.25	35.22	–	–
19.	राजस्थान	–	1.68	1.36	–	–	–	60.34	8.02	11.99
20.	तमिलनाडु	–	3.36	–	13.50	21.50	13.13	788.00	1294.20	700.00
21.	त्रिपुरा	–	–	0.14	–	5.00	–	18.10	5.94	18.02
22.	उत्तर प्रदेश	0.29	–	–	58.78	9.00	37.75	319.50	107.29	125.66
23.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	33.50	8.35	36.00	365.92	411.73	400.00
24.	दिल्ली	–	–	–	–	8.75	8.25	123.24	71.47	135.09
25.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	36.27	40.00	24.99	179.78	104.60	208.87	3273.50	3306.00	2904.37

विवरण-III

देश में कार्यशील हथकरघों की संख्या का विवरण।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	करघों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	183093
2.	अरुणाचल प्रदेश	35626
3.	असम	1199678
4.	बिहार	40532
5.	दिल्ली	5818
6.	गोवा	14
7.	गुजरात	17387
8.	हरियाणा	17398
9.	हिमाचल प्रदेश	46876
10.	जम्मू व कश्मीर	16595
11.	कर्नाटक	60344
12.	केरल	38060
13.	मध्य प्रदेश	17788
14.	मेघालय	35542
15.	मणिपुर	267470
16.	नागालैंड	83305
17.	उड़ीसा	78667

1	2	3
18.	पांडिचेरी	2924
19.	पंजाब	5460
20.	राजस्थान	30336
21.	तमिलनाडु	360474
22.	त्रिपुरा	116078
23.	उत्तर प्रदेश	157666
24.	पश्चिम बंगाल	319607
	कुल	3137138

फैशन टेलीविजन चैनल

***680. श्री कृष्णमराजू :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान फैशन टी. वी. चैनल द्वारा दिखाये जा रहे फैशन–कार्यक्रमों, जिनमें महिलाओं को पारदर्शी वस्त्र पहने और अर्द्धनग्न रूप में दिखाया जाता है, की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अश्लील–कार्यक्रमों को दिखाये जाने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार द्वारा स्थानीय केबल टी. वी. आपरेटरों को अपने सेटेलाइट कनैक्शन पर ऐसे चैनलों को प्रवेश न देने के संबंध में निर्देश जारी किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) फैशन टी. वी. चैनल को विदेशी भूमि से अपलिंक किया जाता है। इसलिए, इसका प्रसारण भारतीय कानूनों की परिधि में नहीं आता है। तथापि, ऐसे चैनलों के केबल नेटवर्कों माध्यम से विवरण पर केबल टेलीविजन नेटवर्क के अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। इस अधिनियम के नियमों में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम संहिता में महिलाओं की बदनामी को रोका जाता है। भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अश्लीलता भी दण्डनीय है। इन दोनों प्रावधानों के अंतर्गत, स्थानीय अधिकारियों को न्यायालयों में मुकदमा चलाने का अधिकार है।

सरकार का संसद में एक व्यापक विधान लाने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, प्रसारण के विभिन्न पहलुओं हेतु नियामक प्रणाली की व्यवस्था है।

नाइके द्वारा पायजन लेस्ड कमीजों को बेचना

7183. श्रीमती कान्ति सिंह :

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी नाइके पर भारत में "पायजन लेस्ड" कमीजों को बेचने का आरोप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) इस प्रकार का कोई भी दोषारोपण सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) उपुर्यक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन

7184. श्री साहिब सिंह : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कपास प्रौद्योगिकी मिशन के वर्तमान आयाम क्या हैं;

(ख) पांच और दस वर्षों के बाद इस मिशन के आयाम क्या होंगे;

(ग) कपास उत्पादक राज्यों में कितने मार्किट यार्ड हैं;

(घ) देश में नवीनतम आधुनिक कपास मार्किट यार्ड कौन–सा है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अन्य कपास मार्किट यार्डों को और अधिक सुविधाएं और आधारिक ढांचा प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन):

(क) और (ख) भारत सरकार ने वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। मिशन में चार लघु मिशन हैं जिनका उद्देश्य "अनुसंधान" "किसानों को प्रौद्योगिकी प्रचार", "विपणन इन्फ्रा–स्ट्रक्चर में सुधार" तथा "जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियों" का आधुनिकीकरण करना है।

(ग) देश के 9 (नौ) प्रमुख और 2 (दो) लघु कपास उपजाने वाले राज्यों में लगभग 4,000 मार्किट यार्ड (उप–यार्ड सहित) हैं।

(घ) कर्नाटक स्थित रायचुर मार्किट यार्ड को मार्किट यार्ड में उपलब्ध सुविधाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आधुनिक कपास मार्किट यार्ड माना जा सकता है।

(ङ) से (छ) कपास प्रौद्योगिकी मिशन का लघु मिशन–3 विपणन इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने से संबंधित है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निष्क्रिय मार्किट यार्ड को सक्रिय बनाना, मौजूदा मार्किट यार्ड में सुधार लाना और नए मार्किट यार्ड का निर्माण करना शामिल है।

सीबीएएस के भुगतान न करने पर संयुक्त बैठक

7185. **श्री एस. अजय कुमार :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आल इंडिया टैक्सट्यूराइसर्स एसोसिएशन से केन्द्रीय पिछड़ा क्षेत्र राजसहायता का भुगतान न करने, विभिन्न लघु उद्योग इकाइयों को विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजसहायता के मामले पर चर्चा करने हेतु एक संयुक्त बैठक बुलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण): (क) से (ग) सरकार को दादरा तथा नगर हवेली, दमन तथा दीव में स्थित कुछ इकाइयों को, जिनमें तत्कालीन केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना, 1971 के तहत 31.12.1989 को उत्पादन शुरू किया था, राजसहायता का भुगतान न करने और उक्त विलम्ब से किए गए भुगतान पर ब्याज की अदायगी न किए जाने बारे में आल इंडिया टेक्सट्यूराइसर्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

30.9.1988 को उक्त योजना की समाप्ति के बाद कुछ इकाइयों जिन्हें राजसहायता देने हेतु मना कर दिया गया था, उक्त इकाइयों, ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर दी थी। उच्चतम न्यायालय ने अपने 5.12.1995 के आदेश के तहत निर्देश दिये थे कि 30.9.1988 तक दायर किये गये सभी आवेदनों पर राजसहायता प्रदान किए जाने हेतु विचार किया जाये, बशर्ते कि वे तत्कालीन योजना के तहत आवेदन पूर्ण पाये गये हों।

सभी लंबित पड़े आवदेनों पर अब उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5.12.1995 के दिशानिर्देशों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

एसोसिएशन की उन इकाइयों को राजसहायता का भुगतान किये जाने का अनुरोध, जिनमें 31.12.1989 को उत्पादन शुरू किया गया था, नियत कानून की परिसीमा से बाहर है। जहां तक लंबित पड़े मामलों के लिए ब्याज का भुगतान करने का संबंध है, तत्कालीन योजना में ऐसा कोई उपबंध विद्यमान नहीं है। अतः इस संबंध में संयुक्त रूप में बैठक का आयोजन करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

औद्योगिक विकास विभाग और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का विलय

7186. **श्री कृष्णमराजू :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक विकास विभाग का औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के साथ विलय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विलय से कितनी बचत होगी;

(घ) दोनों विभागों के कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता सूचियों पर निर्णय किस प्रकार लिया जाएगा और क्या औद्योगिक विकास विभाग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण): (क) जी, हां।

(ख) तत्कालीन औद्योगिक विकास विभाग द्वारा की जा रही कार्य की मदें औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई हैं।

(ग) विभाग को उचित आकार देने से बचत की मात्रा

संबंधी स्थिति पुनर्गठित विभाग के कर्मचारियों की संख्या के मूल्यांकन के पश्चात् स्पष्ट हो जायेगी।

(घ) और (ङ) तत्कालीन औद्योगिक विकास विभाग तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का संवर्ग एक ही होने के कारण कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता के संबंध में कोई अड़चन नहीं आयेगी।

[हिन्दी]

संयुक्त अरब अमीरात के बैंक

7187. श्री तूफानी सरोज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात के कुछ प्रमुख बैंक भारत में अपना कारोबार आरम्भ करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अबूधाबी इस्लामिक बैंक भी इन बैंकों में शामिल है;

(घ) यदि हां, तो अबूधाबी इस्लामिक बैंक का किन क्षेत्रों में अपना कारोबार आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि संयुक्त अरब अमीरात (यू. ए. ई.) के कुछ प्रमुख बैंक भारत में अपना कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें आबूधाबी इस्लामिक बैंक (एडीआईबी) से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभाग बन्द करना

7188. श्री टी. गोविन्दन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निकट भविष्य में उनके मंत्रालय के अंतर्गत कुछ विभागों को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारियों के हितो की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, हां।

(ख) सरकार को उचित आकार देने संबंधी एक कार्रवाई के रूप में तत्कालीन औद्योगिक विकास विभाग को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में विलय कर दिया गया है।

(ग) तत्कालीन औद्योगिक विकास विभाग और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का संवर्ग एक ही होने के कारण, कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता में कोई अड़चन नहीं आयेगी।

स्वर्ण जमा योजना

7189. श्री सुरेश रामराव जाधव :

श्री मोइनुल हसन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में हाल ही में शुरू की गई स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत आज की तिथि तक कुल कितना स्वर्ण जमा हुआ और इस पर बैंकवार कुल कितना ब्याज दिया गया;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत जमा स्वर्ण निर्धारित लक्ष्य से कम था;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के आशानुरूप सफल न होने का मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्वर्ण आयात को कम करने के उद्देश्य से निजी स्वर्ण को जुटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) स्वर्ण जमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों, जिन्होंने योजना को शुरू किया है, में 30 अप्रैल, 2000 की स्थिति के अनुसार जमा किए गए स्वर्ण की मात्रा नीचे दी गई है:–

भारतीय स्टेट बैंक	3871.15 किलोग्राम
कार्पोरेशन बैंक	116.85 किलोग्राम
इंडियन ओवरसीज बैंक	34.85 किलोग्राम
इलाहाबाद बैंक	9.50 किलोग्राम

जहां तक ब्याज की अदायगी का संबंध है, पदनामित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी स्वर्ण जमाओं संबंधी ब्याज दर निदेश के अध्यधीन ऐसी दर पर तथा ऐसे अन्तरालों पर, जो वह निर्णय करे, ब्याज देगा। 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने योजना के तहत जमाकर्ताओं को ब्याज के रूप में 66.03 लाख रुपए की अदायगी की है।

(ख) और (ग) योजना के तहत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। यह एक नई योजना है तथा अब तक की अनुक्रिया उत्साहवर्धक रही है।

(घ) निजी रूप से धारित स्वर्ण को परिचालन में लाने, स्वर्ण के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने तथा उसके मालिकों को कुछ आय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। जमा प्रमाणपत्रों पर ब्याज आयकर से छूट प्राप्त है, स्वर्ण में अभिवृद्धि पूंजी लाभ कर से छूट प्राप्त है तथा जमा स्वर्ण सम्पत्ति कर से मुक्त है।

[हिन्दी]

बिहार के किसानों को ऋण सहायता

7190. **श्री राजो सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार के धान, गेहूं, प्याज उगाने वाले किसानों को ऋण सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है क्योंकि राज्य में से फसलें कीटों द्वारा अधिकतर नष्ट कर दी गयीं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक के एक शिष्टमंडल ने प्रस्तावित किसानों के लिए संभावित राहत उपायों के संबंध में बिहार में राज्य सरकार के अधिकारियों से बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने किस हद तक किसानों को सहायता प्रदान की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्हें बिहार में कीटों द्वारा फसल नष्ट होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकों को स्थाई मार्गनिर्देश दिए हैं कि वे प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में हर बार भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गनिर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना राहत उपलब्ध कराएं। इन मार्गनिर्देशों में अल्पावधिक उत्पादन ऋणों का मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन, विद्यमान सावधि ऋण किश्तों का पुनर्निधारण/स्थगन, आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त फसल ऋणों/कार्यशील पूंजी का प्रावधान करना, प्रतिभूति और मार्जिन मानदण्डों में छूट, आदि की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का निर्यात

7191. **श्री अवतार सिंह भडाना :**

श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने और कितने मूल्य के भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन देशों को निर्यात किया गया; और

(ग) कृषि उत्पादों के निर्यात को बढावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पाद, चाय, काफी, अरंडी का तेल और कपास जिसमें अपशिष्ट भी शामिल है, सहित निर्यात की गई कुल कृषि वस्तुओं का मूल्य निम्नानुसार है:

1997-98	24626.16 करोड़ रु.
1998-99	25224.63 करोड़ रु.
1999-2000 (अप्रैल-दिस.)	18207.80 करोड़ रु.

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कृषि उत्पाद की मात्रा

एवं मूल्य और जिन देशों को उनका निर्यात किया गया, उनके ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता (डीजीसीआईएंडएस) द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक/वार्षिक अंक में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं:–

(1) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौध शालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करने, प्रदर्शनी प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिटस) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) उन्नत पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण और प्रसंस्करण एककों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(3) विदेशी बाजारों में पहुंच हासिल करने के लिए उत्पादों में, विशेषकर आमों में कीट के प्रकोप को दूर करने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की स्थापना;

(4) पुष्पोत्पादों तथा चुनिन्दा ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(5) क्रेता–विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सह–भागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(6) फूलों, ताजे फलों, सब्जियों, जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गोसंचालन और शीत भंडारों की स्थापना करना;

(7) डाटा बेस विकसित करने और बाजार सूचना का प्रसार करने के लिए सहायता प्रदान करना।

(8) गुणवत्ता सुनिश्चित करने, संदूषण को खत्म करने और जीवाणु एवं फफूंदी से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान करना;

एम ए एम सी को बंद करना

7192. **श्री सुनील खां :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'माईनिंग एंड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर' को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या प्रबंधन द्वारा कंपनी के कुछ अतिथि आवास गृह और प्रेक्षागृह का उपयोग नहीं किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या स्वैच्छिक पृथकीकरण योजना एम ए एम सी के अस्पताल के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन (एमएएमसी) एक रुग्ण कम्पनी है तथा औद्योगिक वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित है; बीआईएफआर ने सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्, कम्पनी को बंद करने के संबंध में दिनांक 11.01.95 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है। अतः यह मामला न्यायाधीन है।

(घ) और (ङ) कम्पनी द्वारा आवास (क्वॉटर्स), अतिगृह तथा सभाकक्ष जैसी आधारभूत सुविधाओं का उपयोग अपेक्षानुसार किया जा रहा है। इन सुविधाओं का उपयोग कर्मचारियों की संख्या घटने और उत्पादन के कम होने के कारण घटा है।

(च) और (छ) जी हां। स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम 1.12.98 से 31.5.99 तक लागू की गई थी तथा यह स्कीम अस्पताल के कर्मचारियों सहित एमएएमसी के सभी कर्मचारियों के लिए लागू थी।

वस्त्र और परिधान पार्क

7193. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के वस्त्र और परिधान पार्कों की स्थापना करने हेतु कुछ प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिंगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को प्रमुख परिधान

उत्पादक राज्यों में अपैरल पार्कों की स्थापना के लिए आवश्यकता के बारे में लिखा था। कुछ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा प. बंगाल की राज्य सरकारों सहित कुछ राज्य सरकारों ने अपने संबंधित राज्यों में वस्त्र तथा अपैरल पार्कों की स्थापना में रुचि दर्शायी है। ठोस प्रस्तावों को अभी प्राप्त किया जाना है।

डब्ल्यू. सी. एल. में कोयला संभलाई संयंत्र

7194. श्री सुबोध मोहिते : क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में चंद्रपुर और कहानन के निकट वोनी में वर्ष 1980 में कोयला संभलाई संयंत्र का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों के निर्माण में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इन प्लेटफार्मों के माध्यम से अब तक वर्ष–वार कितने कोयले की संभलाई की गई?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) वर्ष 1980 में मध्य प्रदेश के चंद्रपुर अथवा कहानन के नजदीक वानी क्षेत्र में किसी कोयला रखरखाव संयंत्र का निर्माण नहीं किया गया।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डी डी 2 के कार्यक्रमों का विस्तार

7195. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीडी 2 के कार्यक्रमों का केवल दिल्ली और अन्य मुख्य महानगरों में दूरदर्शन के द्वारा प्रसारण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस चैनल के प्रसारण क्षेत्र में विस्तार करने के लिये कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो यह चैनल कब तक राज्य स्तर पर प्रसारित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) डीडी–2 के कार्यक्रम उपग्रह के जरिए सम्पूर्ण देश में उपलब्ध हैं और उन्हें उपयुक्त डिश एन्टिना का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। डीडी–2 के कार्यक्रमों का स्थलीय प्रसारण करने के लिए दूरदर्शन इस समय सम्पूर्ण देश में फैले 61 ट्रांन्समीटरों को प्रचालित कर रहा है। डीडी–2 की कवरेज का और विस्तार करने के लिए 38 ट्रांन्समीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इन परियाजनाओं को नौवीं योजना अवधि के दौरान पूरा किए जाने की आशा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चाय उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कार्यबल

7196. श्री रामदास आठवले : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा चाय उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने और उन समस्याओं के समाधान के लिये सिफारिश करने हेतु एक कार्यबल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यबल की स्थापना कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसकी स्थापना किस तिथि को की गई थी और उसकी संरचना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्यबल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

7197. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय निदेशालय के कार्यालय कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के अन्य जिलों में इस प्रकार की इकाइयां खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौवीं योजना अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में ऐसे कितने कार्यालय खुलने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) आन्ध्र प्रदेश

सम्य में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की मौजूदा क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नौवीं योजना अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कोई नया कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश राज्य में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की मौजूदा क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के स्थान

क्र. सं.	स्थान
1.	हैदराबाद
2.	वारंगल
3.	काकीनाड़ा
4.	श्रीकाकुलम
5.	गुंटूर
6.	मेडक
7.	निजामाबाद
8.	कुड्डप्पा
9.	कुरनूल
10.	नेल्लौर
11.	नालगौंडा
12.	विशाखापतनम

लघु बचत और लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) की ब्याज दर

7198. **श्री सी. श्रीनिवासन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि गत तीन वर्षों के दौरान लघु बचत और लोक भविष्य निधि के माध्यम से जुटाई गई धनराशि में 17 प्रतिशत वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु बचत और लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) पर ब्याज दर में कमी के कारण एक वर्ष में कितना अतिरिक्त लाभ अर्जित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) और (ख) पिछले वर्षों की तदनुरूपी अवधियों में सकल संग्रहणों में वृद्धि वर्ष 1997–98 के दौरान लगभग 36 प्रतिशत, 1998–99 के दौरान 20 प्रतिशत और 1999–2000 (फरवरी, 2000 तक) के दौरान 23 प्रतिशत थी। वर्ष 1999–2000 से संबंधित आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) अभिदाताओं के लिए ब्याज की दर में कमी के कारण किसी बचत का कुछ हद तक राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों को निवल संग्रहणों के अन्तरणों पर भी ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कमी करने के सहगामी निर्णय के कारण ब्याज प्राप्तियों में कमी से प्रतिकार होगा।

असुरक्षित खानें

7199. **श्री महबूब जहेदी :** क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. के अध्यक्ष की अध्यक्षता में शीर्ष निगरानी समिति ने अवैध खनन से उत्पन्न अंतराल के कारण पश्चिम बंगाल में आसनसोल उप–मंडल में चालीस स्थानों को 1990 में लोगों के रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया था;

(ख) यदि हां, तो स्थिरीकरण, स्थान परिवर्तन और पुर्नवास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बेनाली में जी. टी. रोड़ के निकट भूमि का एक बड़ा हिस्सा 28 जनवरी, 2000 को धंस गया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपर्युक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) कोल इंडिया लि. के अध्यक्ष द्वारा गठित और श्री एच. बी. घोष, भूतपूर्व अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक, सी. एम.पी.डी. आई.एल. की अध्यक्षता में एक शीर्षस्थ प्रबोधन समिति ने रानीगंज कोलफील्ड के अस्थिर क्षेत्रों के संबंध में 1990–92 के बीच उपलब्ध ब्यौरे का अध्ययन किया और उन्होंने ऐसे 49 स्थलों की सूची बनाई, जो अस्थिर समझे जाते थे और जो मनुष्य को रहने के लिए संभावित रूप से असुरक्षित थे। उपर्युक्त अध्ययन के दौरान अस्थिर के रूप में विनिर्दिष्ट स्थलों का संबंध उन पुरानी और बंद पडी खदानों से है, जो राष्ट्रीयकरण से पूर्व थे और वे अवैध खनन से निर्मित अंतराल के कारण नहीं थे।

(ख) वर्ष 1990 से इन विनिर्दिष्ट कुछ स्थलों को सुदृढ़ करने के प्रयास किए गए हैं, जिसे "हाइड्रो–न्यूमैटिक" रेत भराई नाम की एक अभिनव पद्धति का उपयोग करते हुए रेत भरने के द्वारा किया गया है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित स्थलों के सुदृढ़ीकरण लिए उपयोग में लाई जाती है:–

1. अरूण टाकीज – रानीगंज नगरपालिका क्षेत्र

2. कुमार बाजार – रानीगंज नगरपालिका क्षेत्र

3. हरीपुर गांव – जमुरिया नगरपालिका क्षेत्र

4. बाराकर गांव – आसनसोल नगरपालिका क्षेत्र

5. फतेपुर गांव – आसनसोल नगरनिगम क्षेत्र

किंतु, हाइड्रोन्यूमैटिक रेतभराई द्वारा सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया धीमी है। वर्ष 1998 में चार अस्थिर स्थलों के लिए पुनर्स्थापना की एक योजना भी तैयार की गई थी, जिसकी कुल लागत 32.52 करोड़ रु. थी तथा इसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त था। किंतु इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों के प्रभावित व्यक्ति विनिर्दिष्ट सुरक्षित स्थलों पर स्थानांतरित किए जाने के इच्छुक नहीं है।

(ग) और (घ) दिनांक 26.1.2000 को लगभग सुबह के 9.30 बजे ई. को. लि. के आवासीय परिसर और बेनाली वी.टी.सी. के पूर्व में लगभग 15 मी. × 18 मी. का क्षेत्र और जी. टी. रोड के 800 मी. उत्तर का क्षेत्र धंस गया। उक्त स्थल को स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में भर दिया गया। इस घटना की सूचना खान सुरक्षा महानिदेशक और स्थानीय सरकार के प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। उक्त धंसाव की घटना दृश्यांश क्षेत्र में "कुआं" जैसे कई गढ्ढों को बनाकर अवैध खनन किए जाने के कारण हुई, न कि ई. को. लि. के गढ्ढे अथवा किसी बंद पड़े इन्कलाइन के कारण हुई।

सेवानिवृत्त की आयु

7200. **श्री जी. गंगा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष 2000–2001 के दौरान सरकार पर उन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की आस्थगित सेवानिवृत्ति के कारण जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष 1998–99 में बढ़ा दी गई थी; कितना बोझ पड़ेगा; और

(ख) आस्थगित सेवा–निवृत्ति संबंधी देय राशि का भुगतान किस ढंग से करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वर्ष 1998–99 में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाते समय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति को आस्थगित किए जाने से 5200 करोड़ रुपए की सालाना बचत होने का अनुमान किया गया था। वर्ष 2000–2001 के बजट में पेंशन तथा सेवानिवृत्ति पर देय अन्य लाभों के भुगतान हेतु 15,843 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। यह रक्षा सेवाओं तथा गैर–वाणिज्यिक विभागों सहित नए तथा पुराने सभी सेवानिवृत्तों को कवर करता है। वाणिज्यिक विभागों के संबंध में इस प्रयोजन के लिए उनके प्रचालनात्मक व्ययों के एक भाग के रूप में प्रावधान किए जाते हैं।

सोने का भण्डार/उत्पादन

7201. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन खानों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है जहां वर्तमान में सोने के खनन का कार्य चल रहा है;

(ख) इन खानों में उपलब्ध सोने की संभाव्यता कितनी है;

(ग) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार तथा स्थान–वार कितनी सोने की खानों का पता चला;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सोने का कुल उत्पादन कितना था;

(ङ) क्या देश में सोने की मांग पूरा करने में भारत आत्मनिर्भर है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा सोने की खानों में से अधिक मात्रा में सोने के उत्खनन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने सोने की खानें बंद हो गई तथा इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या आयतित सोना, देश में उत्पादित सोने से सस्ता है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रति दस ग्राम का तुलनात्मक आंकड़ा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार देश में उन स्वर्ण खानों का विवरण निम्न प्रकार है जिनमें खनन कार्य किया गया था:–

राज्य	जिला	खान (खानों) का नाम
1. आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर	चिंगारगुंटा ओल्ड बिसनाथम
2. कर्नाटक	कोलार	नन्दीदुर्ग
	रायचूर	हट्टी और ऊटी–

(ख) खानों से स्वर्ण के निष्कर्षण की व्यवहार्यता बाजार कीमत सहित प्रौद्यो–आर्थिक परिस्थितयां से नियंत्रित होती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने 9 स्वर्ण भण्डारों का अनुमान लगाया है। जिनकी राज्यवार लोकेशन निम्न प्रकार है:–

1) डोना पूर्वी ब्लाक, कुरनूल जिला, आंध्र प्रदेश।

2) चिकनाहल्ली साऊथ ब्लाक, चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक।

3) इमालिया ब्लाक, जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश।

4) भीम सेन, किला पहाड़ क्षेत्र, महाराष्ट्र।

5) परसोरी पश्चिमी ब्लाक, महाराष्ट्र।

6) मरूपाड़–किटारी क्षेत्र, महाराष्ट्र।

7) पट्टूमाला और कोट्टाथारा ब्लाक, अट्टापदी घाटी, केरल।

8) भुकिया (पूर्वी) ब्लाक, बांसवाड़ा जिला, राजस्थान।

9) तिनसानमाता (पूर्वी) ब्लाक, बांसवाड़ा जिला, राजस्थान।

(घ) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बी. जी. एम. एल.) हट्टी गोल्ड माइंस लिमिटेड (एच. जी. एम. एल.) और हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच. सी. एल.) (जोकि स्वर्ण का उपोत्पाद के रूप में उत्पादन करता है) की रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुल उत्पादित स्वर्ण का विवरण निम्न प्रकार है:–

	(किलोग्राम में)
1997–98	2865
1998–99	2901
1999–2000	3108 (अनन्तिम)

(ङ) और (च) देश में स्वर्ण की मांग और खपत के निश्चित अनुमान नहीं है। तथापि, भारत स्वर्ण के क्षेत्र में आत्म निर्भर नहीं है। मौजूदा खानों से स्वर्ण के स्वदेशी उत्पादन में बढ़ोत्तरी की संभावना खनन की आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करती है।

(छ) पिछले तीन वर्षों में देश में किसी भी खान को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत् बंद नहीं किया गया है। तथापि, विशिष्ट खानों में प्रचालनों को समय–समय पर आर्थिक कारण से स्थगित किया गया है।

(ज) और (झ) वर्ष 1999–2000 के दौरान बी. जी. एम. एल. द्वारा 10 ग्राम स्वर्ण के उत्पादन की लागत 20,406 रु. (अनन्तिम) थी जबकि 10 ग्राम स्वर्ण (जिसमें आयतित स्वर्ण भी शामिल है) की कीमत 4300–4500 के बीच होती है।

[हिन्दी]

बुद्धा फिल्म्स द्वारा क्रिकेट का प्रसारण

7202. **श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन पर घरेलू क्रिकेट मैचों के प्रसारण का अधिकार निजी कम्पनी "बुद्धा फिल्म्स" को दिया गया है?

(ख) क्या इस संबंध में किसी ठेके पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की ठेका देने की नीति क्या है;

(ङ) क्या सरकार को जानकारी है कि "बुद्धा फिल्म्स" निजी टी. वी. चैनल–जी टी. वी. के स्वामित्व में है; और

(च) यदि हां, तो इस कम्पनी को ठेका देने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) बी सी सी आई द्वारा भारत में सितंबर, 2004 तक आयोजित क्रिकेट आयोजनों के एकमात्र प्रसारण अधिकार प्रसार भारती के पास है। तथापि, प्रसार भारती ने इन आयोजनों के प्रसारण हेतु प्रसारण समय के विपणन के लिए मैसर्स बुद्धा फिल्मस लि. के साथ करार किया है। इसे घरेलू प्रसारण से 450 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन पर क्रिकेट तथा अन्य प्रमुख आयोजनों का विपणन कार्य किसी निजी कम्पनी को बोली प्रक्रिया के माध्यम से सौंपा जाता है। जिसमें हर कोई भाग ले सकता है। यदि वे बोली दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों एवं निबन्धनों को पूरा करते हैं तो दूरदर्शन पर आयोजनों के विपणन के लिए सबसे ऊंचे बोली–दाता को ठेके दे दिए जाते हैं।

(ङ) जी हां।

(च) इस कम्पनी को विपणन अधिकार इसलिए दिए गए थे क्योंकि यह सबसे ऊंची बोली दाता थी और बोली दस्तावेज की सभी शर्तों एवं निबन्धनों को पूरा करती थी।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों का निर्यात

7203. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को समुद्री उत्पादों का निर्यात करने से कुल कितनी आय हुई;

(ख) क्या सरकार इस आय से पूरी तरह से संतुष्ट है;

(ग) यदि नहीं, तो आय को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) समुद्री उत्पादों के निर्यातकों को क्या लाभ प्रदान किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यातों से हुई भारत की कुल आय निर्धारित लक्ष्य की तुलना में निम्नानुसार है:–

मिलियन अमरीकी डालर

वर्ष	कुल आय	निर्यात लक्ष्य
1999–2000	1184.23 (अनन्तिम)	1216.00
1998–1999	1106.91	1350.00
1997–1998	1295.86	1200.00

(ख) से (घ) वर्ष 1997–98 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात, वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक के थे, वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। दूसरी और निर्यातों में वर्ष 1996–97 की तुलना में वर्ष 1997–98 के दौरान 12.41% की वृद्धि हुई, वर्ष 1997–98 की तुलना में 14.58% की गिरावट और वर्ष 1998–99 की तुलना में वर्ष 1999–2000 में 6.99% की वृद्धि हुई। इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यातों में लगातार वृद्धि की प्रवृति नहीं रखी जा सकी है। भारत सरकार द्वारा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के जरिए भारत ने समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल है: प्रसंस्करण उद्योग द्वारा उपयोग किए जा रहे उपस्करों की खरीद के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन, नए प्रॉम फार्मों का विकास, अमरीकी बाजार के संबंध में बाजार अनुसंधान आयोजित करने के लिए एम्पीडा को प्राधिकृत करना, विदेशों में समुद्री खाद्य से संबंधित मेलों में भाग लेना, चीन, दक्षिण कोरिया और ताईवान के बाजारों में बाजार सर्वेक्षण करना, पर्यावरण–अनुकूल मत्स्यिकी का प्रचार करने के लिए प्रदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन, विविधीकृत मात्स्यिकी पर जोर देना, श्रिम्प फार्मों में बीमारी की रोकथाम के उद्देश्य से समस्याओं का पता लगाने के लिए एक परियोजना को स्वीकृति देना, इस उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक विशेष दल की स्थापना करना और भारत से मूल्यवर्द्धित उत्पादों के निर्यात संवर्द्धन की अनिवार्यता पर जोर देना।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन और भविष्य निधि का भुगतान न होना

7204. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे अनेक सरकारी उपक्रम हैं जिन्होंने गत कुछ महीनों से अपने कर्मचारियों के वेतन, भविष्य निधि और पेंशन का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा अभी भी बकाया पड़े प्रत्येक भुगतान से संबंधित ब्यौरा क्या है और सरकारी उपक्रमवार देय धनराशि कुल कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई उपचारी उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) सरकारी क्षेत्र के कुछ ऐसे उद्यम हैं, जिन्होंने अपने कर्मचारियों को समय पर मजूरी और भविष्य निधि तथा पेंशन इत्यादि जैसी सांविधिक देयताओं के भुगतान में चूक की है।

(ख) विवरण एकत्र किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ, बकाया मजूरी तथा सांविधिक देयताओं के भुगतान के मामलों की जांच करने तथा सरकार को सिफारिश करने के लिए मंत्रियों के समूह (जी. ओ. एम.) का पुनर्गठन किया है।

केबल आपरेटरों के लिए नियमें और विनियम

7205. **श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केबल आपरेटरों के लिए कोई सामान्य नियम और विनियम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केबल ऑपरेशन का नियंत्रण करने वाली बड़ी कम्पनियों को बिजली के खंभों के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त है लेकिन छोटे केबल टीवी ऑपरेटर को यह अनुमति नहीं दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ये चैनल अपना शुल्क बार–बार बढ़ा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का ये चैनलों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क का प्रचालन, केबल टेलीविजन, नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।

(ग) और (घ) ये मामले राज्य सरकारों के स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार में आते हैं और ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार को निर्णय करने का अधिकार नहीं है।

(ङ) और (च) निजी टेलीविजन पे-चैनलों द्वारा केबल आपरेटरों से वसूल किया जाने वाला अंशदान शुल्क संबंधी मामला, निजी पार्टियों का आपसी मामला है और सरकार इस कार्रवाई में शामिल नहीं है।

(छ) और (ज) देश से बाहर में अपलिंक किए जाने वाले पे-चैनलों द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्कों के माध्यम से प्रसारण किए जाने की अवस्था में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का पालन किया जाना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

पर्यावरण पर फिल्म श्रृंखला

7206. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन पर फिल्म श्रृंखला को दूरदर्शन पर नियमित रूप से दिखाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब से दिखाया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित कार्यक्रम पहले ही प्रसारित किए जा चुके हैं:-

(1) वर्ष 1999-2000 के दौरान कार्यक्रम "फोरेस्ट ऑफ इंडिया" को चार भागों में प्रसारित किया गया था।

(2) 1999-2000 के दौरान कार्यक्रम 'प्रकृति एक नजर' को सायं 4.30-5.30 बजे के समय स्लॉट पर प्रसारित किया गया था।

(3) 1999-2000 के दौरान कार्यक्रम 'टेरी क्विज' (प्रायोजित श्रेणी) को डी.डी.-2 (क्विज) पर प्रसारित किया गया था।

निम्नलिखित कार्यक्रमों को प्रसारित किए जाने का प्रस्ताव है:-

(1) भारत के वन्य-जीव क्षेत्रों पर आधारित वन एवं पर्यावरण पर 'अरणायक' नाम शीर्षक से एक छः खण्ड की श्रृंखला जून, 2000 में प्रसारित करने का प्रस्ताव है।

(2) 'भूमि' नामक कार्यक्रम को प्रायोजित श्रेणी के अंतर्गत शुरू करने का प्रस्ताव है।

(3) 'हेड एण्ड टेल्स' कार्यक्रम के चार प्रकरण निर्माणाधीन हैं। कार्यक्रम उपलब्ध होते ही इसे यथाशीघ्र प्रसारण के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्पेन्सर एण्ड कंपनी और डेयरी फार्म इंटरनेशनल, हांगकांग के बीच संयुक्त उद्यम

7207. **श्री एस. पी. लेपचा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्पेन्सर एण्ड कंपनी और डेयरी फार्म इंटरनेशनल, हांगकांग के संयुक्त उद्यम के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह संयुक्त उद्यम कंपनी (जे. वी. सी.) अंततः 23 मुख्य शहरों और नगरों में नकद दो और ले जाओ वाले 23 थोक बिक्री केन्द्र स्थापित करेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी कोई शर्त रखी है कि प्रस्तावित जे. बी. सी. कोई स्थानीय व्यापार नहीं करेगी और लाभांश संतुलन की शर्त का पालन करेगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रकार की संयुक्त उद्यमों पर ऐसी शर्तें लगाये जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण): (क) से (ङ) भारत में नकद लेन-देन थोक संचालन (कैश एंड कैरी होलसेल आपरेशंस) शुरू करने के लिए डेयरी फार्म इंटरनेशनल ग्रुप हांगकांग, के सदस्य मै. डी. एफ. आई. मॉरीशस लि. के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने हेतु मै. स्पेंसर एंड कंपनी लि. को 10 मार्च, 2000 को विदेशी सहयोग अनुमोदन

प्रदान किया गया है। इस नकद लेन–देन थोक सचालन के अंतर्गत वे डेयरी फार्म इंटरनेशनल ग्रुप हांगकांग, के सदस्य मै. डी. एफ. आई. मॉरीशस लि. के साथ अपने ग्राहकों के रूप में खुदरा विक्रेताओं के लघु तथा विसर्जित समुदाय के साथ सीधे तथा प्रभावी रूप से लेन–देन करके आपूर्ति श्रृंखला की लम्बाई को कम करने के लिए विनिर्माताओं सुविधा प्रदान करने हेतु वृहत् वितरण अवसंरचना की एक श्रृंखला तैयार करेंगे। कंपनी ने 23 प्रमुख शहरों और नगरों में नकद (केश एंड कैरी) लेन–देन के 23 थोक केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। उक्त अनुमोदन व्यापार पर विद्यमान नीति के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जारी किया गया है।

(i) कंपनी भारत में ही नकद लेन–देन थोक संचालन जारी रखेगी तथा किसी खुदरा व्यापार में शामिल नहीं होगी;

(ii) कंपनी लाभांश सन्तुलन की शर्तों का अनुपालन करेगी; तथा

(iii) कंपनी की गतिविधियां उत्पादनकारी संयुक्त उद्यमों में सीमा शुल्क विनियमनों तथा निवेशों के अनुसार कंपनी द्वारा स्थापित किये जाने वाली एक्स–पोर्ट और एक्स–बाण्डेड वेयर हाउसों की अनुमत्य मदों के निर्यातों, बल्क आयातों तक ही सीमित की जाएं।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

7208. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या वाणिज्य और** उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार अनिवासी भारतीयों द्वारा (रुपयों में) किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस निवेश को बढ़ाने के हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा जनवरी 2000 तक अनिवासी भारतीय निवेश का वास्तविक अन्तःप्रवाह नीचे दिया गया है:–

वर्ष	राशि रुपये में (करोड़)
1997	1039.61
1998	360.08
1999	348.83
2000 (जनवरी तक)	19.89

(ख) विदेशी कंपनियों के लिए यथा उपलब्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ. डी. आई.) संबंधी सामान्य नीति तथा सुविधाएं अनिवासी भारतीयों के लिए पूर्णतः लागू है। इसके अतिरिक्त सरकार ने अनिवासी भारतीयों तथा अनिवासी भारतीयों के अधिकांश स्वामित्व वाले ओ. सी. बी. (विदेशी निगम निकायों) के लिए विशेष रूप से कुछ रियायतें दी हैं। इनमें ये शामिल हैं–(i) अचल संपदा तथा आवास क्षेत्रों में 100% एन आर आई./ओ.सी.बी. निवेश की अनुमति है (ii) स्वदेशी एयरलाइंस के क्षेत्र में 100% तक एन आर आई/ओ सी बी निवेश की अनुमति है (iii) एन आर आई/ओ सी बी को बैंकिंग क्षेत्र में 40% तक निवेश करने की अनुमति है और अलग–अलग अनिवासी भारतीय पहली बार लघु उद्योगों में 24% से अधिक का निवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि इनकी किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम में कोई पूंजी न लगी हो।

[अनुवाद]

मुम्बई में राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों के कामगारों के बकाया का निपटान

7209. **श्री मोहन रावले :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई (महाराष्ट्र) के 25 राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों के प्रबंधन ने मुकदमेबाजी से बचने और ऊपरी खर्चों में कमी के लिए कामगारों के सभी पुराने वेतनों का भुगतान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) मुंबई में एन. टी. सी. की 25 मिलों में से वस्त्र उपक्रम (प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1983 के अंतर्गत सरकार द्वारा अधिग्रहित केवल 13 मिलों के लिए ही बकाया मजदूरियों की देयता रहती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के परिणामस्वरूप श्रम आयुक्त को खपाए न गए कामगारों के प्रत्येक विशिष्ट मामले में देयता निश्चित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। श्रम आयुक्त द्वारा जैसे ही देयताएं निश्चित की जाती हैं, एन टी सी द्वारा उन्हें पूरा कर दिया जा रहा है।

13 मिलों के राष्ट्रीयकरण की तारीख अर्थात् 31.3.1994 तक की स्थिति के अनुसार पिछली मजदूरियों की देयता उपलबध आंकड़ों के अनुसार एन. टी. सी. द्वारा लगभग 129 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया था। तब से अब तक संबंधित कामगारों को 13.85 करोड़ रु. तक की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मसाला बोर्ड

7210. **श्री अशोक अर्गल : क्या वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मसाला बोर्ड द्वारा कम्पनी–वार किन–किन कंपनियों को कितनी धनराशि की राज–सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या इतनी सारी कम्पनियों को राज–सहायता दिए जाने के बावजूद भी मसालों का निर्यात घटा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) हालांकि गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए मसालों की मात्रा में मामूली गिरावट आई है फिर भी मूल्य के रूप में मसालों के निर्यात में वृद्धि हुई है।

(ग) मसालों का निर्यात प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मांग के साथ–साथ आपूर्ति की घरेलू क्षमता, वस्तुओं की विश्व भर में प्रचलित कीमतों, व्यापार की गई किस्मों और उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर करता है। कम आपूर्ति, निम्न उत्पादकता और बढ़ी हुई घरेलू मांग ने इन वस्तुओं की घरेलू कीमतों को बढ़ा दिया है और इन्हें निर्यात बाजार में गैट प्रतिस्पद्धी बना दिया है। इसके अलावा, निर्यात की गई मसालों की मात्रा में कमी मूल्यवृर्द्धित मसालों के निर्यात पर जोर देने के कारण भी हुई है। मूल्यवर्द्धन से निर्यात की गई मसालों की मात्रा में कमी की क्षतिपूर्ति हो जाती है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्रम सं.	कंपनी/लाभग्रही का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
1.	एक्सीलरेटेड फ्रीज ड्राईंग कं.	0.27	0.29	1.08
2.	अर्जुन नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स लिमि.	0.21	6.83	4.78
3.	एवीटी मक्कोरमिक इनग्रेडिएन्ट्स लिमि.	0.50	5.72	13.71
4.	अकाई फ्लेवर्स एंड एरोमेटिक्स लिमि.	0.21	0.79	8.77
5.	अलकोर्सीज ऑल स्पाइसेज	1.53	2.81	2.00
6.	कोचीन स्पाइसेज लिमि.	2.08	1.10	8.12
7.	कन्सर्ट स्पाइसेज एंड एक्सट्रैक्ट्स लिमि.	0.49	–	–
8.	देवन फूड्स लिमि.	0.76	0.77	0.52
9.	इनजयेस स्पाइसेज एंड केमिकल ऑयल लिमि.	0.39	0.51	2.08
10.	एसक्वायर फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लिमि.	–	0.15	0.13
11.	इस्टर्न स्पाइसेज एंड एक्सपोर्ट्स	6.29	3.19	1.31
12.	जी आर के एंड कं.	1.09	0.43	6.98
13.	ग्लोबल स्पाइसेज प्रा. लि.	0.62	0.08	1.39
14.	हारमोनी स्पाइसेज लि.	1.04	1.93	0.39
15.	इन्डियाना ड्राई फूडस एक्सपोर्टर्स	2.00	–	–
16.	इन्टिग्रेटिड स्पाइसेज फूड्स प्रा. लि.	10.74	0.17	3.58

1	2	3	4	5
17.	जमनादास माधवजी इंटरनेशनल लिमि.	1.31	0.27	0.37
18.	जोगर एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	2.28	–	–
19.	किशोर स्पाइसेज कं.	0.04	1.73	0.88
20.	कृष्णा एंड कं.	–	8.00	–
21.	कंकोर फ्लेवर्स एण्ड एक्सट्रैक्ट्स लि.	0.50	0.92	0.50
22.	लानको पैकर्स	1.21	0.06	0.09
23.	सनत प्रोडक्ट्स लिमि.	–	0.25	5.52
24.	मूलन्स इंटरनेशनल	–	1.78	1.78
25.	पी मिटटूलाल लाला एंड संस	0.50	1.94	7.56
26.	मनरादियर एंड सेठ फूड्स प्रा. लि.	2.00	–	–
27.	एम एस इंटरनेशनल	3.97	1.03	0.34
28.	एमबीजे फूडस (इंडिया) प्रा. लि.	5.49	5.83	3.70
29.	नवीन मारकोस	–	0.95	0.83
30.	प्लांट लिपिड्स प्रा. लि.	0.50	4.75	2.60
31.	वीपीएसए परमशिवा नादर एंड कं.	8.00	–	1.56
32.	पीरमादा डेवलपमेन्ट सोसायटी	0.30	–	0.91
33.	एसपीजी रामासामी नादर एंड सन्स	0.21	–	–
34.	रानी फूड प्रोडक्ट्स	1.24	0.84	0.76
35.	एस ए ज़ार स्पाइसेज (प्रा.) लिमि.	8.00	1.59	–
36.	सिन्थेटिक इंडस्ट्रियल कैमिकल्स लि.	0.86	0.50	0.50
37.	स्पाइको मसाला (प्रा.) लिमि.	1.95	0.35	0.93
38.	सार्क स्पाईसेज प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	–	–	0.29
39.	स्वामी स्पाइस मिल्स प्रा. लि.	0.64	–	–
40.	श्री बालाजी गम्स एंड स्पाइस स्टफ प्रा. लि.	–	0.45	2.08
41.	टाटा टी लिमि.	1.06	7.03	5.33
42.	यूनाइटेड एरोमेटिक्स प्रा. लि.	0.33	0.44	0.06
43.	यूनिक आरगेनिक्स लिमि.	0.36	0.10	0.31
44.	वनिता फ्लोर मिल्स	1.49	–	–

1	2	3	4	5
45.	अमेरिकन ड्राई फ्रूट स्टोर	–	–	0.78
46.	केज स्पाइसेज एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमि.	–	–	2.05
47.	वोल्स्ट् इंडियन कंडिमेन्ट्स प्रा. लि.	1.98	0.59	1.77
48.	वल्लभदास कांजी लिमि.	4.24	2.55	5.31
49.	जनरल कमोडिरिज लिमि.	2.15	–	–
50.	लोटस स्पाइसेज	10.00	–	–
51.	ए वी थोमस एंड कं. लिमि.	0.63	0.23	0.45
52.	सारा स्पाइसेज	–	0.17	0.12
53.	नेचुरेट एग्रो प्रोडक्ट्स लिमि.	0.65	–	–
54.	डिंडिगल कैप्सिकम रेसिन्स प्रा. लिमि.	–	0.55	0.69
55.	एबसोल्यूट एरोमेटिक्स लिमि.	0.60	–	–
56.	साउथ इंडिया प्राडयूस	0.36	–	–
57.	पी एंड एन फूड्स प्रा. लिमि.	1.00	–	–
58.	जीडीपीए फूड्स प्रा. लिमि.	–	0.19	2.30
59.	अर्जुन इंडस्ट्रीज लिमि.	8.07	–	–
60.	रामदेव एक्सपोर्ट्स	–	–	1.53
61.	समी कैमिकल्स एंड एक्सट्रैक्ट्स लि.	–	–	9.44
62.	थेकाडि एग्रो प्रोडक्ट्स	–	–	0.47
63.	पी सी कानन एंड कं.	–	–	0.17
64.	मधुर फूड प्रोडक्ट्स	–	–	1.23
65.	इनजयेस नेचुरल फ्लैवर्स लिमि.	–	–	9.12
66.	कोरडिया फूड प्रोडक्ट्स	–	–	4.50
67.	प्रवीण मसालावाले	–	–	6.05
68.	सोपारीवाला एक्सपोर्ट्स	–	–	4.79
69.	केशव एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमि.	–	–	0.40
70.	ऐम्स एग्रो प्रोडक्ट्स	–	–	10.00
71.	मास इन्टरप्राइजेज	–	–	0.24
72.	गौतम एक्सपोर्ट कारपोरेशन	–	–	1.86

स्रोत : मसाला बोर्ड

महाराष्ट्र के टी. वी. रिले केन्द्र में कर्मचारियों की नियुक्ति

7211. **श्री माणिकराव होडल्या गावित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के टी. वी. रिले केन्द्र में कर्मचारियों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) कर्मचारियों की नियुक्ति कब तक होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) नन्दुरबार स्थित दूरदर्शन रिले केन्द्र को अपेक्षित स्टाफ के साथ पहले ही चालू कर दिया गया है। स्टाफ की स्वीकृति संख्या को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भ्रष्टाचार का उन्मूलन

7212. **श्री रामचन्द्र बैंदा** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन अधिकारियों के नाम बताए हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान संलग्न विवरण–I में सूचीबद्ध किए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 12 कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की सलाह दी है। आयोग ने उपरोक्त अवधि के दौरान उनके खिलाफ विभागीय जांच के पूर्ण होने पर संलग्न विवरण–II में सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के 29 कर्मचारियों पर भारी जुर्माना लगाने की सलाह दी है। इसके अलावा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और मुख्य सतर्कता अधिकारियों से प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 163 कर्मचारियों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई आरंभ करने और 25 कर्मचारियों के खिलाफ थोड़ा जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने की सलाह दी है। उनके खिलाफ अभी तक दोष लगाया जाना है।

विवरण-I

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों की सूची जिनके खिलाफ आयोग ने मुकदमा चलाने की सलाह दी है

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (संवर्ग और आबंटन के वर्ष सहित)	दोष आरंभ करते समय पदनाम तथा विभाग	आयोग की सलाह	स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रेम मेहता	निदेशक (वाणिज्यिक) नेटेका लिमिटेड	मुकदमा 27/05/1997	सूचना अपेक्षित
2.	श्री आर. वेंकटेशन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरसीएफएल	मुकदमा 28/10/1997	सूचना अपेक्षित
3.	श्री पी. आर. एस. राव	भूतपूर्व–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एचपीएफ लि.	मुकदमा 26/11/1997	16/12/1999
4.	श्री पी. के. चन्द्र	भूतपूर्व–उपाध्यक्ष ओएनजीसी	मुकदमा 09/02/1998	25/06/1999
5.	श्री आर. एन. मिश्रा	भूतपूर्व क्षेत्रीय निदेशक ओएनजीसी	मुकदमा 09/02/1998	25/06/1999

1	2	3	4	5
6.	श्री बी. एल. आहूजा	भूतपूर्व–सदस्य वित्त ओएनजीसी	मुकदमा 09/02/1998	25/08/1999
7.	श्री पी. के. श्रीवास्तव	भूतपूर्व महाप्रबंधक ओएनजीसी	मुकदमा 09/02/1998	25/08/1999
8.	श्री जी. सी. श्रीवास्तव	ग्रुप महाप्रबंधक ओएनजीसी	मुकदमा 11/01/1999	17/02/1999
9.	श्री डी. पी. मुखर्जी	भूतपूर्व अति. निदेशक ओएनजीसी	मुकदमा 11/01/1999	17/02/1999
10.	श्री एल. पी. तिवारी	उप–महाप्रबंधक ओएनजीसी	मुकदमा 11/01/1999	17/02/1999
11.	श्री पी. वी. भूपति	अध्यक्ष एवं प्रबंधनिदेशक नेवेली लिग्नाईट कारपो.	मुकदमा 10/05/1999	24/05/1999
12.	श्री बी. पुरूषोत्तम	उप महाप्रबंधक, ईसीआईएल	मुकदमा 20/07/1999	07/01/2000

विवरण-II

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों की सूची जिनके खिलाफ आयोग ने दूसरे चरण में भारी जुर्माना लगाने की सलाह दी है।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	दुराचार करते समय पदनाम और विभाग	तिथि सहित आयोग की सलाह
1	2	3	4
1.	एन. के. प्रसाद	डीडीजी (एस.), एससीआई	11/08/1997
2.	टी. आर. ओबरॉय	सहा. निदेशक, एनएचपीसी	16/05/1997
3.	एस. वी. आर. कृष्णामूर्ति	सीई (सेवानिवृत्त), डीवीसी	20/08/1999
4.	पी. शर्मा	निदेशक (वित्त), सीएमपीडीआईएल	25/09/1997
5.	आर. जयस्वाल	उप प्रबंधक, एनएचपीसी	29/7/1997
6.	पी.सी. तिवारी	जेई, एनएचपीसी	21/07/1997
7.	रमेश कुमार	जेई, एनएचपीसी	21/07/1997
8.	रमेश पांडे	एसीएमई, सीसीएल	25/09/1997
9.	आर. एस. सिंह	एएसओ, सीसीएल	25/09/1997
10.	एन. एस. अनंता प्रसाद	कार्यकारी अधिकारी, एससीआई	07/11/1998
11.	टी. आर. ओबरॉय	सहा. निदेशक, एनएचपीसी	10/09/1998

1	2	3	4
12.	पी. एन. माथुर	निदे (टी) सेवानिवृत्त), बीसीसीएल	16/09/1998
13.	एस. एन. दीदी	निदेशक, सीएमपीडीआईएल	17/11/1998
14.	ए.के. राय	महाप्रबंधक, बाल्को	13/09/1998
15.	जी. एस. माथुर	बाल्को	13/09/1998
16.	पी. एन. शर्मा	कार्यकारी निदेशक, बाल्को	13/09/1998
17.	विनोद कामरा	उप–प्रबंधक, एमडीएल	27/02/1998
18.	डा. जे. पी. चुंगथ	निदेशक (चिकित्सा), अस्पताल परामर्शदायी सेवाएं निगम	20/05/1998
19.	ओ. पी. मालविय	स्थानापन्न जी एम (ईएण्डएम), आईटीडीसी	06/07/1999
20.	ए. के. चौधरी	ओएसडी. सीआईडब्ल्यूटीसी	30/12/1999
21.	बी. के. पाठक	ओएसडी, सीआईडब्ल्यूटीसी	30/12/1999
22.	ए. ए. खान	टीएसओ, आईटीडीसी	28/09/1999
23.	कैप्टन डी सिंह	निदेशक, एससीआई	28/06/1999
24.	कमल शर्मा	प्रबंध निदेशक, एचसीआईएल	04/11/1999
25.	एन. वी. बाडी	कार्यकारी निदेशक, नालको	25/02/1999
26.	आर. एन. पटनायक	मुख्य प्रबंधक, नालको	25/02/1999
27.	जयराज सिंह	मुख्य भूवैज्ञानिक सहायक, एमईसीएल	.03/06/1999
28.	आर. साओ	सेल	29/06/1999
29.	एस. सी. दास	निदेशक (वित्त), एचपीसी	08/07/1999

[अनुवाद]

विनिवेश नीति के विरुद्ध आरक्षण

7213. श्री पवन कुमार बंसल :

श्री रतन लाल कटारिया :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विनिवेश नीति तथा प्रक्रिया के लिए कुछ आरक्षण करने संबंधी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विनिवेश किए जाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण नीति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर महिलाओं को दर्शाया जाना

7214. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :

श्री बालचन्द्र यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार उत्पादों के लिए दूरदर्शन पर सौंदर्य प्रसाधनों के विज्ञापनों का प्रचार करते समय महिलाओं को जिस

तरह से पेश किया जाता है उससे भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) जी, नहीं। दूरदर्शन पर प्रसारित विज्ञापनों को दूरदर्शन की ''वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता' के द्वारा विनियंत्रित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के अपमानजनक तरीके से प्रक्षेपण पर रोक है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि महिलाओं का चित्रांकन सुरुचिपूर्ण और सौन्दर्यबोध के रूप में किया जाए और यह शालीनता और मर्यादा के सुस्थापित मानदण्डों के अंतर्गत हो।

[अनुवाद]

लघु उद्यमों को अमेरीकी आयात-निर्यात बैंक से सहायता

7215. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योगों को 500 मिलियन डालर की सहायता देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अमेरीकी आयात-निर्यात बैंक (यू एस एक्जिम बैंक) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अमेरीकी आयात-निर्यात बैंक के इस प्रस्ताव से लघु उद्योगों को किस सीमा तक बढ़ावा मिलेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय लघु उद्योग बैंक (सिडबी), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) तथा यू एस एक्जिम बैंक ने 24 मार्च, 2000 को समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) और (ग) समझौता ज्ञापन भारतीय उद्योगों को 500 मिलियन अमेरिकी डालर तक की सहायता करने का विचार रखता है। इसमें अमेरिकी सामान तथा सेवाएं लेने के इच्छुक लघु तथा मझोले उद्यमों को उपयुक्त वित्तीय सुविधाओं, जिनमें ऋण गारंटी सुविधाएं, सह वित्तपोषण तथा समानांतर वित्त पोषण सम्मिलित हैं, के माध्यम से अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। आशा है कि समझौता ज्ञापन अमेरिकी तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि करेगा। अन्य उपायों के संबंध में परिचालनात्मक ब्यौरों के बारे में सभी संबंधितों द्वारा विचार किया जा रहा है।

दूरदर्शन के खिलाफ सी. बी. आई. के मामले

7216. **श्रीमती श्यामा सिंह :**

श्री शिवाजी माने :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

श्रीमती रीना चौधरी :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने कुछ दूरदर्शन कर्मचारियों और निजी फर्मों, के विरुद्ध आपराधिक षडयंत्र और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आंतरिक सतर्कता आयोग के पास भ्रष्टाचार के मौजूदा मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन मामलों में कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोयले की चोरी के कारण घाटा

7217. **प्रो. दुखा भगत :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. को अपनी अनेक खानों से कोयले की चोरी के कारण करोड़ों रुपए का वार्षिक घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी में पता लगाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न खानों के 12–13 हजार स्थायी श्रमिक खाली बैठे हैं और निहित स्वार्थों के कारण यह कार्य संविदा के आधार पर कराया जाता है, और कोल इंडिया लि. के क्षेत्र में हावी होने वाले माफिया सक्रिय है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार श्रमिक संगठनों की भूमिका और राजनीतिज्ञों के संरक्षण और कोल इंडिया लि. के अधिकारियों और माफिया के बीच सांठगांठ की जांच केन्द्रीय जाचं ब्यूरो से कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो यह जांच कब तक कराई जाएगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) कोयले की चोरी–चोरी छिपे की जाती है, अतः चोरी हुए कोयले की मात्रा को निश्चित रूप से विनिर्दिष्ट करना संभव नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान सुरक्षा कर्मिकों द्वारा मारे गए छापे के साथ–साथ संबद्ध राज्य सरकारों के कानून–व्यवस्था से संबंधित प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से मारे गए छापे में कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कंपनियों में निम्नलिखित मात्रा में कोयले प्राप्त हुए:–

कंपनी	1996–97		1997–98		1998–99	
	प्राप्त मात्रा (टन में)	अनुमानित कीमत (लाख रु. में)	प्राप्त मात्रा (टन में)	अनुमानित कीमत (लाख रु. में)	प्राप्त मात्रा (टन में)	अनुमानित कीमत (लाख रु. में)
ईसीएल	14223.00	99.54	8434.30	59.03	15324.00	122.60
बीसीसीएल	932.76	6.91	2457.00	21.38	277.62	2.99
सीसीएल	567.00	1.93	177.00	1.06	510.00	5.10
एनसीएल	9.00	0.08	15.00	0.06	33.00	0.22
डब्ल्यूसीएल	105.68	0.97	84.47	0.83	133.42	1.33
एसईसीएल	123.70	0.97	12.50	0.09	32.00	–
एमसीएल	65.00	0.19	96.00	0.51	–	–
एनईसी	–	–	25.00	0.18	50.00	0.50
कुल	16026.14	110.59	11301.27	83.14	16360.04	132.74

(ग) कंपनी के नियमित कामगारों को खाली बैठाकर ठेकेदार के कामगारों को नियोजित नहीं किया जा रहा है।

(घ) से (च) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालयों के लिए बजट आबंटन

7218. **श्री अखिलेश यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत कुछ वर्षों के दौरान क्या सरकार ने न्यायिक प्रशासन के लिए बजट आबंटन में वृद्धि की है जबकि उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक खर्चों के लिए आबंटित धनराशि में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उच्चतम न्यायालय के कार्यकरण को सुगम बनाने हेतु पर्याप्त धनराशि देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सरकार उच्चतम न्यायालय को आवश्यकता के आधार पर बजटीय आबंटन उपलब्ध कराती है। वर्ष 1997–98 के अनुमोदित आबंटन 17.95 करोड़ रुपए था। वर्ष 1998–99 के दौरान, यह बढ़कर 35.27 करोड़ रुपए हो गया था। वर्ष 1999–2000 के दौरान, अनुमोदित आबंटन 40 करोड़ रुपए था, जिसमें 10 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वर्ण जयंती समारोहों के लिए था। चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित आबंटन 29.74 करोड़ रुपए का है।

[अनुवाद]

हिलियस कम्पनी समूह

7219. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिलियस कम्पनी समूह की शाखायें जयपुर में कार्य कर रही थीं;

(ख) यदि हां, तो ये शाखायें कब से काम कर रही थीं;

(ग) क्या हिलियस समूह को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इस कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में कोई धनराशि जमा की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह कम्पनी निवेशकर्त्ताओं से बड़ी मात्रा में धन हड़पकर गायब हो गयी है;

(छ) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक में इस कम्पनी की जमा राशि से सभी निवेशकर्ताओं की बकाया राशि का भुगतान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो सम्बद्ध निवेशकर्ताओं की बकाया राशि का कब तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पीजीएफआईएल और सहारा इंडिया की जवाबदेही

7220. डॉ. बलिराम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पियरलेस जेनरल फाइनेंस एण्ड एन्वेस्टमेंट लिमिटेड और सहारा इंडिया लिमिटेड विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जनता को अपने धन का निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कम्पनियों ने इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति ली है;

(ग) यदि हां, तो क्या किन्हीं परिस्थितियों में अगर आम जनता का धन डूबता है तो क्या सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो किस आधार पर उक्त कम्पनियों को अनुमति प्रदान की गई थी; और

(च) जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि समय–समय पर आर बी आई द्वारा जारी किए गए मार्ग–निर्देशों/निर्देशनों की सीमा के अंतर्गत जनता को अपना धन विभिन्न योजनाओं में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना, कंपनियों पर छोड़ दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 झक के अनुसरण में अवशिष्ट गैर–बैंकिंग कंपनियों (आर एन बी सी) समेत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन बी एफ सी) का आर बी आई के पास पंजीकरण किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। आर बी आई ने सूचित किया है कि सहारा ग्रुप की पांच गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से तीन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नामतः सहारा इंडिया फाइनेंशियल कार्पोरेशन लि., सहारा इंडिया कार्पोरेशन लि. तथा सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि., को पंजीकरण का प्रमाणपत्र दिया गया है। सहारा इंडिया लि. तथा सहारा इन्वेस्टमेंट इंडिया लि. के पंजीकरण प्रमाण पत्र की मांग संबंधी आवेदनों को आर बी आई द्वारा अभी लंबित रखा गया है क्योंकि उन्होंने 25 लाख रुपए की न्यूनतम निवल धारित निधि (एन ओ एफ) अभी प्राप्त नहीं की है। समूह की अन्य दो कंपनियां यथा सहारा इंडिया कुरी लिमिटेड एवं सहारा इंडिया म्यूच्युअल बेनीफिट कंपनी लिमिटेड को क्रमशः चिट फण्ड कंपनी एवं अधिसूचित निधि कंपनी होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र लेना अपेक्षित नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पीयरलेस जनरल फाइनेंस कंपनी

को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए इसके आवेदन पर विचार करने हेतु निर्धारित 25 लाख रुपये की निवल स्वाधिकृत निधियां (एन ओ एफ) प्राप्त करने के लिए जनवरी 8, 2001 तक समय बढ़ाने की अनुमति दी जा चुकी है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकार जमाराशियों की चुकौती की गारंटी नहीं देती है। जमाराशियां जुटाने वाली कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए वर्तमान विनियमों के अनुसार जमा आवेदन फार्म एवं विज्ञापन में एक उचित परित्याग (डिसक्लेम) खण्ड शामिल करके इस स्थिति को स्पष्ट करना अपेक्षित होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों को पंजीकरण प्रामणपत्र तभी प्रदान करता है जब वह अन्य बातों के साथ–साथ स्वयं इस बात पर भी तुष्टि कर ले कि पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना लोक हित में होगा तथा कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी संरचना एवं उपार्जन की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक व्यापक पर्यवेक्षी एवं नियामक ढांचा बनाया हुआ है जिसका लक्ष्य गैर–बैंककारी वित्तीय कम्पनियों/अवशिष्ट गैर–बैंककारी कम्पनियों में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त नए विधेयक को अधिनियमित करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है जिसमें मुख्यतः जमाकर्ता सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा।

एकीकृत ढांचागत औद्योगिक विकास योजना

7221. **श्री कांतिलाल भूरिया :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों के विकास हेतु मध्य प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों को एकीकृत ढांचागत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंडोल औद्योगिक क्षेत्र के ऋण अनुरोध को जिसको केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा रही है के बावजूद "सिडबी" द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इन परिस्थितियों के अंतर्गत इस योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण): (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य में दो आई. आई. डी. केन्द्र मंजूर किए गए हैं, जिनमें से एक जिला सतना में नादनटोला, तथा दूसरा जिला सीओनी में बंदोल के लिए हैं।

(ग) से (ङ) एकीकृत अवसंरचना विकास योजना के अधीन राज्य सरकार को एक अच्छे कार्यनिष्पादन रिकार्ड और ठोस वित्तीय स्थिति वाली कार्यान्वयनकारी एजेंसी नियुक्त करनी होती है। बन्दोल में आई.आई.डी. केन्द्र के संबंध में, प्रस्तावित कार्यान्वयनकारी एजेंसी मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं पायी गयी थी। ये एजेंसी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. आई.) द्वारा दोषी करार दी गई है और इसकी संचित हानियां हैं। इसलिए सिडबी ऋण मंजूर नहीं करना चाहता है। राज्य सरकार को सिडबी ऋण के बदले में अपनी स्वयं की निधियों का निवेश करने अथवा कार्यान्वयनकारी एजेंसी बदलने की छूट दी गयी थी। राज्य सरकार ने अपनी स्वयं की निधियों का निवेश करने की असमर्थता प्रकट की है और उसने हाल ही में यह सूचना दी है कि उन्होंने बन्दोल जिला सीओनी, स्थित आई. आई. डी. केन्द्र का कार्यान्वयन छोड़ दिया है।

फिल्म उद्योग में अमेरिकी कंपनियां

7222. **श्री तिरुनावुकरसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक अमेरिकी कंपनियों ने भारत में फिल्म उद्योग में शाखा कार्यालय संचालन को स्थापित करने हेतु प्रस्ताव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) ऐसे कार्यालयों में कुल कितना निवेश किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारी बैंक

7223. **श्री टी. एम. सेल्वागनपति :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के राष्ट्रीय परिसंघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्हें अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिए जाने के लिए उसके अंतर्गत आने वाले कुछ बैंकों और कुछ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के राष्ट्रीय परिसंघ की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि कुछ राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी

बैंकों (डीसीसीबी) को अनुसूचित हैसियत दी जाए। चूंकि प्रश्नाधीन बैंकों को एकबारगी में लाइसेंस नहीं दिये गये अथवा वे अनुसूचित होने के मानदण्ड और नीति का पालन नहीं कर रहे हैं। अतः अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

7224. **श्री राजनारायण पासी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अप्रैल, 2000 के हिन्दी "जनसत्ता" में "दूरदर्शन और आकाशवाणी के कई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरदर्शन के विशेषकर पीतमपुरा टी.वी. टावर में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई की गयी है, अथवा किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार और दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारियों को गत एक वर्ष के दौरान और आज की तिथि के अनुसार पीतमपुरा टी.वी. टावर में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी अथवा की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य बातों के साथ–साथ यह बताया गया है कि दूरदर्शन के कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और अन्य 9 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरु कर दी गई है। इसके अलावा, प्रशासनिक कार्रवाई के बाद एक कर्मचारी के विरुद्ध सेवा–मुक्त करने संबंधी दण्ड लगाया गया है। और दो कर्मचारियों के विरुद्ध पदच्युत् करने संबंधी दण्ड लगाया गया है।

(ग) से (च) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, पीतमपुरा में तैनात एक सहायक अभियन्ता के विरुद्ध सरकारी आवास में अनधिकृत रूप से भागीदारी ड्यूटी में लापरवाही, अवकाश, यात्रा रियायत संबंधी दावे आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस बारे में आरोपों की प्रारंभिक जांच की गई थी परंतु रिपोर्ट को अपर्याप्त पाया गया था। आरोपों से संबंधित अतिरिक्त तथ्यों को एकत्र करने के लिए और आगे जांच जारी है।

निजी विमान कम्पनियों को ऋण

7225. **श्री मानसिंह पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में निजी विमान कम्पनियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु निश्चित अवधि वाले ऋणों में संशोधन के संबंध में दिशानिर्देशों की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय और एयर टैक्सी आपरेटरों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में जारी किए गए नए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी विमान कंपनियों का वित्तपोषण करने के संबंध में बैंकों को अलग से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण वितरण के मामले में बैंकों को पूरी परिचालनात्मक स्वतंत्रता प्रदान की है। किसी खास आर्थिक क्रियाकलाप (विमान कंपनियों सहित) के वित्तपोषण के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण विनियमों तथा एक्सपोजर मानदंडों के ढांचे के भीतर अपने–अपने निदेशक मंडलों द्वारा निर्धारित ऋण नीति के आधार पर बैंकों द्वारा स्वयं निर्णय लिए जाते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार (नागरिक उड्डयन मंत्रालय), बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा विमान कंपनियों के साथ वर्ष 1997 में विमान कंपनियों का वित्तपोषण किए जाने से संबंधित मामलों पर विभिन्न बैठकों में विचार–विमर्श किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैठक में यह आम असहमति बनी थी कि चूंकि विद्यमान मार्गनिर्देश निजी विमान कंपनियों के वित्तपोषण सहित सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, इसलिए विमान कंपनियों का वित्तपोषण करने के लिए विशेष मार्गनिर्देश तैयार किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

[अनुवाद]

शुल्क दर संबंधी सलाहकार समिति

7226. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर–जीवन बीमा और शुल्क–दर को युक्तिसंगत बनाने के लिए अनुसंधान और सांख्यिकीय निकाय के रूप में

शुल्क–दर संबंधी सलाहकार समिति के प्रभावी कार्यकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या शुल्क समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) हाल ही में शुल्क–दर संबंधी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) को और अधिक व्यापक आधार की बनाने हेतु पुनर्गठित किया गया है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को, जो बीमा–नियंत्रक भी हैं, टी.ए.सी. का अध्यक्ष बनाया गया है। पहले, इस समिति के सदस्य मुख्यतः साधारणत बीमा उद्योग के लिए जाते थे, परंतु अब पुनर्गठित टी.ए.सी. में बीमा उद्योग से प्रतिनिधियों की संख्या सोलह सदस्यों में से सात सदस्यों की रखी गई है और अन्य सदस्य राज्य सरकारों, उद्योग और व्यवसायियों में से होंगे। टी.ए.सी. गैर–जीवन बीमा के क्षेत्र में भी अनुसंधान और सांख्यिकीय निकाय के रूप में कार्य कर सकें, इस हेतु उसने इस संबंध में कदम उठाए जाने के लिए सिफारिश करने हेतु विजन–2000 नामक एक लघु उप–समिति स्थापित की है।

(ख) वर्तमान में शुल्क–दर समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) टी.ए.सी. ने सूचित किया है कि मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए सम्भवतः पांच से दस वर्षों के बाद शुल्क–दरों को समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद उद्योग में कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

[हिन्दी]

सोयाबीन का आयात

7227. **डॉ. लक्ष्मीनारायाण पाण्डेय** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने सोयाबीन के आयात पर लगे पादप स्वास्थ्य (फाइटोसैनिटेशन) प्रतिबंध को हटाने के लिए भारत से आग्रह किया है;

(ख) क्या इस प्रक्रिया के अंतर्गत पत्लों पर ही सोयाबीन को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है;

(ग) क्या इस प्रकार के प्रतिबंध को किसी अन्य देश द्वारा हटाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सभी कृषि मदों का आयात अन्य बातों के साथ–साथ बागान संगरोधन प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होता है। देश में एक्सोटिक पौध रोग को आने से रोकने के उद्देश्य से भारत में केवल टूटे हुए सोयाबीन के आयात की अनुमति है।

यू एस ए इस शर्त की समीक्षा के लिए निवेदन करता रहा है। तथापि, वर्तमान आयात शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कृषि क्षेत्र को देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश

7228. **डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा** :

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

श्री मान सिंह :

श्री राजो सिंह :

श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

श्री हरिभाई चौधरी :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री आर. एल. भाटिया :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

श्री राम टहल चौधरी :

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :

श्री जयभद्र सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कोई मार्ग–निर्देश निर्धारित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किसानों को, विशेष रूप से छोटे, और सीमांत किसानों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा राज्यवार और बैंकवार कितना–कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किसानों द्वारा राज्यवार और बैंकवार कितनी ऋण राशि लौटाई गई;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कहां तक प्राप्त किया गया है;

(ङ) क्या लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी आई है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) त्रुटिकर्ता बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई

है और राष्ट्रीयकृत बैंकों लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए निवल बैंक ऋण के 40 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने हेतु निवल बैंक ऋण के 18 प्रतिशत का उपलक्ष्य निर्धारित किया गया है। यथा उपलब्ध अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रदान किये गए राज्यवार ऋण तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए बैंक–वार ऋण क्रमशः संलग्न विवरण–। और संलग्न विवरण–।। में दिए गए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिया गया ऋण भी संलग्न विवरण–।।। में दिया गया है।

(ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अग्रिमों की राज्यवार और बैंक–वार वसूली से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (छ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 40 प्रतिशत का समग्र प्राथमिकता क्षेत्र उधार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तथापि, कृषि क्षेत्र को उधार दिए जाने में कुछ कमी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे प्राथमिकता क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र को उधार के निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी उपाय करें। वर्ष 1994 में बैंकों से कहा गया था कि लक्ष्य/उपलक्ष्य की प्राप्ति में बैंकों के असफल होने की स्थिति में बैंक–विशिष्ट नीतिगत उपाय किए जाएंगे। यदि सरकारी क्षेत्र के बैंक प्राथमिकता क्षेत्र/कृषि उधार के लक्ष्य को पूरा नहीं करते तो उन्हें कहा जाता है कि अपनी कमी के बराबर धनराशि आर आई डी एफ में अंशदान करें।

ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी जारी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में राज्य सरकारों तथा राज्य स्वामित्व वाले निगमों की सहायता के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पास ग्रामीण आधारित विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना की गई है।

विवरण-।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी अुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया कृषि ऋण

(करोड़ रुपए)

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मार्च 1996	मार्च 1997	मार्च 1998
	1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3359.15	4116.35	4489.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.68	9.32	9.99
3.	असम	227.70	428.54	298.70
4.	बिहार	1039.27	1057.24	1075.78
5.	गोवा	50.69	74.65	66.11
6.	गुजरात	1507.75	1713.23	1963.93
7.	हरियाणा	903.41	1023.95	1192.02
8.	हिमाचल प्रदेश	106.14	125.03	134.60
9.	जम्मू एवं कश्मीर	36.98	120.30	139.67
10.	कर्नाटक	2195.23	2984.44	3411.01
11.	केरल	1076.75	1700.76	1701.32
12.	मध्य प्रदेश	1711.05	1996.79	2277.13
13.	महाराष्ट्र	2685.36	3587.03	3991.27
14.	मणिपुर	15.01	17.25	19.91
15.	मेघालय	13.16	14.88	16.43
16.	मिजोरम	3.78	4.03	4.13
17.	नागालैंड	29.55	28.15	20.48
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	412.90	511.72	747.56
19.	उड़ीसा	601.03	629.48	678.66
20.	पंजाब	1752.33	1987.15	2255.29
21.	राजस्थान	1127.70	1307.88	1611.25
22.	सिक्किम	5.71	7.18	8.53
23.	तमिलनाडु	3568.54	4357.82	4582.09
24.	त्रिपुरा	38.72	46.91	48.35
25.	उत्तर प्रदेश	2577.20	2773.33	3056.02
26.	पश्चिम बंगाल	976.76	1517.64	1706.29
27.	अंडमान एवं निकोबार	2.65	5.68	3.15
28.	चंडीगढ़	221.62	231.68	214.37
29.	दादरा एवं नागर हवेली	1.37	1.32	1.32
30.	दमन एवं दीव	1.21	0.99	0.87
31.	लक्षद्वीप	0.46	0.46	0.56
32.	पांडिचेरी	43.93	52.78	51.13
	अखिल भारत	26302.94	32434.10	35777.31

विवरण-II

कृषि क्षेत्र के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम

(रुपए करोड़ में)

बैंक का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को ऋण		
	मार्च 1997	मार्च 1998	मार्च 1999
भारतीय स्टेट बैंक	7606.00	8799.0	10637.0
स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जय.	400.88	490.73	548.21
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	779.47	767.45	851.05
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	297.81	335.22	401.32
स्टेट बैंक आफ मैसूर	393.57	431.6	499.63
स्टेट बैंक आफ पटियाला	778.0	744.0	863.0
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	351.33	359.12	440.88
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	499.84	507.62	519.25
इलाहाबाद बैंक	694.55	785.54	1071.43
आन्ध्रा बैंक	521.55	616.68	785.73
बैंक आफ बड़ौदा	2156.78	2326.13	2506.39
बैंक आफ इंडिया	2094.10	2401.07	2656.52
बैंक आफ महाराष्ट्र	584.85	651.18	717.05
केनरा बैंक	2462.37	2750.65	2832.01
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1139.27	1191.66	1452.07
कारपोरेशन बैंक	292.44	358.31	431.57
देना बैंक	579.62	726.73	1003.81
इंडियन बैंक	1169.84	1096.50	1079.68
इंडियन ओवरसीज बैंक	1033.44	1181.62	1390.88
ओरि. बैंक ऑफ कामर्स	957.34	1160.0	1500.0
पंजाब नेशनल बैंक	1915.57	2086.97	2440.90
पंजाब एंड सिंध बैंक	431.24	493.16	629.94
सिंडिकेट बैंक	763.0	851.0	1208.0
यूनियन बैंक आफ इंडिया	1224.13	1419.73	1569.66
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	637.0	642.0	729.0
यूको बैंक	630.12	695.83	750.67
विजया बैंक	35389.0	435.0	562.0
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक	31012.11	34304.5	40077.64

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के कृषि संबंधी ऋण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक
1996-97	1684	11944
1997-98	2040	14035
1998-99	2530	15916

[अनुवाद]

खाली समय के लिए मजदूरी का भुगतान करने के लिए व्यय की गई राशि

7229. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रुग्ण उद्योगों के बन्द होने की वजह से खाली समय के लिए मजदूरी का भुगतान करने के लिए काफी अधिक राशि व्यय की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी मजदूरी में कमी लाने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण): (क) से (ग) मजदूरी तथा वेतन का भुगतान करने, रोकड़ संबंधी हानि को पूरा करने तथा कार्यशील पूंजी व्यय इत्यादि के लिए सरकार अंशतः (टर्मिनली) रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र में एककों को योजनेत्तर ऋण प्रदान करती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ 1735 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। वर्ष 2000-2001 के लिए आबंटन की राशि कम करके 1236 करोड़ रुपये कर दी गई है। इस बारे में राज्यवार ब्यौरे केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते हैं।

तम्बाकू की कीमतों में गिरावट

7230. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :

श्री राजैया मल्याला :

डॉ. मन्दा जगन्नाथ :

श्रीमती डी.एम. विजयाकुमारी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू की कीमतों में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या देश भर से, विशेषरूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से तम्बाबू उत्पादकों के शिष्टमंडलों ने केन्द्र सरकार से तम्बाकू का लाभकारी मूल्य देने का अनुरोध करते हुए उसे ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क)

और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों द्वारा वसूल की गई औसत कीमतें निम्नानुसार हैं:

वर्ष	आंध्र प्रदेश	वसूल की गई औसत कीमतें (रु./किग्रा.)
1997	40.00	48.95
1998	40.12	34.47
1999	34.85	42.07

कीमतों की यह प्रवृति मिश्रित है। गिरावट घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक होने के कारण आई।

(ग) और (घ) कृषकों ने लाभकारी कीमतों के लिए अभ्यावेदन दिए हैं। सरकार ने अनुमानित घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मांग के आधार पर फसल का आकार तय करने, अधिक उत्पादन पर रोक लगाने और आवश्यकता पड़ने पर बाजार हस्तक्षेप कार्रवाई को प्रोत्साहन दिया है।

खुला सामान्य लाइसेंस

7231. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999–2000 के दौरान तूर दाल और अन्य कृषि उत्पादों का खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कृषि उत्पादों का आयात करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि तूर दाल और अन्य कृषि उत्पादों के आयात ने कर्नाटक के तूर दाल उत्पादकों को बुरी तरह प्रभावित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तूर दाल एवं अन्य कृषि आयात को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) जी हां। घरेलू कमी को पूरा करने के लिए एसटीसी द्वारा वर्ष 1999–2000 के दौरान सरकारी खाते से 31,000 टन तुर दाल सहित 97,000 टन दालों का आयात किया गया है। कनार्टक सरकार ने आयात शुल्क एवम् न्यूनतम कीमतों में समुचित वृद्धि के पश्चात् सरकारी एजेंसियों द्वारा कीमत समर्थन संबंधी संकायों में वृद्धि का सुझाव दिया है। कृषि मंत्रालय, जो कि ऐसे प्रस्तावों के संबंध में नोडल मंत्रालय है, ने यह सूचना दी है कि उन्हें कर्नाटक सरकार की ओर से दालों के घरेलू उत्पादम पर आयातों के हानिकारक प्रभावों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

दालों के संबंध में समग्र मांग आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में आयातों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कपास प्रापण केन्द्र

7232. डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में जढ़चेरल्ला में कपास खरीदने के लिए कपास प्रापण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कार्रवाई में हुई देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को ताक पर रखने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) दिसंबर, 1998 में श्री रवि मल्लू, संसद सदस्य से आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में जढ़चेरल्ला में भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के क्रय केन्द्र की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव आया था तथा उन्हें सूचित किया गया था कि जढ़चेरल्ला में मार्केट यार्ड सप्ताह में दो दिन कार्य कर रहा था तथा कि सी सी आई के प्रतिनिधि नीलामी के समय मार्केट यार्ड में उपस्थित रहते हैं। इस समय, सी सी आई जढ़चेरल्ला में (बादेपल्ली मार्केट यार्ड) सादनगर केन्द्र के "सेटेलाइट केन्द्र" के रूप में कार्य कर रहा है।

शुल्क पात्रता पुस्तिका योजना

7233. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फेडरेशन आफ होटलस् एण्ड रेस्तरां एसोसिएशन आफ इंडिया से आगामी वर्ष 2000–01 की आयात निर्यात नीति में होटल उद्योग को अन्य निर्यात प्रोत्साहनों के अतिरिक्त शुल्क पात्रता पुस्तिका योजना (डीइपीबी) प्रदान किये जाने से संबंधित कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) योजना का लाभ होटल उद्योग को भी प्रदान करने के बारे में सरकार को भारतीय होटल एवं रेस्टोरेंट परिसंघ (एफएचआरएआई) से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। तथापि, इसे स्वीकार नहीं किया

गया क्योंकि डीईपीबी का लाभ केवल वस्तुओं के निर्यात के लिए प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, न कि सेवाओं के लिए।

(ग) सरकार की सेवाओं के निर्यात के बदले डीईपी बी लाभ प्रदान करने की मंशा नहीं है।

लौह अयस्क का निर्यात

7234. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) द्वारा उड़ीसा स्थित सुकिन्दा–दैतारी लौह अयस्क खानों से लौह अयस्कों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों की तुलना में लौह अयस्कों के निर्यात में भारी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अगले वर्ष के दौरान निर्यात को बढ़ाने के लिए खनिज और धातु निगम द्वारा पता लगाए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) महोदय, गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा स्थित सुकिन्दा–दैतारी अयस्क खानों से खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) द्वारा निर्यात की गई लौह अयस्क की मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	(मात्रा टन में)
1997–98	21127
1998–99	38003
1999–2000 (अनन्तिम)	39011

(ख) और (ग) एमएमटीसी द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क के कुल मूल्य में पूर्ववर्ती तीन वर्षों की तुलना में कोई गिरावट नहीं आई है।

(घ) जापान के बड़े बाजार के अलावा एमएमटीसी ने वर्ष 2000–2001 के दौरान लौह अयस्क के अधिक निर्यात के लिए चीन और दक्षिण कोरिया को थ्रस्ट क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया है। इन दो बाजारों में लौह अयस्क के निर्यात मूल्य से गत वर्ष की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

देश	निर्यात किए गए लौह अयस्क का मूल्य (करोड़ रुपए में)	
	1999–2000 (अनन्तिम)	2000–2001 लक्ष्य
चीन	250	270
द. कोरिया	123	135

लाख का निर्यात

7235. श्री वीर सिंह महतो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाख का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवः लाख पर किस दर से निर्यात शुल्क लगाया गया औ‍र

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई लाख की मात्रा कितनी थी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाख पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया गया था।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यातित लाख की मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (मी. टन में)
1997-98	8916.2
1998–99	7209.6
1999–2000* (अ. दिसम्बर, 99)	7169.2

स्रोत : डीजीसीआईएण्डएस, कलकत्ता

*अनन्तिम

पूर्वोत्तर राज्यों को आधारभूत संरचना के लिए धन का आबंटन

7236. श्री एम. के. सुब्बा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान पूर्वोत्तर में प्रत्येक राज्य को विकास व्यय सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा वर्ष 2000–2001 के दौरान कितनी धनराशि दिए जाने का विचार है;

(ख) आधारभूत सुविधाओं के सृजन तथा रखरखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गयी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):

(क) और (ख) राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता सकल अनुदानों और सकल ऋणों के रूप में विकास संबंधी गति-विधियों के लिए राज्यों को जारी की जाती है और यह किसी क्षेत्र/स्कीम विशेष से सम्बद्ध नहीं होती है। वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत संरचना पर योजना परिव्यय और व्यय के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 2000-2001 के लिए योजना परिव्यय और क्षेत्रवार आबंटनों पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों के प्रत्येक योजना आकार का निर्धारण योजना आयोग के उपाध्यक्ष और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बैठक के दौरान किया गया था। राज्य सरकारों को सहमत परिव्यय जो कि समग्रतः स्वीकृत हो, के आधार पर क्षेत्रवार आबंटनों के लिए अपने प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई थी।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आधारभूत संरचना के अंतर्गत किए गए योजना परिव्यय और व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(करोड़ रुपये में)

राज्य	1998-99		1999-2000	
	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजना परिव्यय	राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया व्यय	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया परिव्यय	राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया व्यय
1. अरुणाचल प्रदेश	238.15	217.22	223.46	223.11
2. असम	457.93	322.22	496.82	455.40
3. मणिपुर	178.70	187.63	199.26	303.33
4. मेघालय	152.77	107.18	186.42	113.07
5. मिजोरम	79.97	62.01	105.21	110.94
6. नागालैंड	47.08	45.77	47.38	48.03
7. त्रिपुरा	151.49	78.85	159.88	78.63
8. सिक्किम	66.71	56.97	63.91	68.01

वर्ष 2000-2001 के लिए योजना परिव्यय को योजना आयोग द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

करदाता

7237. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**

श्री ए. ब्रह्मनैया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान करदाताओं की संख्या 25 मिलियन हो जाने की संभावना थी;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार प्रत्याशित ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या बहुत से छोटे व्यवसायी कर के दायरे में आ गये थे;

(घ) यदि हां, तो क्या, आयकर प्राधिकारियों द्वारा छोटे और बहुत छोटे व्यावसायियों को परेशान किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो बहुत छोटे व्यवसाइयों को कराधान के दायरे में लाने की पात्रता के संबंध में क्या कोई कदम उठाए गए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) :

(क) जी हां। विभाग को 31.3.2000 को 25 मिलियन कर निर्धारितियों की प्रक्षेपित संख्या पर पहुंच जाने की संभावना थी। तथापि ऐसी संभावना को पूरा नहीं किया जा सका है।

(ख) दिनांक 31.3.2000 को करदाताओं की संख्या 21.4 मिलियन थी। देश को विभिन्न मुख्य आयुक्तों/महानिदेशक प्रभारों में विभाजित किया गया है। 31.3.2000 को करदाताओं का प्रभार–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) छोटे और बहुत छोटे व्यावसायियों को परेशान किए जाने की कोई विशेष घटनाएं विभाग के ध्यान में नहीं आई हैं।

विवरण

क्र. सं.	मु.आ/आ.क. महानिदेशक क्षेत्र	31.3.2000 को कर निर्धारिती
1	2	3
1.	मुंबई	503177
2.	मुबई–II	709251
3.	मुबई–III	722309
4.	आ.क.म.नि. (पूर्वी) कलकत्ता	35856
5.	दिल्ली	917872
6.	दिल्ली–II	321024
7.	दिल्ली–III	201280
8.	चंडीगढ़	1435028
9.	पंचकुला	623187
10.	कलकत्ता	1028910
11.	कलकत्ता–II	440940
12.	कलकत्ता–III	760609
13.	कानपुर	788337
14.	लखनऊ	847537
15.	पटना	938238
16.	गुवाहटी	469618
17.	भुवनेश्वर	305460
18.	अहमदाबाद	805987
19.	अहमदाबाद–II	984587
20.	भोपाल	1040014
21.	जयपुर	1080589
22.	पुणे	1983153
23.	बंगलौर	1102845
24.	कोचीन	585393
25.	हैदराबाद	953014
26.	चेन्नई	1139370
27.	चेन्नई–II	687396
28.	महानिदेशक (जांच) दिल्ली	3915
29.	महानिदेशक (जांच) उत्तर लखनऊ	1731
30.	महानिदेशक (जांच) दक्षिण बंगलौर	1730
31.	महानिदेशक (जांच) पूर्वी कलकत्ता	4545
32.	महानिदेशक (जांच) पश्चिम अहमदाबाद	1660
33.	महानिदेशक (जांच) मुंबई	3291
34.	महानिदेशक (जांच) चेन्नई	1719
	कुल योग	21429352

वित्तीय पुनर्संरचना प्राधिकरण का सृजन

7238. श्री राजैया मल्याला :
डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री मोइनुल हसन :
श्री अधीर चौधरी :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री भीम दाहाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बैंक को नियंत्रण करने वाले कानूनों में संशोधन करके वित्तीय पुनर्संरचना प्राधिकरण का सृजन करने का है जिसके पास कमजोर बैंकों के निदेशक मंडलों को बदलकर उनकी पुनर्संरचना को प्रभावी और सरल बनाने का अधिकार होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्मा कार्यकारी दल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) शेष सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार के इन प्रयासों से देश में कमजोर बैंकों को किस सीमा तक बचाया जा सकेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) किसी बैंक जिसे कमजोर अथवा सम्भाव्य रूप से कमजोर माना गया है, उसके संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन किया जाएगा ताकि भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों के आधार पर निदेशक मण्डल के अतिक्रमण और ऐसे बैंक के लिए वित्तीय पुनर्संरचना प्राधिकरण (एफएआर), जिसमें विशेषज्ञ और व्यवसायी सम्मिलित हैं, के गठन का प्रावधान किया जा सके। इन संशोधनों में एफ. आर. ए. बैंक के बोर्ड की सभी शक्तियों सहित विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करने में समर्थ होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र में कमजोर बैंकों के संबंध में वर्मा कार्यकारी दल ने तीन कमजोर बैंकों के विस्तृत पुर्नसंरचना का सुझाव दिया है, जिसमें उनकी परिचालन, संगठनात्मक वित्तीय और सवांगी पुनर्संरचना कवर होती है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को निर्देश दिया है कि वे वर्मा कार्यकारी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संबंधित बैंकों के लिए एक विस्तृत पुनसंरचना योजना तैयार करें।

(च) तीन बैंकों की विस्तृत पुनर्संरचना से आशा है कि उन्हें अर्धक्षम और वित्तीय रूप से सुदृढ़ होने में सहायता मिलेगी।

शुद्ध दार्जिलिंग लोगो वाली चाय

7239. डॉ. बोल्ला बुल्ली रमैया :

डॉ. मन्दा जगन्नाथ :

श्री के. येरननायडू :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी ब्लेनडरस और व्यापारियों द्वारा दार्जिलिंग चाय के लोगो का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से यूरोपीय बाजार में दार्जिलिंग चाय के व्यापार मार्का को सुरक्षित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। दार्जिलिंग लोगो का स्वामित्व भारतीय चाय बोर्ड के पास है और यह एक प्रमाणिकता ट्रेड मार्क/ट्रेड मार्क के रूप में यू. के., यू. एस. ए., कनाडा, जर्मनी, आस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, लक्षमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, जापान, और मिस्र में पंजीकृत है ताकि इस मार्क के होने वाले दुरुपयोग को रोका जा सके।

(ग) इसके अलावा चाय बोर्ड ने दार्जिलिंग जिले में उगायी गई उत्पादित तथा विनिर्मित चाय के लिए 'दार्जिलिंग' शब्द के पंजीकरण के लिए मुंबई और यू. के. ट्रेडमार्क पंजीयक के पास पंजीकरण कराने के लिए कदम उठाए हैं।

तम्बाकू बोर्ड

7240. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तम्बाकू बोर्ड में राज्य-वार कितने किसान पंजीकृत हैं;

(ख) वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान तम्बाकू का राज्यवार उत्पादन कितना था;

(ग) क्या सरकार ने देश में उगाये जाने वाले इस प्रकार के तम्बाकू की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन प्रयासों के क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) देश में तम्बाकू बोर्ड के पास पंजीकृत किसानों की राज्यवार (वर्ष 1999—2000 के मौसम में) संख्या निम्नानुसार है:

राज्य	आंध्र प्रदेश	महाराष्ट्र	उड़ीसा	कर्नाटक	कुल
किसानों की संख्या	44436	60	128	18427	63051

(ख) वर्ष 1998—99 और 1999—2000 के दौरान तम्बाकू का सदृश उत्पादन निम्नानुसार है:—

राज्य का नाम	अनुमानित उत्पादन मी. कि.ग्रा.		
	1997—98	1998—99	1999—2000 (अ)
आंध्र प्रदेश	130.95	148.81	137.98
महाराष्ट्र	0.21	0.24	0.20
उड़ीसा	0.45	0.55	0.50
कर्नाटक	45.64	54.89	48.00
योग	177.25	204.49	186.68

(ग) जी, हां।

(घ) भारत में एफसीवी तम्बाकू की उपज और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है:

(i) तम्बाकू उपजकर्त्ताओं को प्रामाणिक व अनुमोदित/बीजों, उर्वरकों, सिंचाई के उपकरणों, कीटनाशकों, चूषक कीट नाशकों, कोयला ब्रिकेटों, तिरपालों और छिड़काव के उपकरणों जैसी निविष्टियों की आपूर्ति करना।

(ii) सीटीआरआई द्वारा संस्तुत प्रक्रिया संबंधी पैकेजों और उन्नत किस्मों का उपयोग हेतु किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/बैठकें आयोजित करना।

(iii) तम्बाकू उत्पादन के प्रयोजन से किसानों के लिए बैंक ऋणों का प्रबंध करना।

(iv) तम्बाकू की क्योरिंग के लिए जरूरतमंद उपजकर्त्ताओं को खत्ता स्थल पर कोयला एवं ब्रिकेटों की आपूर्ति करना और क्योरिंग लागत को कम करने के लिए खत्तों की छत को ऊष्मारोधी बनाने के लिए इमदाद प्रदान करना तथा तम्बाकू की क्योरिंग के लिए ईंधन को बचाने के प्रयोजन से भट्ठी की उन्नत डिजाइनों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना।

(v) मृदा व जल के नमूनों का विश्लेषण करना और किसानों को उसकी उपयुक्ता तथा उर्वरकों की आवश्यकता के बारे में सलाह देना।

(vi) प्रदर्शन परीक्षणों के जरिए उच्च उपज वाली रोग—प्रतिरोधी किस्मों के प्रचार में सीटीआरआई के साथ समन्वयन करना।

(vii) सभी किसानों को तम्बाकू की खेती के बारे में स्थानीय भाषा में बुकलेट एवं पैम्फलेट वितरित करना।

(viii) पत्ती के नमूनों का विश्लेषण करके तम्बाकू की पत्ती पर से कीटनाशी अपशिष्टों पर लगातार निगरानी रखना और किसानों को ठीक ढंग से जानकारी देकर अपशिष्ट स्तर को कम करने का उपाय करना।

(ix) तम्बाकू की फसल को जीवन रक्षक सिंचाई मुहैया करने के लिए माइक्रो—फार्म तालाबों और चैक बांधों जैसी जल संग्रहण संरचनाओं के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना।

(ङ) सीटीआरआई के प्रमुख अनुसंधान प्रयासों और बोर्ड एवं सीटीआरआई द्वारा एफसीवी तम्बाकू के उपजकर्त्ताओं को आधुनिक प्रौद्योगिकीयों का हस्तांतरण करने में किए गए संयुक्त विस्तार प्रयासों के फलस्वरूप 1960 में 50 कि.ग्रा./है. के साथ 25% से 30% के ब्राइट ग्रेडों की उपज बढ़कर वर्तमान में 60% से 70% के साथ 1600 से 1800 कि.ग्रा./है. तक हो गयी है।

आधार संहिता का उल्लंघन

7241. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की न्यूनतम नैतिक मानकों का उल्लघंन करने वाले टी.वी. विज्ञापनों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उन विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अचार संहिता संबंधी समिति द्वारा जांचा जाता है तथा वर्ष 1999–2000 के दौरान ऐसे किन–किन विज्ञापनों को अचार संहिता का उल्लंघन करते पाया गया;

(ग) सरकार द्वारा आचार संहिता का उल्लघंन करने वाले केबल आपरेटरों तथा अन्य अभिकरणों द्वारा विदेशी एवं अन्य चैनलों से अपलिंकिंग द्वारा संस्कृति पर किए जा रहे हमले को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उपग्रह टी. वी. चैनलों को अपलिंकिंग अधिकार प्रदान करने से कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) दूरदर्शन की मौजूदा विज्ञापन संहिता के अनुसार, कोई भी ऐसे विज्ञापन जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ हिंसा अथवा अश्लीलता या महिलाओं की अपमानजनक छवि प्रस्तुत की गई हो, प्रसारित करने की अनुमति नहीं है। भारतीय उपग्रह चैनल जिन्हें भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी गई है, को भी इस संहिता का अनुपालन करना अपेक्षित है। केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिए कार्यक्रम प्रसारित करने पर गुप्त विदेशी उपग्रह चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना अपेक्षित है जो अन्य बातों के साथ–साथ हिंसा एवं अश्लीलता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने वाले विज्ञापन या महिलाओं की अपमानजनक छवि का प्रक्षेपण करने वाले विज्ञापनों पर भी रोक लगाता है। उक्त अधिनियम के इन प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार के स्थानीय प्राधिकारियों की है। आचार संहिता की कोई समिति नहीं है। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, वह सभी प्रस्तावित विज्ञापनों के कथाचित्रों का पूर्व दर्शन यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि ये दूरदर्शन की "वाणिज्यिक विज्ञापन" संहिता के अनुसार हों। यदि यह देखा जाता है कि दूरदर्शन के चैनल पर कोई अनुमोदित न किया गया विज्ञापन प्रसारित किया जाता है तो उक्त विज्ञापन का प्रसारण बन्द करने के अलावा संबंधित विज्ञापन एजेन्सी के ऊपर मानदण्डों के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है।

(ग) विदेशी उपग्रह चैनलों को कार्यक्रम संहिताओं सहित भारतीय कानून की परिधि में लाने के उद्देश्य से सरकार का अन्य बातों के साथ–साथ देश में निजी प्रसारण को विनियमित करने के लिए संसद के समक्ष एक व्यापक विधान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

(घ) जून, 1998 से निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों को भारत से अपलिंक करने की अनुमति दे दी गई है। वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान उपग्रह चैनलों को अपलिंकिंग की सुविधाओं से हुई वार्षिक राजस्व अर्जन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

	वार्षिक आय	1998–99	1999–2000
(क)	संचार मंत्रालय के बेतार योजना एवं समन्वयन स्कन्ध द्वारा अर्जित राजस्व।	1.3 करोड़	1.4 करोड़
(ख)	विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) द्वारा अर्जित राजस्व।	7.0 करोड़	16.0 करोड़
	कुल	8.3 करोड़	17.4 करोड़

[हिन्दी]

थोक मूल्य सूचकांक

7242. **श्री नवल किशोर राय :**

श्री अरुण कुमार :

डॉ. अशोक पटेल :

श्री रामपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मुद्रास्फीति की दर का पता लगाने के लिए थोक मूल्य सूचकांक की गणना हेतु कोई नई प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो अब थोक मूल्य सूचकांक की गणना करने हेतु उसमें कुल कितनी वस्तुएं शामिल की जाती हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या नई प्रणाली में कुछेक नई वस्तुएं शामिल की गई हैं, जो पुरानी प्रणाली में नहीं थीं; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और ऐसी कौन–कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें पुरानी प्रणाली से हटा दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):

(क) जी, हां। 1 अप्रैल, 2000 से आधार वर्ष 1993–94=100 वाली एक नई थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू. पी. आई.) श्रृंखला शुरू की गई है।

(ख) नए थोक मूल्य सूचकांक की संशोधित जिंस सूची (बास्केट) में 435 मदें सम्मिलित हैं। नई श्रृंखला के तीन प्रमुख जिंस समूहों और कुछ उप-समूहों के तहत सम्मिलित मदों की संख्या इस प्रकार है:–

	जिंस समूह	सम्मिलित मदें
i.	**प्राथमिक वस्तु समूह**	98
	खाद्य वस्तुएं	54
	खाद्य-भिन्न वस्तुएं	25
	खनिज	19
ii.	**ईंधन समूह**	19
	कोयला खनन	4
	खनिज तेल	10
	बिजली	5
iii.	**विनिर्मित उत्पाद समूह**	318
	खाद्य उत्पाद	41
	वस्त्र	29
	रसायन एवं रसायनिक उत्पाद	69
	गैर-धात्विक खनिज उत्पाद	9
	मूल धातुएं, मिश्र धातु और धातु उत्पाद	53

(ग) और (घ) वर्ष 1981–82 से अर्थव्यवस्था में हुई संरचनात्मक परिवर्तनों को परिलक्षित करने के लिए नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला में 136 नई जिंसों को जोड़ा गया है। पूर्व श्रृंखलाओं की 150 मदों को अर्थव्यवस्था में उनके उत्पादन के सापेक्ष मूल्य के रूप में महत्वपूर्ण न रह जाने के कारण हटा दिया गया है।

नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला में जोड़ी/हटाई गई मदों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:–

जिंस समूह	जोड़ी गई मदों की संख्या	हटाई गई मदों की संख्या
1	2	3
i. **प्राथमिक वस्तु समूह**	13	9
खाद्य वस्तुएं	9	शून्य
खाद्य-भिन्न वस्तुएं	शून्य	3
खनिज	4	6
ii. **ईंधन समूह**	1	2
कोयला खनन	शून्य	शून्य
खनिज तेल	शून्य	शून्य
बिजली	1	2
iii. **विनिर्मित उत्पाद**	122	139
खाद्य उत्पाद	9	13
वस्त्र	17	15
रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	23	31
गैर-धात्विक खनिज उत्पाद	शून्य	3
मूल धातुएं, मिश्र धातु और धातु उत्पाद	22	26
अन्य उप-समूह	51	51
जोड़	136	150

नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला में जोड़ी/हटाई गई कुछ मदों के नाम इस प्रकार हैं:–

जोड़ी गई मदें

1. **प्राथमिक समूह**

बैंगन, बंदगोभी, भिन्डी, फॉसफोराइट, फेल्सपर सेरामिक आदि।

2. **ईंधन समूह**

बिजली (रेलवे कर्षण)

3. **विनिर्मित समूह**

केक एवं मीठे रोल, खोई, अशोधित तेल, परिष्कृत चाय, वातित जल, सिंथेटिक तागा, मिश्रित कपड़ा, फिनोल, रोल फिल्में आदि।

हटाई गई मदें

1. प्राथमिक मदें

कच्ची सन, लाख, अभ्रक, कच्चा पेट्रोल आदि।

2. ईंधन समूह

बिजली (विशेष), बिजली (अन्य उपयोग)

3. विनिर्मित समूह

डिब्बाबंद दुग्ध चूर्ण, डिब्बाबंद जूस, कड़ा तेल, इनस्टेट काफी, पावरलूम कपड़ा, टुथब्रुश, क्राकरी, स्टेनलैस स्टील, रोड रोलर्स, रेफ्रीजरेटर्स (घरेलू), टेबल फैन आदि।

[अनुवाद]

बैंकों के लाभ/घाटे

7243. श्री चन्द्र भूषण सिंह :

श्री अमर रायप्रधान :

श्री थावरचन्द गेहलोत :

श्री मानसिंह पटेल :

श्री बृजमोहन राम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ख) घाटे के क्या कारण हैं;

(ग) इन घाटों के लिए जिम्मेदार बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी;

(घ) बैंक घाटों को रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाई गयी है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान ऋण वसूली न होने के कारण ऋण की बैंक-वार कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाली गयी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) दिनांक 31.3.99 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उठाए गए लाभ/हानियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-। में दिया गया है। केवल दो बैंक अर्थात इंडियन बैंक और यूको बैंक ने वर्ष 1998-99 के लिए निवल हानि उठाई है।

(ख) बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले कुछ कारण जमाराशियों की उच्च लागत, अग्रिमों पर निम्न आय, उच्च उपरि व्यय, बढ़ती हुई परिचालन लागत, अधिक स्टाफ, अनुपयोज्य आस्तियों का उच्च प्रभाव और वर्ष 1992-93 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण मानदण्डों के लागू करने के आलोक में प्रावधान करने की आवश्यकता है।

(ग) हानियां/अनुपयोज्य आस्तियां विभिन्न कारणों से होती हैं और उनमें से सभी में बैंकों के अधिकारियों पर उनकी क्रिया अथवा निष्क्रियता का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। कुछ कारण बैंक के दायरे से बाहर हैं और वे ऋण मूल्यांकन में कमी अथवा किसी अधिकारी की ओर से कपटपूर्ण कार्रवाई के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं। जब कोई खाता अशोध्य हो जाता है तो स्टाफ की जिम्मेदारी की भी जांच की जाती है और बैंकों द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) बैंकों/भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को शोध्य ऋणों की वसूली के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें बैंकों की वसूली नीति का गठन एवं कार्यान्वयन, सिविल न्यायालयों में वाद दायर करना, ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के मामले दर्ज करना, और अधिक ऋण वसूली अधिकरणों तथा ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों की स्थापना एवं इनका सुदृढ़ीकरण, निपटान सलाहकार समितियों के माध्यम से समझौता निपटान तथा अनुपयोज्य खातों की निगरानी एवं उनका अनवर्तन शामिल है।

इसके अतिरिक्त बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 में विभिन्न संशोधन करते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली (संशोधन) अधिनियम, 2000 जिसमें अधिकरणों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, बनाया गया है।

पहचाने गए तीन कमजोर बैंक जिनमें हानि उठाने वाले बैंक भी सम्मिलित हैं, से उनका अर्धक्षम पुनर्संरचना कार्यक्रम का मसौदा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण की बैंक-वार राशि को दर्शाने वाला विवरण-॥ संलग्न है।

विवरण-I

राष्ट्रीयकृत बैंक–लाभ/हानि की स्थिति

(करोड़ रुपए)

बैंक का नाम	31.3.1993 (*) की स्थिति		31.3.1994 की स्थिति		31.3.1995 की स्थिति		31.3.1996 की स्थिति		31.3.1997 की स्थिति		31.3.1998 की स्थिति		31.3.1999 की स्थिति	
	परि. लाभ	निवल लाभ	परि. लाभ	निवल लाभ	परि. लाभ	निवल लाभ	परि. लाभ	निवल लाभ	परि. लाभ	निवल लाभ	परि. लाभ	निवल लाभ	परि. लाभ	नवल लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
इलाहाबाहद बैंक	0.61	–105.88	22.84	–387.72	30.42	–76.36	103.21	5.62	184.28	64.30	227.49	129.21	233.68	135.00
आन्ध्रा बैंक	–34.10	–141.09	–18.68	–162.25	13.13	–43.57	61.67	11.07	87.56	35.70	155.25	75.25	156.52	90.04
बैंक आफ बड़ौदा	343.16	8.23	726.82	66.15	774.87	175.54	877.27	204.27	778.43	276.53	806.05	458.73	945.30	421.44
बैंक आफ इंडिया	108.01	–331.12	204.80	–1089.15	317.10	50.36	473.86	276.48	580.00	360.02	697.18	364.51	705.00	201.14
बैंक आफ महाराष्ट्र	–54.00	–198.51	–33.86	–298.93	26.98	–40.80	66.49	12.80	103.37	47.28	124.10	58.29	134.91	51.89
केनरा बैंक	461.56	26.07	319.54	120.35	552.27	204.10	684.63	252.52	654.20	147.40	672.52	203.02	957.41	225.06
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	–49.82	–383.31	–122.01	–711.93	49.18	–84.24	210.89	–73.53	299.59	150.63	360.71	174.89	298.75	146.25
कारपोरेशन बैंक	47.83	4.12	108.22	27.04	174.03	72.55	216.10	104.75	245.95	125.13	302.85	166.87	305.96	192.03
देना बैंक	2.92	–90.46	39.39	–69.84	68.80	30.02	145.49	51.69	194.04	72.91	273.61	105.04	216.01	110.09
इंडियन बैंक	112.10	6.50	49.78	–390.65	75.12	14.26	–223.68	–1336.40	–138.36	–389.09	–209.50	–301.50	–163.24	–778.50
इंडियन आवरसीज बैंक	–46.33	–752.74	45.86	–351.18	75.19	10.39	21.95	3.20	129.45	104.51	154.34	113.06	142.98	55.34
ओरि. बैंक आफ कामर्स	56.37	20.50	109.54	32.11	194.77	113.36	276.14	172.75	300.70	180.25	337.36	210.00	366.05	230.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
पंजाब एंड सिंध बैंक	-70.68	-195.19	-6.06	-175.99	40.97	-7.42	8.40	-132.18	56.63	20.00	100.07	65.09	91.73	60.45
पंजाब नेशनल बैंक	258.43	38.01	287.59	74.52	321.27	85.79	384.28	-95.92	620.00	238.00	801.11	477.35	821.27	372.12
सिंडिकेट बैंक	-104.07	-670.08	4.05	-299.40	14.29	-91.79	99.40	20.17	98.65	86.96	135.40	82.66	186.06	142.58
यूको बैंक	-113.35	-444.19	-161.82	-546.45	36.63	-83.81	-26.13	-236.66	-72.76	-176.23	15.04	-96.22	38.36	-67.77
यूनियन बैंक आफ इंडिया	70.47	11.26	163.26	50.27	285.25	106.48	311.02	80.49	341.32	215.68	349.53	250.10	309.98	160.22
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	-121.37	-279.36	-119.00	-618.06	-82.73	-197.23	-50.24	-234.46	-54.97	-113.64	164.31	9.62	46.40	14.70
विजया बैंक	3.98	-97.88	40.53	4.10	77.58	31.70	4.91	-250.95	34.77	18.96	63.75	23.31	116.14	30.23
राष्ट्री. बैंकों का कुल लाभ	1465.44	114.89	2122.22	374.54	3127.85	894.55	3945.71	1195.61	4706.91	2124.44	5740.69	2965.00	6092.51	2636.70
राष्ट्री. बैंकों की कुल हानि	-593.72	-3687.81	-461.41	-5079.55	-82.73	-625.22	-300.05	-2360.10	-266.09	-678.96	-209.50	-397.72	-168.24	-646.27
सर. क्षेत्र के बैंकों का कुल लाभ	3729.14	394.73	4157.64	730.58	5711.06	1741.04	7868.92	2219.05	9164.72	3774.38	10521.30	5424.77	10740.57	4104.36
सर. क्षेत्र के बैंकों की कुल हानि	-593.72	-3687.81	-461.41	-5079.55	-82.73	-625.22	-300.05	-2590.41	-266.09	-678.96	-209.50	-397.72	-163.24	-646.27
सर क्षेत्र के बैंकों की निवल स्थिति	3135.42	-3293.08	3696.23	-4348.97	5628.33	1115.82	7568.87	-371.36	8898.63	3095.42	10311.80	5027.05	10577.33	3258.09

स्रोत : तुलन पत्र

(*) न्यू बैंक आफ इंडिया के अलावा

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण।

(राशि करोड़ रुपए)

बैंक का नाम	1996–97	1997–98	1998–99
इलाहाबाद बैंक	21.39	46.61	88.42
आन्ध्रा बैंक	37.42	72.58	17.91
बैंक ऑफ बड़ौदा	70.17	157.30	41.53
बैंक ऑफ इंडिया	217.15	309.29	325.22
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	47.30	121.26	126.40
केनरा बैंक	18.20	47.18	468.50
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	156.83	154.62	253.62
कारपोरेशन बैंक	0.94	13.69	40.56
देना बैंक	58.76	67.87	83.54
इंडियन बैंक	10.28	1.37	10.38
इंडियन ओवरसीज बैंक	375.73	201.76	72.02
ओरि. बैंक आफ कामर्स	46.22	0.13	1.81
पंजाब नेशनल बैंक	150.34	372.70	218.66
पंजाब एंड सिंध बैंक	9.93	16.98	10.29
सिंडिकेट बैंक	58.79	109.16	75.73
यूनियन बैंक आफ इंडिया	30.57	16.55	63.72
यूको बैंक	220.57	176.34	176.74
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	65.48	29.90	18.84
विजया बैंक	12.72	6.72	4.96

टिप्पणी : अशोध्य ऋणों में अन्य हानि/बट्टे खाते डाली गई आस्ति सम्मिलित है।

गरीबी दर

7244. **श्री अशोक ना. मोहोल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने "वर्ल्ड इकोंनामिक आउटलुक" नामक अपनी रिपोर्ट के माध्यम से भारत सरकार का ध्यान देश में असमान प्रगति और ऊंची गरीबी दर की ओर आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा की गई आलोचना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में गरीबी को समाप्त कर विश्व स्तर के अनुरूप करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) "वर्ल्ड इकोंनामिक आउटलुक" (फरवरी, 2000) के हाल ही में एक अंक में यह कहा गया है कि भारत गत दो दशकों के दौरान विश्व की तेजी से विकसित होती जा रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है और इसने विकास, साक्षरता, मृत्यु और निर्धनता दरों में विनिर्दिष्ट दिशा में सुधार प्राप्त किया है। हाल के वर्षों में मौद्रिक नीति की दक्षता से संचालित करने से भारत को अपनी मुद्रा स्फीति को कम बनाए रखते हुए और विदेशी स्थिति को सहज रखते हुए एशियाई संकट की सफलता–पूर्वक बरदाश्त करने में सहायता मिली है। लेकिन, इन लाभों के बावजूद भी गरीबी की दरें उच्च स्तर पर बनी हुई हैं और एक–तिहाई से भी अधिक जनसंख्या अभी भी आधिकारिक गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रही है।

इसके अतिरिक्त, गरीबी की दर बहुत ऊंची बनी रही है और 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के दौरान गिरावट की प्रभावोतपादक दर में शिथिलता रही है। यह निष्कर्ष आंशिक रूप से 1990 के दशक के दौरान कृषि क्षेत्र के सापेक्षतया खराब निष्पादन को प्रतिबिम्बित करता है, चूंकि श्रम बल का लगभग 70 प्रतिशत अभी भी अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के विशेष उद्देश्य हैं–

(i) यथेष्ट उत्पादनकारी रोजगार सृजित करना और गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना; (ii) कीमतों में स्थिरता लाते हुए अर्थव्यवस्था की विकास की दर को तीव्र गति प्रदान करना (iii) सभी के लिए खाद्य और पोषाहार की सुरक्षा सुनिश्चित करना, विशेष रूप से समाज के असुरक्षित वर्गों के लिए और (iv) शुद्ध पेय जल, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, आवास जैसी न्यूनतम बुनियादी सेवाएं मुहैया कराना; और इससे एक

समयबद्ध प्रक्रिया में सभी को सम्बद्ध करने से देश में विकास की प्रक्रिया में तेजी आने की आशा है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कुछ उपायों का विस्तृत ब्यौरा नौवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है।

लुंगियों के उत्पादन के लिए विद्युतकरघों पर से प्रतिबंध उठाया जाना

7245. **श्री ए. कृष्णास्वामी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नई नीति के तहत लुंगियों के उत्पादन में विद्युतकरघों पर लगे प्रतिबंध को हटाये जाने के फलस्वरूप लाखों हस्तकरघा बुनकर/श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इस नीति के लाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) सरकार ने लुंगियों का निर्माण करने के लिए विद्युतकरघा पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाया है, इसलिए इस कारण से हथकरघा बुनकरों/कामगारों के बेरोजगार हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सिडबी द्वारा दूरसंचार क्षेत्र को सुविधायें

7246. **श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सिडबी" की निजी टेलीफोन केन्द्रों को इन्टरनेट तथा ई-मेल सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी पी. सी. ओ. का चयन किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कुछ सेवाओं को शामिल करने के लिए पुनर्वित्त योजना के पात्रता मानदण्डों में विस्तार किया है जो सिडबी की पुनर्वित्त योजना के अन्य मानदण्डों एवं पैरामीटर को पूरा करेंगे। वर्तमान पब्लिक कॉल आफिस/सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग (पीसीओ)/एसटीडी) बूथ के साइबर कैफे में उन्नयन होने से ये पुनर्वित्त योजना के अधीन सहायता लेने के पात्र होंगे। सिडबी द्वारा कुछ ऋण संस्थाओं यथा वाणिज्यिक बैंकों एवं राज्य वित्तीय निगमों से नियमित आधार पर इन क्रियाकलापों के पुनर्वित्त के लिए आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इन क्रियाकलापों को सिडबी से पुनर्वित्त के लिए हाल ही में पात्रता दी गई है। 31.3. 2000 की स्थिति के अनुसार सिडबी से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार कुछ (पीएलआई) के संबंध में 61 आवेदनों को 3.48 करोड़ रुपए तक का पुनर्वित्त स्वीकृत किया जा चुका है। तथा इन स्वीकृतियों के लिए 96 लाख रुपये की राशि संवितरित की जा चुकी है।

निर्यातकों को सुविधाएं

7247. **श्री रामशकल** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए पत्तन, विद्युत, संचार, परिवहन और निर्यातकों को जरूरी रियायती ऋणों जैसी मौजूदा आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में निर्यातकों के समक्ष आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकार बुनियादी सुविधाओं के निरंतर सुदृढ़ीकरण में ठोस कार्रवाई कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय इस प्रयोजनार्थ अन्य मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के साथ निकट समन्वय बनाए रखता है। इस मंत्रालय में वायु भाड़े (स्कोप-एयर) समुद्री वहन कार्गो (स्कोप शिपिंग) के संबंध में निर्यात संवर्धन संबंधी स्थायी समितियां कार्यरत हैं। ये समितियां निर्यात परिवहन में आने वाली अड़चनों का निराकरण करने और बुनियादी सुविधाओं में दीर्घकालीन सुदृढ़ीकरण के बारे में सलाह देने में मदद करती है। भूतल परिवहन मंत्रालय पत्तन संबंधी बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन कर रहा है। सामानों के कन्टेनर परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को सुकर बनाने के लिए देश के विभिन्न पत्तनों में अंतरदेशीय कन्टेनर डिपो (आई सी डी) और

कन्टेनर फ्रैट स्टेशनों (सीएफएस) की स्थापना की जा रही है। एक अंतर-मंत्रालयी समिति इन आईसीडी और सीएफएस की स्थापना के लिए एकल-खिड़की निकासी की स्वीकृति प्रदान करती है। वायु भाड़े की अबाधित निकासी की मंजूरी प्रदान करने के लिए एक खुली नीति अपनाई गई है। राजमार्गों का उन्नयन करने में, आईसीडी/सीएफएस, भण्डारागारों, इत्यादि की स्थापना करने में और पत्तनों, वायु पत्तनों में बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने में निजी उपायों में तेजी लायी जा रही है।

सौदों में तेजी लाने और डीजीएफटी के कार्यालयों में पारदर्शिता लाने के लिए 7 प्रमुख पत्तनों में आवेदनों को इलैक्ट्रानिक रूप से दायर करने का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है और इसका विस्तार शेष सभी पत्तनों तक किया जा रहा है। जिससे 24 घण्टों के भीतर निर्यातकों को लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अन्य सरकारी संगठनों के साथ प्रस्तावित इलैक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज के साथ ही लेन-देन में लगने वाले समय और इसकी लागत में पर्याप्त रूप से कमी आएगी।

आरबीआई की योजनाओं के अंतर्गत रुपए और विदेशी मुद्रा दोनों में पोत लदान-पूर्व और पोत लदान-पश्चात् की अवस्थाओं में निर्यातकों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रियायती ब्याज दरों पर ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। निर्यात क्षेत्र को ऋण की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, आरबीआई रुपया योजना और विदेशी मुद्रा योजनाओं अर्थात विदेशी मुद्रा के पोत लदान-पूर्व ऋण (पीईएफसी) और विदेशों में निर्यात बिलों को पुनः रियायत (ईबीआर) दोनों के अंतर्गत निर्यात क्षेत्र को ऋण के प्रवाह पर निकट से निगरानी रख रहा है। निर्यातकों को समय पर निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने नए/बढ़े हुए/तदर्थ ऋण सीमाओं की मंजूरी और मौजूदा ऋण सीमाओं के नवीकरण के लिए भी बैंकों हेतु समय-सीमा निर्धारित की है। बैंकों द्वारा यह अपेक्षित है कि वे पूर्ण आंकड़ों और वित्तीय लेखाओं वाले आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से 45 दिवसों के भीतर निर्यातों का वित्तपोषण करने हेतु नई/बढ़ी हुई ऋण सीमाओं की मंजूरी प्रदान करें। ऋण सीमाओं के नवीकरण और तदर्थ ऋण सुविधाओं की स्वीकृति के मामले में बैंकों द्वारा यह अपेक्षित है कि वे संगत विवरण वाले आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से क्रमशः 30 दिनों और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करें। निर्यात ऋणों की अस्वीकृति के सभी मामले ऐसी अस्वीकृति के कारणों के साथ बैंकों के मुख्य कार्यपालक के ध्यान में लाई जानी चाहिए। बैंकों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे यह देखें कि बैंक वित्त के अभाव में कोई निर्यात आर्डर बेकार न जाये।

वर्ष 1999-2000 की वित्तीय एवं ऋण नीति की समीक्षा करते समय आरबीआई द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) 29.10.99 से आयात वित्त पर 30% ब्याज दर का प्रभार वापस लेने का निर्णय लिया गया है (जो जनवरी 1998 से प्रभावी था) इससे उद्योग के लिए आयातों के पोत्त पोषण लागत में कमी आएगी।

(ii) बैंकों द्वारा यह अपेक्षित है कि वे अतिदेय निर्यात बिलों पर न्यूनतम 20% ब्याज दर लगाएं। यह व्यवस्था 29.10.99 से वापस ले ली गई है और अब से आगे बैंकों को अतिदेय निर्यात बिलों पर उचित ब्याज दर तय करने की स्वतंत्रता होगी।

[अनुवाद]

एंटी डम्पिंग लेजिस्लेशन

7248. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एंटी डम्पिंग कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश में भारतीय सामान के उत्पादन और विपणन की सुरक्षा किस सीमा तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) 1995 में यथा-संशोधित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा-9,और उसके तहत बनाए गए नियम, केन्द्रीय सरकार को पाटनरोधी शुल्क लगाने का अधिकार प्रदान करते हैं।

(ग) सीमाशुल्क टैरिफ नियमों के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटन की मौजूदगी और उसकी मात्रा की जांच करता है और लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अपने अनन्तिम तथा/अथवा अंतिम जांच-परिणाम केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करता है। यह एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी भी घरेलू उद्योग द्वारा आरोपित पाटन और क्षति की नई याचिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं, तो क्रियाविधियों के अनुसार और पाटनरोधी नियमों के तहत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उन पर कार्रवाई की जाती है। निदेशालय द्वारा की गई उक्त कार्रवाई से घरेलू उद्योग को भारत में वस्तुओं के पाटन के खिलाफ सुरक्षा मिलती है।

साधारण बीमा निगम का सतर्कता विभाग

7249. श्री भेरूलाल मीणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों में सतर्कता विभागों का संगठनात्मक ढांचा क्या है;

(ख) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान संबंधित सतर्कता आयोगों द्वारा कम्पनी वार कितने मामलों की जांच की गई तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में लम्बित मामलों का वर्ष–वार और कम्पनी–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सतर्कता विभाग को मामलों को कितने समय तक लम्बित रखने की अनुमति है;

(ङ) यदि हां, तो आज की तिथि तक ऐसे लम्बित मामलों का कम्पनी–वार ब्यौरा क्या है जो 1990 और उससे पहले के हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(च) साधारण बीमा निगम की प्रत्येक सहायक कम्पनी में सतर्कता मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय साधारण बीमा निगम (जी. आई. सी.) के सतर्कता विभाग की अध्यक्षता मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) द्वारा की जाती है जिनकी सहायता मुख्य कार्यालय के कुछ अधिकारी करते हैं। जी.आई.सी. की प्रत्येक अनुषंगी कम्पनी के सतर्कता विभाग की अध्यक्षता अलग–अलग मुख्य सतर्कता अधिकारी दारा की जाती है जिनकी सहायता मुख्य कार्यालय के अधिकारियों के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर के सतर्कता अधिकारी करते हैं।

(ख) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान जी.आई.सी. और अनुषंगी कम्पनियों के सतर्कता विभाग द्वारा जांच–पड़ताल किए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है:–

कम्पनी	मामलों की संख्या	जांच पड़ताल किए गए
1	2	3
	1998-99	1999-2000
जी. आई. सी.	15	6
नेशनल	86	97
न्यू इंडिया	326	384
ओरियन्टल	144	101
यूनाइटेड इंडिया	196	114
जोड़	767	702

जांच पड़ताल के इन मामलों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

कम्पनी	वर्ष 1998–99 के दौरान मामलों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा		
	नियमित विभागीय कार्रवाई	प्रशासनिक कार्रवाई	कार्रवाई पूर्ण की गई
जी. आई. सी.	शून्य	1	14
नेशनल	64	3	6
न्यू इंडिया	104	15	166
ओरियन्टल	74	8	62
यूनाइटेड इंडिया	104	4	88
जोड़	346	31	336

वर्ष 1999–2000 के दौरान की गई कार्रवाई के ब्यौरे

कम्पनी	वर्ष 1999–2000 के दौरान उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे		
	नियमित विभागीय कार्रवाई	प्रशासनिक कार्रवाई	कार्रवाई पूरी हुई
जी.आई.सी.	2	2	2
नेशनल	66	2	4
न्यू इंडिया	84	54	185
ओरियन्टल	37	15	49
युनाइटेड इंडिया	73	9	32
जोड़	262	82	272

(ग) 31.3.99 और 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार लम्बित मामलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

(i) **लंबित जांच**

कम्पनी	31.3.99 की स्थिति के अनुसार	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार
जी. आई. सी.	3	शून्य
नेशनल	1	शून्य
न्यू इंडिया	48	78
ओरियन्टल	4	46
यूनाइटेड इंडिया	21	50
कुल	77	174

(ii) **लम्बित नियमित विभागीय कार्रवाई**

कम्पनी	31.3.99 की स्थिति के अनुसार	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार
जी. आई. सी.	1	3
नेशनल	88	65
न्यू इंडिया	92	90
ओरियन्टल	94	77
यूनाइटेड इंडिया	95	110
कुल	370	345

(घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए मार्ग–निर्देशों के अनुसार मामलों को यथाशीघ्र निपटाया जाता है।

(ङ) नियमित विभागीय कार्रवाई वाले मामलों की संख्या, जो 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार 1 वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे और 1990 से चल रहे थे, इस प्रकार हैं:–

कम्पनी	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार
जी. आई. सी.	1
नेशनल	14
न्यू इंडिया	41
ओरियन्टल	37
यूनाइटेड इंडिया	68
जोड़	161

अधिकतर आर. डी. ए. मामले मुख्यतया अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा अपनाए जा रहे देरी करने के दांवपेचों के कारण ही जांच अधिकारियों के पास लंबित पड़े हैं।

(च) मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मुख्य कार्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर भी नियमित अन्तरालों पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। मामलों को निर्धारित समयावधि में निपटाने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी किए जाते हैं।

कॉफी के मूल्य में गिरावट

7250. **श्री पी. सी. थामस** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कॉफी के मूल्यों में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस कठिनाई में कॉफी उत्पादकों की सहायता करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार मुक्त आयात सूची के अंतर्गत आयातित कॉफी उत्पादों पर पाटन रोधी शुल्क लगाकर देशी कॉफी उत्पादों को पुनः उपयोग में लाने का विचार रखती है; और

(ङ) सरकार द्वारा कॉफी उत्पादकों की सहायता करने के लिए क्या–क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) हाल के महीनों में अधिक उत्पादन की वजह से कॉफी की अधिक आपूर्ति के कारण कॉफी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आई है। चूंकि भारत में उत्पादित कॉफी के लगभग 80% भाग का निर्यात किया जाता है इसलिए, घरेलू कीमतें काफी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से प्रभावित होती हैं और उन पर निर्भर करती हैं। अतः भारतीय कॉफी उत्पादक आज वैसी लाभकारी कीमतें प्राप्त नहीं कर रहे हैं जो कि वे 2–3 वर्ष पहले प्राप्त कर रहे थे। विशेषकर रोबस्टा के मामले में, कॉफी फार्म स्तर पर कीमतें उत्पादन लागत के स्तर से थोड़ी सी ऊपर चल रही हैं।

(ग) और (घ) कॉफी व्यापार के उदारीकरण के परिणामस्वरूप, कॉफी बोर्ड अब विपणन संबंधी गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है। तथापि, भारत सरकार कॉफी बोर्ड के माध्यम से

कॉफी बोर्ड के माध्यम से बाजार/कीमत की स्थिति पर बराबर निगरानी रखती है और यदि स्थिति के अनुसार आवश्यक होता है, तो वह कॉफी उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए समुचित सुधारात्मक उपाय करेगी।

कॉफी के आयात को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने हाल ही में काफी पर आयात शुल्क को 15% से बढ़ाकर 35% कर दिया है।

(ङ) भारत सरकार काफी बोर्ड के माध्यम से गहन खेती, पुनर्रोपण, गुणवत्ता सुधार तथा जल संवर्धन के उद्देश्य से कई योजना स्कीमों को चलाने और विकासपरक क्रियाकलापों के अलावा, कृषि अनुसंधान, विस्तार, ऋण तथा वित्त के प्रबंध और रोपण उद्देश्यों के लिए बीज की आपूर्ति जैसी अन्य आवश्यक सहायता के रूप में आवश्यक सहायता भी उपलब्ध करवा रही है।

[हिन्दी]

आयकर/सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क कर्मचारियों का भ्रष्टाचार और आयकर वंचन

7251. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद–कुर कर्मचारियों पर ज्ञात आय स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखने के मामलों पर निगरानी रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और आयकर वंचन के कितने आरोप लगाए गए; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्व विभाग में एक सतर्कता तंत्र है जो राजस्व मुख्यालय में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी और दोनों बोर्डों में प्रत्येक में एक–एक मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहा हैं। क्षेत्रीय स्तर पर सभी विभागाध्यक्ष केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के विभिन्न उपबन्धों के माध्यम से कड़ी निगरानी रखते हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मामलों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या नीचे दी जा रही है:

	1997	1998	1999
आयकर	23	18	19
सीमा शुल्क	27	21	36
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	18	17	20

(घ) ऐसे सभी मामलों में आरोप–पत्र दायरे करने/विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए कार्रवाई की गई है जिनमें जांच पूरी कर ली गई है।

[अनुवाद]

लघु बचतें

7252. श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की पूंजी प्राप्तियों के हिस्से के रूप में लघु बचतों में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) लघु बचतों में भारी कमी के कारण प्राप्तियों में हुए अन्तर को पूरा करने के बारे में सरकार की नीति क्या है; और

(घ) सरकार की पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधन जुटाने के लिए लघु बचतों पर निर्भरता कम होने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन और आकाशवाणी में अनु.जा. और अनु. जनजा. के लिए पदों का आरक्षण

7253. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्री ब्रजमोहन राम :

श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेडी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन और आकाशवाणी में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों सहित कितनी है;

(ख) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ग) क्या सभी श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण नियमों का अनुपालन नहीं हो रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) दूरदर्शन और आकाशवाणी में अनु.जा. और अनु.जनजा. के लिए आरक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों की रिक्तियों की संख्या कितनी है;

(च) क्या सरकार का विचार उक्त रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) प्रसार भारती के कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार ने नैमित्तिक कार्यरत कार्मिकों को अस्थायी दर्जा देने और उन्हें नियमित करने से संबंधित कार्यवाही भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 51016/2/90–स्था. (सी) के अनुसार की जाती है।

(ग) विभिन्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित आरक्षण नियमों को संकलित किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात और धातुकर्म कोक परियोजना

7254. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम देश में कुछ इस्पात और धातु कर्म कोक परियोजनायें स्थापित करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन–कौन से स्थानों पर ये परियोजनाएं स्थापित करना प्रस्तावित है; और

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) एम एम टी सी द्वारा एक एकीकृत इस्पात संयंत्र नामतः, मै. नीलाचल इस्पात निगम लि. (एन आई एन एल) तथा मै. कोणार्क मेट कोक लि. (के एम सी एल) की स्थापना की जा रही है। एम एम टी सी द्वारा इस परियोजना का विकास उड़ीसा सरकार के एक उपक्रम उड़ीसा औद्योगिक संवर्धन एवं निवेश निगम (आई पी आई पी ओ एल) के साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस परियोजना से 1.1 मिलियन टन ढलवां इस्पात, स्टील बिलेट और वायर रॉड का उत्पादन होगा जबकि के एम सी एल की उत्पादन क्षमता 0.81 मिलियन टन धातुकर्मी कोक तथा उड़ीसा राज्य में 55 एम डब्ल्यू विद्युत उत्पादन करने की है। यह संयंत्र उड़ीसा राज्य में कलिंग नगर औद्योगिक काम्पलेक्स, डुबरी जिला, जाजपुर में स्थापित किया जा रहा है। एन आई एन एल के एकीकृत लौह अयस्क तथा इस्पात संयंत्र में कई उप–संयंत्र सम्मिलित होंगे जैसे कि लोहा बनाने के लिए ब्लास्ट भट्टी, इस्पात निर्माण हेतु मूल ऑक्सीजन भट्टी, बिलेट ढलाई शॉप तथा वायर रॉड बनाने के लिए वायर राड मिल, ब्लास्ट भट्टी हेतु सिंटर बनाने के लिए सिंटर संयंत्र इत्यादि।

(ग) एन आई एन एल परियोजना की अनुमानित लागत 1510 करोड़ रुपए है तथा के एम सी एल की अनुमानित लागत 480 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

कोयला क्षेत्र में विदेशी/घरेलू निवेश

7255. डॉ. संजय पासवान : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोयला लिग्नाइट और अन्य खनिजों के क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी और घरेलू निवेश आमंत्रित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस निर्णय से भारतीय कोयला कंपनियों पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय कोयला कंपनियों को व्यवहार्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने कोल इंडिया लि. की हानि उठा रही सहायक कंपनियों का पुनरुद्धार करने और उन्हें व्यवहार्य बनाने के लिए कोई ठोस रणनीति/कार्य योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) कोयला क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने अथवा प्रचालित करने वाली निजी भारतीय कंपनियों के साथ-साथ ऐसी परियोजनाओं में ग्रहीत उपभोग के लिए कोयला अथवा लिग्नाइट खानों को 100% तक विदेशी इक्विटी की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उनके द्वारा उत्पादित कोयला अथवा लिग्नाइट पूर्णतः विद्युत उत्पादन में ग्रहीत उपभोग के लिए हो। सरकार ने भी भारत कोयला संसाधक संयंत्रों की स्थापना के लिए विदेशी कंपनी की भरतीय अनुषंगी कंपनी की इक्विटी में अथवा भारतीय कंपनी की इक्विटी में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश किए जाने का अनुमोदन इस शर्त पर दिया है कि ऐसी भारतीय अनुषंगी कंपनी अथवा भारतीय कंपनी (क) कोयला खनन नहीं करेगी और (ख) धोने अथवा आकारीकृत करने के लिए ऐसे कोयला संसाधक संयंत्रों का कच्चा कोयला भेजने वाली संबद्ध पार्टियों को वे कंपनियां कोयला संसाधक संयंत्रों से धुले कोयले अथवा आकारीकृत कोयला नहीं बेचेंगी। लौह और इस्पात के उत्पादन तथा सीमेंट के उत्पादन के लिए ग्रहीत उपभोग हेतु कोयला और लिग्नाइट के अन्वेक्षण अथवा खनन से जुड़ी अन्य निजी भारतीय कंपनी को 74 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अन्य खनिजों के संबंध में सभी खनिजों (हीरा व बेशकीमती पत्थरों को छोड़कर) के लिए स्वचालित मार्ग पर 100 प्रतिशत तक धारण करने वाली विदेशी इक्विटी को सरकार ने अनुमोदन दे दिया है। इसके अंतर्गत अन्वेषण, खनन, खनिज संसाधन और धातु विज्ञान आते हैं। हीरे और बेशकीमती पत्थरों के मामले में अन्वेषण और खनन प्रचालनों, दोनों के लिए स्वचालित मार्ग में 74 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी की अनुमति दी जाएगी।

(ग) से (ङ) कोल इंडिया लि. ने अपनी 3 घाटा उठाने वाली अनुषंगी कंपनियों, अर्थात् ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईकोलि), भारत कोकिंग कोल लि. (भाकोकोलि) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सेकोलि) के पुनरुद्धार का प्रयास करते हुए आई सी आई सी आई और आईडीबीआई/पीडब्ल्यू सी को उनकी सेवाओं के लिए नियोजित किया है। ई को लि के संबंध में आई सी आई सी आई ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आई सी आई सी आई की सिफारिशों के आधार पर ई को लि के पुनरुद्धार का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

साइकिलों का निर्यात

7256. **श्री पी. एच. पांडियन** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1999-2000 के दौरान विदेशों को कितनी महिलाओं की साइकिलों और पुरुषों की साइकिलों का निर्यात किया गया;

(ख) ऐसी साइकिलों का नियात करने वाले राज्य कौन से हैं; और

(ग) वे कौन-कौन से देश हैं, जिन्हें साइकिलों का निर्यात किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) अप्रैल, 1999 से सितम्बर 1999 की अवधि के दौरान कुल 7,16,322 साइकिलों (जो आई टी सी एच एस कोड सं. 87120001 के अंतर्गत आती है) का निर्यात मुख्य रूप से पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा गुजरात से किया गया है। प्रमुख गंतव्य देश ब्राजील, जर्मनी, गुनिया, केन्या, मलावी, माली, मोजाम्बिक, नेपाल, नाईजीरिया, श्रीलंका तथा यूनाईटेड किंगडम थे।

फाइबर अनुपात

7257. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारतीय वस्त्र उद्योग के मानव-निर्मित फाइबर में विश्व औसत के मुकाबले काटन का अनुपात कितना है;

(ख) क्या मानव-निर्मित फाइबरों के प्रयोग में वृद्धि करने की कोई गुंजाईश है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं:

(घ) क्या सरकार का विचार उच्च गुणवत्ता वाले काटन/काटन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) मानव-निर्मित फाईबर/यार्न के लिए कपास की खपत का अनुपात विश्व के 46:54 के अनुपात की तुलना में भारत में 60:40 है।

(ख) से (ङ) वस्त्रों की खपत/उपयोग मुख्य रूप से लागत, गुणवत्ता, उपभोक्ता की रुचियों, वातावरण आदि पर निर्भर करती है। हालांकि, गैर-सूती फाईबर/यार्न की खपत की तुलना में सूती फाईबर की खपत का अनुपात निरन्तर गैर/सूती फाईबर/यार्न के पक्ष में बढ़ता जा रहा है। कपास/उच्च मूल्यवर्द्धक कपास उत्पादों का निर्यात विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है, अर्थात मूल्य स्पर्धात्मकता, गुणवत्ता, सुपुर्दगी अनुसूची का अनुपालन, उपभोक्ता संतुष्टि आदि। चालू वर्ष के दौरान 1.5 लाख कपास की गांठों के निर्यात का आकलन किया गया था जिसकी तुलना में पिछले वर्ष के दौरान यह 1 लाख गांठ था। अप्रैल 99 से मार्च 2000 की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले, उच्च मूल्यवर्द्धक कपास उत्पादों के निर्यात में 4.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने वस्त्रों के निर्यात जिसमें सूती वस्त्र भी शामिल हैं के निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1) वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की गई है।

2) वस्त्र निर्यातों को स्थिरता तथा निरन्तरता प्रदान करने और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2000-2004 की अवधि के लिए नई निर्यात हकदारी (कोटा) नीति की घोषणा की गई है।

3) भारतीय वस्त्रों के अपैरल क्षेत्र, मूल्यवर्द्धित क्षेत्र में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए कोटा और गैर-कोटा देशों को गैर-कोटा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए गैर-कोटा हकदारी (एनक्यूई) प्रणाली को कायम रखा गया है।

4) शुल्क की 5 प्रतिशत रिआयती दर पर निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के अंतर्गत पूंजीगत माल के आयात की सुविधा देना।

5) निर्यातोन्मुख एकक (ई.ओ.यू.) निर्यात संवर्द्धन क्षेत्र (ई पी जे ड)/ईपीसीजी एककों किए जा रहे सूती यार्न के निर्यात को उदार बनाया गया है।

6) कुछ श्रेणियों की ट्रिमिंग्स और अलंकरण के शून्य शुल्क आयात की अनुभूति दी गई है।

भारतीय शेयर बाजार

7258. **श्री शिवाजी माने :**

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री आर. एस. पाटिल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी कंपनियों को भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करने से संबंधित कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध की जाने वाली विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में विदेशी कम्पनियों के सूचीकरण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करना

7259. **डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :** क्या **सूचना एवं प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में किन-किन जगहों पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए;

(ख) प्रत्येक राज्य में उन पर अलग-अलग कितना खर्च किया गया;

(ग) किसी भी जगह पर एक दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र खोलने पर प्रायः अनुमानतः कितना खर्च आता है;

(घ) क्या सरकार मध्य प्रदेश में और ऐसे केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी जगहों के नाम क्या हैं जहां ऐसे केन्द्र खोले जाएंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) टीवी ट्रांसमीटरों का उनकी पूंजीगत लागत सहित स्थान–वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) एकल टीवी ट्रांसमीटरों की स्थापना में शामिल अनुमानित पूंजीगत लागत नीचे दी गयी है:–

(1) उ.श.ट्रा–8.00 करोड़ रुपए

(2) अ.श.ट्रा./अ.अ.श.ट्रा.–1.00 करोड़ रुपए

(घ) जी, हां।

(ङ) जिन स्थानों पर नए ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं उनके नाम संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चालू किए गए टीवी ट्रांसमीटर

राज्य	प्रकार	स्थान	लागत (लाख रु. में)
1	2	3	4
मध्य प्रदेश	उ.श.ट्रा.	रायपुर (डीडी–2)	511.00
	अ.श.ट्रा	बादा मलहेरा	97.00
	अ.श.ट्रा	भानपुरा	97.00
	अ.श.ट्रा	गरोट	97.00
	अ.श.ट्रा	पेन्ड्रारोड़	100.00
	अ.श.ट्रा	पिपरिया	97.00
	अ.श.ट्रा	सीतामऊ	97.00
	अ.अ.श.ट्रा.	बीजापुर	83.00
	अ.अ.श.ट्रा.	कोयलीबेडा	83.00
	अ.अ.श.ट्रा.	सारनगढ़	83.00
	अ.अ.श.ट्रा.	सिंगरौली	38.50
राजस्थान	उ.श.ट्रा.	जोधपुर	856.44
	अ.श.ट्रा.	भरतपुर	96.00
	अ.श.ट्रा.	हिन्ड्डान	89.65
	अ.श.ट्रा.	किशनगढ़ वास	76.00
	अ.श.ट्रा.	सागवाडा	76.00

1	2	3	4
	अ.अ.श.ट्रा.	आंधी	59.20
	अ.अ.श.ट्रा.	कोटरा	59.20
	अ.अ.श.ट्रा.	सिकराई	59.20
	अ.अ.श.ट्रा.	विराटनगर	59.20
उत्तर प्रदेश	अ.श.ट्रा.	अमरोहा	97.00
	अ.श.ट्रा.	छिबरामऊ	97.00
	अ.श.ट्रा.	हल्द्वानी	89.65
	अ.श.ट्रा.	कार्वी	97.00
	अ.श.ट्रा.	महरोनी	97.00
	अ.श.ट्रा.	मऊ (डीडी–2)	0.72*
	अ.श.ट्रा.	रामपुर (डीडी–2)	14.60*
	अ.श.ट्रा.	रथ	97.00
	अ.श.ट्रा.	रूदौली	97.00
	अ.अ.श.ट्रा.	अल्मोड़ा	69.65
	अ.अ.श.ट्रा.	बसौंट	77.65
	अ.अ.श.ट्रा.	खुबियानंगल	77.65
	अ.अ.श.ट्रा.	मानेश्वर	83.00
	अ.अ.श.ट्रा.	मानिकपुर	83.00
	अ.अ.श.ट्रा.	नन्दप्रयाग	59.20
	अ.अ.श.ट्रा.	नौगाँवखाल	83.00
	अ.अ.श.ट्रा.	ओखीमठ	83.00
	अ.अ.श.ट्रा.	पोखरी	59.20
	अ.अ.श.ट्रा.	राजगढ़ी	77.65
	अ.अ.श.ट्रा.	रूद्र प्रयाग	83.00
	अ.अ.श.ट्रा.	सहिया	77.65
	अ.अ.श.ट्रा.	ठाकुर द्वारा (डीडी–2)	87.70
	अ.अ.श.ट्रा.	थरेली	83.00

* नेटवर्क में उपलब्ध ट्रांसमीटर का उपयोग किया गया।

संस्थापन/लघु उपकरणों से संबंधित लागत

विवरण-II

मध्य प्रदेश राज्य में 8.5.2000 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयनाधीन टीवी ट्रांसमीटर।

क्र.सं.	ट्रांसमीटर	
1.	उ.श.ट्रा	अम्बिकापुर
2.	उ.श.ट्रा	भोपाल (डीडी–2)
3.	उ.श.ट्रा	गुना
4.	उ.श.ट्रा	इन्दौर (डीडी–2)
5.	उ.श.ट्रा	जबलपुर (डीडी–2)
6.	उ.श.ट्रा	शहडौल
7.	अ.श.ट्रा	आगर
8.	अ.श.ट्रा	बड़वानी
9.	अ.श.ट्रा	बरेली
10.	अ.श.ट्रा	चम्पा
11.	अ.श.ट्रा	करैरा
12.	अ.श.ट्रा	खरोड
13.	अ.श.ट्रा	कोन्टा
14.	अ.श.ट्रा	कुक्शी
15.	अ.श.ट्रा	लाखनडान
16.	अ.श.ट्रा	मुल्ताई
17.	अ.श.ट्रा	पंडरिया
18.	अ.श.ट्रा	सिन्धवा
19.	अ.अ.श.ट्रा.	आलोट
20.	अ.अ.श.ट्रा.	पाथनगांव

आयकर विभाग का कम्प्यूटरीकरण

7260. श्री पी. कुमारासामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने धीमे कम्प्यूटरीकरण के कारण विभाग के राजस्व संग्रहण की कुशलता और देशभर में कर आधारित कार्यों का विस्तार करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे राजस्व और मानव संसाधनों की बहुमूल्य क्षति हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, नहीं। आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण एक चालू कार्यक्रम है और विभाग ने इसमें अच्छी प्रगति की है। वास्तव में कर–निर्धारितियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा 1999–2000 के लिए कर वसूली में भी निर्बाध रूप से वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

साधारण बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्यनिष्पादन

7261. श्री नरेश पुगलिया :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री जी. एस. बसवराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा क्षेत्र में निजी आपरेटरों के प्रवेश से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए साधारण बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम की पुनः संरचना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की बीमा क्षेत्र को निजीकरण के चलते साधारण बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए इस क्षेत्र में समान स्तर सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रोत्साहन देने की योजना है; और

(घ) इस संबंध में अब तक साधारण बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गयी प्रगति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) बीमा क्षेत्र में सुधारों से संबंधित मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र के कार्यकलापों को सुधारने हेतु अपनी सिफारिशों के एक भाग के रूप में जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम की पुनर्संरचना करने का सुझाव दिया था। इन सुझावों की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को यथेष्ट स्वायत्तता

प्रदान की गयी है। अपने कार्य-कलापों में नवचेतना लाने के लिए इन निगमों ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें प्रौद्योगिकी का उन्नयन, शीघ्र सेवा प्रदान करने और दावों का निपटान करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करना, विविध प्रकार की सेवाएं आदि की पेशकश करने के लिए सिटिजन्स चार्टर को अपनाना शामिल है।

[हिन्दी]

आई. डी. बी. आई. और एस. आई. डी. बी. आई. द्वारा इंटरनेट बैंकिंग

7262. **श्री पी. आर. खूंटे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.डी.बी.आई. और एस.आई.डी.बी.आई. द्वारा संयुक्त रूप से देश में इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सुविधा से देश के दूर-दराज क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों को कितना फायदा होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

खानों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर दिया जाना

7263. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में काफी मात्रा में भण्डार वाली कौन-कौन सी खानों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर दिया गया है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र को पट्टे पर देने के और प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) इतिहास बताता है कि देश में खनन कार्य सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों की कम्पनियों द्वारा किये जाते रहे हैं। निजी तथा सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों द्वारा खनन पट्टे लेने के लिए आवेदन राज्य सरकारों को निरंतर प्राप्त होते रहते हैं तथा राज्य सरकारें उन पर कार्रवाई करती हैं। राज्य सरकारों द्वारा, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, खनन पट्टे दिये जाते हैं। चूंकि खनन पट्टे देना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः प्रत्येक खान के नाम के बारे में सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती। तथापि, खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1998-99 के दौरान, निजी क्षेत्र के पास खनन पट्टों की संख्या 8254 थी जिसमें से 2320 खानें प्रचालन में थीं। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1998-99 के दौरान प्रचालनरत खानों/खनन पट्टों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	निजी क्षेत्र में खनन पट्टों की संख्या	निजी क्षेत्र में प्रचालनीय खानों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1329	298
2.	असम	16	2
3.	बिहार	393	128
4.	दिल्ली	4	–
5.	गोवा	402	71
6.	गुजरात	1392	408
7.	हिमाचल प्रदेश	46	35
8.	हरियाणा	107	23
9.	जम्मू एवं कश्मीर	10	1
10.	कर्नाटक	475	154
11.	केरल	100	47
12.	मणिपुर	2	–
13.	मेघालय	11	1
14.	मध्य प्रदेश	1218	324
15.	महाराष्ट्र	170	75

1	2	3	4
16.	उड़ीसा	544	172
17.	राजस्थान	1261	438
18.	सिक्किम	1	–
19.	तमिलनाडु	552	105
20.	उत्तर प्रदेश	121	28
21.	पश्चिम बंगाल	100	10
	कुल	8254	2320

सोने का भंडार

7264. श्री पी. डी. एलानगोवन :

श्री थावर चन्द गेहलोत :

श्री तूफानी सरोज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितना सोने का भंडार है तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के सोने का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने आम जनता के पास रखे सोने की मात्रा और गत तीन वर्षों के दौरान देश में सोने खपत की मात्रा का कोई अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा तस्करों से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का सोना जब्त किया गया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में सीमा–शुल्क अधिकारियों तथा मुखबिरों को दिये गये पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. धनन्जय कुमार) : (क) आज की तारीख में भारतीय रिजर्व बैंक के पास 357.76 टन स्वर्ण का भंडार है। वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान आयात किए गए स्वर्ण की मात्रा क्रमशः 643.27 टन, 521.73 टन और 480.37 टन (अनन्तिम) है। इन वर्षों के दौरान आयात किए गए स्वर्ण का मूल्य उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा जब्त किए गए स्वर्ण का परिमाण एवं मूल्य तथा इस संबंध में सीमा शुल्क अधिकारियों और मुखबिरों को दिए गए इनाम इस प्रकार हैं:–

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य करोड़ रुपए में	इनाम अधिकारी	मुखबिर
1997–98	115.18	5.13	0.17	0.23
1998–99	60.33	2.62	0.03	0.02
1999–2000	313.64	14.00	शून्य	0.03

ई.डी.पी. आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

7265. श्री पी. एस. गढवी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1987 में ई.डी.पी. आयोग गठित हुआ था इसने 11 अक्तूबर 1989 को अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन सिफारिशों को विभिन्न संगठनों, विशेषकर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के डाटा प्रोसेसिंग प्रभाग में लागू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल): (क) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा मौजूदा ई.डी.पी. पदों के पुनर्गठन तथा वेतनमानों और पदनामों में एकरूपता निर्धारित करने की सलाह देने के लिए नवम्बर, 1986 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 5.6.1987 को प्रस्तुत की थी।

(ख) से (ङ) समिति की सिफारिशों के आधार पर, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.09.1989 को आदेश जारी किये गये थे। इन आदेशों के अनुसरण में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ा प्रोसेसिंग प्रभाव सहित सांख्यिकी विभाग में, संशोधित वेतन ढांचे को लागू करने के लिए दिनांक 2.7.1990 और 16.3.1998 को आदेश जारी किए गए थे। तथापि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ा प्रोसेसिंग प्रभाग के कुछ ई.डी.पी.

कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं थे और वे विभिन्न न्यायालयों में गये थे और कुछ मामलों में यह विषय अभी न्यायालय में विचाराधीन है। सांख्यिकी विभाग में पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक समिति भी गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

अमरीका द्वारा श्रिम्प मछली के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाना

7266. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका द्वारा भारत में "श्रिम्प" मछली के आयात पर लगाया गया प्रतिबंध अभी भी लागू है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या-क्या कारण हैं;

(ग) क्या अमरीका ने 6 नवम्बर, 1998 को विश्व व्यापार संगठन के औपचारिक सत्र में इसके विवाद निपटान निकाय के निर्णय को क्रियान्वित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा श्रिम्प के आयात संबंधी अमरीकी प्रतिबंध को समाप्त कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) भारत ने मलेशिया, थाईलैंड और पाकिस्तान के साथ मिलकर विवादों के निपटान को शासित करने वाले नियमों एवं क्रियाविधियों संबंधी समझौते के प्रावधानों के तहत अमरीकी सार्वजनिक कानून की धारा 609 के अंतर्गत कतिपय श्रिम्पों और श्रिम्प उत्पादों के आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में अमरीका के खिलाफ विवाद दायर किया था। पैनल ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया था। अमरीका ने पैनल के निर्णय के खिलाफ अपील की थी। अपीलीय निकाय ने टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) के अनुच्छेद XX अंतर्गत धारा 609 को अनंतिम रूप से न्यायोचित करार देते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि गैट 1994 के अनुच्छेद XX के प्रावधानों की अपेक्षाओं के विपरीत अमरीका ने यह उपाय ऐसे ढंग से लगाया है जो डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों के बीच एक मनमाना एवं अनुचित भेदभाव पैदा करता है। पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्ट 6 नवम्बर 1998 को आयोजित विवाद निपटान निकाय की बैठक में पारित की गई थी। संयुक्त रूप से इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि डी एस बी के निर्णयों एवं सिफारिशों को लागू करने के लिए अमरीका को प्रदत्त उचित समयावधि 13 महीने की होगी (यह समयावधि 6 नवम्बर, 1998 को शुरू होकर 6 दिसम्बर, 1999 को समाप्त होगी।)

जहां तक अमरीका को श्रिम्पों को निर्यात किए जाने का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि भारत से अमरीका को होने वाला श्रिम्पों का निर्यात अमरीकी स्टेट विभाग द्वारा यथा-निर्धारित प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जा रहा है जिसे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण दे रहा है। तथापि, जाल से मछली निकालने के यांत्रिक साधनों का उपयोग करने वाले जलयानों द्वारा समुद्र से पकड़े गए श्रिम्पों का अमरीका को निर्यात तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ये जलयान कछुवा वर्जन उपायों (टी ई डी) का इस्तेमाल नहीं करते। भारत सरकार ने समुद्री कछुओं के वितरण, मछली पकड़ने के जालों में उनकी मृत्यु दर और मत्स्य जलपोतों इत्यादि में टी ई डी के इस्तेमाल पर एक विस्तृत अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ वैज्ञानिक पैनल (ई पी एस) का गठन भी किया था। यह रिपोर्ट अब उपलब्ध करा दी गई है और इसकी जांच की जा रही है। क्रियान्वयन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अमरीकी स्टेट विभाग ने धारा 609 को लागू करने संबंधी अपने मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन किया है। डी एस बी के निर्णयों एवं सिफारिशों के अनुसार, मार्गदर्शी सिद्धांतों का उद्देश्य है i) विदेशी कार्यक्रमों और अमरीकी कार्यक्रमों की तुलनीयता पर विचार करते समय अधिक ढील देना जिसका तात्पर्य यह है कि अमरीका टी ई डी से भिन्न किसी विश्वसनीय वैकल्पिक कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए इच्छुक है ii) कौन से देश श्रिम्प का निर्यात करने के पात्र होंगे, यह प्रमाणित करने के लिए निर्णय लेने की क्रियाविधियों में इसने उचित प्रक्रिया का प्रयोग और इसमें पादर्शिता को शुरू किया है; और iii) इसने श्रिम्प पकड़ने के तरीकों में छूट की सूची का विस्तार किया है। इसके अलावा, अमरीका ने इस क्षेत्र में समुद्री कछुओं के संरक्षण पर हिन्द महासागर क्षेत्र की सरकारों के साथ किसी करार पर पहुंचने के उद्देश्य से वार्ताएं शुरू करने की पहल शुरू कर दी है। अमरीका ने ऐसे किसी सदस्य देश को टी ई डी की डिजाइन उसके निर्माण, स्थापना और प्रचालन के बारे में तकनीकी प्रशिक्षण देने की भी पेशकश की है जो उससे अनुरोध करता है।

किर्लोस्कर इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस लिमिटेड द्वारा धोखाधड़ी

7267. **श्री किरीट सोमैया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किर्लोस्कर इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस लिमिटेड निवेशकों द्वारा जमा कराई गई धनराशि पर ब्याज और मूलधन का भुगतान करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या निवेशकों द्वारा इस कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न विनियामक एजेंसियों में कोई शिकायत दर्ज करायी गई है;

(ग) क्या किर्लोस्कर समूह द्वारा लघु निवेशकों के 122 करोड़ रुपए के निवेश की धोखाधड़ी करने के पश्चात् इसका स्वामित्व गुजरात के किसी अज्ञात व्यक्ति को दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके नए स्वामी द्वारा इस कंपनी का नाम बदलने तथा इसके व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी संबंधी व्यापार शुरू करने संबंधी कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो क्या किर्लोस्कर इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस के प्रबंधन ने सहायक बाजार में अपने शेयरों में हेरा-फेरी करना शुरू कर दिया है;

(च) यदि हां, तो क्या "इन्वेस्टर्स ग्रिवान्सेस फोरम" ने इन अनैतिक प्रवर्तकों के खिलाफ नियामक एजेंसियों को अभ्यावेदन दिया है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लघु निवेशकों की सहायता हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। कई निवेशकों ने इस कंपनी के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक तथा कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष शिकायतें दर्ज की हैं।

(ग) मैसर्स किर्लोस्कर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लि. जो किर्लोस्कर ग्रुप का था, ने अपने नियंत्रण के हिस्से को अहमदाबाद के श्री हरि सिंह चंपावत तथा उसकी सहयोगी कंपनी को बेच दिया है।

(घ) कंपनी ने कंपनी रजिस्ट्रार के पास अपने नाम को किर्लोस्कर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लि. से किरपित्त इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लि. बदलने के लिए आवेदन किया था। तथापि, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में इस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया और इसलिए इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। कंपनी की वार्षिक आम बैठक ने साफ्टवेयर व्यवसाय सहित सूचना तकनीकी में प्रवेश के अपने बोर्ड के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि सेबी मको मैसर्स किर्लोस्कर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लि. के शेयरों के मूल्य में कथित, हेराफेरी के संबंध में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। जांच के दौरान बम्बई स्टाक एक्सचेंज ने सूचित किया है कि निधियों के स्थानान्तरण के संबंध में विभिन्न ब्रोकरों/ग्राहकों, जिन्होंने इन शेयरों और कंपनी के साथ लेन-देन किया था, के मध्य कोई संबद्धता, साक्ष्य स्थापित नहीं किया गया था।

(च) जी, हां।

(छ) निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी की जमाराशियों की स्वीकार करने तथा अपनी परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए निषेधात्मक आदेश जारी करना, कंपनी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र के आवेदन की नामंजूरी, समापन याचिका फाईल करना कंपनी के प्रति दिन के कार्यकलाप की देख-रेख के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

एच. ई. सी., रांची का निष्पादन

7268. श्री ब्रजमोहन राम : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची (बिहार) के पास क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एच. ई. सी. ने अपने कार्यकरण में आवश्यक सुधार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान एच. ई. सी. के लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस निगम के सुगम कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन मुख्य रूप से इस्पात, कोयला और रक्षा क्षेत्रों से क्रयादेश प्राप्त करता है जिसकी वैल्यू 1.5.2000 के अनुसार लगभग 108 करोड़ रुपये रही है।

(ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन क्रयादेशों की कमी के कारण अपने कार्यकलापों में अपेक्षित सुधार करने में सफल नहीं रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निवल घाटा निम्नानुसार रहा;

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निवल घाटा
1997–98	71.97 (लेखापरीक्षित)
1998–99	50.63 (लेखापरीक्षित)
1999–2000	57.18 (अलेखापरीक्षित)

(घ) किए गए प्रयासों में कंपनी के निष्पादन की गहन एवं नियमित निगरानी करना, उपभोगता क्षेत्रों से क्रयादेश प्राप्त करने में सहायता करना और बजटीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है।

[अनुवाद]

काजू की खेती

7269. डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कोन्टैयी अनुमंडल में काजू की खेती के विस्तृत क्षेत्र में किसी उपचारात्मक कदम के अभाव में निरंतर गिरावट और इसके लुप्त प्राय होने की स्थित आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय काजू बोर्ड ने इस क्षेत्र के परेशान काजू उत्पादकों और काजू श्रमिकों की सहायता हेतु कभी भी कोई उपाय किए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय काजू बोर्ड का विचार इसकी खेती की वर्तमान स्थिति का आकलन करने तथा इसे पुनः सामान्य स्थिति पर लाने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने हेतु विशेषज्ञों का एक दल भेजने का है ताकि इससे काजू के उत्पादन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान मिल सके; और

(घ) इस दल द्वारा इस क्षेत्र में कब तक दौरा किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में काजू के विकास की देख–रेख कृषि मंत्रालय के अधीन काजू एवं कोको विकास निदेशालय द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र, पुथूर, दक्षिण कनारा, कर्नाटक (आई सी ए आर के अधीन) तथा पश्चिम बंगाल के झारग्राम सहित विभिन्न क्षेत्रों के अनुसंधान केन्द्रों द्वारा काजू निदेशालय को सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) काजू निर्यात संवर्धन परिषद् को एक दल के गठन के लिए पत्र लिखा गया है। यह सुझाव दिया गया है कि काजू एवं कोको निदेशालय तथा राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र के विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाए।

कर्नाटक में तम्बाकू की फसल का उत्पादन स्थगित करना

7270. श्री के. येरननायडू : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार राज्य में वर्ष 2000–2001 में तम्बाकू फसल न बोने के प्रस्ताव के प्रति अनिच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कर्नाटक में कितनी तम्बाकू फसल बुआई की अनुमति है; और

(घ) तम्बाकू व्यापारियों के पास अनबिकी तम्बाकू के निपटान हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक तम्बाकू फसल की सफल विपणन व्यवस्था ने फसल ने बोने की मांग को नकार दिया है।

(ग) वर्ष 2000–2001 के कर्नाटक फसल मौसम के लिए एफ सी वी तम्बाकू के फसल का आकार 25 मि. किग्रा. निर्धारित किया गया है।

(घ) भारतीय तम्बाकू के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक शिष्ट मंडल ने फरवरी, 2000 में लीबिया, जोर्डन, मिस्र तथा अल्जीरिया का दौरा किया। एक अन्य भारतीय तम्बाकू व्यापार शिष्टमंडल जिसमें एस टी सी के प्रतिनिधि शामिल थे, ने तम्बाकू के निर्यात के अवसरों की खोज करने के लिए रूस का दौरा किया। इसके अलावा, तम्बाकू के निर्यात के लिए नए बाजार का पता लगाने के लिए एक शिष्टमंडल चीन, वियतनाम, दक्षिण कोरिया तथा ताईवान जैसे देशों का दौरा करेगा।

[हिन्दी]

नकली सिक्कों की ढलाई

7271. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नकली सिक्कों की ढलाई के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबासाहिब विखे पाटील): (क) नकली सिक्कों के चलन/विनिर्माण के कुछ मामलों का पता चला है।

(ख) से (घ) मामलों के ब्यौरों को उल्लेख करने वाला एक विवरण संलग्न है।

"लोकव्यवस्था" और "पुलिस" भारत के संविधान के तहत राज्य के विषय हैं। इसलिए अपराध के पंजीकरण, जांच–पड़ताल, खोज और उसकी रोकथाम की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार समय–समय पर राज्य सरकारों की अपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार करने पर और अधिक ध्यान देने का परामर्श देती रही है ताकि अपराध की कारगर रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।

विवरण

वर्ष 1998 और 1999 के दौरान बरामद किए गए जाली सिक्कों के ब्यौरों को प्रदर्शित करने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला, थाना प्र. प्रा. सू.सं. (एफआईआर) और तारीख	अदद सं.	मूल्य वर्ग	अपराधियों की सं.	अपराधियों का ब्यौरा
1	2	3	4	5	6	7
			वर्ष 1998			
1.	पश्चिम बंगाल	जिला, मुर्शिदाबाद थाना बेरहामपुर प्र.सू.सं. 295/98 दिनांक 1.8.98	11	5 रुपए	1	अशोक मंडल पुत्र जीतू उर्फ जितेन मंडल निवासी बाडानगर थाना जियागंज, जिला मुर्शिदाबाद, (पं. बंगाल)
2.	पश्चिम बंगाल	जिला मुर्शिदाबाद थाना रेजीनगर प्र.प्रा.सू.सं. 109/98 दिनांक 23.11.98	75	5 रुपए	1	शंकर बिश्वास पुत्र सहदेव बिस्वास, आयु 81, निवासी ग्राम छोटू कंडुआ थाना नकाशीपाडा, जिला नदिया (पं. बंगाल)
			वर्ष 1999			
1.	असम	जिला, मोरी गांव थाना जगी रोड डीआईआर सं. 97/99, दिनांक, 14.6.99	2	5 रुपए	1	मोहम्मद अब्दुल कादर, निवासी फाकाली गांव थाना जागी रोड, जिला मोरीगांव (असम)
2.	हरियाणा	जिला गुडगांव थाना पुनहाना प्र.प्रा.सू.सं. 216/99 दिनांक 7.8.99	720	एक रुपया (भारत का पुराने समय का)	1	रशीद वल्द नाबला मेव निवासी नई गांव थाना पुनहाना, जिला गुडगांव (हरियाणा)
3.	हरियाणा	जिला पानीपत थाना पानीपत शहर प्र.प्रा.सू.सं. 354/99 दिनांक 6.8.99	139	–	8	1. भूपेन्द्र उर्फ गोगा, पुत्र नारायण सिंह खत्री, निवासी 183/3 महाजन वाली गली, पानीपत, हरियाणा। 2. गुरमीत कौर पत्नी भूपेन्द्र सिंह खत्री निवासी 183/3 महाजन वाली गली, पानीपत, हरियाणा। 3. किशन लाल पुत्र रामनाथ खत्री मकान सं. 168/3 महाजन वाली गली, पानीपत, हरियाणा।

1	2	3	4	5	6	7
						4. प्रेम उर्फ रीता पत्नी किशन लाल, मकान सं. 168/3 महाजन वाली गली, पानीपत, हरियाणा। 5. महेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन दास खत्री निवासी वार्ड। गोधाना, सोनीपत। 6. काला उर्फ अशोक पुत्र अरूण दास खत्री, निवासी वार्ड। गोधाना, सोनीपत 7. राजेश उर्फ डिम्पल पुत्र हेमराज महाजन, निवासी 22/7 अमर भवन चौक पानीपत। 8. राजेश कुमार पुत्र दरबारी लाल निवासी 189 असन्ध रोड, राम लाल चौक, पानीपत।
4.	हरियाणा	जिला गुडगांव थाना फिरोजपुर फिरका प्र.प्रा.सू.सं. 218/99, दिनांक 24.12.99	53	1 रुपया	7	1. अयूब वल्द इंदु निवासी नई थाना पुनहाना जिला गुडगांव। 2. हुसैन मंड वल्द जंगरूप निवासी नई थाना, पुनहाना, जिला गुडगांव। 3. ईशा वल्द मोहम्मद खान निवासी नई थाना पुनहाना जिला गुडगांव। 4. कासम वल्द शाहबुद्दीन निवासी गांव बिसरा, नई थाना, पुनहाना, जिला गुडगांव। 5. फारूख वल्द इशाख निवासी नई थाना, पुनहाना, जिला गुडगांव। 6. सुबान वल्द इशाख निवासी नई थाना पुनहाना जिला गुडगांव। 7. आमीन वल्द शाह मंड निवासी तिरवास गांव नई थाना पुनहाना जिला गुडगांव।
5.	महाराष्ट्र	जिला थाणे नगर थाना एम एफ सी कल्याण प्र. प्रा. सू. सं. 19/99 दिनांक 18.1.99	1000	5 रुपए	3	1. रमेश राजपुरोहित पुत्र लहुसिंह निवासी पटडीपुल, कल्याण। 2. नागेश देवेन्द्र पुत्र मनुराम जी निवासी जीजामाता कालोनी। 3. जलाराम पुरोहित उर्फ झल्ला सिंह पुत्र हकीम जी निवासी गणेश नगर
6.	महाराष्ट्र	जिला लादूर, थाना एमएफसी प्र.प्रा.सू.सं. 101/99 दिनांक 3.8.99	1	5 रुपए	-	शून्य
7.	प. बंगाल	जिला माल्दा थाना कालिवाचक प्र. प्रा. सू. सं. 256/99 दिनांक 9.10.99	2	2 रुपए	1	शम्भु दास पुत्र राजन दास निवासी कसंद थाना, शिवगंज, जिला छपई नबाबगंज बांगलादेश।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी उन्नयन केन्द्रों की स्थापना

7272. श्री भान सिंह भौरा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बेहतर किस्मों के हथकरघा उत्पाद बनाने के लिए देश के हथकरघा उद्योग को आधुनिकीकरण की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्यों में इस हेतु और अधिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार, विशेषकर केरल के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) हथकरघा उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्तमान में भारत सरकार के अंतर्गत केरल में कन्नूर सहित देश में 24 बुनकर सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। वे हथकरघा उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन सेवाएं प्रदान करते हैं। विवरण नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	राज्य	लोकेशन (क्षेत्र)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद, विजयवाड़ा
2.	असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय	गुवाहाटी
3.	बिहार	भागलपुर
4.	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जम्मू व कश्मीर	दिल्ली
5.	गुजरात	अहमदाबाद
6.	हरियाणा एवं पंजाब	पानीपत
7.	कर्नाटक	बंगलौर
8.	केरल, लक्षद्वीप एवं मिनीकोय आइसलैंड	कन्नूर
9.	मध्य प्रदेश	रायगढ़, इंदौर
10.	महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली	मुम्बई, नागपुर,
11.	मणिपुर	इम्फाल
12.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
13.	राजस्थान	जयपुर
14.	तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार आइसलैंड	चेन्नई, कांचीपुरम, सेलम
15.	त्रिपुरा	अगरतल्ला
16.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी, मेरठ, चमोली
17.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कलकत्ता

(ङ) भारत सरकार ने वर्ष 1997–98 से हथकरघा बाहुल्य क्षेत्रों में बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना के लिए इच्छुक राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम आरंभ की है।

विदेशी निवेश से कृषि आधारित उद्योग

7273. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में विदेशी निवेश से कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करने के संबंध में सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और अभी तक कितने प्रस्तावों का क्रियान्वयन किया गया है;

(ग) शेष अनुमोदित प्रस्तावों के क्रियान्वयन में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) शेष प्रस्तावों का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों जनवरी, 1997 से दिसम्बर, 1999

की अवधि के दौरान सभी क्षेत्रों में (कृषि आधारित उद्योगों सहित) 114071.37 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) वाले कुल 6335 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं। इनमें से 1344.95 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 91 प्रस्ताव चीनी/वनस्पति तेल तथा वनस्पति/कृषि/पुष्प कृषि के लिए अनुमोदित किये गये हैं, जो कृषि–आधारित उद्योग हैं। राज्यवार प्रस्तावों को दर्शाने वाला एक विवरण–पत्र अनुबंध के रूप में संलग्न है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

(जनवरी, 1997 से दिसम्बर, 1999 तक) की अवधि में अनुमोदित विदेशी सहयोग और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा।

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	कुल का प्रतिशत
	कुल	तकनीकी	वित्तीय	(रु. करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	271	55	216	6260.11	5.49
असम	7	7	0	0.00	0.00
बिहार	44	26	18	700.43	0.61
गुजरात	309	136	173	7596.48	6.66
हरियाणा	245	109	136	1784.62	1.56
हिमाचल प्रदेश	14	3	11	30.63	0.03
जम्मू और कश्मीर	4	3	1	0.40	0.00
कर्नाटक	566	112	454	10654.96	9.34
केरल	69	15	54	291.00	0.26
मध्य प्रदेश	77	21	56	7593.00	6.66
महाराष्ट्र	1142	362	780	15534.35	13.62
मणिपुर	1	0	1	3.19	0.00
मेघालय	3	0	3	50.46	0.04
नागालैंड	1	0	1	3.68	0.00
उडीसा	55	20	35	5249.55	4.60
पंजाब	54	12	42	686.48	0.60
राजस्थान	86	27	59	1873.48	1.64
तमिलनाडु	686	197	489	8643.12	7.58
त्रिपुरा	1	1	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	256	80	176	1275.87	1.12
पं. बंगाल	196	76	120	2512.58	2.20
अंडमान और निकोबार	2	0	2	12.80	0.01
चण्डीगढ़	11	1	10	67.57	0.06
दादरा और नागर हवेली	18	11	7	54.11	0.05
दिल्ली	552	77	475	13050.64	11.44
गोवा	62	18	44	219.87	0.19
पांडिचेरी	29	11	18	140.93	0.12
दमन और दीव	17	5	12	36.87	0.03
राज्य जिनका उल्लेख नहीं है	1557	366	1191	29744.19	26.00
कुल	6335	1751	4584	114071.37	

पंजाब नेशनल बैंक के बैंक-ड्राफ्टों और चेकों की लूट

7274. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 21 मई, 2000 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर में रेलवे-स्टेशन के समीप कुछ अज्ञात शस्त्रधारियों ने पंजाब नेशनल बैंक के खजांची से दिनदहाड़े दो करोड़ रुपए के बैंक-ड्राफ्ट और चेक लूट लिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक-ड्राफ्टों और चेकों को भुना लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें किस तारीख को भुनाया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो लुटेरों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 20 अप्रैल, 2000 को सुबह 10.40 बजे एक अज्ञात बन्दूकधारी ने नई मण्डी, मुजफ्फरनगर शाखा के एक बैंक कर्मचारी से समाशोधन गृह जाते समय रेलवे स्टेशन के पास एक बैग लूट लिया जिसमें 1.89 करोड़ रुपए के 260 बैंक ड्राफ्ट, चेक तथा अन्य लिखत थे।

(ग) और (घ) किसी भी ग्राहक ने अब तक इस घटना में लूटे गए चेकों/ड्राफ्टों के भुनाए जाने की सूचना नहीं दी है।

(ङ) लूटे गए सभी चेकों तथा ड्राफ्टों पर रेखन मुहर थी अतः इन लिखतों के दुरुपयोग की संभावना बहुत कम है। तथापि, खाताधारकों के हितों की रक्षा के लिए शाखा ने अपने ग्राहकों से अनुराध किया है कि वे अदाकर्ता बैंक द्वारा भुगतान रोको लिखवाएं और यदि आवश्यक हो तो मूल के स्थान पर लिखतों की द्वितीय प्रति जारी करवाएं। लूट की घटना की सूचना अन्य बैंकों को भी दे दी गई है तथा चेकों/ड्राफ्टों के भी ब्यौरे धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग से बचने के लिए आवश्यक चेतावनी हेतु अदाकर्ता बैंकर्स को भेज दिए गए हैं। घटना के संबंध में प्राथमिकी रिपोर्ट 20 अप्रैल, 2000 को पुलिस विभाग में दर्ज करवा दी गई है।

निवेशक सुरक्षा कोष

7275. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निवेशक सुरक्षा कोष बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निवेशक सुरक्षा कोष कब तक बना दिया जाएगा

और यह कब से कार्य करने लगेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205 ग की उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि का प्रशासन करने तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा यथा निर्धारित प्रपत्र में उस निधि के संबंध में पृथक लेखाओं तथा अन्य संगत रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए सचिव, कम्पनी कार्य विभाग की अध्यक्षता में दस अन्य सदस्यों की एक समिति बनाई है। समिति के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेंगे। निधि का उपयोग निवेशक जानकारी के संवर्धन तथा निवेशक हित के संरक्षण के लिए यथा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा। समिति की प्रथम बैठक 17 दिसम्बर, 1999 को तथा दूसरी बैठक 24 जनवरी, 2000 को हुई थी। बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार, निवेशक संरक्षण निधि, 1999 के लिए नियमावली को अन्तिम रूप देना तथा लेखाशीर्ष जिसमें निधियों को उपार्जित किया जाएगा, सरकार के विचाराधीन है।

वेतन में विसंगतियां

7276. **डॉ. एस. वेणुगोपाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद वित्त मंत्रालय में गठित विसंगति समिति के पास वेतनमानों में विसंगति से संबंधित ग्रेडवार और मंत्रालय-वार/विभागवार विचार करने के लिए लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे मामलों पर निर्णय लेने में देर के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मामलों पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) से (ग) वित्त मंत्रालय की विभागीय विसंगति समिति दिनांक 16.2.2000 को गठित की गई थी। समिति के गठन की तारीख से छः महीने तक विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के नेता के माध्यम से विसंगतियों के मामले विसंगति समिति को प्राप्त हो जाने चाहिएं। विसंगति समिति द्वारा कर्मचारी पक्ष के नेता के माध्यम से विसंगति का कोई भी मामला अभी तक विचारार्थ प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय संचित निधि

7277. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 के अंतर्गत केन्द्र सरकार का भारतीय संचित निधि की प्रतिभूमि पर उन ऋण सीमाओं के अधीन लेने का अधिकार है जिन्हें संसद विधि द्वारा निर्धारित करे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के बावजूद संसद के अनुमोदन से संविधान के प्रावधान के अनुरूप इन ऋणों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(घ) आज की स्थिति के अनुसार भारतीय संचित निधि की प्रतिभूति पर घरेलू बाजार से कुल कितना ऋण लिया गया है और यह इस निधि की प्राप्तियों के साथ कितना अनुपात रखता है; और

(ङ) भारतीय संचित निधि की प्राप्तियों की तुलना में असमानुपातिक ऋणों के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन से सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने समय-समय पर महसूस किया है कि उधारों पर उच्चतम सीमा निश्चित करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि संसद द्वारा पारित वार्षिक बजट में वर्ष के दौरान उधारों पर स्पष्ट उच्चतम सीमा अन्तर्निहित है।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान 112275 करोड़ रुपए (वापसी अदायगी घटाकर) के कुल उधार की तुलना में वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमान में 76383 करोड़ रुपए (वापसी-अदायगी घटाकर) घरेलू उधार के रूप में हैं। यह भारत की समेकित निधि के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमान में अनुमानित 338487 करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियों का 22.56 प्रतिशत बैठता है।

(ङ) गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि की तुलना में सरकार का व्यय बढ़ने के कारण उधारों में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2000-2001 के अपने बजट भाषण के पैरा 10 में सरकार के उधारों में वृद्धि में बचनबद्ध कमी करने के साथ सरकारी व्यय में वृद्धि को सीमित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है।

चाय और कॉफी का निर्यात

7278. **श्री अकबर अली खांदोकर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल से नवम्बर, 1999 के दौरान चाय और कॉफी का निर्यात रुपए के संदर्भ में घटा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। अप्रैल–नवम्बर, 1999 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चाय और काफी के निर्यात मूल्य में कमी क्रमशः 290.53 करोड़ रुपए और 12.73 करोड़ रुपए की थी।

(ख) चाय के निर्यात में आई कमी के कारण हैं:– मुख्यतः अन्य उत्पादक देशों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा और कजाकिस्तान, आयरलैंड, यू ए ई, ईराक, मिस्र और तुर्की इत्यादि को होने वाले निर्यातों में आई कमी।

मूल्य के रूप में कॉफी के निर्यात में आई कमी का मुख्य कारण है:– ज्यादा उत्पादन होने की वजह से अधिक आपूर्ति के कारण कॉफी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट।

(ग) सरकार/वस्तु बोर्डों द्वारा चाय और कॉफी के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है:– सभाव्यता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए देश–वार निर्यातों का विश्लेषण करना, अलग–अलग बाजारों को होने वाले निर्यातों में आ रही बाधाओं को हटाना। निर्यातों का बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ अन्य कदमों में शामिल है:–

(i) विदेशों में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना;

(ii) विशिष्टता रखने वाले (स्पेसिएलिटी स्टोरों) और प्रमुख बाजारों में जाकर नमूने एकत्र करना;

(iii) उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए प्रचार अभियान चलाना;

(iv) भारत और आयातक देशों के बीच चाय शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान करना।

सरकारी क्षेत्र के 48 उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

7279. **श्री आर. एल. भाटिया :**

श्री अब्दुल हमीद :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त उपक्रम और वित्तीय पुनर्गठन द्वारा सरकारी क्षेत्र के 48 उपक्रमों की भूमिका को पुनः परिभाषित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1998–99 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 48 उपक्रमों में से 32 उपक्रमों को घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के अव्यहार्य उपक्रमों को बेचने पर भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) सरकार कंपनी की आन्तरिक अर्थव्यवस्था और/या बीआईएफआर द्वारा दी गई सिफारिशों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना के लिए योजनाएं बनाती है। अभी तक, बीआईएफआर ने सरकारी क्षेत्र के 12 उपक्रमों के संबंध में पुनर्संरचना की योजनाएं संस्वीकृत कर दी हैं तथा ये प्रक्रियाधीन हैं। सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के 5 अन्य उपक्रमों के संबंध में पुनर्संरचना कार्यक्रम स्वयं आरंभ कर दिया है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 24 उपक्रमों को उनके निष्पादन में सुधार करने के लिए संयुक्त उद्यम में बदलने का निर्णय भी ले लिया है।

(ग) और (घ) जी, हां। गैर–प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्य, क्रयादेशों का अभाव, वित्तीय संकट, अतिरिक्त कर्मचारी, पुरानी प्रौद्योगिकी तथा कुछ मामलों में, आन्तरिक समस्याओं का होना हानियों का कारण रहा है।

(ङ) और (च) सरकार ने बीआईएफआर की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकारी क्षेत्र के अजैव्य उपक्रमों के संबंध में मामले की स्थिति के अनुसार उपयुक्त विभिन्न कार्यनीतियां अपनाई हैं। इनमें कंपनी को बंद करना तथा जहां कोई विकल्प संभव नहीं है वहां परिसंपत्तियों को बेचना शामिल है।

आयात पर गुणवत्तात्मक प्रतिबंध

7280. **श्री वी. सरोजा :**

श्री सुबोध मोहिते :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री तिरूनावकरसु :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई आयात–निर्यात नीति के तहत करीबन 714 उपभोक्य वस्तुओं के आयात के लिए द्वार खोल दिए हैं और बाकी 715 वस्तुओं पर आयात–प्रतिबंध अगले वर्ष खत्म करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें लाइसेंस के बगैर ही मुक्त रूप से आयातित किया जा सकेगा और अगले वर्ष आयात–प्रतिबंध से मुक्त होने वाली वस्तुओं की श्रेणी क्या है साथ ही इसमें शामिल फार्म उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह निर्णय विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताओं के कितने अनुरूप हैं; और

(घ) घरेलू उत्पादकों, विशेषकर कृषकों और लघु उद्योगों को सुरक्षा या कम से कम समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) भारत आयातों पर से प्रतिबंधों को हटाने के लिए वर्ष 1991 से एक सतत नीति का अनुसरण कर रहा है। टैरिफ लाइनवार आयात नीति की घोषणा पहली बार 31.3.1996 को की गई थी। उस दिन तक कुल 10202 टैरिफ लाइनों (10 अंक स्तरीय) में से 6161 टैरिफ लाइनों (10 अंक स्तरीय) के आयात मुक्त थे। 488 टैरिफ लाइनों (10 अंक स्तरीय) पर से आयात प्रतिबंध 1.4.96 से 31.3.97 की अवधि के दौरान हटाए गए थे। इसके अलावा 391 टैरिफ लाइनों (8 अंक स्तरीय) को 1.4.97 से 13.4.98 की अविध के दौरान मुक्त किया गया था और 894 टैरिफ लाइनों (8 अंक स्तरीय) को मुक्त किया गया था। इस प्रकार 31.3.2000 को बची हुई 714 टैरिफ लाइनों पर ये आयात प्रतिबंध वर्षों से चली आ रही सरकार की उक्त नीति के अनुसरण में ही हटाए गए थे।

टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट), 1997 के अधीन सभी सदस्य आयातों पर लगाए गए सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों (क्यू आर) को हटाने के लिए बाध्य थे। एक संस्थापक सदस्य होने के कारण भारत भी मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के लिए बाध्य था किंतु इसने भुगतान संतुलन (बी ओ पी) कठिनाइयों के कारण ऐसे मात्रात्मक प्रतिबंधों को लागू रखने के लिए गैट में दिए गए अपवाद संबंधी प्रावधान का सहारा लिया था।

तथापि, वर्ष 1995 से भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति में पर्याप्त सुधार के साथ कुछ सदस्यों ने भुगतान संतुलन के आधार पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को लागू रखने के भारत के औचित्य पर प्रश्न उठाया। भारत इन मात्रात्मक प्रतिबंधों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए यू एस ए को छोड़कर सभी अन्य व्यापारिक भागीदारों के साथ वार्ता कर सकता था। यू एस ए ने भारत के खिलाफ डब्ल्यू टी ओ में एक विवाद दायर किया और विवाद निपटान पैनल ने भारत के खिलाफ निर्णय दिया। भारत ने पैनल के निष्कर्षों के विरुद्ध डब्ल्यू टी ओ के अपीलीय निकाय में एक अपील दर्ज की किंतु अपीलीय निकाय ने भी पैनल के निर्णय की पुष्टि की। इन दोनों रिपोर्टों को विवाद निपटान निकाय ने अपनी स्वीकृति दे दी। फलस्वरूप, भारत और यू एस ए के बीच विवाद निपटान निकाय के निर्णयों तथा सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उचित समयावधि निर्धारित करने के प्रयोजन से एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए। करार के अनुसार, 714 मदों पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों को 1.4.2000 से हटाया गया है और शेष 715 मदों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध 1.4.2001 से हटाए जाने हैं।

जिन 714 मदों पर से 31.3.2000 को प्रतिबंध हटाए गए हैं उनमें से 230 कृषि मदें, 47 वस्त्र मदें और 437 अन्य औद्योगिक उत्पाद हैं। जिन 715 मदों पर से 31.3.2001 तक प्रतिबंध हटाए जाने हैं उनमें से 147 कृषि मदें, 342 वस्त्र मदें, और 226 अन्य औद्योगिक उत्पाद हैं। जिन 1429 मदों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, उनका विवरण संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

तथापि, देश में सभी आयात सीमाशुल्कों की लागू दरों के अधीन हैं और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर लागू घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनी, पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों के भी अधीन होते हैं। इससे घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण मिलेगा। इसके अलावा आयातों पर नजदीकी से नजर रखी जा रही है और सरकार टैरिफ तंत्र के उचित इस्तेमाल से यह सुनिश्चित करेगी कि आयाती के कारण घरेलू उद्योग का कोई गंभीर भय या क्षति न हो।

अधिकांश कृषि मदों के लिए डब्ल्यू टी ओ में भारत की टैरिफ बाध्यताएं काफी अधिक हैं और अगर आयातों में पर्याप्त वृद्धि का कोई साक्ष्य मौजूद है तो सीमाशुल्क की लागू दरों को उस स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। संसद में प्रस्तुत वर्ष 2000–2001 के लिए बजट में कई कृषि मदों में पर आयात शुल्कों (आई टी सी (एस एच) के अध्याय 1 से 24) जो निर्यात और आयात मदों में वर्गीकृत हैं, में वृद्धि की गई है ताकि घरेलू किसानों को और अधिक संरक्षण मुहैया कराया जा सके।

सरकार एस एस आई एककों के उभरते हुए परिदृश्य के बारे में जागरूक है तथा उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए जाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जिनमें शामिल हैं, प्रौद्योगिकी उन्नयन जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना, सामूहिक

दृष्टिकोण के द्वारा बुनियादी सुविधा संबंधी सहायता, आधुनिक प्रबंधन प्रणाली को अपनाकर समय पर ऋण सुविधा, इलैक्ट्रॉनिक अवस्थापना का इस्तेमाल, विपणन एवं समय पर सूचना प्रसार, व्यापार उदारीकरण की उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए लघु उद्योगों को जागरूक बनाना।

पुनर्गठन कोष की स्थापना

7281. श्री ए. डी. के. जयशीलन :

श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसी पृथक पुनर्गठन कोष (रीस्ट्रक्चरिंग फंड) की स्थापना करने पर विचार कर रही है जिसमें सरकारी उद्यमों की बिक्री से हुई प्राप्तियों का एक हिस्सा शामिल होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

अपरिष्कृत चमड़े का निर्यात

7282. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में स्थित बड़ी संख्या में इकाईयों को चमड़े का निर्यात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में अपरिष्कृत चमड़े का निर्यात किया गया और उसका मूल्य कितना था और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या सरकार को अपरिष्कृत चमड़े के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) जी, नहीं। कच्ची खालों एवं चमड़ियों का निर्यात 1973 से प्रतिबंधित सूची में है। अपरिष्कृत चमड़े का कोई निर्यात नहीं हुआ है।

''सिट्रा'' द्वारा अध्ययन

7283. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयम्बटूर आधारित साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 1990 के दशक में कताई मिलें अपने लाभ में अभूतपूर्व गिरावट का रुख प्रदर्शित करती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने इस अध्ययन की रिपोर्ट की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो वस्त्र उद्योग पर आए इस संकट को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इस रिपोर्ट के अनुसार मूल्य में वृद्धि करनी चाहिए और अपनी इकाई की उगाही बढ़ानी चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सिटरा द्वारा अध्ययन अपने बल पर समय–समय पर किया जाता है तथा यह उद्योग की स्थिति के बारे में कताई मिलों को सूचित करने के लिए एक नियमित कार्य है। कताई मिलों की लाभप्रदता 1990 के दशक में निम्नगामी प्रवृति दर्शा रही थी। तथापि, वर्ष 1999 में उद्योग ने सुधार की प्रवृति दर्शायी। लाभ और हानि में परिवर्तन मुख्यतः यार्न बिक्री कीमतों में समानुपातिक वृद्धि के बिना चार इनपुट लागतों यथा कपास, विद्युत, ब्याज तथा अन्य शीर्षों में सीधी वृद्धि के कारण होती है।

सरकार ने वस्त्र मदों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं इनमें कुछ निम्नानुसार हैं:–

(1) सरकार ने वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के लिए एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की है जो 1.4.1999 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू है। योजना के अनुरूप परियोजना के प्रौद्योगिकीय उन्नयन पर ऋण देने वाली एजेंसी द्वारा प्रभारित ब्याज पर सरकार की वित्तपोषण सीमा 5% तक प्रतिपूर्ति की है।

(2) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, सरकार ने अनुसंधान, किसानों को प्रौद्योगिकी की सूचना देने, विपणन अध्यसंरचना में सुधार और गिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से कपास विकास पर कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है।

(3) वस्त्र उद्योग की अर्थक्षमता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाने के उद्देश्य से, उद्योग तथा अन्य संबंधित संगठन के परामर्श से वित्तीय एवं शुल्क ढांचा को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रयास जारी है।

(4) वस्त्र क्षेत्र को अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के अंतर्गत 5% की दर से आयात शुल्क के रियायती दर की सुविधा प्रदान की गयी है।

(5) उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा उन्नयन, प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के द्वारा व्यापक परीक्षण सुविधा प्रदान करना।

(6) सरकार ने वस्त्र मिलों को ऐसे फाइबर/यार्न की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ओ.जी.एल. के अंतर्गत वस्त्र फाइबर/यार्न के सभी आयात को रखा है।

(7) व्यापार में सुधार लाने के लिए वस्त्र उद्योग में आसूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु उपाय शुरू किये हैं।

[हिन्दी]

नई स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवाओं को ऋण

7284. श्री राम टहल चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवाओं को ऋण प्रदान करने के लिए कोई नई स्वरोजगार योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) बेरोजगार युवाओं विशेषकर अन्य पिछड़े वर्गों के युवाओं को ऋण प्रदान करने के लिए नई स्व-रोजगार योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा प्रायोजित मौजूदा योजनाओं के तहत बैंक, अन्य पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवाओं सहित सभी बेरोजगार युवाओं को ऋण देते हैं।

[अनुवाद]

मारीशस के साथ द्विपक्षीय व्यापार

7285. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और मारीशस द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों देशों द्वारा किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) जी, हां। भारत और मारीशस द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन करने के लिए सहमत हो गए हैं। इस संबंध में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करार पर भारत की ओर से माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री अजित कुमार पांजा तथा मारीशस की ओर से माननीय उप-प्रधानमंत्री, विदेश व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री राजकेश्वर प्रयाग द्वारा 10 मार्च, 2000 को पोर्ट लुईस में हस्ताक्षर किए गए थे। अन्य बातों के साथ-साथ इस करार में यह उल्लेख किया गया है कि दोनों देश डब्ल्यू टी ओ के सदस्य हैं और तदनुसार वे उरूग्वे दौर के करारों, निर्णयों तथा घोषणा-पत्र में यथा उल्लिखित बहुपक्षीय व्यापार के सिद्धांतों में बंधे हुए हैं। दोनों देश व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने और दौरों तथा शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान, मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी तथा सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से संपर्कों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें सुविधाजनक बनाने पर सहमत हुए हैं। करार में मुख्य ध्यान करार के उपबंधों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और संविदाकारी पक्षों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के वाणिज्यिक आदान-प्रदान को बढ़ाने के उपायों के संबंध में सिफारिश करने के लिए संयुक्त व्यापार

समिति की स्थापना पर केन्द्रित है। यह बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर होने वाले व्यापार संबंधी घटनाक्रमों पर देगी और द्विपक्षीय स्तर पर व्यापार पद्धतियों और व्यापार के प्रवाह की जांच करेगी। यह बहुपक्षीय क्षेत्रीय स्तरों पर व्यापार वार्ताओं और व्यापार से संबंधित अन्य मामलों के बारे में सामान्य कार्यनीतियां तैयार करेगी। यह व्यापार क्षेत्र तथा व्यापार से संबद्ध क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने के बारे में सलाह देगी तथा व्यापार क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के कार्यक्रम तैयार करेगी और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। व्यापार करार में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि वस्तुओं और सेवाओं के आयात तथा निर्यात दोनों देशों के प्राकृतिक तथा विधिक व्यक्तियों के बीच निष्पादित संविदा के आधार पर किया जाएगा और वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए भुगतान परिवर्तनीय मुद्रा में होगा। व्यापार करार में सुरक्षा उपाय संबंधी खण्ड को भी शामिल किया गया है।

रुग्ण वस्त्र मिलों द्वारा भूमि का विक्रय

7286. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रुग्ण वस्त्र मिलों को उनके स्वामित्व वाली भूमि का विक्रय करने की अनुमति दे दी है बशर्ते इससे प्राप्त धनराशि का उपयोग इन मिलों के पुनरुद्धार में हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कौन–कौन सी रुग्ण मिलें हैं जिन्हें अनुमति दी गयी है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इससे मुंबई में कई स्थानों पर टकराव हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्दन): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा एन टी सी की मिलों के लिए कोई अनुमति नहीं दी गयी है क्योंकि संबंधित राज्य सरकार विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सका है। निजी वस्त्र मिलों के मामले में ऐसी अनुमति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है।

[हिन्दी]

राजस्थान में भारी उद्योग

7287. श्रीमती जसकौर मीणा :

डॉ. जसवंत सिंह यादव :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में चल रहे भारी उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड का कार्यनिष्पादन कैसा है;

(ग) क्या इन उद्योगों में से कई उद्योग घाटे में चल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उनके घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 6 उपक्रमों के पंजीकृत कार्यालय राजस्थान में स्थित हैं। ये उपक्रम हैं–हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेण्टेशन लिमिटेड तथा सांभर साल्ट्स लिमिटेड।

(ख) वर्ष 1998–99 तक की जानकारी उपलब्ध है और उक्त अवधि के दौरान राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेण्टेशन लिमिटेड ने 4 लाख रुपये का निवल लाभ अर्जित किया है।

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सिर्फ दो उपक्रमों–नामशः हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड तथा सांभर साल्ट्स लिमिटेड ने वर्ष 1998–99 के दौरान घाटा उठाया है।

(घ) सरकार ने हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड के कार्य–निष्पादन में सुधार करने के लिए जो कदम उठाए हैं; उनमें खरगोदा में एक नमक रिफाइनरी तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी–युक्त ब्रोमीन संयंत्र का संस्थापन शामिल है, जिससे उत्पादन की लागत कम होगी तथा नमक की गुणवत्ता में सुधार होगा। सांभार साल्ट्स लिमिटेड के मामले में नमक को क्लोर–एल्कली उद्योग के लिए उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से नमक की गुणवत्ता में सुधार हेतु सांभार झील में साल्ट वाशरी का संस्थापन तथा वर्षा पर निर्भरता कम करने के लिए नलकूप (बारवेल) की धंसाई आदि का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का डम्प किया जाना

7288. श्री के. मुरलीधरन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई आयात-निर्यात नीति 2000-2001 को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक रबर, नारियल जैसे उत्पादों के लिए कृषकों को पर्याप्त लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी कृषि उत्पादों की डम्पिंग से बचने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) मौजूदा एग्जिम नीति के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ का आयात प्रतिबंधित सूची में रखा गया है और सार्क देशों को छोड़कर इसके आयात की अनुमति अग्रिम लाइसेंस/विशेष आयात लाइसेंस पर ही दी जाती है। अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत भी इसका आयात 20.2.99 से प्रतिबंधित है। प्राकृतिक रबड़ का निर्यात मौजूदा एग्जिम नीति के अंतर्गत मुक्त है।

मौजूदा एग्जिम नीति के अनुसार, कोपरा, नारियल और इसके उत्पादों का सरणीयन राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन के जरिए किया जाता है।

मौजूदा एग्जिम नीति में सुपारी के आयात की अनुमति विशेष आयात लाइसेंस पर दी गई है और सार्क देशों में इसका आयात मुक्त है।

(ग) और (घ) सरकार प्रत्येक कृषिजन्य उत्पाद के आयात पर निरंतर निगरानी रखती है। चूंकि उपरोक्त मदों का आयात नगण्य है, इसलिए इसके पाटन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जूट पैकेजिंग आर्डर

7289. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अनिवार्य जूट पैकेजिंग आर्डर में ढील दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां।

पश्चिमी बंगाल में पटसन मिलों में दिनांक 22.3.2000 से चल रही अनिश्चिम कालीन हड़ताल के मद्देनजर और अनिवार्य मदों नामतः खाद्यान्न, चीनी व यूरिया की पैकेजिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 में रिआयत प्रदान करने की आवश्यकता पर विचार किया और अतः निम्नलिखित वस्तुओं को पटसन के थैलों में पैक करने के लिए दिनांक 1.7.1999 की अपनी पहली अधिसूचना राजपत्र अधिसूचना संख्या एस. ओ. 327 (ई) दिनांक 31.3.2000 में संशोधन किया है:-

क्रम सं.	वस्तुएं	दिनांक 1.7.1999	दिनांक 31.3.2000
		की अधिसूचना के अनुसार पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किए जाने के लिए कुल उत्पादन की प्रतिशतता (30.6.2000 तक वैद्य)	
1.	खाद्यान्न	100%	90%
2.	चीनी	100%	90%
3.	फर्टिलाईजर (केवल यूरिया)	20%	15%

ट्रिप्स के अंतर्गत विपणन अधिकार

7290. श्री मोइनुल हसन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ट्रिप्स के अंतर्गत एकाधिकार विपणन अधिकारों (ई.एम.आर.) के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन आवेदनों की संख्या क्या है और किन-किन उत्पादों के लिए ऐसे ई.एम.आर. आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण): (क) और (ख) भारतीय पेटेंट कार्यालय ने "औषध भेषजीय संघटन" नामक उत्पाद के लिए एकाधिकार विपणन अधिकार (ई.एम.आर.) प्रदान करने के लिए मैसर्स एफ होफसान ला रोचे ए. जी., वासले, स्विटजरलैंड द्वारा दायर एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त उत्पाद रीट्रोवायरस्स से होने वाली बिमारीयों के इलाज के लिए उपयोगी बताया गया है।

(ग) उपर्युक्त ई. एम. आर. आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जा रही है। अभी तक कोई ई.एम.आर. प्रदान नहीं किया गया है।

निर्यातकों के लिए एकल खिड़की योजना

7291. **श्री शिवाजी विट्ठलराव कांबले :**

श्री मोहन रावले :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य स्तर पर बहुसंख्यक सरकारी एजेंसियों में अत्यधिक कागजी कार्य होने के कारण माल भेजने में विलंब होता है जिससे समुद्री भोजन सहित विभिन्न सामग्री/वस्तुओं के निर्यातकों को परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सारे देश में समस्त निर्यात–सामग्री के लिए 'एकल खिड़की' प्रणाली को विविध स्तरों पर शुरू करने और प्रक्रिया प्रणाली को सुगम व सरल बनाने के लिए नई पहलें की हैं; और

(ग) इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों/सुझावों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ सरकार निर्यात एवं आयात प्रणाली को नियंत्रण मुक्त करने तथा उसका विकेन्द्रीकरण करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा निर्यातकों एवं विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच अनावश्यक संपर्क को कम करने की ओर सावधानीपूर्वक अग्रसर हुई है। इन कदमों के परिणामस्वरूप समुद्री खाद्य सहित विभिन्न मदों की निर्यात प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब एवं निर्यातकों को होने वाली परेशानी, यदि कोई हो, में कमी आई है।

(ख) और (ग) चूंकि भिन्न–भिन्न केन्द्रीय और राज्य एजेंसियां भिन्न–भिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं इसलिए, सभी निर्यात मदों के लिए एकल विंडो प्रणाली शुरू करना संभव नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने की दिशा में कई उपाय तैयार किए गए हैं। इनमें शामिल हैं:– आवेदनों को इलैक्ट्रानिक रूप से दायर करना, लाइसेंस के आवेदनों पर विचार करने के लिए समय–सीमा तय करने, शक्तियों का पर्याप्त प्रत्यायोजन और निर्यात संवर्धन योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने हेतु प्रावधान। ये सभी उपाय 31.3.2000 को घोषित एक्जिम नीति एवम् प्रक्रियाओं में किए गए संशोधनों में दर्शाए गए हैं। यह नीति निर्यातकों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के बाद और उनके द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर विचार करने के पश्चात् तैयार की गई थी।

असम को धनराशि का आबंटन

7292. **श्री अब्दुल हमीद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान असम सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कोई विशेष आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जनवरी, 2000 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अपने दौरे के दौरान प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 10271 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। पूर्वोत्तर को दिए गए इस पैकेज में बैंकिंग तथा वाणिज्य, सीमा सड़क तथा सीमा व्यापार, स्वास्थ्य शिक्षा, विद्युत, नागर विमानन, बाढ़ नियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्यान इत्यादि सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहायता शामिल है। योजनाओं को संबंधित केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा तैयार किया जाना है।

विवरण

नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न मदों के अन्तर्गत आबंटित धनराशियां दिखाने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

मद	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4
1. साधारण केन्द्रीय सहायता	1147.67	1067.98	1149.85
2. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनायें	80.00	47.00	166.77
3. आधारभूत न्यूनतम सेवाएं	163.80	172.46	188.53
4. स्लम विकास योजना	2.84	2.84	3.12
5. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	15.00	25.00	25.00
6. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	4.12	4.17	7.20
7. पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	46.32	50.16	50.90

1	2	3	4
7. पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	46.32	50.16	50.90
8. अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	10.00	4.10	16.50
9. संसाधनों का न समाप्त होने वाला केन्द्रीय पूल	–	28.81	136.86
10. रेल यात्री किराया अनुदान के बदले में करों सहित केन्द्रीय करों में हिस्सा	1480.45	1354.53	1453.98
11. आपदा राहत निधि	39.58	41.60	43.37
12. दसवें वित्त आयोग द्वारा सिफ़ारिश की गई अनुदानें			
i) स्थानीय निकाय	36.89	36.89	36.89
ii) उन्नयन अनुदान	36.72	44.06	36.71
iii) विशेष समस्या	15.00	18.00	15.00
13. जनजाति सब–प्लान	15.45	23.27	24.49
14. कृषि अन्तरण	0.25	0.25	0.25

आई. सी. ए. का डब्ल्यू. आई. पी. ओ. के साथ समझौता

7293. श्री अनंत गुढ़े : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेटेन्ट प्रतिलिप्याधिकार और प्रौद्योगिकी अंतरण वाले अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम मामलों के निपटान हेतु "इंडियन काउंसिल आफ आर्बिट्रेशन (आई.सी.ए.) ने "वर्ल्ड इन्टलेक्युअल प्रापर्टी ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यू. आई. पी. ओ.) के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्रियान्वयन हेतु समय–सीमा संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और चालू वर्ष के लिए कार्य योजना क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यू आई सी ओ) आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर और इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन के बीच 1 नवम्बर, 1999 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) इस करार का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों विशेषकर बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए एक निष्पक्ष विवाद निपटान तंत्र के रूप में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया का संवर्द्धन करना है, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताओं एवं तेजी से प्रगति और इसके उभरते हुए अन्योन्याश्रय वातावरण के अनुरूप है। इस करार में दोनों पक्षों के बीच सूचना के आदान–प्रदान, मध्यस्थता कार्यवाहियों और प्रशिक्षण क्रियाकलापों में सहायता के आदान–प्रदान के रूप में सहयोग की व्यवस्था है।

(ग) यह एक निरंतर चलने वाली व्यवस्था है और इसके कार्यान्वयन के लिए सतत प्रयास अपेक्षित हैं।

(घ) इस करार पर नवम्बर, 1999 के महीने में हस्ताक्षर किए गए थे। इंडियन काउंसिल आफ आर्बिट्रेशन ने डब्ल्यू आई पी ओ के साथ उपरोक्त कुछ कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए पारस्परिक कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया है। शुरू में, आई सी ए ने निकट भविष्य में विशेषकर मध्यस्थता, विवाचन एवं समाधान के तौर तरीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।

केरल में निर्यात निष्पादन

7294. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा केरल में औद्योगिक क्षेत्र को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में कितने नए उद्योग शुरू किए गए;

(ग) गत तीन वर्षों में मसाले, रबड़ और अन्य नकदी फसलों के संबंध में केरल के उद्योगों का निर्यात निष्पादन कितना है;

(घ) क्या आने वाले वर्षों में केरल से मसालों के निर्यात की संभावना बहुत अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) किसी भी राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार लाए जाने तथा विकसित किए जाने की मूलतः पूर्ण रूप से सम्बद्ध राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। केन्द्र सरकार उनके प्रयासों में

विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, जैसे विकास केन्द्र योजना, परिवहन राजसहायता योजना आदि के माध्यम से सहायता करती है।

केरल सरकार ने अक्तूबर, 1998 में अपनी नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की है। उन्होंने औसत वार्षिक औद्योगिक वृद्धि को तेज करके 9% तक ले जाने, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने, आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने, घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने, और राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और संभावनाओं का अधिकतम उपयोग को लक्ष्य बनाकर अनेक कदम उठाये हैं।

(ख) केरल राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान किये गये आशय पत्रों, औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों और निर्यातान्मुखी एककों की संख्याओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

	1997		1998		1999	
	संख्या	निवेश (रु. करोड़)	संख्या	निवेश (रु. करोड़)	संख्या	निवेश (रु. करोड़)
आशय पत्र	–	–	–	–	1	0.40
औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन	33	251	16	72	31	1368.00
निर्यातोन्मुखी एकक	2	12	3	8	3	7.00

जनवरी, 1997 से दिसंबर, 1999 तक चार आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में बदला गया है और 24 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों के संबंध में कार्यान्वयन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

केरल सरकार ने सूचित किया है कि उक्त अवधि के दौरान राज्य में निम्नलिखित एकक स्थापित किए गये हैं:–

टैक्नोपार्क	23 कंपनियां
के.आई.एन.एफ.आर.ए.	27 कंपनियां
डी.आई.सी.के तहत लघु क्षेत्र	56704 एकक
के. एस. आई. डी. सी. से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	160

(ग) केरल देश का मसालों और काजू का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है और इस प्रकार निर्यातों में पर्याप्त मात्रा में योगदान करता है। जहां तक प्राकृतिक रबर का संबंध है, हमारा देश परंपरागत रूप से इस मद का निबल रूप से आयातक रहा है। यद्यपि, उपयोगकर्त्ता उद्योग में मंदी के कारण 1997–98 के वर्ष के बाद देश में रबर उत्पादन खपत की मात्रा को पार कर गया, फिर भी प्राकृतिक रबर का अधिक निर्यात संभव नहीं हो सका है, क्योंकि अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घरेलू कीमतों से कम रही हैं। निर्यातों के राज्य-वार ब्यौरे केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) केरल से मसालों के निर्यात की संभावनाएं बहुत उज्जवल है। काली मिर्च, अदरक और हल्दी की अधिक मांग है। राज्य में मसाला आधारित तेल और ओलियोरेजिन के उद्योग भी उपलब्ध हैं। इन उत्पादों के निर्यात में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है।

मूल्य वर्द्धित कर प्रक्रिया

7295. **श्री जी. एस. बसवराज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मूल्य वर्द्धित कर प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु प्रणालियां विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि इससे कर संग्रहण में वृद्धि करने और अनुपालन में सहायता मिलेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इसके आसान अनुपालन हेतु सरलीकृत प्रक्रिया शामिल करने के लिए व्यापारिक/व्यावसायिक एसोशिएशनों में परामर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा 1.4.2001 से लागू होने वाली मूल्य वर्द्धित कर योजना

पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों की एक मूल्य–वर्द्धित कर परिषद का एवं केन्द्रीय वित्त सचिव/राजस्व की अध्यक्षता में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बिक्री कर आयुक्तों की एक स्थायी परिषद का गठन भी किया है। आयुक्तों की स्थाई परिषद राज्यों में मूल्य–वर्द्धित कर के प्रबंधन के लिए अधिसूचनाएं तथा आंकड़े एकत्र करने के लिए तंत्र उपलब्ध करायेगा और राज्यों के साथ परामर्श करने के लिए भी उसके पास अधिकार है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने मूल्य वर्द्धिध कर प्रणाली के प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण तथा प्रचार के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करने के लिए नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी को यह कार्य सौंपा है। नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी संबधित राज्य अभिकरणों के साथ विभिन्न व्यापार/व्यवसायी संघों के साथ पारस्परिक विचार–विमर्श के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर रही हैं।

स्ट्रिंगर्स की नियुक्ति

7296. **श्री वी. एस. शिवकुमार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन में स्ट्रिंगर्स की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्ट्रिंगरों हेतु सुझाया गया कैमरा बहुत महंगा है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्ट्रिंगरों को लीज पर कैमरे उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) दूरदर्शन में स्ट्रिंगरों (फुटकर संवाददाताओं) को सूची में शामिल करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले मानदण्ड इस प्रकार हैं:–

(1) प्रसारण के तकनीकी पैरामीटरों के अनुरूप बीटाकैम/डिजीटल कैमरा का स्वामित्व।

(2) समाचार मदों को कवर करने में विशेषता संबंधी साक्ष्य।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयात शुल्क से छूट प्राप्त परियोजनाओं की सूची

7297. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** :

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री दिन्शा पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना रिवर बेड पावर हाउस आयात शुल्क से छूट प्राप्त करने वाली परियोजनाओं की सूची में शामिल होने के आवश्यक मानदंड को पूरा करती है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को इस सूची में कब शामिल किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 1998 में घोषित की गई संशोधित मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत, कुछेक विद्युत परियोजना स्थलों का मेगा विद्युत परियोजनाओं के रूप में पता लगाया गया है। जिनका सरकारी तथा गैर–सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में बहुराज्यीय मेगा विद्युत परियोजनाओं के रूप में विकास किया जाना है। पता लगाई गई मेगा विद्युत परियोजनाओं को कुछेक वित्तीय रियायतें दी जा रही हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, इन परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण उपस्करों के आयात पर सीमा शुल्क के अदायगी से छूट शामिल है। ऐसी रियायतों के लिए पहले पता लगाई गई परियोजनाओं के अलावा, सरकार ने वित्तीय रियायतों की मंजूरी के लिए और अधिक परियोजनाओं को शामिल करने का निर्णय नहीं लिया है और न ही भविष्य में और अधिक परियोजनाओं को शामिल करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सरदार सरोवर परियोजना के रिवर बेड पावर हाउस को पता लगाई गई मेगा विद्युत परियोजनाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है और न ही उसे वित्तीय रियायतों की मंजूरी के लिए अधिसूचित किया गया है।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, पता लगाई गई मेगा विद्युत परियोजनाओं की सूची में सरदार सरोवर परियोजना का रिवर बेड पावर हाउस शामिल नहीं है, जो कि एक पहले से ही चल रही परियोजना है। संशोधित मेगा विद्युत नीति में पहले से चल रही ऐसी परियोजनाओं को शामिल करने की व्यवस्था नहीं है।

आपूर्ति विभाग का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ विलय

7298. **श्री कृष्णमराजू** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपूर्ति विभाग को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ विलय करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विलय से कितनी बचत होगी;

(घ) क्या वेतन और लेखा कार्यालय सहित आपूर्ति विभाग में कर्मचारियों के हितों को परस्पर वरिष्ठता सूची को ध्यान में रखा जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) आपूर्ति विभाग में पुनर्गठन के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) बचतें पुनर्गठन के स्वरूप पर निर्भर करेंगी।

(घ) और (ङ) वरिष्ठता संबंधी मामले को इस बारे में सरकार की हिदायतों और संबंधित नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा।

[हिन्दी]

सोने का आयात

7299. श्री तूफानी सरोज : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान सोने के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997–98 तथा 1998–99 के दौरान सोने का कुल कितना आयात हुआ और इसका मूल्य कितना था;

(ग) क्या सोने के जवाहरात के निर्यात में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1997–98 और 1998–99 के दौरान आयातित सोने की मात्रा एवं मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1997–98	635.786	27633
1998–99	511.018	21320

स्रोत : राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

(ग) जी, नहीं। पिछले 3 वर्षों के दौरान सोने के आभूषणों के निर्यात निम्नानुसार हैं:–

वर्ष	निर्यातों का मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)	प्रतिशत वृद्धि
1997–98	802.97	55.76
1998–99	870.15	8.37
1999–2000	992.34	14.04

स्रोत : 1997-98, 1998-99 के लिए वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता और 1999-2000 के लिए रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् मुम्बई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं हेतु 'नाबार्ड' ऋण

7300. श्री राजो सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान 'नाबार्ड' ने सिंचाई परियोजनाओं हेतु बिहार को कोई धनराशि उपलब्ध कराई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर यह राशि व्यय किए जाने की संभावना थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है, ताकि वे इसे आगे किसानों को उधार दे सकें और साथ ही ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के तहत राज्य सरकारों को सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। पिछले तीन वर्ष में लघु सिंचाई के तहत बिहार में भागीदार बैंकों को नाबार्ड द्वारा संवितरित पुनर्वित्त निम्नलिखित है:

वर्ष	राशि (लाख रूपए)
1997–98	1623
1998–99	856
1999–2000	1004

नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जब से ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आर आई डी एफ) की शुरूआत हुई है तब से बिहार, सरकार के लिए मंजूर सिंचाई परियोजना के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपए में)

मंजूरिया	आरआईडीएफ–I 1995-96	आरआईडीएफ–II 1996-97	आरआईडीएफ –III 1997-98	आरआईडीएफ IV 1998-99	आरआईडीएफ V 1999-2000	कुल
लघु सिंचाई	22.17	–	62.31	–	21.43	105.91
बड़ी सिंचाई	–	–	–	116.00	75.00	191.00
कुल	22.17	–	62.31	116.00	96.43	296.91

(ग) आरआईडीएफ से मंजूर ऋण, परियोजना विशिष्ट हैं और प्रतिपूर्ति आधार पर हैं। मंजूरी की शर्तों के अनुसार, किसी खास परियोजना के लिए मंजूरी राशि उसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए खर्च की जानी है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण

7301. **श्री अवतार सिंह भडाना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं के लिए लघु उद्यमियों द्वारा अपने उद्योगों की स्थापना किए जाने हेतु उन्हें ऋण प्रदान करने संबंधी आवेदनों पर विचार करने के संबंध में कोई दिशा–निर्देश निर्धारित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न श्रेणियों के उद्यमियों के संबंध में विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उद्यमियों के संबंध में ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) उद्यमी के किसी विशेष आर्थिक क्रियाकलाप अथवा श्रेणी का वित्तपोषण करने से संबंधित निर्णय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वयं लिया जाता है। जो उनके वाणिज्यिक निर्णय एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण विनियमों के ढांचें एवं एक्सपोजर संबंधी मानदण्डों के अन्तर्गत संबंधित बोर्ड द्वारा निर्धारित ऋण नीति पर आधारित होता है। उधारकर्ताओं/उद्यमियों की किसी विशेष श्रेणी को ऋण देने के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। वे परियोजनाएं जो वित्तीय रूप से अर्थक्षम हैं तथा जहां उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता सुदृढ़ है, उन सभी को वित्त पोषित किया जाता है।

रेशम उत्पादन का संवर्धन

7302. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर कर्नाटक में रेशम उत्पादन के संवर्धन की व्यापक संभावना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आठवीं योजना के दौरान इस संबंध में सरकार ने कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई थी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार क्या उपलब्धियां रहीं; और

(घ) नौवीं योजना के दौरान देश मे रेशम उत्पादन के संवर्धन हेतु राज्यवार, विशेषकर कर्नाटक के लिए निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी हां।

(ख) जून, 1989 से दिसम्बर, 1996 तक आठवीं योजना की अवधि की परस्पख्यापी अवधि के दौरान सरकार ने 508.20 करोड़ रु. की लागत से विश्व बैंक की सहायता से और 194.015 करोड़ रु. की स्थानीय ऋण सहायता से राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना (एन.एस.पी.) क्रियान्वित की थी। इस परियोजना में अन्य राज्यों के साथ कर्नाटक को भी शामिल किया गया था।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अंतर्गत शहतूती क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अनुसार निवल वृद्धि हुई:

कर्नाटक	26137 हैक्टेयर
आंध्र प्रदेश	21615 हैक्टेयर
तमिलनाडु	809 हैक्टेयर
पश्चिमी बंगाल	5564 हैक्टेयर
जम्मू व कश्मीर	3302 हैक्टेयर
12 प्रायोगिक राज्य	2565 हैक्टेयर

(असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश)

परियोजना के अंतिम वर्ष में रेशम उत्पादन में समग्र प्रति वर्ष वृद्धि निम्नानुसार थी:

कर्नाटक	2947 टन
आंध्र प्रदेश	634 टन
तमिलनाडु	365 टन
पश्चिमी बंगाल	220 टन
जम्मू व कश्मीर	30 टन
12 प्रायोगिक राज्य	17 टन

(असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश)

(घ) रेशम उत्पादन के विकास के लिए नौंवीं योजना में निधियों का आबंटन विशेष राज्यों के लिए किसी प्रकार का निर्धारण किए बिना केन्द्रीय रेशम बोर्ड की विभिन्न योजनाओं को निधियां आबंटित की जाती हैं।

ऋणों की वसूली

7303. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों को उन ग्राहकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण वापस नही करते हैं;

(ख) ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान वह धनराशि कितनी–कितनी रही है जिसके लिए कानूनी कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस कानूनी कार्यवाही के परिणामस्वरूप ऋणों की वसूली कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आज की तिथि तक प्रत्येक बैंक द्वारा बैंकवार वसूली गई धनराशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल): (क) बैंक अपनी ऋण वसूली नीति के अनुसार बैंक देयराशियों की वसूली के लिए चूककर्ताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं। सामान्यतया वसूली के लिए मुकदमें तब दायर किए जाते हैं जब वसूली के अन्य उपायों से लाभ होता प्रतीत नहीं होता है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के 31.3.1999 तक की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों के स्थानांतरित मामलों की संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि के संबंध में सूचना संलग्न विवरण–I में दी गई है। इसी तरह, दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार, निर्णय किए गए मामलों की संख्या, वसूली गई राशि और लंबित मामलों की संख्या के साथ अंतर्ग्रस्त राशि संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

ऋण वसूली अधिकरणों – 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार आंकड़े

(राशि करोड़ रुपए में)

(क) 31.3.1999 तक डीआरटी के पास स्थानांतरित/दायर किए गए मामले

क्र. सं.	बैंक का नाम	संख्या	राशि
1.	इलाहाबाद बैंक	773	746.86
2.	आन्ध्रा बैंक	460	263.16
3.	बैंक आफ बड़ौदा	1443	1290.49
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1215	1205.69
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	181	104.98
6.	केनरा बैंक	1572	1451.78
7.	से. बैंक ऑफ इंडिया	1108	926.6
8.	कार्पोरेशन बैंक	252	84.21
9.	देना बैंक	227	130.28
10.	इंडियन बैंक	2094	2767.04
11.	आई. ओ. बी.	730	674
12.	ओ. बी. सी.	393	294.87
13.	पंजाब नेशनल बैंक	1165	677.01
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	631	521.27
15.	सिंडिकेट बैंक	844	269.24
16.	यूनियन बैंक	702	420.1
17.	युनाइटेड बैंक	706	628.16
18.	यूको बैंक	673	673.68
19.	विजया बैंक	354	272.07

विवरण-II

(ख) *31.3.1999 तक निर्णय किए गए और लंबित मामले*

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	निर्णय किए गए मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	वसूली गई राशि	लंबित मामलों की सं.	अंतर्ग्रस्त राशि
1.	इलाहाबाद बैंक	125	116.73	24.88	648	630.13
2.	आन्ध्रा बैंक	141	54.11	12.18	319	209.05
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	200	112.17	19.05	1243	1178.32
4.	बैंक ऑफ इंडिया	146	56.45	20.91	1069	1149.24
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	32	15.1	2.3	149	89.88
6.	केनरा बैंक	342	217.76	33.77	1230	1234.02
7.	से. बैंक ऑफ इंडिया	149	65.29	29.11	959	861.31
8.	कार्पोरेशन बैंक	42	13.71	7.35	210	70.5
9.	देना बैंक	46	21.54	3.74	182	108.74
10.	इंडियन बैंक	279	133.67	20.84	1815	2633.37
11.	आई. ओ. बी.	93	31.83	13.18	637	642.17
12.	ओ. बी. सी.	103	27.04	4.45	290	267.83
13.	पंजाब नेशनल बैंक	71	45.12	21.71	1094	631.89
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	129	59.84	28.02	502	461.43
15.	सिंडिकेट बैंक	200	52.09	4.6	644	217.15
16.	यूनियन बैंक	119	38.95	11	583	381.15
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इन्डिया	91	70.39	4.56	615	557.77
18.	यूको बैंक	142	75.87	20.96	531	497.81
19.	विजया बैंक	59	34.48	3.41	295	237.59

हाथी दांत का व्यापार

7304. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाथी दांत व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या उपभोक्ता अवैध शिकार से लेकर हाथियों को हुए खतरों के इन मुद्दों से अनभिज्ञ थे;

(ग) क्या वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय हाथी दांत को विश्व में अधिक बेहतर समझा जाता है;

(घ) यदि हां, तो मांग संबंधी ब्यौरा क्या है और संबंधित देशों के नाम क्या हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और देशवार अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) भारतीय हाथीदांत का व्यापार 1986 से पूर्णरूप से प्रतिबंधित है। उपभोक्ताओं, विशेषरूप से विकसित देशों में हाथीदांत का प्रयोग प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में किया जाता है। वन्य जीवन विशेषज्ञों के मतानुसार, भारतीय हाथीदांत अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं।

चूंकि हाथीदांत का "व्यापार" 1986 से प्रतिबंधित है इसलिए इस तरह के व्यापार से पिछले तीन वर्षों में कोई विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नोटों/सिक्कों की छपाई/ढलाई

7305. **प्रो॰ रासासिंह रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आज तक किस–किस मूल्य के नोटों/सिक्कों की छपाई/ढलाई बंद की गयी है;

(ख) ये नोट/सिक्के कब तक प्रचलन में रहेंगे;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन नोटों/सिक्कों की कमी के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो लोगों को इस कारण हो रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) निकट भविष्य में किस–किस मूल्य के नए नोटों/सिक्कों की छपाई/ढलाई का प्रस्ताव है और उसके डिजाइन और आकार क्या होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों के सिक्काकरण के परिणामस्वरूप क्रमशः नवम्बर, 1994, फरवरी, 1995 और नवम्बर, 1995 से इन नोटों का मुद्रण बन्द कर दिया गया है। इन मूल्य वर्गों में ऐसे नोटों के कुछ अदद अभी भी चलन में हैं जिन्हें अंग्रेजी और देशी भाषाओं के समाचार पत्रों और इलैक्ट्रोनिक माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार करने के बावजूद भी जनता द्वारा इन नोटों को सिक्कों में या उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदलने के लिए वापिस नहीं किया गया है। तथापि इन नोटों को वापिस करने के लिए कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि इससे जनता को तत्काल असुविधा होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) सिक्कों की वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कलकत्ता, हैदराबाद और मुंबई में स्थित सरकारी टकसालों के आधुनिकीकरण का काम अभी चल रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए मूल्यवर्ग के सिक्कों का आयात भी कर रही है।

(ङ) सरकार ने जुलाई, 2000 के अंत तक 1000 रु. मूल्यवर्ग का नोट जारी करने का निर्णय किया है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों से प्राप्त धनराशि का उपयोग

7306. **श्री साहिब सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1999 तक अनिवासी भारतीयों से कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई;

(ख) बड़ी आधारभूत परियाजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनिवासी भारतीयों से प्राप्त धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) इस संबंध में राष्ट्रीय नीति क्या है और दो और दस वर्ष की संदर्शी योजना क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान विभिन्न निवेश योजनाओं के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों से प्राप्त कुल निवेश अन्तप्रवाह तथा अवसंरचनात्मक क्षेत्र में निवेश का अंश निम्नानुसार रहा है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	1997	1998	1999
(i) अनिवासी भारतीय निवेश अन्तर्प्रवाह	1039.61	360.08	522.43
(ii) अवसंरचनात्मक क्षेत्र में निवेश अन्तर्प्रवाह	325.46	168.41	48.30

इसके अतिरिक्त, अवसंरचनात्मक क्षेत्र, सरकारी प्रतिभूतियों में लगाने तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सी॰ आर॰ आर॰ अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अगस्त, 1998 में रिसर्जेंट इंडिया बांडों के निर्गम के जरिए 18,051 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई थीं।

(ग) भारत के विकास तथा वृध्दि से अनिवासी भारतीयों को पूर्णतः जोड़ने के उद्देश्य से भारत के अनिवासी भारतीय निधियों को आकृष्ट करने के लिए आवधिक पुनर्समीक्षा के आधार पर समय-समय पर नीतियों की घोषणा की जाती है।

दूरदर्शन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान

7307. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन नेटवर्क में सहयोग करने तथा विश्व के अन्य देशों के साथ कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) उक्त समझौते कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन और अन्य प्रसारण संगठनों के बीच सहयोग एक सतत् प्रक्रिया है और पक्षों के बीच पारस्परिक सुविधा के अनुसार करारों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। हाल ही में 22 फरवरी, 2000 को दूरदर्शन ने रेडियोडिफयूजन टेलीविजन मेरोकेन (आर.टी.एम.), मोरक्को के साथ कार्यक्रमों के आदान-प्रदान, सह-निर्माण, पारस्परिक आधार पर एक-दूसरे के संगठन में कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा प्रतिनिधियों/संवाददाताओं के एक दूसरे के यहां दौरों आदि के क्षेत्र में सहयोग हेतु करार पर हस्ताक्षर किए हैं। उक्त करार की विभिन्न धाराओं को दोनों पक्षों की आपसी सुविधा के अनुसार अथवा दोनों पक्षों में से किसी एक की पहल पर कार्यान्वित किया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बैंक

7308. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक अलग बैंक बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह बैंक कब तक स्थापित कर दिया जायेगा और इससे किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तम्बाकू उद्योग

7309. श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में तम्बाकू उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू उद्योग में भारतीय तम्बाकू उद्योग की कोई सार्थक भूमिका है;

(ग) यदि हां, तो यह भूमिका किस प्रकार की है;

(घ) देश का वर्तमान तम्बाकू खपत कितना है;

(ङ) इस क्षेत्र में कितने कामगार कार्यरत हैं; और

(च) तम्बाकू उद्योग से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) भारतीय तम्बाकू उद्योग निजी क्षेत्र में आता है।

(ख) और (ग) जी, हां। इस समय भारत विश्व में तम्बाकू के तीन बड़े उत्पादकों में, अनिर्मित तम्बाकू (सभी किस्म) का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है तथा फ्ल्यू क्योर्ड वर्जिनिया (एफ सी वी) तम्बाकू के निर्यातकों में इसका चौथा स्थान है।

(घ) भारत में तम्बाकू की मौजूदा खपत शुष्क वजन में लगभग 480 मिलियन किग्रा. है।

(ङ) भारतीय तम्बाकू क्षेत्र लगभग 7.5 मिलियन परिवारों को रोजगार प्रदान करता है।

(च) पिछले तीन वर्षों के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन के रूप में एफ सी वी तम्बाकू के निर्यात का कुल मूल्य इस प्रकार रहा है:-

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1997-98	1070.24
1998-99	779.11
1999-2000 (अप्रैल-दिसम्बर)	781.49

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस)

रत्नों और जवाहरात का निर्यात

7310. श्री अनन्त नायक :

श्री अकबर अली खांदोकर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रत्नों और जवाहरात का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान रत्नों और जवाहरात के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसके निर्यात द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) सरकार द्वारा रत्नों और जवाहरात का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) रत्न एवं आभूषणों का निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से व्यापार जगत से प्राप्त सूचना और अनुरोधों के आधार पर निर्यात एवं आयात नीति में संशोधन करने समेत समय-समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं। रत्न एवं आभूषणो का निर्यात बढ़ाने के लिए 1.4.98 से जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। उनमें शामिल हैं-(i) निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा स्वर्ण की आपूर्ति पर महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले बिक्री कर से छूट देना। कई अन्य राज्य सरकारों ने भी निर्यात के लिए स्वर्ण की आपूर्ति पर बिक्री कर में कमी की है। (ii) अपशिष्ट हीरों और अपशिष्ट कीमती तथा अर्ध-कीमती पत्थरों की आयात आपूर्ति और पुनः निर्यात के लिए ई पी जैड/डी टी ए में निजी/पब्लिक बॉण्डेड भंडारगृहों की स्थापना करने की अनुमति देना। उपरोक्त के अलावा, 5 प्रतिशत न्यूनतम मूल्यवर्धन की प्राप्ति की शर्त पर तराशे एवं पालिश किए गए हीरों, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों का आयात एवं पुनर्निर्यात करने की भी अनुमति दी गई थी। (iii) निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना के अंतर्गत शून्य शुल्क आयातों के लिए पूर्ववर्ती 20 करोड़ रु. की प्रारंभिक सीमा घटाकर 1 करोड़ रु. मात्र करना। 1 अप्रैल, 2000 से 5 प्रतिशत सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी गई है बशर्ते कि एफ ओ बी आधार पर पूंजीगत माल के 5 गुणा सी आई एफ मूल्य के बराबर अथवा निवल विदेशी मुद्रा (एन एफ ई) आधार पर पूंजीगत माल के 4 गुणा सी आई एफ मूल्य के बराबर निर्यात दायित्व पूरा किया जाए जिसे लाइसेंस जारी करने की तारीख से 8 वर्षों की एक निश्चित अवधि में पूरा करना होगा। (iv) स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम आभूषणों और वस्तुओं के अपशिष्टों के मानदंडों में संशोधन करते हुए उन्हें आभूषणों की किस्म और श्रेणी के साथ जोड़ना। (v) प्रतिपूर्ति लाइसेंस योजना का प्लेटिनम और रजत आभूषणों तक विस्तार करना (vi) ई ओ यू/ई पी जैड एककों से विदेशी क्रेताओं को व्यक्तिगत रूप से आभूषण ले जाने की अनुमति दी गई है। 1 अप्रैल, 2000 से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, हवाई अड्डों से प्रस्थान करने वाले सभी विदेश जाने वाले यात्रियों को सभी ई पी जैड एककों/ई ओ यू/डीटीए से व्यक्तिगत तौर पर रत्न एवं आभूषण पार्सल ले जाने की अनुमति दी गई है। (vii) दर्जा धारियों को पूर्ववर्ती वर्ष में तराशे और पालिस किए गए हीरों के निर्यात निष्पादन का 5 प्रतिशत तक डायमंड इम्प्रेस्ट लाइसेंस जारी करने का प्रावधान, जिसके तहत 10 प्रतिशत का मूल्यवर्धन प्राप्त करने की शर्त पर बाद में निर्यात करने के प्रयोजन से तराशे तथा पालिस किए गए हीरों का आयात किया जा सकता है। (viii) निर्यातान्मुख एककों/निर्यात संसाधन क्षेत्र के एककों को निर्यात के प्रतिशत के रूप में कम से कम 7.5 प्रतिशत निवल विदेशी मुद्रा (एन एफ ई पी) अर्जित करने की शर्त पर सामान्य स्वर्ण/रजत/प्लेटिननम आभूषणों को मरम्मत करने/पुनः निर्माण करने और बाद में उनका निर्यात करने की अनुमति देना। 1 अप्रैल, 2000 से 12.5 प्रतिशत एन एफ ई पी की शर्त पर जड़ाऊ आभूषणों पर भी उक्त योजना लागू कर दी गई है, (ix) आभूषण एंव हीरा प्रसंस्करण उद्योग द्वारा अपेक्षित खपत योग्य वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति देना, जो पूर्ववर्ती वर्ष में रत्न एवं आभूषण के निर्यात के एफ ओ बी मूल्य का 1 प्रतिशत तक हो सकता है। इस योजना/प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से दिनांक 1 अप्रैल, 2000 से उपभोज्य वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने के लिए अलग से एक पुनः पूर्ति लाइसेंस जारी करने का प्रावधान किया गया है। (x) हीरों के आयात या निर्यात में कम से कम तीन वर्ष के एक श्रेष्ठ रिकार्ड वाली और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ रु. और इससे ज्यादा का औसत वार्षिक कारोबार वाली अपरिष्कृत या तराशे एवं पालिस किए गए हीरों की खरीद/बिक्री में लगी फर्मों/कंपनियों को निर्दिष्ट डायमंड एकाउंट (डी डी ए) के जरिए अपने व्यवसाय को चलाने की अनुमति देना। (xi) भारत में दर्जा धारियों को स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम आभूषण के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम और सामान्य अर्ध-विकसित स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम आभूषणों की भी प्रत्यक्ष आपूर्ति के लिए विदेशी क्रेताओं को अनुमति देना, (xii) ई पी जैड एककों में रत्न एवं आभूषण की प्रत्येक निर्यात खेप को संगत आयात खेपों के साथ सह-संबद्ध करने की आवश्यकता को समाप्त करना, (xiii) रत्न एवं आभूषण के आयात पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से लाने/ले जाने की अनुमति देना, (xiv) जड़ाऊ आभूषणों में उपयोग में लाई गई आयातित स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम माऊंटिंगस के मामले में 2.5 प्रतिशत के अपशिष्ट की अनुमति देना (xv) अनुसंधान एवं विकास प्रयोजनार्थ आभूषणों के नमूनों के आयात की अनुमति देने की दृष्टि से पिछले वर्ष में हुए निर्यात के 2.5 प्रतिशत एफ ओ बी मूल्य की

सीमा तक पुनः पूर्ति लाइसेंस के तहत सामान्य/जड़ाऊ आभूषण मदों के शुल्क प्रदत्त आयात की अनुमति, (xvi) स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम/ आभूषण/वस्तुओं और मूल्य वर्धन की व्याख्या और मैडोलिअन इत्यादि जैसी वस्तुओं के लिए बने अपशिष्ट मानकों को युक्तिसंगत बनाना, (xvii) 0.900 शुद्धता वाले प्लेटिनम का आयात करने एवं उसकी आपूर्ति करने की अनुमति देना, (xviii) प्लेटिनम और तराशे हुए और पालिस किए गए हीरों पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत करना (xix) गुणवत्ता मानकों और 'भारत में निर्मित' (मेड इन इंडिया) ब्राण्ड की छवि में सुधार करने की दृष्टि से भारत के कुछ केन्द्रों पर स्वर्ण मदों का प्रमाणन एवं जांच का कार्य भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा शुरू कर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान रत्न एवं आभूषणों के निर्यातों के जरिए अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्रा और प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात मूल्य	पूर्ववर्ती की तुलना में प्रतिशत में अंतर
1996-97	4744.30	(-) 10.07
1997-98	5345.34	12.67
1998-99	5904.05	10.45
1999-2000	8024.76	35.92

स्रोत : वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता और वर्ष 1999-2000 के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई।

नई राष्ट्रीय मीडिया नीति

7311. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति को समेकित करने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय मीडिया नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय मीडिया नीति पर एक कार्यपत्र तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय मीडिया नीति पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई मीडिया नीति की घोषणा कब तक करा दी जायेगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) सरकार नई राष्ट्रीय मीडिया नीति तैयार करने के बारे में विचार नहीं कर रही है।

(ग) से (च) इस मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति की उप समिति द्वारा राष्ट्रीय मीडिया नीति पर एक सैद्धांतिक दस्तावेज तैयार किया गया था। उक्त दस्तावेज को मार्च, 1996 में परामर्शदात्री समिति के तत्कालीन अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था। परामर्शदात्री समिति द्वारा इस सैद्धान्तिक दस्तावेज पर उस समय विचार नहीं किया जा सका। इसे वर्तमान परामर्शदात्री समिति को 5 मई, 2000 को प्रस्तुत कर दिया गया है। कथित दस्तावेज पर अंतिम निर्णय लेने के बारे में कोई समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

[हिन्दी]

मसाला उत्पादक

7312. **श्री अशोक अर्गल : क्या वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मसाला बोर्ड से पिछले दो वर्षों के दौरान मसाला उत्पादकों को कितना लाभ पहुंच रहा है;

(ख) दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में बोर्ड के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मसाला बोर्ड के अध्यक्ष मसाला उत्पादन क्षेत्र की यात्राएं करते हैं और यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान किन-किन स्थानों की यात्रा की; और

(घ) निर्यात बोर्ड के सदस्यों की कार्य करने की प्रणाली क्या है तथा वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान उन्हें बोर्ड से मिलने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के अनुसार बोर्ड का दायित्व केवल मोटी इलायची के उत्पादन और विकास तक ही सीमित है। मोटी इलायची के उपजकर्त्ताओं के लाभ के लिए, मसाला बोर्ड योजना स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है जिनके तहत गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के उत्पादन तथा आपूर्ति, मोटी इलायची के पुनर्रोपण, सिंचाई तथा भूमि विकास, क्यूरिंग हाउसिज

के निर्माण/नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) मसाला बोर्ड का दक्षिण तथा पूर्वी भारत में सुगठित क्षेत्रीय ढांचा है जिसमें 29 क्षेत्रीय कार्यालय और 6 विभागीय नसीरियां हैं। मसालों के निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों तथा कटाई पश्चात् सुधार हेतु, मसाला बोर्ड के पास इन क्षेत्रों में 8 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 14 मंडलीय कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने इन क्षेत्रों में 3 अनुसंधान केन्द्र भी स्थापित किए हैं।

(ग) जी हां। 1999 के दौरान मसाला बोर्ड के अध्यक्ष ने जिन स्थानों का दौरा किया, उनमें ये शामिल हैं: पालघाट, संथानपारा, मिलाडुमपारा, मुन्नार, एडीमली, त्रिवेन्द्रम, उडुमबान चोला, नेडुमकंदम, पीरमेड, बंदामेट्ट, कुमिली, मुवात्तुपुजाह, थोडू पुजाह, कट्टापाना, कोथामंगलम (केरल) पुलने, पेरियाकुलम, थेनी, बोदीनायकानूर, नागरकॉयल, नीलगिरी, डोडाबेट्टा, कुन्नूर (तमिलनाडु) और देहरादून (उत्तर प्रदेश)।

(घ) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 और मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989 के अनुसार भारत में मसालों का निर्यात करने वाले किसी भी व्यक्ति को मसाला के निर्यातक के रूप में पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण प्रमाण–पत्र तीन वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए जारी किया जाता है। अब तक मसाला बोर्ड ने 1724 निर्यातकों को पंजीकृत किया है। पंजीकृत निर्यातकों में से निर्यात क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 निर्यातकों को बोर्ड में शामिल किया गया है। जहां तक मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत सहायता का संबंध है, सभी पंजीकृत निर्यातक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं जो भिन्न–भिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित मानदंड को पूरा करते हों। वर्ष 1998–99 के दौरान पंजीकृत निर्यातकों को दी गई प्रत्यक्ष सहायता की कुल राशि 68.25 लाख रुपए और 1999–2000 में यह राशि 159.19 लाख रुपए थी। तथापि, मसाला बोर्ड ने सामान्य संवर्धन के लिए भी 1998–99 में 176.40 लाख रुपए तथा 1999–2000 के दौरान 254.00 लाख रुपए व्यय किए जिनमें निर्यातकों को उनके निर्यातों में सुधार करने में सहायता मिली है।

[अनुवाद]

नजदीक से नियंत्रित कंपनियां

7313. **श्री सी. पी. राधाकृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्थानीय विशिष्ट गैर–बैंकिंग कंपनियों सहित कितनी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऐसी हैं जो नजदीक से नियंत्रित हैं, साथ ही उनके नाम और निवल वार्षिक कारोबार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ कंपनियां नकदी कंपनियां हैं जिनके पास छोटे जमाकर्ताओं का करोड़ों रुपये का धन सार्वजनिक जमा के रूप में रखा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो किस कारण यह कंपनियां निकट से नियंत्रित कंपनियों के दर्जे का लाभ उठा रही हैं; और

(घ) इन कंपनियों को सार्वजनिक इक्विटी के माध्यम से जनता की पूरी भागीदारी के लिए खोलने में विधिक या प्रशासकीय बाधाएं क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनकी आंकड़ा सूचना प्रणाली से अवशिष्ट गैर–बैंकिंग कंपनियों (आर एन बी सी) सहित नजदीक से नियंत्रित गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(ग) और (घ) रिजर्व बैंक ने ऐसी कंपनियों का पूंजी पैटर्न रखने के संबंध में कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किया है। जनता से पेशकश की जाए या नहीं, यह निर्णय प्रवर्तकों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, जो सांविधिक उपबंधों के लागू होने के अध्यधीन होता है।

बाल्को और नेल्को के साथ समझौता ज्ञापन

7314. **श्री के. पी. सिंह देव :**

श्री अकबर अली खांदोकर :

क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बाल्को) और नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नेल्को) के साथ किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास बाल्को के विनिवेश या इसे किसी निजी पार्टी को बेचने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने अंतिम निर्णय लेने के पूर्व इस संयंत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई योजना भी बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने बालको तथा नालको के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। जिन्हें संसद के चालू सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा।

(ग) से (च) सरकार ने अपनी 51% इक्विटी एक महत्वपूर्ण भागीदार को देने का निर्णय किया है जिसके द्वारा आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी तथा नए निवेश लाए जाने की आशा है। महत्वपूर्ण भागीदार द्वारा नए संसाधनों के लाए जाने से यह उम्मीद की जाती है कि वह कर्मचारियों के हितों का तथा उनके सतत् रोजगार का ध्यान रखेगा।

दूरदर्शन के कीमती उपस्करों का निजी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग

7315. **श्री मोहन रावले :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के कुछ कर्मचारियों को कम उपयोग किए गए कीमती उपस्करों को गैर कानूनी ढंग से निजी व्यक्तियों को किराए पर देकर इस्तेमाल करते पाया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, दिल्ली में अभियांत्रिकीय उपस्करों के तथाकथित दुरुपयोग की प्रारंभिक जांच कर रहा है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अभी अपनी जांच के निष्कर्ष इस मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने हैं।

[हिन्दी]

एन.टी.सी. की शेयरधारिता

7316. **श्री मणिकराव होडल्या गावित :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वदेशी, पोली टैक्स, लिमिटेड गाजियाबाद में सरकार की धारिता का प्रतिशत कितना है; और

(ख) कंपनी के निदेशक मंडल में एन. टी. सी. के किसी सदस्य को शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्दन): (क) सरकार की स्वदेशी पॉलीटेक्स लि. (एस.पी.एल.) में कोई शेयरधारिता नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड के एक सहायक निगम राष्ट्रीय वस्त्र निगम (उ.प्र.) लिमिटेड की स्वदेशी पॉलीटेक्स लि. में शेयरधारिता 33.63% है।

(ख) इस समय एस.पी.एल. के बोर्ड में दस निदेशक हैं। इनमें से पांच एन.टी.सी. (उ.प्र.) लिमिटेड के नामिती निदेशक हैं।

[अनुवाद]

अमरीकी भेषज-क्षेत्र के साथ सहयोग

7317. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका की अनुसंधान रत अग्रणी भेषज और जैव–प्रौद्योगिकी कम्पनियों ने अमरीकी सरकार से भारत को एक प्राथमिकता प्राप्त विदेशी राष्ट्र का दर्जा देने, प्रक्रियागत समीक्षा करने और "ट्रिप्स" समझौते के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन संबंधी वर्तमान बाध्यताएं मानने में भारत की असमर्थता को दूर करने के वास्ते विश्व व्यापार संगठन में विवाद–निराकरण संबंधी कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी भेषज कम्पनियों ने अपने निवेश को इस वर्ष 2.4 बिलियन डॉलर अतिरिक्त बढ़ाने का निर्णय किया है जिससे यह 26.4 बिलियन डालर की जबरदस्त संख्या तक पहुंचेगा जो कि भेषज क्षेत्र में कुल अमरीकी विक्रय और निर्यात का 20.3% होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने अमरीकी भेषज क्षेत्र से सहयोग करने के लिए अपनी सहमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) अमरीका के भेषजीय अनुसंधान एवं विनिर्माताओं (पीएचआरएमए) और इसकी सदस्य कम्पनियों ने अमरीकी सरकार से कहा है कि भारत को वर्ष 2000 के लिए विशेष 301 के तहत एक प्राथमिकता वाला विदेशी राष्ट्र निर्दिष्ट किया जाए। पीएचआरएमए ने अमरीकी सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि ट्रिप्स करार के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन संबंधी अपने मौजूदा दायित्वों को पूरा करने में भारत की असफलता को चुनौती देते हुए

विश्व व्यापार संगठन में विवाद–निपटान संबंधी कार्यवाही आरंभ की जाए।

(ख) जी, हां। अमरीका कम्पनियां अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में निवेश को 2.4 बिलियन डालर से बढ़ाकर 26.4 बिलियन डालर के अनुमानित निवेश तक करने की योजना बना रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने इन मामलों में अमरीका के साथ कोई करार नहीं किया है। तथापि, अगस्त 1991 से फरवरी, 2000 की अवधि के दौरान सरकार ने अमरीकी कम्पनियों के साथ औषध तथा भेषजीय क्षेत्र में विदेशी सहयोग के 74 मामलों को स्वीकृति दी है।

ऊन का उत्पादन

7318. **डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रतिवर्ष राज्य–वार ऊन का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऊन का कितना आयात और निर्यात हुआ;

(ग) क्या सरकार ने देश में अंगूरा ऊन सहित ऊन के उत्पादन को बढ़ावा देने और इसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए कोई कार्य योजना/योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) पिछले तीन वर्षों के लिए देश में ऊन का उत्पादन।

('000 कि.ग्रा.)

राज्य	1996–97	1997–98	1998–99*
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1880	1910	1934
अरुणाचल प्रदेश	58	59	60
बिहार	1230	1260	1270
गुजरात	2418	2450	2500
हरियाणा	1864	1873	1930
हिमाचल प्रदेश	1555	1570	1564
जम्मू और कश्मीर	5061	5365	5450
कर्नाटक	4229	4691	4864
मध्य प्रदेश	784	803	810
महाराष्ट्र	1569	1581	1597
पंजाब	1200	1220	1250
राजस्थान	18000	18300	18700
सिक्किम	36	36	37
तमिलनाडु	714	715	660
उत्तर प्रदेश	2065	2130	2199
पश्चिमी बंगाल	626	629	631
सम्पूर्ण भारत कुल	43289	44592	45456

*अनंतिम

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई अपरिष्कृत ऊन की गुणवत्ता और मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अपरिष्कृत ऊन का आयात

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1997–98	57750	600.42
1998–99	54986	490.30
1999–2000 (फरवरी, 2000 तक)	59436	446.25

ऊन का निर्यात

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु. में)
1997–1998	1948.29
1998–1999	1870.42
1999–2000	2110.35

(ग) और (घ) जी, हां। वस्त्र मंत्रालय के अधीनस्थ केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड एक स्वायत्त निकाय के रूप में है जो ऊन के उत्पादन को बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाओं/परियोजनाओं को प्रशासित करता है:

1. एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना
2. एकीकृत अंगोरा खरगोश विकास परियोजना
3. मशीन द्वारा छीलना–सह–प्रशिक्षण परियोजना
4. ऊन मंझाई संयंत्र
5. ऊन परीक्षण केन्द्र
6. औद्योगिक सेवा केन्द्र
7. ऊन व ऊनी वस्त्रों के विकास के लिए क्षेत्र आधारित परियोजना
8. अंगोरा खरगोश विकास कार्यक्रम के लिए यू.एन. डी.पी. (सी.सी.एफ–1)

इसके अतिरिक्त, पिछले कई वर्षों से ऊन अनुसंधान संघ द्वारा ऊन की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार द्वारा केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड को, देश में ऊन व ऊनी वस्त्रों के विकास के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए, आबंटित की जा रही निधियों को बढाया जा रहा है, जिन्हें यह बोर्ड राज्य सरकार के विभागों/निकायों अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संचलित कर रहा है। पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्षों के लिए केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड की बजटीय आबंटन निम्नानुसार है:

वर्ष	(लाख रु. में)
1998–1999	450.00
1999–2000	500.00
2000–2001	600.00

तम्बाकू का उत्पादन

7319. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्यवार कितने तम्बाकू का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान तम्बाकू के उत्पादन में भारी कमी हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तम्बाकू का राज्यवार संगत उत्पादन निम्नानुसार रहा है।

राज्य का नाम	अनुमानित उत्पादन (मि.कि.ग्रा.)		
	1997–98	1998–99	1999–2000 (अ)
आन्ध्र प्रदेश	130.95	148.81	137.98
महाराष्ट्र	0.21	0.24	0.20
उड़ीसा	0.45	0.55	0.50
कर्नाटक	45.64	54.89	48.00
कुल	177.25	204.49	186.68

स्रोत : तम्बाकू बोर्ड

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दालों का आयात और निर्यात

7320. श्री रामजीलाल सुमन :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दालों के आयात और निर्यात की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में दालों की मांग और आपूर्ति में संतुलन है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा समान रूप से आयात और निर्यात करने के क्या कारण है;

(घ) वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान दालों का कितना आयात और निर्यात किया गया और इसका मूल्य क्या था; और

(ङ) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इससे कितना अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) दालें, निर्यात और आयात मदों का आईटीसी (एचएसे) वर्गीकरण 1997–2002 के एक्जिम कोड 07.13 के तहत वर्गीकृत है। आस्ट्रीलियन लूपिन बीजों और विषैली दालों को छोड़कर सभी दालों का आयात मुक्त है। तथापि मसूर, चना, उससे बनी बड़ियां और आटा सहित सभी प्रकार की दालों का निर्यात, 5 कि.ग्रा. तक के उपभोक्ता पैकों को छोड़कर प्रतिबंधित है।

सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 (नवम्बर, 99 तक) के लिए दालों के आयात तथा निर्यात की मात्रा, मूल्य और प्रति यूनिट मूल्य निम्नानुसार है:–

दालों का आयात

वर्ष	मात्रा (000 टनों में)	मूल्य (लाख रु. में)	खर्च किया गया यूनिट मूल्य (लाख रु./000 टन)
1997–98	1008	119464	118.5
1998–99	313	40452	129.2
1999–2000 (नव. 99) तक	137	18324	133.7

दालों का निर्यात

वर्ष	मात्रा (000 टनों में)	मूल्य (लाख रुपए)	प्राप्त यूनिट मूल्य (लाख रु./000 टन)
1997–98	168	36089	214.8
1998–99	101	21874	216.5
1999–2000 (नव. 99)	127	27706	218.15

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता)

जैसा कि ऊपर दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है, भारत इस अवधि के दौरान दालों का निवल आयातक रहा है। दालों का निर्यात केवल उपभोक्ता पैकों में करने की अनुमति है। इस प्रकार, दालों के निर्यात का यूनिट मूल्य उनके आयात के यूनिट मूल्य से अधिक है। चूंकि भारत दालों का निवल आयातक रहा था इसलिए, दालों के आयात पर खर्च की गई कुल विदेशी मुद्रा दालों के निर्यात के जरिए अर्जित की गई मुद्रा से अधिक है, यद्यपि निर्यातों पर प्राप्त किया गया यूनिट मूल्य अधिक है।

राज्यों को अनुदान सहायता

7321. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को प्रदान की गयी अनुदान सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) किन–किन आधारों पर यह दिया जाता है;

(ग) क्या गरीब और पिछड़े राज्यों के लिए किसी विशिष्ट केन्द्रीय अनुदान का प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता योजना आयोग द्वारा निर्णीत आबंटन के अनुसार दी जाती है। योजना सहायता सकल अनुदान और सकल ऋणों के रूप में दी जाती है। योजना आबंटनों का फैसला योजना आयोग द्वारा किया जाता है। यह काम वह राज्य की जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति आय, राज्य का निष्पादन और उसकी विशेष समस्याओं आदि विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए फार्मूले के आधार पर तय करता है। गैर योजनागत अनुदान भी राज्य को वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रदान किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा मौजूदा वर्ष में अभी तक राज्यों को दिए गए अनुदानों का ब्यौरा इस संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

वर्ष 1997–98, 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–01 (अब तक) के दौरान राज्यों को जारी किये गये गैर योजनागत तथा योजनागत अनुदान

(लाख रुपयों में)

राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001 (अब तक)	
	गैर योजनागत*	योजनागत	गैर योजनागत*	योजनागत	गैर योजनागत*	योजनागत	गैर योजनागत*	योजनागत
आंध्र प्रदेश	28752.46	62386.76	15204.80	57483.38	49769.14	72414.08	8458.20	7866.43
अरुणाचल प्रदेश	5806.18	40554.58	4077.18	47388.45	611.90	50812.91	219.91	6493.92
असम	17978.18	107598.39	18519.04	119674.77	7083.92	128875.35	1734.47	16584.74
बिहार	9943.69	40512.41	9010.88	56951.69	16730.96	61969.28	760.00	6942.08
गोवा	1163.07	2302.02	714.72	2319.03	377.94	2182.71	49.58	159.80
गुजरात	23981.88	20348.29	21019.38	22868.84	41273.88	32177.06	13675.51	3278.36
हरियाणा	4092.95	13049.07	4553.46	12349.66	11132.96	15163.41	940.32	1914.37
हिमाचल प्रदेश	18764.51	48566.35	6870.64	67804.47	9108.07	84168.10	851.90	9846.71
जम्मू व कश्मीर	19525.24	203482.50	8839.57	214852.95	18596.64	260597.14	677.49	16700.31
कर्नाटक	8815.44	23782.23	15780.69	29308.33	21283.44	33555.42	1586.81	4186.25
केरल	12166.85	16535.16	13543.88	21089.45	14904.39	22457.42	2018.39	2987.02
मध्य प्रदेश	16746.82	33045.88	30990.86	38373.97	27993.43	53301.39	2158.97	4990.72
महाराष्ट्र	21572.24	55201.20	16841.24	45415.35	25757.74	35800.57	1428.00	5362.69
मणिपुर	6624.77	33105.97	3657.51	36643.53	3187.21	48544.19	2.00	4787.42
मेघालय	4945.69	23555.60	2281.76	30438.20	1155.21	33964.87	89.75	4173.26
मिजोरम	9595.77	29431.84	2287.28	29667.22	966.44	36999.74	40.08	4886.20
नागालैण्ड	9485.77	28001.00	3918.68	33148.78	1844.85	40331.96	65.08	4827.44
उड़ीसा	13730.57	32341.75	9142.53	34996.26	104178.48	35232.96	1675.06	2558.78
पंजाब	7339.97	13370.24	8047.47	13913.43	10453.65	11513.94	1961.39	1642.78
राजस्थान	21720.78	34483.32	29422.80	36279.96	39325.40	33765.91	11574.30	3871.68
सिक्किम	2621.88	18869.67	1919.05	22844.28	842.42	26602.69	147.33	3381.78
तमिलनाडु	17306.07	43812.90	20901.62	37507.65	20275.98	46739.37	2384.97	6770.28
त्रिपुरा	8622.98	34345.90	3691.01	46871.12	1891.68	55157.19	144.83	6424.18
उत्तर प्रदेश	32795.59	103714.77	65763.07	114055.18	35892.46	135606.82	5186.35	11930.78
पश्चिम बंगाल	13340.09	49473.78	21843.38	68330.50	43201.63	68436.40	2264.56	8860.65
कुल	337439.44	1111871.58	338842.50	1240576.45	507839.82	1426370.88	60095.25	151428.63

* इसमें गैर योजनागत राजस्व घाटा अनुदान, स्तरोन्नयन तथा विशेष समस्या अनुदान, स्थानीय निकायों के लिये अनुदान, आपदा राहत के लिये राष्ट्रीय निधि से अनुदान, आपदा राहत तथा रेल यात्री किराये पर कर के बदले अनुदान हेतु केन्द्र का योगदान शामिल हैं लेकिन राज्यों को करों का अन्तरण शामिल नहीं है।

घड़ियों की तस्करी

7322. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बाजार में तस्करी की घड़ियों की भरमार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में घड़ियों की तस्करी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) यद्यपि तस्करी एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धंधा है तथा यह बताना कठिन है कि किस सीमा तक घड़ियों की तस्करी की जा रही है, तथापि उपलब्ध रिपोर्टों/आसूचना से यह बात साबित नहीं होती है कि भारतीय बाजार में तस्करी की घड़ियों की भरमार है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग की सभी क्षेत्रीय इकाइयां, घड़ियों के साथ-साथ अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए सदा सजग तथा चौकस रहती हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए निधियां

7323. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 27 मार्च, 2000 के तमिल दैनिक "दिनामणि" में प्रकाशित समाचार के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदाओं के लिये दिये गये धन का दुरुपयोग का ब्यौरा देने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा धन के ऐसी दुरुपयोग पर निगरानी रखने हेतु केन्द्र सरकार की कोई विशेष समिति है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या ऐसी समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) आपदा राहत के लिए जारी निधियों को विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार तथा अनुमोदित मदों पर ही खर्च किया जाता है। ये मदें और मानक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित होती हैं और केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा उनसे सभी राज्य सरकारों को भली प्रकार अवगत करा दिया गया है। कृषि मंत्रालय आपदा राहत के लिए जारी की गई निधियों के उपयोग के संबंध में राज्यों से आवधिक रिपोर्ट भी (विनिर्दिष्ट प्रपत्र पर) मंगाता है। राज्य सरकारों के महालेखाकारों से अनुरोध किया गया है कि वे प्राकृतिक आपदाओं से राहत और पुनर्वास के लिए केवल कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मदों पर व्यय सुनिश्चित करें तथा इसे "शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाएं" में दर्ज किया जाए। महालेखाकारों से आगे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे 1990-91 से अभी तक अपनी जानकारी में आने वाले अंतरण के सभी मामलों की सूचना कृषि मंत्रालय को भी भेजें ताकि प्राकृतिक आपदा के इस दौर में प्रभावित व्यक्ति तक राहत का पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सकें। निधियों के दुरुपयोग के विरुद्ध ये सुरक्षोपाय अभीष्ट समझे जाते हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की पाटन संबंधी गतिविधियां

7324. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

श्री सुन्दर लाल तिवारी :

श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां पाटन गतिविधियों में स्वयं को लिप्त कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान घरेलू कम्पनियों से प्राप्त की गई शिकायतों का कम्पनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पॉलिस्टर विनिर्माताओं की शिकायत के आधार पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूरोपीय कम्पनियों ने भी बदले में भारतीय पॉलिस्टर निर्यातकों के विरुद्ध यूरोपीय संघ से शिकायत की है;

(छ) यदि हां, तो हमारे निर्यात पर इसका मदवार क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ज) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी हां। कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पाटन किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू कम्पनियों से प्राप्त शिकायतों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोरिया और थाइलैंड से आयातित पालिस्टर स्टेपल फाइबर के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई है और उसने दिनांक 21.1.2000 की अधिसूचना के द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। संस्तुत पाटनरोधी 46215 रुपए–46607 रुपए/ मी.टन और रुपए/मी.टन में आयातों के पहुंच मूल्य के बीच में अंतर होगा।

कोरिया और इंडोनेशिया से आयातित पालिस्टर फिल्म के मामले में जांच चल रही है जो 29.3.2000 को शुरू की गई थी।

(च) से (ज) यूरोपीय आयोग की दिनांक 8.12.99 की लिखित टिप्पणी द्वारा भारत सरकार को सूचित किया गया है कि उसे भारत के मूल के पॉलिस्टर स्टैपल फाइबर के आयातों के खिलाफ पाटनरोधी कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध करते हुए विधिवत प्रलेखित शिकायत प्राप्त हो गई है। इस अवस्था में यह आंकलन करना संभव नहीं है कि हमारे निर्यातों पर कितना प्रभाव पड़ेगा।

विवरण

आज की तारीख तक पाटनरोधी प्रभाग में दायर याचिकाएं

क्र. सं.	उत्पाद	देश	याचिकाकर्त्ता का नाम
1	2	3	4
1997			
1.	विटामीन–सी	जापान एवं चीन जन. गण.	अम्बालाल साराभाई, प्रा. लि.
2.	मैगनेशियम	चीन जन.गण.	सदर्न मैग्नीशियम एंड कैम. लि.
3.	मेट कोक	चीन जन.गण.	बीएलए इंड, बम्बई, कोपेट एंड, इंड कामर एशोसिएशन, धनबाद
4.	पोलिस्टरीन	कोरिया गण. जापान, ताइवान, मलेशिया	एसो. ऑफ पॉलिस्ट्रीन (सुप्रीम राजस्थान, मैक्डोवल्स)
5.	हॉट रोल्ड कॉयल्स	रूस, कजाकिस्तान एवं उक्रेन	सेल एंड ऐस्सार स्टील कोपेट लायस इंड टाटा टिस्को
6.	लोवास्टेटीन	चीन जन.गणराज्य	अर्टेमिस फार्मास्यूटिकल
7.	सी वाटर मैगनेशिया	चीन गण.	बिरला पेरिक्लेस
8.	पैटचिप बोटल ग्रेड	अरब, कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया एवं थाईलैंड	पर्ल इंजि, पलिमर्स लि.
9.	औद्योगिक सिलाई सुईयां	जर्मनी, जापान, कोरिया, चीन, एवं चेक गण.	आल्टेक लाम्मेट्र्ज नीडल्स
10.	क्लोरोक्विन फॉस्फेट	चीन जन.गणराज्य	टाटा फार्मा लि.
11.	टिन प्लेट्स	ब्राजिल, जर्मनी, जापान, कोरिया, एवं यू. के.	टिन प्लेट कं. आफ इंडिया लि.

1	2	3	4
12.	ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ट्यूब्स	चीन जन. गण.	सेमटेल इंडिया लि.
13.	फोटोग्राफिक पेपर (पुराना)	यू. के. फ्रांस	न्यू इंडिया इंडस्ट्रीज लि.
1998			
14.	आर्थोक्लोरो बेंजाल्डिहाइड	चीन जन.गण.	बेंजों पेट्रो; इन्टे, लि.
15.	एक्रीलिक फाइबर्स	इटली, स्पेन, पुर्तगाल एवं जापान	इंडियन एक्रिलिक लि.
16.	कैल्सियम कार्बाइड	चीन जन. गण. एवं रूमानिया	इंडल कैम एंड मोनोमर्स
17.	पी टर्ट ब्यूटाइल केटाकोल, (पीटीबीसी)	फ्रांस	पूजा एण्ड संस
18.	साइट्रिक एसिक	चीन जन.गण.	मैसर्स सिटर्जिया कैमिकल्स
19.	औद्योगिक सिलाई सुइयां	जापान, कोरिया, चीन	मैसर्स आन्टेक लाम्मेट्‌र्ज लि.
20.	ईपीडीएम	जापान	मैसर्स हर्दिलिया यूनिमर्स लि.
21.	एस पी आर	जापान, कोरिया, तुर्की, चीन ताइवान, यू एस ए. जर्मनी एवं फ्रांस	मैसर्स सिंथेटिक कैमिकल्स लि.
22.	एक्रीलिक फाइबर	मैक्सिको	मैसर्स इंडियन एक्रीलिक लि.
23.	हार्ड फेराइट रिंग मैगनेट्‌स	चीन जन.गण. राज्य	मैसर्स इंडियन हार्ड फेराइट मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन
24.	लो कार्बन फेरो कोम (एलसीएफसी)	चीन, द. अफ्रीका, मेसिडोनिया	मैसर्स फैरो एलायस कारपो. लि. टिस्को
25.	एच आर क्वायल्स	द. कोरिया, द. अफ्रीका, एवं तुर्की	एस्सार स्टील लि.
26.	फ्लोट ग्लास	इंडोनेशिया	आल इंडिया ग्लास मैन्यूफैक्चर्स लि.
27.	एच सी एफ सी	द. अफ्रीका, रूस, कजाकिस्तान	फैरो एलायस कारपो. लि. एंड टाटा आयरन एंड स्टील कं. लि.
28.	मोनो मिथाइल एसीटो एंड मिथाइल एसीटो एसीटामाइड एसीटेट ईस्टर	यू एस ए. जर्मनी जापान स्विटजरलैंड, सिंगापुर ईईसी	एवन आर्गेनिक्स लि.
29.	सकर रोड पम्पस	चीन	सिम्पलैक्स इंजी, एंड फाउन्डरी वर्क्स लि.
30.	कारवेन्डाजिम टेकरियल	चीन	पोशाक लि.

1	2	3	4
31.	जिंक सलफेट	चीन	माइक्रो न्यट्रिएन्ट मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन
32.	पॉलिस्टरीन (समीक्षा)	कोरिया	बी ए एस एफ आकट्रेज बोर्ड लि.
33.	एन डी डी बी	यूरोपीय संघ	नेशनल डेरी डवेलपमेंट बोर्ड लि.
1999			
34.	पी टी एफ ई	रूस	मैसर्स हिन्दुस्तान फल्यूरो कार्बनस लि.
35.	पी एस एफ	इंडोनेशिया, कोरियागण, थाईलैंड एवं ताइवान	मैसर्स इंडो रामा लि.
36.	नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक	वही	एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर
37.	एन बी आर	ताइवान	गुजरात अपार
38.	थर्मल सेन्सिटिव पेपर	यूरोपीय संघ, जापान	ऑल इंडिया, पेपर कोटर्स एसोसिएशन
39.	सोडियम साइनाइड	यू एस ए, ई यू, कोरिया एवं चेक गण.	साइनाइड्स कैमिकल्स लि.
40.	पोलिस्टरीन	चीन, हांगकांग, सिंगापुर, एवं थाइलैंड	पॉलिस्ट्रीन प्रोडक्ट्स एसो. इंडिया
41.	बेरियम कार्बोनेट	चीन	कोरस इंडिया लि.
42.	एक्रीलिक फाइबर	तुर्की	फोरम ऑफ एक्रीलिक मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन
43.	एच आर क्वायल्स	द. कोरिया, द. अफ्रीका, जापान, चीन, आस्ट्रेलिया	एस्सार स्टील लि.
44.	जिंक आक्साइड	चीन	जेम टेको कैमिकल्स लि.
45.	पोली ऑरियेन्टेड यार्न (पीओवाई)	इंडोनेशिया, कोरिया, ताइवान	इंडो रामा लि.
46.	स्कीमड मिल्क पाउडर	ई. यू.	डाइनामिक्स डेरी इंडस्ट्रीज लि.
47.	एच सी एफ सी	द. अफ्रीका, रूस, कजाकिस्तान	फैरो एलायस कारपोरेशन लि.
48.	प्लास्टिक ऑप्थलमिक लेन्स	चीन, हांगकांग, ताइवान, मलेशिया, ब्राजील, एवं इटली	टेकट्रौन पोलिलेन्सेस लि.
49.	सोडियम फैरोसाइनाइड	जर्मनी एवं यूके सहित यूरोपीय संघ	साइनाइड्स एंड कैमिकल्स क. लि.
50.	एनिलीन	यूरोपीय संघ	नर्मदा केमातुर पेट्रोकेमिकल्स लि.
51.	कास्टिक सोडा	यूएसए, जापान, इंडोनेशिया, फ्रांस अरब, एवं इरान	अल्कालिस मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
52.	स्ट्रान्टियम कार्बोनेट	चीन	टीसीआईएल लि.
53.	प्यूरीफाइड टेरीथैलिक एसिड (पीटीए)	जापान, मलेशिया, स्पेन एवं ताइवान	रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.

1	2	3	4
54.	सीमलैस टयूब	रूमानियां, आस्ट्रिया, रूस, उक्रेन एवं चैक ग.	ऐसासिएशन ऑफ सीमलैस टयूब मैन्यूफैक्चरर्स
55.	ऑप्टिकल फाइबर	द. कोरिया	स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज लि.
56.	सोडा ऐस	चीन जन. गणराज्य	अल्काली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
57.	एक्रिलिक फाइबर	ताइवान	फोरम ऑफ एक्रिलिक फाइबर मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन
58.	ऑक्सो अल्कोहल	द. कोरिया, स. अरब, इंडोनेशिया एवं रूस	ओक्सो अल्कोहल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
59.	विटामिन सी	रूस एवं यूरोपीय संघ	अम्बा लाल साराभाई इन्टरप्राईजेज लि.
60.	मेट्रोनिडा जोल	चीन	आरती ड्रग्स लि. एण्ड अदर्स
61.	एनिलिन	यूएसए एवं जापान	नर्मदा केमातुर पेट्रोकेमिकल्स लि.
62.	ई पी डी एम	कोरिया	हार्दिलिया यूनिमर्स लि.
63.	थैलिक एनहाइड्राइड	इंडोनेशिया	सिरमलाई लि. एण्ड हर्दिलिया कैमिकल्स लि.
64.	सोडियम नाइट्राइट	चीन जन. गणराज्य	दीपक नाइट्राइट लि.
65.	फोटोग्राफिक पेपर	यू. के. फ्रांस, हंगरी, चैक जन. गणराज्य	न्यू इन्डस्ट्रीज इंडिया लि.
66.	सीमलैस ग्रेड एलॉय इत्यादि	रूस, यूक्रेन और चीन	इस्पात प्रोफाइल इंडिया लि.
67.	एन बी आर	कोरिया	गुजरात अपार लि.
2000			
68.	बिस्फिनोल–ए	ई यू और ताइवान	केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि.
69.	हाइड्रॉक्सी एमाइन सल्फेट	यूएसए, जापान, ई. यू.	दीपक नाइट्राइट लि.
70.	पोलिएस्टर फिल्म	कोरिया और इंडोनेशिया	पालिस्टर फिल्म इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन
71.	ट्रिमेथो प्रिम	चीन	अल्का ड्रग्स लि.
72.	आइसोप्रोपिल एल्कोहल (आई पी ए)	यू.एस.ए. सिंगापुर और नीदरलैंड	नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स इंडस्ट्रीज
73.	हॉट रोल्ड कॉयल्स स्ट्रिप्स इत्यादि	द. कोरिया, द. अफ्रिका, जापान, चीन और आस्ट्रेलिया	एस आर स्टील्स एण्ड सेल
74.	फैरो सिलिकोन	रूस,चीन, ईरान, यूक्रेन, और काजाकिस्तान	इंडियन मैटल एण्ड फैरो एलायंस लि., न्यू भारत फैरो एलायस लि. एण्ड वीबीसी फैरो एलायन्स लि.
75.	पार्शियली ओरिएंटिड यार्न (पीओवाई)	इंडोनेशिया, द. कोरिया, ताइवान, थाइलैंड और मलेशिया	एसोसिएशन ऑफ सिथिटिक फाइबर इंडस्ट्री
76.	स्ट्रोनटियम कार्बोनेट	चीन और जर्मनी	टीसीएम लि.
77.	एनिलाइन	ई. यू.	एचओसीएल एण्ड अदर्स
78.	हाई स्टाइरीन बुटाडिन कोपोलियर (एसएसआर)	पोलैण्ड, ईयू और अर्जेन्टीना	अपार इन्डस्ट्रीज लि. एण्ड एप्कोटेक्स लेटिसेज लि.

[हिन्दी]

सीआईएल में जल परियोजनाएं

7325. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों से अब तक कोल इंडिया लि. सहित सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. और भारत कोकिंग कोल लि. की प्रत्येक सहायक कंपनी में पेय जल की आपूर्ति हेतु कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं में से कितनी पूरी हो गई हैं, कितनी निर्माणाधीन हैं तथा कितनी लंबित हैं, और

(ग) इन परियोजनाओं हेतु कितनी राशि मंजूर/उपलब्ध की गई?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1997–98, 1998–99, 1999–2000, के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. और भारत कोकिंग कोल लि. सहित कोल इंडिया लि. की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के संबंध में अनुमोदित परियोजनाओं, पूर्ण और पूरे किए जाने के लिए लंबित परियोजनाओं की संख्या के साथ–साथ स्वीकृत राशि को निर्दिष्ट करते हुए पेय जल आपूर्ति योजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित है:

कंपनी	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	लंबित/पूरे किए जाने के अधीन परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
ईसीएल	3	–	3	888.00
बीसीसीएल	1	1	–	17.42
सीसीएल	1	–	1	63.33
डब्ल्यूसीएल	19	12	7	1015.20
एनसीएल	गत तीन वर्षों से किसी जल अभिक्रिया संयंत्र अथवा विस्तार नहीं किया गया। किंतु झिंगुरडाह, सिंगरौली और काकरी परियोजना की जल आपूर्ति के लिए 5.16 करोड़ रु. की लागत से विद्यमान अभिक्रिया संयंत्र से पानी की नई लाइनें बिछाई गई।			
एसईसीएल	2	–	2	302.82
एमसीएल	1	1	–	43.73
सीएमपीडीआईएल	–	–	–	– –

[अनुवाद]

औद्योगिक वित्त और पुनःनिर्माण बोर्ड

7326. **श्री जी. जे. जावीया** :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक वित्त और पुनःनिर्माण बोर्ड का कार्य निष्पादन शुरू से ही बहुत खराब रहा है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक वित्त और पुनःनिर्माण बोर्ड के पास आज की तारीख के अनुसार औद्योगिक रुग्णता से संबंधित कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ग) इन मामलों को लंबित रखने का क्या कारण है;

(घ) इस समय औद्योगिक वित्त और पुनःनिर्माण बोर्ड की कितनी पीठें कार्यरत है;

(ङ) इसकी पीठों की संख्या को घटाने के क्या कारण हैं; और

(च) इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बाइफर) की स्थापना रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत् की गई थी जिसका उद्देश्य औद्योगिक रुग्णता के मामलों से प्रभावी तरीके से निपटना, औद्योगिक उपक्रमों वाली रुग्ण और संभाव्य रूप से रुग्ण कंपनियों की समय से पहचान करना, बाइफर द्वारा लिए जाने वाले निषेधात्मक, सुधारक, उपचारात्मक तथा ऐसी कंपनियों के संबंध में अपेक्षित उपायों का अविलम्ब निर्धारण करना तथा इस प्रकार निर्धारित किए गए उपायों को शीघ्र लागू करना था। तथापि, बाइफर तंत्र औद्योगिक रुग्णता की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने में पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा है। इसके मुख्य

कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं- रुग्णता की प्रतिबंधक परिभाषा, सभी कार्यवाहियों पर स्वतः स्थगन के लिए सीका की धारा 22 के अंतर्गत रुग्ण औद्योगिक कंपनियों का अधिक बचाव, बाइफर की मन्द एवं विलम्बकारी प्रक्रिया तथा मामलों का निपटान करने के लिए काफी अधिक समय लिया जाना आदि। बाइफर ने सूचित किया है कि 31.12.1999 की स्थिति के अनुसार, बाइफर तथा आइफर/उच्चतम न्यायालय ने क्रमशः 616 तथा 27 पुनर्वास योजनाएं मंजूर/स्वीकृत की थीं। दिनांक 31.12.99 की स्थिति के अनुसार बाइफर के पास 1003 मामले जांच के विभिन्न स्तरों पर लंबित थे।

(घ) इस समय बाइफर की कार्यवाहक अध्यक्ष समेत छः सदस्यीय तीन पीठ (बेंच) कार्यरत हैं।

(ङ) और (च) इस समय औद्योगिक रुग्णता की समस्या को और अधिक प्रभावी तरीके से निपटने के उपायों का पता लगाने के उद्देश्य से सरकार, बाइफर तंत्र तथा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के कार्यकरण का मूल्यांकन कर रही है।

सीमा व्यापार

7327. **श्री होलखोमांग हौकिप** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मोरेह-तामू क्षेत्र में सीमा व्यापार खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने मणिपुर राज्य में मोरेह पर औद्योगिक केन्द्र का विकास करने के लिए एक स्थल का चयन कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में लागू करने के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) दिनांक 21 जनवरी, 1994 को भारत और म्यांमार के बीच हस्ताक्षर किए गए द्विपक्षीय सीमा व्यापार करार के प्रावधानों के अधीन अप्रैल, 1995 से मोरेह-तामू सीमा मार्ग से सीमा व्यापार पहले से ही चालू है।

(ख) और (ग) भारत सरकार 577 लाख रुपए की परियोजना लागत से मणिपुर के गांव मोरेह, जिला चंदेल में एक समेकित बुनियादी सुविधा विकास केन्द्र के निर्माण के लिए स्वीकृति दी है जिसमें से 400 लाख रुपए सरकार से अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव है।

अगले दो वर्षों में 20 करोड़ रुपए की लागत से मोरेह सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में चार सीमावर्ती शहरों के विकास का भी प्रस्ताव है। म्यांमार के साथ सीमा व्यापार केन्द्रों के विकास के लिए आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना के अधीन मोरेह में व्यापार संबंधी अवस्थापनाओं और सुविधाओं के विकास के लिए 95 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

कृषि और गैर-कृषि उत्पादों का आयात

7328. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान देश में आयातित कृषि और गैर-कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है तथा यह आयात किन-किन देशों से किया गया और उस पर कितना व्यय हुआ;

(ख) इस आयात के क्या कारण हैं; और

(ग) घरेलू बाजार मूल्य की तुलना में आयातित उत्पादों का मूल्य क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) आयातों की अनुमति निर्यात एवं आयात मदों का आईटीसी (एचएस), वर्गीकरण, 1992-97 नामक पुस्तक में यथा प्रकाशित भारत सरकार की आयात नीति के अनुसार दी गई है। प्रत्येक मद के आयात की सूचना उसके मूल देश, मात्रा एवं मूल्य के ब्यौरे साथ वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 'भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी' नामक मासिक प्रकाशन में उपलब्ध होती हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विनिवेश से प्राप्त राशि का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण पर व्यय करना

7329. **कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी :**

श्री साहिब सिंह :

श्री दिलीप संघाणी :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विनिवेश से प्राप्त धनराशि का व्यय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण और विकास पर करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त धनराशि का इस मद में व्यय किए जाने की संभावना है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों का 5 अथवा 10 वर्षों में विनिवेश करने संबंधी कोई संदर्शी योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) विनिवेश से जमा की गई राशि भारत की समेकित निधि में जमा

कराई जाती है। सरकार का समस्त व्यय, जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर किया गया व्यय शामिल है, भारत की समेकित निधि में से पूरा किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई बजटीय सहायता के ब्यौरे व्यय बजट, खंड–। (बजट 2000–2001) के विवरण संख्या 9 से 14 में दिए गए हैं।

(ग) 10,000 करोड़ रुपए।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों को धनराशि प्रदान करना

7330. श्री एम. के. सुब्बा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य को केन्द्र द्वारा उनके प्रशासनिक और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और वर्ष 2000–2001 के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी;

(ख) प्रशासनिक और विकासात्मक कार्य हेतु उक्त धनराशि कुल खर्च का कितना प्रतिशत है;

(ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कितनी सहायता धनराशि की मांग की गई है; और

(घ) सुरक्षा संबंधी मामलों पर कितनी धनराशि की जरूरत थी और कितनी खर्च की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) राज्यों को केन्द्रीय सहायता उनके विकास व्यय को पूरा करने के लिए योजना आयोग द्वारा किए गए आबंटनों के अनुसार दी जाती है। योजना आबंटनों का निर्णय, योजना आयोग द्वारा राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, योजना क्रियान्वयन हेतु राज्य के निजी संसाधनों और योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा राज्य के मुख्य मंत्री के बीच प्रतिवर्ष होने वाले विचार–विमर्श के आधार पर किया जाता है। पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य को पिछले तीन सालों के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता का विवरण–। संलग्न है। वर्ष 2000–2001 के लिए योजना आबंटनों का निर्णय योजना आयोग द्वारा किया जाना अभी बाकी है। विशेष श्रेणी का राज्य होने के नाते पूर्वोत्तर के राज्यों को उन्हें दी गई केन्द्रीय योजना सहायता का 20 प्रतिशत अपने गैर–योजनागत व्यय के लिए अंतरित करने की अनुमति है।

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति उस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाती है। पिछले तीन सालों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा मांगी गई तथा जारी की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण–II में संलग्न है।

विवरण-I

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा सिक्किम को वर्ष 1997–98 से 1999–2000 के दौरान आबंटित केन्द्रीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

	राज्य	1997–98	1998–99	1999–2000
1.	अरुणाचल प्रदेश	478.10	534.82	574.17
2.	असम	1308.77	1443.13	1616.11
3.	मणिपुर	338.56	456.27	506.08
4.	मेघालय	327.31	344.45	421.77
5.	मिजोरम	309.08	335.56	384.67
6.	नागालैंड	350.72	347.40	394.76
7.	त्रिपुरा	417.00	598.75	656.12
8.	सिक्किम	225.33	251.52	329.92

विवरण-II

पूर्वोत्तर राज्यों के सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

	राज्य	1997–98		1998–99		1999–2000	
		मांगी गई धनराशि	जारी की गई धनराशि	मांगी गई धनराशि	जारी की गई धनराशि	मांगी गई धनराशि	जारी की गई धनराशि
1.	असम	343.21*	131.91	245.18 **	78.86	105.70 ***	52.19
2.	मणिपुर	–	–	38.64 **	19.43	82.59 ***	3.44
3.	नागालैंड	–	–	124.55 **	35.61	11.94 ***	17.88
4.	त्रिपुरा	–	–	44.52 **	28.55	20.98 ***	17.53

* 1990–95 के लिए दावा

** 1995–98 के लिए दावा

*** 1998–99 के लिए दावा

[हिन्दी]

बैंकिंग नेटवर्क

7331. श्री मानसिंह पटेल :

श्री ए. ब्रह्मनैया :

श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक वाणिज्यिक बैंकों को नयी शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उनके बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई इस तरह की अनुमति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैंकों द्वारा राज्यवार खोले जाने वाली शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भविष्य में ऐसे किसी भी तरह के विस्तार के लिए केवल शहरी क्षेत्रों की ही मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बैंक शाखाएं खोलने के लिए वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान विभिन्न बैंकों को जारी प्राधिकार पत्रों की जानकारी विवरण–। में दी गई है।

(ग) शाखाएं खोलने हेतु बैंकों के पास लम्बित प्राधिकार पत्रों की राज्यवार स्थिति विवरण–॥ में दी गई है। आधारभूत व्यवस्थाओं आदि के पूरा हो जाने पर आबंटित केन्द्रों पर बैंक शाखाएं खोली जाएंगी।

(घ) जी, नहीं। वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान शाखाएं खोलने के लिए प्रदान किए गए 370 प्राधिकार पत्रों में से 106 प्राधिकार पत्र ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-।

वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान शाखाएं खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को जारी प्राधिकार पत्रों की जनसंख्या श्रेणी–वार संख्या।

श्रेणी–वार	वर्ष	बैंक समूह			
		भा. स्टेट बैंक और इसकी अनुषंगियां	राष्ट्रीयकृत बैंक	गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक	कुल
ग्रामीण	1999–2000	3	10	7	20
	2000–2001	1	0	1	2
अर्ध–शहरी	1999–2000	15	24	39	78
	2000–2001	0	0	6	6
शहरी	1999–2000	23	64	38	125
	2000–2001	2	1	2	5
महानगर	1999–2000	22	47	50	119
	2000–2001	1	3	11	15
कुल	1999–2000	63	145	134	342
	2000–2001	4	4	20	28

विवरण-॥

आज की तारीख की स्थिति के अनुसार शाखाएं के खोलने के लिए बैंकों के पास लम्बित राज्य–वार प्राधिकार–पत्र।

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भा. स्टेट बैंक और इसकी अनुषंगियों	राष्ट्रीयकृत बैंक	गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक	कुल
	1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	25	13	61
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	3	5	3	11
4.	बिहार	7	39	3	49
5.	गोवा	4	1	7	12
6.	गुजरात	13	33	15	61
7.	हरियाणा	13	32	8	53
8.	हिमाचल प्रदेश	1	8	0	9
9.	जम्मू और कश्मीर	2	4	4	10
10.	कर्नाटक	26	35	18	79
11.	केरल	7	16	20	43
12.	मध्य प्रदेश	14	22	5	41
13.	महाराष्ट्र	29	108	65	202
14.	मणिपुर	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	1	0	1
16.	मिजोरम	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0
18.	संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली	14	93	27	134

1	2	3	4	5
19. उड़ीसा	4	9	2	15
20. पंजाब	17	42	11	70
21. राजस्थान	16	28	5	49
22. सिक्किम	0	1	0	1
23. तमिलनाडु	15	43	25	83
24. त्रिपुरा	1	0	0	1
25. उत्तर प्रदेश	18	81	19	118
26. पश्चिम बंगाल	12	28	12	52
27. अंडमान और निकोबार	0	0	0	0
28. चंडीगढ़	4	16	0	20
29. दादरा और नागर हवेली	0	1	1	2
30. दमन और दीव	0	2	0	2
31. लक्षद्वीप	0	0	0	0
32. पांडिचेरी	0	0	0	0
अखिल भारत	243	673	263	1179

[अनुवाद]

एन. आई. ई. प्रणाली

7332. **प्रो. उम्मारेड्डी वैंकटेस्वरलु :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिले-सिलाये वस्त्रों के लिए नये निवेशक पात्रता (एन. आई. ई.) प्रणाली को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस तरह के परिवर्तन के प्रभाव संबंधी कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नये निवेशक पात्रता (एन. आई. ई.) प्रणाली के मुख्य पहलू क्या हैं; और

(च) पिछले वर्ष में इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटित/जारी निधियों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) निटवियर तथा परिधान निर्यात हकदारी (कोटा) नीति (2000-2004) के अनुसार, नये निवेशक हकदारी (एन आई ई) प्रणाली के लिए 15 प्रतिशत का वार्षिक स्तर सुनिश्चित किया गया है। नये निवेशक हकदारी प्रणाली के तहत आबंटन केवल उन्हीं निर्यातकों को किया जाएगा जो उन विनिर्माताओं-निर्यातकों के रूप में पंजीकृत हैं जिन्होंने चालू एककों या एक नये एकक में 50 लाख रुपये की एक न्यूनतम राशि का निवेश किया है। नवीन निवेशक हकदारी को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ) के साथ जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त इसे गैर-हस्तांतरणीय भी बनाया गया है।

(घ) नये निवेशक हकदारी प्रणाली सहित किसी भी अन्य प्रणाली के लिए कोटा नीति के तहत निधियों को आबंटित/रिलीज़ नहीं किया जाता है।

तम्बाकू के लिए मूल्य स्थिरता कोष

7333. **श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तम्बाकू के लिए एक मूल्य स्थिरता कोष बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कहां तक तम्बाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा होगी; और

(घ) इस कोष से कितने किसान लाभान्वित होंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात में राज्य सरकारों की भागीदारी

7334. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयात संवर्द्धन प्रयास में राज्यों को सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये का एक कोष स्थापित करने और निर्यात-विकास का लक्ष्य प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा और इसकी कार्य पद्धति क्या है;

(ग) क्या योजना के सफल संचालन के लिए निर्यातकों की राय ली जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों को शामिल करते हुए निर्यातों को एक राष्ट्रीय प्रयास बनाने की दृष्टि से निर्यात संबंधी अवस्थापना के विकास के लिए राज्यों को सहायता करने हेतु एक स्कीम तैयार की जा रही है। इस स्कीम के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) यह योजना स्वयं व्यापार बोर्ड की बैठक में किए गए विचार-विमर्शों के आधार पर ही तैयार की गई है, जो

महत्वपूर्ण निर्यातकों और विभिन्न वाणिज्य एवं उद्योग मण्डलों का एक प्रतिनिधि निकाय है।

ब्रिटेन से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

7335. **डॉ. जसवंत सिंह यादव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन से मंजूर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और वहां से वास्तव में आने वाले निवेश में बहुत अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण): (क) और (ख) जनवरी, 1991 से फरवरी, 2000 तक ब्रिटेन के लिए 16150.87 करोड़ रुपये की राशि का कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदित हुआ है; इसके प्रति 2263.25 करोड़ रुपये देश में पहले ही अंतर्वाह के रूप में आ गये हैं जो कि 14.01% के लगभग है। विद्युत, दूरसंचार, अवसंरचना इत्यादि जैसी दीर्घ उत्पादन अवधि वाली वृहद परियोजनाओं में अंतर्वाहों को प्राप्त करने में ज्यादा विलम्ब होता है और निधियों का अंतर्वाह परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न चरणों में होता है। वास्तिविक निवेश निवेशकों की वाणिज्यिक सूझबूझ और निर्णय पर निर्भर करता है।

(ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ ये शामिल हैं-लघु निषेधात्मक सूची को छोड़कर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वतः मार्ग का 100% तक आगे विस्तार करना, और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आवेदनपत्रों का समयबद्ध निपटान करना।

दक्ष शिल्पियों को पेंशन

7336. **श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार दरिद्रता की स्थिति में जीवनयापन कर रहे दक्ष शिल्पियों को पेंशन योजना के तहत कितने व्यक्तियों को पेंशन लाभ प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार उपरोक्त योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त योजना के संबंध में सरकार के पास कुल कितने आवेदन लंबित पड़े हैं, और

(ङ) इनका निपटान कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) दरिद्रावस्था स्कीम के अंतर्गत आज तक पेंशन के लाभ भोगी सिद्धहस्त की कुल संख्या 179 है।

(ख) और (ग) जी, हां, दरिद्रावस्था में रह रहे सिद्धहस्त शिल्पियों की पेंशन 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति करने का प्रस्ताव है।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनाज पैकिंग के लिए जूट बैगों का उपयोग

7337. **श्री अशोक ना. मोहोल** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनाजों की पैकिंग के लिए एच. डी. पी. बैगों का प्रयोग करने हेतु भारतीय खाद्य निगम और अनाजों की खरीदारी करने वाली राज्य स्तरीय एजेंसियों को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनाज खरीदने वाली एजेंसियों को जूट बैग उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल में (दिनांक 23.3.2000 से) पटसन उद्योग में हुई हड़ताल के मद्देनजर, सरकार ने स्थायी सलाहकार समिति द्वारा इसके लिए की गई सिफारिशों पर विचार-विमर्श के पश्चात् दिनांक 31.3.2000 को एक राजकीय अधिसूचना (जो 30.6.2000 तक वैध है) के द्वारा खाद्यान्न की प्रतिशतता को 10% कम कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप 90% खाद्यान्न को पटसन बोरों में पैक किया जाएगा। यह रिआयत एच. डी. पी. ई. बोरों के प्रयोग की सिफारिश नहीं करती। यह केवल खाद्यान्न अधिप्राप्ति अभिकरणों को पैकिंग के अन्य विकल्पों के प्रयोग में सक्षम बनाती है।

(ग) खाद्यान्न अधिप्राप्ति के लिए बोरों की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अधिप्राप्ति अभिकरणों को पिछले मौसम के पड़े हुए शेष बोरों के प्रयोग को अनुमति दी गई है। लगभग सभी पटसन मिलों के दुबारा खुलने को ध्यान में रखते हुए कुछ मांगकर्त्ताओं ने सुपुर्दगी की अवधि बढ़ाने की अनुमति दी है ताकि संबंधित एजेंसियों को पटसन बोरों की आपूर्ति हो सके।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वायत्तता

7338. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विचाराधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता (ग्रेटर मार्जीनल आटोनोमी) देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और कितनी स्वायत्तता दिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के

उपक्रमों के प्रबन्धनों को उनके वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्वायत्तता दी जाती है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उत्पन्न स्थिति के अनुसार स्वायत्तता प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है।

विशेष घटक योजना

7339. श्री रतन लाल कटारिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को विशेष घटक योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या सरकार को धनराशि के स्थानांतरण, दुरुपयोग और उपयोग नहीं किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष घटक योजना के अंतर्गत जारी की गई राशि

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2680.13	3388.78	4134.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	142.18	596.68	695.31
4.	बिहार	2808.20	3620.07	3471.49
5.	गोवा	3.83	2.72	5.49
6.	गुजरात	1659.99	371.40	682.27
7.	हरियाणा	546.41	741.77	840.36
8.	हिमाचल प्रदेश	256.91	259.56	298.18
9.	जम्मू और कश्मीर	73.87	132.80	183.44
10.	कर्नाटक	1389.35	1820.07	2097.36
11.	केरल	645.94	724.54	813.24
12.	मध्य प्रदेश	1945.24	2237.08	3303.27
13.	महाराष्ट्र	1922.45	1673.92	2067.30
14.	मणिपुर	6.58	10.62	12.54
15.	मेघालय	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–
17.	नागालैण्ड	–	–	–
18.	उड़ीसा	1925.47	2281.57	1907.72
19.	पंजाब	–	1119.74	1280.29
20.	राजस्थान	2279.81	2575.48	2792.68
21.	सिक्किम	4.44	4.03	22.37
22.	तमिलनाडु	1756.90	3236.93	4036.92
23.	त्रिपुरा	106.28	108.72	159.14
24.	उत्तर प्रदेश	7646.66	7518.15	9728.65
25.	पश्चिम बंगाल	2848.78	3378.39	4962.00
	कुल	30649.42	35803.00	43494.96

फेरा

7340. श्री सुरेश रामराव जाधव :

श्री जितेन्द्र प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय का विचार हाल ही में उजागर हुए मैच फिक्सिंग मामले में, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम का कप्तान लिप्त है; गैर–कानूनी माध्यमों से धन को अंतरित करने के कारणों की जांच करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या मैच फिक्सिंग मामलों में प्रमुख नशीले पदार्थों के डीलर शामिल थे तथा प्रवर्तन निदेशालय मामले में "फेरा" (एफ. ई. आर. ए.) उल्लंघन की जांच कर रहा था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अंतर्गत जांच आरंभ कर दी है जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) और (घ) जांच प्रारंभिक स्तर पर है इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

जानकारी आधारित उद्योग

7341. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और औषध उद्योग के संबंध में क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमन): (क) से (घ) भेषजीय और सुविज्ञता-आधारित उद्योगों के लिए एक कृतिक बल का गठन सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में किया गया था। उक्त कृतिक बल द्वारा अपनी रिपोर्ट अभी सरकार को प्रस्तुत की जानी है।

[हिन्दी]

मसालों का आयात/निर्यात

7342. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने रुपए के मसालों का आयात/निर्यात किया गया;

(ख) किन-किन देशों को किन-किन मसालों का निर्यात किया गया; और

(ग) सरकार की इस संबंध में निर्यात नीति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयातित/निर्यातित मसालों का मूल्य नीचे दिया गया है:-

वर्ष	निर्यातित मसालों का मूल्य (करोड़ रुपए में)	आयातित मसालों का मूल्य (करोड़ रुपए में)
1997-98	1466.82	131.83
1998-99*	1758.02	293.58
1999-2000**	1861.03	79.00 ***

*अनन्तिम

**अनुमानित

***आंकड़े अप्रैल से दिसम्बर, 1999 की अवधि से संबंधित है।

स्रोत : स्पाइसेज बोर्ड/डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता

(ख) विभिन्न देशों को निर्यात किए गए मुख्य-मुख्य मसाले हैं-काली मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, हल्दी, इलायची, धनिया, जीरा, सेलरी, सौंफ, मेथी, लहसुन, करी पाउडर, पुदीने का तेल, मसाला तेल और ओलिओ रेजिन्स इत्यादि। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातों के राज्य-वार ब्यौरे डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक/वार्षिक अंकों में उपलब्ध हैं, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ग) सरकार की निर्यात नीति के अनुसार सभी मसाले निर्यात के लिए मुक्त हैं।

[अनुवाद]

बकाया धनराशि की वसूली

7343. श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई गैर-सरकारी कंपनियों और निजी व्यक्तियों द्वारा दूरदर्शन को करोड़ों रुपए का भुगतान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन ने गत कुछ महीने के दौरान इस बकाया धनराशि की वसूली हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दूरदर्शन द्वारा सभी गैर-सरकारी कंपनियों/निजी व्यक्तियों से कब तक बकाया धनराशि की पूर्ण वसूली कर लिए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार द्वारा उन अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है जिनके द्वारा उन्हें भारी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन ने बकाया राशियों की वसूली करने और इन्हें कम करके न्यूनतम स्तर तक लाने को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपाए किए हैं:—

(1) बकायों की मासिक आधार पर मानीटरिंग की जाती है और बकाया देयों की अदायगी करने के लिए एजेंसियों को नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

(2) किसी चूककर्ता एजेंसी/निर्माता को कोई नया कार्यक्रम आबंटित नहीं किया जाता है।

(3) जिन एजेंसियों की ओर बकाया है, उन्हें सभी बकायों को तीन मास में निपटाने हेतु एक भुगतान योजना अपनाने को कहा गया है। सभी निर्माताओं/एजेंसियों द्वारा उक्त भुगतान योजना का पालन किया जा रहा है। जो इसका पालन नहीं करते हैं, उन्हें साठ दिन के सामान्य क्रेडिट अवधि की अनुमति नहीं दी जाती है। बकायों का भुगतान न करने पर सामान्य क्रेडिट अवधि को स्थगित कर दिया जाता है ओर एजेंसियों के कार्यक्रमों को अग्रिम रूप से प्रसारण शुल्क की अदायगी के बाद ही अनुमति दी जाती है।

(4) चूककर्ता एजेंसियों द्वारा अग्रिम रूप से प्रसारण शुल्क का भुगतान करने पर ही उनके कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति दी जाती है।

(5) दूरदर्शन के राजस्व को सुरक्षित रखने तथा क्रेडिट अवधि को कवर करने के लिए, सामान्य प्रसारण शुल्क पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों की बैंक गारंटी राशि को प्रसारण शुल्क का चार गुण कर दिया गया है। अत्यधिक महत्व वाले के एम जी कार्यक्रमों के मामले में यह दो प्रकरणों के लिए प्रसारण शुल्क के बराबर है।

(ङ) बकाया राशियों को यथाशीघ्र वसूल करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(च) किसी व्यक्ति या कम्पनी को भुगतान नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर कम्पनियों/एजेंसियों को दूरदर्शन पर प्रसारण समय की बिक्री के लिए 60 दिन की विनिर्दिष्ट क्रेडिट अवधि में भुगतान हेतु बिल जारी किए जाते हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1999–2000 के दौरान प्रमुख चूककर्ता एजेंसियां

क्र. सं.	एजेंसी का नाम	1.4.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया	1.4.2000 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	आलिया प्रोडक्शंस	0	75
2.	एबीसीएल	1765	1765
3.	एड फैक्टर एडवरटाइजिंग	7	7
4.	एडवांस टीवी नेटवर्क	230	248
5.	आनन्द एडवरटाइजिंग	140	140
6.	एपीसीए	0	99
7.	बीवाई पाध्या	13	13
8.	बीएजी फिलम्स	2	43
9.	विधान एडवरटाइजिंग	22	12
10.	चैत्र एडवरटाइजिंग	6	3
11.	सिनेमा विजन	28	13
12.	क्लेरियॉन एडवरटाइजिंग	46	30
13.	कॉन्सेप्ट एडवरटाइजिंग	156	206
14.	कॉन्ट्रेक्ट एडवरटाइजिंग	42	25
15.	कॉपी डैस्क	0	3
16.	कोरम कम्युनिकेशंस	17	21
17.	क्रेबन एडवरटाइजिंग	18	6

1	2	3	4
18.	क्रिएटिव आई	315	0
19.	डॉनमोड एडवरटाइजिंग	0	421
20.	डीएवीपी	28	7
21.	दृष्टि इंडिया	350	350
22.	डाक विभाग	8	0
23.	एन्टरप्राइज एडवरटाइजिंग	45	45
24.	एवरेस्ट एडवरटाइजिंग	56	45
25.	फिल्म क्रॉफ्ट	158	50
26.	फेम कम्प्युनिकेशंस	512	0
27.	फ्यूचर कम्युनिकेशंस	0	28
28.	जी. एन. कम्युनिकेशंस	0	5
29.	गोल्ड वीडियो	13	10
30.	गुरूजी एडवरटाइजर्स	0	150
31.	हाई डेफिनेशन टीवी	0	3
32.	एचएमटी	17	0
33.	एचटीए	350	50
34.	हंस विजन	744	122
35.	इन्द्रधनुष टीवी	0	0
36.	इनोविजन फिल्म एण्ड टीवीडि.	5	25
37.	जटियार पब्लिकशंस	34	34
38.	जया एडवरटाइजिंग	60	60
39.	जोसलिन कम्युनिकेशंस	42	42
40.	किन स्कीम	126	70
41.	के. एल. आई.	106	50
42.	लिन्टास	205	2
43.	मेडिसन एडवरटाइजिंग	70	0
44.	मा वोजेल	0	10
45.	मेगना विजन	108	108
46.	मार्केट मूवर्स	0	329
47.	मेजिक बॉक्स	0	14

1	2	3	4
48.	मीडिया एशिया	146	146
49.	मुद्रा कम्युनिकेशंस	55	0
50.	मल्टी चैनल	1600	1500
51.	राष्ट्रीय बचत संगठन	0	2
52.	एनसीवाईपी	0	61
53.	नीरजा फिल्मस	0	50
54.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	5500	2800
55.	निम्बस कम्युनिकेशंस	870	834 (222 बैंक गारंटी द्वारा संरक्षित)
56.	पीएनसी	212	338
57.	पास इन्टरनेशनल	0	30
58.	पेन 'ए' ट्रेट	0	4
59.	प्लस चैनल	1205	1205
60.	प्रोमिनेन्ट	172	72
61.	प्राइम टाइम मीडिया	413	0
62.	राधा पब्लिसिटी	0	19
63.	सागर एन्टरप्राइजेज	178	50
64.	श्री माधव	0	400 (400 बैंक गारंटी द्वारा संरक्षित)
65.	स्ट्राकॉन	535	117
66.	ट्राइटन कम्युनिकेशंस	136	150
67.	टीएनई एशिया	293	0
68.	यूनिवर्सल	88	88
69.	यूरेनस	0	130 (80 बैंक गारंटी द्वारा संरक्षित)
70.	यूटीवी	2289	636
71.	विज्ञापन	0	27
72.	डब्ल्यू डी कंज्युमर	0	40
73.	वर्ल्ड मीडिया	70	38
74.	वर्ल्डकॉम एम/एम	54	58
	कुल	19860	13538
	घटा : कानूनी विवादाधीन		5718
	शेष बकाया		7871

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग का विकास

7344. श्री रामदास आठवले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर जनजाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग के विकास हेतु पर्याप्त अवसर हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में विशेषकर महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग के विकास की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान विशेषतः जनजाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा राज्यवार कितनी सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में हथकरघा उद्योग के विकास हेतु सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम के अंतर्गत 100% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाली समितियों के लिए केन्द्रीय सहायता से वित्तीय अंशदान की शर्तों में विशेष वितरण किया जाता है। राज्य सरकारों के माध्यम से व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार वित्तीय सहायता जारी करने पर विचार किया जाता है।

हथकरघा उद्योग का विकास

7345. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के कार्यनिष्पादन का आकंलन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार, योजनावार विशेषकर महाराष्ट्र में निर्धारित और प्राप्त किए गए वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों सहित चल रही योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वैश्वीकरण के संबध में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के लिए तैयार की गई नई रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2000-2001 और आगामी पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम हेतु कौन सी कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया/विचाराधीन है;

(ङ) राज्य सरकारों से राज्यवार मिले परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की/कर रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लि., लखनऊ वर्तमान में बुनकरों को निवेश की आपूर्ति अर्थात यार्न, रंजक तथा रसायनों में लगा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान इन निवेशों की आपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) वैश्वीकरण के संदर्भ में एनएचसीडी द्वारा नये निम्नलिखित कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं:-

1. कच्चे माल की आपूर्ति के लिए दूर दराज के क्षेत्रों को शामिल करने हेतु बढ़ावा देना।
2. बुनकरों के विशिष्ट समूह से निर्यात तथा निर्यातयोग्य उत्पादों के विकास के क्षेत्रों में प्रवेश।
3. आयतित सिल्क यार्न का वितरण।
4. हथकरघा फ्रैबिक के विपणन के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करना।

(घ) प्रत्येक वर्ष जब कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दिया जाता है तो भारत सरकार तथा एन एच डी सी के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हैं। इस वर्ष की वार्षिक कार्रवाई योजना की मुख्य विशेषताऐं निम्नलिखित हैं:-

1. हथकरघा बुनकरों को कच्चा माल, जैसे यार्न, रंजक तथा रसायनों तथा अन्य निवेशों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
2. मूलभूत संरचना तथा उचित प्रौद्योगिक की वृद्धि को जारी रखना।
3. (क) उच्च निवेश के लिए विपणन अवसर पैदा रखना।

   (ख) निर्यात के लिए विपणन अवसरों को बढ़ाना।
4. हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन तथा विकास में लगे हथकरघा निगमों, सहकारी समितियों तथा अन्य निकायों तथा व्यक्तियों को नियमित रूप से केन्द्रीय सरकार निधियों, ऋणों तथा अनुदानों के लिए श्रृंखला के रूप में कार्य करती है।

(ङ) और (च) एनएचडीसी राज्य सरकारों से परियोजना/प्रस्ताव प्राप्त नहीं करता है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	यार्न की आपूर्ति (मात्रा लाख कि. ग्रा. तथा मूल्य लाख रुपये में)						रंजक तथा रसायनों की आपूर्ति (मात्रा लाख कि. ग्रा. में तथा मूल्य लाख रुपये में)					
		1997-98		1998-99		1999-2000		1997-98		1998-99		1999-2000	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	13.860	1629.00	11.106	1218.41	5.900	788.21	51507	146.28	49212	114.12	30337	88.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.065	5.36	-	-	0.007	0.92	372	0.52	-	-	-	-
3.	असम	2.234	294.48	1.282	165.76	0.786	80.17	50	0.71	34	0.33	214	0.20
4.	बिहार	6.693	532.38	1.694	133.88	3.142	233.27	802	3.25	50	0.06	-	-
5.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	281	0.26	720	2.01	50	0.04
6.	गोवा	-	-	-	-	-	-	24	0.06	411	0.16	-	-
7.	गुजरात	0.899	114.20	0.450	51.17	0.070	7.79	-	-	50	0.19	-	-
8.	हरियाणा	10.056	809.79	11.192	885.13	8.126	626.75	29144	28.13	27625	77.76	36763	53.49
9.	हिमाचल प्र.	0.033	15.40	0.135	58.56	0.081	33.17	150	0.03	-	-	50	0.49
10.	जम्मू व कश्मीर	0.069	6.07	0.914	46.21	0.577	27.62	-	-	-	-	815	0.49
11.	कनार्टक	15.450	1626.87	20.092	2385.83	14.131	1633.14	33680	95.14	83398	236.80	115003	281.83
12.	केरल	9.655	885.27	8.234	827.49	8.153	770.04	152779	236.08	192792	291.18	154132	247.30
13.	मध्य प्रदेश	1.372	141.51	1.833	167.86	2.071	158.89	336	1.52	196	0.18	843	3.09
14.	महाराष्ट्र	5.222	491.30	6.670	567.02	4.944	413.89	5969	12.27	9658	37.21	54742	47.78
15.	मणिपुर	0.681	85.41	0.474	52.25	0.121	17.02	3357	7.64	2238	2.40	1336	3,41
16.	मेघालय	0.092	8.79	0.010	1.40	0.007	0.84	-	-	-	-	-	-
17.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	नागालैंड	0.003	0.57	0.058	7.58	0.115	18.62	-	-	-	-	-	-
19.	उड़ीसा	0.753	134.79	0.070	11.75	0.014	1.86	75	1.08	75	1.05	-	-
20.	पांडिचेरी	0.277	24.95	0.824	71.65	0.814	72.59	3407	18.24	1414	6.02	615	5.49
21.	पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	राजस्थान	2.743	211.48	1.004	73.00	1.292	99.02	4139	5.33	1383	2.86	736	1.32
23.	सिक्किम	0.027	3.15	-	-	0.020	2.33	-	-	-	-	10	0.05
24.	तमिलनाडु	28.254	2986.09	79.910	7722.06	84.911	8093.48	352552	623.84	388489	604.49	461103	669.72
25.	त्रिपुरा	1.315	124.94	1.244	130.58	1.073	117.68	1496	1.80	-	-	800	0.16
26.	उत्तर प्रदेश	26.996	2190.64	18.651	1545.35	17.261	1580.12	15967	41.47	25700	32.62	5432	4.71
27.	पश्चिम बंगाल	4.257	579.86	5.507	805.38	3.803	624.82	5157	17.89	2048	2.87	79	0.54

[अनुवाद]

बैंकों की ब्याज दर

7346. श्री शिवराज सिंह चौहान :

डॉ. एस. जगतरक्षकन :

श्रीमती रीना चौधरी :

श्री रवि प्रकाश शर्मा :

श्री जी. एस. बसवराज :

कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर को 1 प्रतिशत कम करने के बाद ब्याज को कम करने की उद्योगों की लम्बे समय से लंबित पड़ी मांगों पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों ने अपनी मुख्य ब्याज दरों में तदनुरूप कमी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ब्याज दर में की गयी 1 प्रतिशत की कमी से उद्योगों को सहायता मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे उद्योग किस हद तक लाभान्वित हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1 अप्रैल, 2000 को बैंक दर 1 प्रतिशत बिन्दु घटाकर 8 प्रतिशत से 7 प्रतिशत करने की घोषणा की। बैंक दर में इस कमी के कारण बैंकों के उच्चतर उधार दर (पीएलआर) में कमी आई है।

(ख) और (ग) आरबीआई द्वारा घोषित मुद्रा संबंधी सुगम उपायों पर प्रतिक्रियास्वरूप कई बैंकों ने अपनी उच्चतर उधार दर (पीएलआर) को 0.75 से 1.0 प्रतिशत बिन्दु तक कम किया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पीएलआर अप्रैल 1999 में 10.5 से 18.5 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल 2000 में 9.75 से 17.5 प्रतिशत के बीच था।

(घ) और (ङ) बैंक दर में कमी से बैंकों की उच्चतर उधार दर में कमी हुई है। इससे उद्योगों को लाभ होगा क्योंकि वे सस्ती दर पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

[हिन्दी]

समुद्र तल में उपलब्ध खनिज

7347. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय समुद्री सीमा क्षेत्र में समुद्र तल में विभिन्न प्रकार के कौन–कौन से खनिज उपलब्ध हैं और उनका अनुमानित भंडार कितना है;

(ख) इन संसाधनों का दोहन करने के लिए अब तक क्या प्रबंध किए गए हैं और कौन–कौन से सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र के निकायों/गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को यह कार्य सौंपा गया है; और

(ग) भारतीय कम्पनियों के बजाए विदेशी कम्पनियों को यह कार्य सौंपने के क्या कारण हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) भारतीय समुद्री सीमा क्षेत्र में, समुद्र तल, तेल, गैस और भारी खनिज बालू जैसे खनिजों से सम्पन्न है। विभिन्न खनिजों के उपलब्ध भण्डार निम्नप्रकार हैं:–

i) तेल और गैस : 1.4.99 की स्थिति के अनुसार, भारत में समुद्र की अवमृदा (सबसायल) के नीचे दबे हाइड्रोकार्बन के वहां उपलब्ध आरंभिक भण्डारों में तेल और तेल तुल्य गैस के 3.79 बिलियन मीट्रिक टन भण्डार होने का अनुमान है।

ii) भारी खनिज बालू : इसमें इलेमिनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, सिलिमिनाइट, मोनाजाईट, मैग्नेटाइट और गारनेट शामिल हैं।

अभी तक इलेमेनाइट के 26.002 एम. टी., रूटाइल के 0.397 एम. टी., जिरकॉन के 0.552 एम.टी., मोनाजाइट के 1.868 एम. टी., सिलिमेनाइट के 9.314 एम. टी. और मैग्नेटाइट के 0.56 एम. टी. और गारनेट के 4.66 एम. टी. भण्डारों का अनुमान लगया गया है।

(ख) और (ग) सरकार, तेल और गैस भण्डारों के विदोहन के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है/उठाने का प्रस्ताव रखती रही है:

i) भारतीय कांटिनेटल शेल्फ के विभिन्न तलछटी बेसिनों/क्षेत्रों में खनन पट्टे और प्राधिकार–पत्र जारी किए गए हैं।

ii) ओ.एन.जी.सी. के अतिरिक्त अनेक भारतीय और बहुराष्ट्रीय दोनों तरह की निजी कम्पनियां, देश के अपतटीय क्षेत्रों में तेल और गैस के विदोहन में कार्यरत हैं। पर्याप्त मात्रा में निवेश को आकर्षित करने, उत्पादन के बढ़ोत्तरी करने और नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के उद्देश्य से हाइड्रोकार्बन का विदोहन करने के लिए विभिन्न भारतीय निजी कम्पनियों के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को, पता लगाए गए, अनेक क्षेत्र प्रदान किए गए हैं। इन कम्पनियों के नाम निम्नप्रकार हैं:

केरन एनर्जी इंडिया पी.टी.वाई. लि., वीडियोकॉन पैट्रोलियम लि., रव्वा ऑयल सिंगापुर पी.टी.ई. लि., एनरॉन ऑयल एण्ड गैस इण्डिया लि., रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., मोसबैकर इंडिया एल. एल. सी., हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी लि. (एच.ओ.ई.सी.), एनर्जी इक्विटी इंडिया पैट्रोलियम लि., हार्डी ऑयल एण्ड गैस लि. और टाटा पैट्रोडायन लि.।

परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के अंतर्गत एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी.एस.यू.) इंडियन रेअर अर्थ लि. (आई. आर. ई. एल.) और केरल सरकार के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम केरल मिनरल्स एण्ड मैटल लि. (के. एम. एम. एल.) द्वारा इलेमेनाइट खनन के उपोत्पाद के रूप में मोनाजाईट की प्राप्ति की जा रही है। रेअर अर्थ और थोरियम तथा यूरेनियम के मिश्रित उत्पादन के लिए मोनाजाईट को संसाधित किया जाता है।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र

7348. **श्री प्रभात सामन्तराय :**

श्री आर. एल. भाटिया :

श्री नवल किशोर राय :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

डॉ सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री रामजी लाल सुमन :

श्री अब्दुल हमीद :

श्री अरूण कुमार :

श्री मोहन रावले :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में घोषित नई आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेष आर्थिक क्षेत्रों के गठन के लिए क्या मापदंड अपनाया गया है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में सभी उत्पादों में शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन क्षेत्रों के क्या-क्या कार्य हैं; और

(च) देश में उक्त क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए/पता लगाये गये स्थानों के नाम राज्यवार क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (च) 1.4.2000 से प्रभावी निर्यात और आयात नीति में सरकार ने निर्यातों को बढ़ाने के लिए देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजैड) स्थापित करने के लिए एक नीति घोषित की है। एसई जैड सार्वजनिक, निजी संयुक्त क्षेत्र में अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई नया एसईजैड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि कुछ मौजूदा ईपीजैड को एसईजैड में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। एसईजैड की स्थापना करते हुए जोन के आकार, समुद्र/हवाईपत्तन से निकटता, सड़क, ऊर्जा और जल आपूर्ति, बैंकिंग, दूर-संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक अवस्थापना जैसे हाऊसिंग, स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं को ध्यान में रखना होता है। एस ई जैड इकाइयों के मामले में 100% विदेशी भागीदारी की अनुमति है।

सुधार प्रक्रिया का मध्यावधि मूल्यांकन

7349. **श्री श्रीनिवास पाटील :**

श्री दलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विनिवेश के कारण उद्योग और व्यापार पर पड़े समय प्रभाव की जांच के मद्देनजर सुधार प्रक्रिया का मध्यावधि मूल्यांकन के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) वित्त मंत्रालय को विनिवेश के कारण उद्योग और व्यापार पर पड़े समग्र प्रभाव की जांच के मद्देनजर सुधार प्रक्रिया के मध्यावधि मूल्यांकन के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में आरंभ किए गए आर्थिक सुधारों का अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि में त्वरण, पर्याप्त

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार की स्थिति के निर्माण नियंत्रणाधीन मुद्रास्फीति दर तथा विदेशी पूंजी के पर्याप्त अंतः प्रवाह के रूप में अनुकूल प्रभाव पड़ा है। सुधारों का मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है तथा जब और जैसे आवश्यक हो, भारतीय व्यापार तथा उद्योग के हितों की सुरक्षा करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लुप्त हुई कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई

7350. श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री किरीट सोमैया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की सिफारिश पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने लुप्त हो गई कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुम्बाई स्टॉक एक्सचेंज या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने निवेशकों को पैसा लौटाने के लिये कोई विनियमन तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) 129 कंपनियों, जिन्होंने लगभग 490 करोड़ रु. जुटाए हैं, को अब तक "लुप्त हो गई" कंपनियों के रूप में अभिज्ञात किया गया है। बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 57 कंपनियों तथा इन कंपनियों के 214 संवर्धकों/निदेशकों को, 5 वर्ष की अवधि के लिए किसी तरीके से भी पूंजी बाजार से संबद्ध होने से उन्हें वर्जित करते हुए, आदेश जारी किए हैं। सेबी ने सभी स्टॉक एक्सचेंजों को इन स्क्रिपों में व्यापार, यदि कोई हो, को निलंबित करने के आदेश देते हुए ऐसी कंपनियों की एक सूची अग्रेषित की है। इस संबंध में, स्टॉक एक्सचेंज मुम्बई (बी.एस.ई.) ने 25 स्क्रिपों में व्यापार को निलंबित कर दिया है।

(ग) से (ङ) सेबी अधिनियम की धारा 11 ख के अन्तर्गत एक प्रावधान किया गया है जो सेबी को प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं बशर्ते कि बोर्ड संतुष्ट हो कि ऐसी कार्रवाई निवेशकों अथवा प्रतिभूति बाजार के हित मे की गई है। इसके अलावा, निवेशक संरक्षण के संबंध में सेबी अधिनियम की कार्यक्षमता तथा प्रभावोत्मकता में सुधार करने के विचार से इसकी निरंतर समीक्षा की जाती है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों में विनिवेश

7351. श्री पी. कुमारसामी : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विनिवेश आयोग ने योजनाबद्ध ढंग से शीघ्र बिक्री करने हेतु सरकारी क्षेत्र के 32 उपक्रमों को सूचीबद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) विनिवेश आयोग ने 29 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में अनुकूल बिक्री की अनुशंसा की है। (विवरण संलग्न है)

(ग) विनिवेश एक अनवरत प्रक्रिया है तथा विनिवेश विभाग की सिफारिश पर निर्णय, विभिन्न जैसे बाजार स्थिति कंपनी का वित्तीय कार्यनिष्पादन, व्यावसायिक परामर्शदाताओं की सलाह तथा सम्बद्ध मंत्रालयों के विचारों पर विचार करने के पश्चात किया जाता है।

विवरण

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम
1	2
1.	एयर इंडिया
2.	भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड़
3.	बोंगाईगांव रिफाईनरिज एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड
4.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
5.	फर्टिलाईजर एण्ड कैमिकल्स (ट्रावणकोर) लिमिटेड
6.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
7.	हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड
8.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड
9.	एच. टी.आई. लिमिटेड
10.	आई. बी. पी. कंपनी लिमिटेड

1	2
11.	इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
12.	आई. टी. आई. लिमिटेड
13.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड
14.	मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड
15.	नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड
16.	शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
17.	नेपा लिमिटेड
18.	हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
19.	पाईराइट्स फास्फेट एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड
20.	मिनरल्स एण्ड मैटल ट्रेडिंग कारपोरेशन
21.	भारत राज्य व्यापार निगम लिमिटेड
22.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
23.	मैटार्जिकल तथा इंजिनियरिंग कंसल्टेंट्स (इं.) लिमिटेड
24.	पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड
25.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड
26.	हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाईड्स लिमिटेड
27.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
28.	राष्ट्रीय कैमिकल्स तथा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
29.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

7352. श्री नरेश पुगलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय रिवर्ज बैंक अधिनियम, 1934 (1997 में यथा संशोधित) की कुछ धाराओं की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में व्यापक संशोधन करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और गैर-निगमित निकायों से संबधित उपबन्धों के सबंध में काफी संख्या में अभ्यावेदन मिले हैं।

(घ) प्रत्येक अभ्यावेदन या किसी भी स्रोत से प्राप्त निविष्टि यह सुनिश्चित करने की सतत् प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निविष्टि बनाती है कि जिन उद्देश्यों से विधायी उपबन्ध बनाए गए हैं, उन्हें वह पूरा करें।

[हिन्दी]

भेल की आधुनिकीकरण योजना

7353. श्री पी. आर. खूंटे : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने विश्व स्तर पर प्रतियोगिता का सामना करने के लिए बारह सौ करोड़ रुपये की कोई आधुनिकीकरण योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना से भेल के निर्यात व्यापार को कितना बढ़ावा मिलेगा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) बीएचइएल ने अपनी विभिन्न निर्माणकारी यूनिटों में अपनी पुरानी सुविधाओं के लिए एक बृहद आधुनिकीकरण कार्यक्रम एकीकृत रूप में आरंभ किया है। जिसमें संपूर्ण निर्माण कार्य, कलपुर्जे जोड़ना, परीक्षण कार्यकलाप करना शामिल है। साथ ही साथ बीएचइएल के पावर क्षेत्र स्थलों पर निर्माण कार्य उपस्कर और औजारों के आधुनिकीकरण का कार्य भी आरंभ भी किया गया है।

अभी तक लगभग 580 करोड़ रुपए की राशि की आधुनिकीकरण की योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें से, 310 करोड़ रुपए की राशि की योजनाएं अनुमोदित हो गई हैं। तथा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। शेष उत्पादों का आधुनिकीकरण, निर्माण/मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में है।

इन आधुनिकीकरण योजनाओं का उद्देश्य सार्वभौम प्रतिस्पर्द्धा की चुनौतियों का सामना करने में कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए इसे अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

(ग) आधुनिकीकरण योजनाओं का उद्देश्य उत्पाद की गुणवत्ता को सुधारना तथा समय और लागत को कम करना है जिससे निर्यात अवसरों में सुधार हो सके।

[अनुवाद]

शहतूत बागानों का विकास

7354. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्नाटक और तमिलनाडु में शहतूत के बागान विकसित करने हेतु कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके जरिए इन राज्यों में शहतूत की खेती विकसित की जा सकती है तथा इन योजनाओं/परियोजनाओं के लिए कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पास रेशम प्रौद्योगिकी और कृमिकोष से रेशम के धागे के उत्पादन क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन योजनाओं के लिए राज्यवार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार सिंचिंत तथा वर्षा आधारित सिंचाई दोनों क्षेत्रों के लिए अधिक पैदावार देने वाली किस्मों में अनुसंधान व विकास, प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता आदि प्रयासों द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, तमिलनाडु और कर्नाटक में शहतूती पौधारोपण के विकास के लिए कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों में शहतूती कृषि में सुधार के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड (के.रे.बो.), अपने उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में निम्नलिखित दो योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है;

1. राज्यों में उत्कृष्ट शहतूती किस्मों के बैंकों का सृजन

इस योजना की परिकल्पना यह है कि कर्नाटक और तमिलनाडु सहित सभी राज्यों को कवर करते हुए शहतूत की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के बैंकों को स्थापित करने के लिए, सभी राज्यों को केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना, उत्पादकता बढाने के लिए क्षेत्र में केन्द्रीय रेशम बोर्ड अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित शहतूत की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के व्यवस्थित अंतरण को सक्षम बनाएगी। केन्द्रीय रेशम बोर्ड चुनी हुई किस्मों के खाद्य पौध सामग्री को स्वयं की लागत से उपलब्ध कराएगा। इस योजना के तहत, नौंवी योजना के लिए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड का समग्र परिव्यय कर्नाटक के लिए 22.50 लाख रुपये और तमिलनाडु के लिए 11.25 लाख रु. है।

2. ड्रीप सिंचाई के द्वारा स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन

इस योजना की परिकल्पना, नौंवीं योजना के दौरान क्रमशः कर्नाटक और तमिलनाडु में ड्रीप सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत शहतूती पौधारोपण के 1466 एच. ए. व 510 एच. ए. को कवर करना है। इस योजना के तहत, नौंवी योजना के लिए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड का परिव्यय कर्नाटक के लिए 329.85 लाख रु. और तमिलनाडु के लिए 114.75 लाख रु. है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, अपने संस्थानों नामतः केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (सी. एस. आर. एण्ड टी. आई.), बेहरामपुर, केन्द्रीय रेशम तकनीकी अनुसंधान संस्थान (सी. एस.टी.आर.आई.), मैसूर और केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान (सी.टी.आर. एण्ड टी. आई.), रांची में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से कोया पश्चात् रीलिंग और संस्करण के आयामों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। 1999–2000 के दौरान प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या का संस्थान–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, उद्यम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कोया–पश्चात् क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहा है। वर्ष 1999–2000 के दौरान, विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के पांच कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और लगभग 423 व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैः–

राज्य	वर्ष 1999–2000 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	वर्ष 1999–2000 के दौरान भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या
पश्चिमी बंगाल	1	114
मेघालय	1	112
मध्य प्रदेश	1	67
महाराष्ट्र	1	60
कर्नाटक	1	70
कुल	5	423

विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम	अनुसूचित पाठ्यक्रम का नाम	दिनों में समयावधि	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या							कुल
				प. बंगाल	केरल	बिहार	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	तमिलनाडु	गैर–सर./निजी	
क. शहतूती											
1.	सीएसआर एण्ड टीआई, बैहरामपुर	रीलिंग व कताई	14	3							3
2.	सीएसटीआर आई, मैसूर	कोया पश्चात प्रौद्योगिकी में अल्प कालीन पाठ्यक्रम	90				6	3			9
3.	वही	रेशम रीलिंग प्रौद्योगिकी	30			1	7		8	2	18
4.	वही	रेशम रंजन व प्रिटिंग	21							10	10
5.	वही	अपरिष्कृत रेशम थोईंग व बुनाई	30		3	1	1			11	16
6.	वही	मशीनरी रखरखाव	6		2			2			4
7.	वही	अपरिष्कृत रेशम परीक्षण व ग्रेडिंग	14		5		7	2		5	19
ख. गैर–शहतूती											
	संस्थान (सीटीआर एण्ड टी आई), रांची	रीलिंग व कताई	6							10	10
	कुल योग			3	10	2	21	7	8	38	89

मनकड़ समिति

7355. **श्री सुबोध मोहिते :**

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निर्यातकों की लेन–देन संबंधी उच्च लागतों को कम करने के उपाय सुझाने हेतु गठित पी.जी. मनकड़ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विदेश में व्यापार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने, कर प्रक्रियाओं और बैंकिंग प्रणालियों आदि से संबंधित लेन–देन की उच्च लागतों के रूप में निर्यातकों के समक्ष आने वाली समस्याओं की जांच करने के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसमें व्यापक सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों का लक्ष्य कम से कम विलम्ब के लिए प्रक्रियात्मक जटिलताओं को कम करना तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाना, नियमों एवं विनियमों की बहुलता तथा आधार ढांचे की अड़चनों आदि को कम करना इन सिफारिशों को एक निर्दिष्ट समयावधि के अंतर्गत कार्यान्वयन/अनुवर्ती कार्रवाई हेतु संबंधित एजेंसियों/विभागों को भेजा गया है।

कपड़ा उद्योग का विकास

7356. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में वस्त्र उद्योग के विस्तार और विकास हेतु कितनी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं और इनके नाम क्या–क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996–97, 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान आज तक क्रियान्वित की गई योजनाओं के नाम क्या हैं, और

(ग) इनमें से मिलों, विद्युत करघा और हथकरघा के उन्नयन हेतु कौन–कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गई और इनका ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1996–97, 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान क्रियान्वित की गई वस्त्र उद्योग के विकास संबंधी प्रमुख प्लान योजनाओं के नाम संलग्न विवरण में हैं।

(ग) मिलों, विद्युतकरघा और हथकरघा उद्योग के लिए क्रियान्वित की गई प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित योजनाओं में से प्रमुख प्लान योजनाओं के नाम और ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

1. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.): वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए उसके प्रौद्योगिकी स्तर में सुधार लाने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने 1.4.1999 से 31.3.2004 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की है।

विद्युतकरघा क्षेत्र

2. विद्युतकरघा सेवा केन्द्र (पी.एस.सी.) : सरकार ने बुनाई की नवीनतम प्रौद्योगिकी के बारे में प्रशिक्षण, परामर्श, डिजाइन विकास सहायता, वस्त्र परीक्षण और आसूचना आदि प्रदान करने के लिए 43 विद्युतकरघा सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं।

3. कंप्यूटर सहायित डिजाइन योजना (सी. ए. डी.) : सरकार ने विद्युतीकरघा क्षेत्र का डिजाइन विकास और सहायता प्रदान करने के लिए सी.ए.डी. केन्द्रों की स्थापना करने का कार्यक्रम शुरू किया है।

हथकरघा क्षेत्र

4. परियोजना पैकेज योजना : यह योजना वर्ष 1991 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को एकीकृत और समन्वित तरीके से इनपुट प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषण केन्द्रीय और राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी के बीच 50:50 के आधार पर किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों और 100% महिलाओं वाली कार्यान्वयन एजेंसियों के मामले में वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार और राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी के बीच 75:25 के आधार पर किया जाता है।

5. कार्यशाला–सह–आवास–योजना : यह योजना बुनकरों की उत्पादकता और आय में सुधार लाने के लिए उनको निवास एकक और उपयुक्त कार्यस्थल प्रदन करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण कार्यशाला के लिए 7,000 रु. और शहरी कार्यशाला के लिए 10,000 रु. की सहायता दी जाती है। ग्रामीण कार्यशाला–सह–आवास के लिए 18,000 रु. और शहरी कार्यशाला–सह–आवास के लिए 20,000 रु. की सहायता दी जाती है।

6. निर्यात योग्य उत्पादन और उनके विपणन विकास संबंधी योजना: देश से हथकरघों फैब्रिकों, मेड–अप्स और अन्य हथकरघा मदों के निर्यात को पर्याप्त गति देने के लिए वर्ष 1995–96 में निर्यात योग्य उत्पाद और उनके विपणन संबंधी विकास की योजना शुरू की गई थी।

7. बाजार विकास सहायता योजना : हथकरघा क्षेत्र में सतत् उत्पादन रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा छूट प्राप्त बिक्री की सहायता से भंडारों के आवधिक संग्रहण से बचने के लिए, बाजार विकास सहायता की योजना वर्ष 1989–90 में शुरू की गई थी।

8. सामूहिक बीमा योजना : सामूहिक बीमा योजना बुनकर को अपने परिवार के प्रति सामाजिक–आर्थिक दायित्व तथा बुढ़ापे में अपनी कार्यशील क्षमता की अनिश्चितता का सामना करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

9. हथकरघा बुनकरों के लिए नई बीमा योजना : हथकरघा बुनकरों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, हथकरघा बुनकरों के लिए एक नई बीमा योजना युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा वर्ष 1997–98 में शुरू की गई थी। नई बीमा योजना 120/– रु. की उसी किस्त पर विभिन्न प्रकार के जोखिम के प्रति बढ़ी हुई कवरेज प्रदान करती है। केन्द्र सरकार का हिस्सा 40/–रु. प्रति वर्ष से बढ़ाकर 60/– रु. प्रति वर्ष किया गया है तथा फलस्वरूप किस्त के भुगतान पर हथकरघा बुनकरों पर वित्तीय बोझ 40/– रु. प्रति वर्ष से घटाकर 20/– रु. प्रति वर्ष हो गया है।

10. हथकरघा विकास केन्द्र/कोटि के रंजक एकक योजना :– योजना 1993–94 से 1997–98 के दौरान चल रही थी। योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय सहायता सहकारीकरण तथा हथकरघा बुनकरों को सतत् रोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हथकरघा विकास केन्द्र तथा कोटि के रंजक एकक की स्थापना हेतु प्रदान किया गया था। योजना 01.04.1998 से बंद थी तथा पहले स्वीकृत परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताओं को 9वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में दिया जाएगा।

11. बचन निधि योजना : योजना बुनकर से अंशदान के रूप में उपार्जित मजदूरी का 8% तथा केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों से मजदूरी का 4% के साथ भविष्य निधि के रूप में निधि सृजित करने के उद्देश्य से 1985–86 से चल रहा है।

12. मिल गेट कीमत योजना : योजना के अंतर्गत यार्न मिल गेट मूल्य पर हथकरघा बुनकरों को एन. एच. डी. सी. के द्वारा आपूर्ति की जाती है। योजना 1992–93 में आरंभ की गई थी तथा वहन का खर्च एन. एच. डी. सी. को प्रतिपूर्ति की जाती है।

13. हथकरघा (उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 चल रही है तथा 11 वस्त्र वस्तुओं को हथकरघा क्षेत्र में अनन्य उत्पादन हेतु अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित किया गया था। राज्य स्तर पर, प्रवर्तन मशीनरी को अधिनियम को लागू करने के लिए स्थापित किया गया है।

14. प्रचार एवं प्रदर्शनी : योजना के अंतर्गत सहायता बुनकरों को विपणन दुकान प्रदान करने के लिए एक्सपो तथा जिला स्तरीय कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों/हथकरघा अभिकरणों को प्रदान किया जाता है।

विवरण

प्रमुख प्लान योजनाओं के नाम जिन्हें वर्ष 1996–97, 1997–98, 1998–99 और 1999-2000 के दौरान से अब तक देश में वस्त्र उद्योग के विकास एवं विस्तार के लिए लागू किया गया है।

1. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना।
2. कपास का प्रौद्योगिकी मिशन।
3. एकीकृत भेड़ तथा उच्च विकास परियोजना।
4. एकीकृत अंगोरा खरगोश विकास परियोजना।
5. मशीन द्वारा छीलना–सह–प्रशिक्षण परियोजना।
6. ऊन मंझाई केन्द्र।
7. ऊन परीक्षण केन्द्र।
8. औद्योगिक सेवा केन्द्र।
9. ऊन व ऊनी वस्त्रों के विकास के लिए क्षेत्र आधारित परियोजना।
10. अंगोरा खरगोश विकास कार्यक्रम के लिए यूएनडीपी (सी.सी.एफ.–1)।
11. बुनाई और डिजाइन प्रशिक्षण केन्द्र।
12. बाजार आसूचना नेटवर्क।
13. ऊन एक्सपो।
14. मानव संसाधन विकास।
15. संवर्द्धन क्रियाकलाप।
16. सी.एस.बी. के एककों के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्र को अनुसंधान व विस्तार, प्रशिक्षण, अध्यसंरचनात्मक एवं विस्तार सहायता के विस्तार के लिए योजनाएं तथा उत्कृष्ट रेशम के उत्पादन के आधुनिक रेशम उत्पादन प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कतिपय विकास/प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता योजनाओं का क्रियान्वयन।

17. पूर्वोत्तर कार्य योजना और पूर्वांचल रेशम उत्पादन परियोजना।

18. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से नौवीं योजना के दौरान 36 उत्प्रेरक विकास योजनाएं।

19. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान।

विद्युतकरघा क्षेत्र

20. विद्युतकरघा सेवा केन्द्र।

21. कम्प्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्र।

22. विद्युतकरघा बुनकरों के लिए समूह बीमा योजना।

23. विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का आधुनिकीकरण करना और सुदृढ़ बनाना।

हथकरघा क्षेत्र

24. परियोजना पैकेज योजना।

25. कार्यगृह सह आवास योजना।

26. निर्यात योग्य उत्पादों और उनके विपणन की योजना का विकास।

27. बाजार विकास सहायता योजना।

28. समूह बीमा योजना।

29. हथकरघा बुनकरों के लिए नई बीमा योजना।

30. हथकरघा विकास केन्द्र/गुणवत्ता रंजक एकक योजना।

31. बचत निधि योजना।

32. मिल गेट कीमत योजना।

33. हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण), अधिनियम, 1985।

34. प्रचार व प्रदर्शनी।

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश की वैधता

7357. **श्री किरीट सोमैया :**

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश 1997 की वैधता को चुनौती देने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जन हित याचिका (पी. आई. एल.) दायर की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को अपना उत्तर देने हेतु निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो मामले पर अंतिम निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय में समय पर उत्तर दर्ज करा दिया गया था और कोई विलम्ब नहीं हुआ था।

[हिन्दी]

बिहार में बाक्साइट खनन हेतु बिरला उद्योग समूह को पट्टा

7358. **श्री ब्रजमोहन राम :** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के विशेषकर पलामू तथा लोहरदग्गा जिलों में किन–किन स्थानों पर बाक्साइट के खनन हेतु बिरला उद्योग समूह को पट्टे दिए गए हैं;

(ख) पट्टे का कब से नवीकरण नहीं किया गया है;

(ग) क्या पट्टा देते समय बिरला उद्योग समूह के पलामू जिले के लातेहर में एक निश्चित अवधि के भीतर एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री स्थापित करने का वादा किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या वादा पूरा कर दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार तीन वर्ष के पश्चात् भी अपना वादा पूरा न करने पर दिये गये पट्टे को रद्द करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार बिरला औद्योगिक समूह (बीआईजी) के अधीन एक कम्पनी मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लि. को 1973 से 1985 की अवधि के दौरान पलामू, लोहारडागा तथा गुमला जिलों में 4969.14 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में बाक्साइट के लिए नौ खनन पट्टे दिए गए हैं। इसके साथ ही बीआईजी के अधीन एक अन्य कंपनी मैसर्स मिनरल्स एण्ड मिनरल्स को लोहारडागा जिले में 476 एकड़ क्षेत्र में दो खनन पट्टे दिए गए हैं। खनन पट्टों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) मैसर्स मिनरल्स एंड मिनरल्स को 1965 में तीस वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे दिए गए थे। बिहार सरकार के पास 1995 के इन पट्टों के नवीकरण आवेदन लंबित हैं।

(ग) हिंडालकों ने पलामू जिले में लातेहर में 10 लाख टन क्षमता वाला एक एलुमिना संयंत्र तथा बिहार में अन्यत्र टिटानियम डाईआक्साइड की एक फैक्टरी स्थापित करने का आश्वासन दिया था। बिहार राज्य सरकार द्वारा इस आश्वासन की पुष्टि उनके दिनांक 16.9.1991 और 11.2.1992 के पत्रों द्वारा की गई है।

(घ) जी, नहीं। बिडला ग्रुप ऑफ कंपनीज ने उसके स्थान पर गढ़वा जिले में संयुक्त क्षेत्र में एक कॉस्टिक सोडा संयंत्र स्थापित किया है।

(ङ) और (च) बिहार सरकार ने सितम्बर, 1995 में तीन पट्टे अवधिपूर्ण होने से पूर्व निरस्त किये थे तथा राज्य सरकार के निरस्तीकरण आदेशों पर न्यायविधान के माननीय उच्च न्यायालय, पटना रांची पीठ द्वारा उनके दिनांक 29.9.95 के आदेश द्वारा रोक गा दी गई तथा राज्य सरकार को निर्देश दिये गए कि वे पुनरीक्षण आवेदन पर केन्द्र सरकार द्वारा समुचित आदेश पारित होने तक, अपने आदेशों के क्रियान्वयन के लिए कोई कठोर कदम न उठाएं। केन्द्र सरकार ने अपने अंतिम आदेश संख्या 90/99 तथा 91/99 दोनों दिनांक 15.9.1999 द्वारा निरस्तीकरण आदेशों को रद्द कर दिया तथा मामले को गुणों तथा विधि अनुसार पुनर्विचार के लिए बिहार सरकार को सौंप दिया। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में पारित आदेशों के अनुसार राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है।

विवरण

बिहार में बिडला औद्योगिक समूह (बीआईजी) को दिये गए बाक्साइट खनन पट्टों का ब्यौरा।

क. मैसर्स हिन्डालको को खनन पट्टे दिये गए।

जिला : पलामू

1. चिरो एवं कुकुद – 411.00 एकड़
2. ओरसापट – 264.00 एकड़

जिला : लोहारडागा

3. पाखर – 84.34 एकड़
4. पाखर – 96.25 एकड़
5. रुदनीपट – 240.15 एकड़
6. कारजो, बारघोमानो – 215.00 एकड़

जिला : गुमला

7. सेरेन्डाग – 995.00 एकड़
8. जालिम एवं सेनाई – 95.00 एकड़
9. गौडारी एवं एम्बाकोना – 2568.40 एकड़

ख. मैसर्स मिनरल्स एंड मिनरल्स को दिये गए खनन पट्टे

जिला : लोहारडागा

1. सालाई – 340.00 एकड़
2. पाखर – 136.00 एकड़

[अनुवाद]

भारतीय रेशे (फाइबर) पर आयात-निर्यात करों में कटौती

7359. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका ने भारतीय रेशे फाइबर यार्न औद्योगिक कपड़ों और घरेलू साज–सज्जा के कपड़ों पर आयात–निर्यात शुल्क में कटौती की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) भारत और यू. एस. ए. के बीच 1994 में एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त समझौता ज्ञापन के खण्ड 4 और 5 (ख) के अनुसार, भारत को उक्त समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट कुछ वस्त्र उत्पादों के लिए घटे हुए स्तर पर निर्धारित दरों को अधिसूचित करना है। इन वस्त्र उत्पादों में अन्य वस्तुओं के अलावा शामिल हैं–फाइबर, यार्न, औद्योगिक फैब्रिक्स तथा ग्रह साज सज्जा।

ई. पी. सी. जी. योजना के अंतर्गत माल का आयात

7360. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ई.पी.सी.जी. योजना के अंतर्गत कुल कितनी मात्रा में पूंजीगत वस्तुएं आयात की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान की ऐसी वस्तुओं का कितनी मात्रा में आवश्यक निर्यात किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित कुछ संगठनों द्वारा आवश्यक निर्यात नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान क्रमशः 8805.80 करोड़ रुपए, 4394.40 करोड़ रुपए तथा 5676.24 करोड़ रुपए के सी आई एफ मूल्य के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु ईपीसीजी लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ख) से (घ) 10% शुल्क तथा शून्य शुल्क ई पी सी जी योजना के अंतर्गत आयातित पूंजीगत वस्तुओं के सी आई एफ मूल्य के क्रमशः 4 गुने और 6 गुने की दर से निर्यात दायित्व सौंपा जाता है। ऐसे निर्यात दायित्व को 10% शुल्क एवं शून्य शुल्क लाइसेंसों के मामले में लाइसेंस जारी होने की तिथि से क्रमशः 5 वर्षों एवं 8 वर्षों की अवधि में पूरा करना होता है। इन लाइसेंसों पर ऐसे निर्यात दायित्व पर डी जी एफ टी तथा सीमाशुल्क विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निगरानी रखी जा रही है। चूंकि 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों के संबंध में निर्यात दायित्व की अवधि अब भी वैध है इसलिए, चूककर्त्ताओं के संबंध में संपूर्ण स्थिति का निर्यात दायित्व की अवधि समाप्त हो जाने पश्चात् ही पता चल सकेगी। यह नोट करना भी, संगत होगा कि निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि आयात के पश्चात दो वर्षों की अधिस्थगन अवधि के बाद ही शुरू होती है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन में वित्तीय अनियमितताएं

7361. डॉ. बलिराम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "दैनिक जागरण" दिनांक 28 अप्रैल, 2000 में छपे समाचार, "डालमियां ने डी.डी. को 20 करोड़ का चूना लगाया" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूरे मामले की जांच करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन में कुछ वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक मामलों की जांच करने के लिए प्रसार भारती द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ श्री अरूण अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच प्रसार भारती बोर्ड द्वारा की गयी थी और खेल कार्यक्रम की प्राप्ति से संबंधित मामले को अलग से लेखा-परीक्षा करने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेजने सहित उपयुक्त कार्रवाई 1998 के दौरान कर दी गई है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक ऋण में गिरावट

7362. श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को विश्व बैंक के ऋण में वर्ष 1999-2000 के दौरान गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक ऋणों में आई गिरावट के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं/योजनाओं पर लागत/समय मे बढ़ोत्तरी के संबंध में इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) इन परियोजनाओं, विशेष रूप से सामरिक प्रवृत्ति की परियेाजनाओं पर इसके प्रभाव को कम करने/समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) बैंक के वित्तीय वर्ष 2000 में (1 जुलाई, 1999–30 जून, 2000) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नई परियोजनाओं के लिए वचनबद्धता 1607 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है। यह वित्तीय वर्ष 1999 (1 जुलाई, 1998–30 जून, 1999) के लिए की गई 1054.75 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता की तुलना में अधिक है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आय कर

7363. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 269 यू डी (1) के तहत केन्द्र सरकार के पास निहित कुछ सम्पत्तियां नीलाम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के तहत उक्त सम्पतियां केन्द्र सरकार के पास निहित थीं;

(ग) क्या आयकर विभाग ने इन सम्पत्तियों को नीलामी हेतु रखने से इन पर वास्तविक कब्जा ले लिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (घ) जी, हां। आयकर विभाग उन सम्पत्तियों की नीलामी करता है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 पड.(1) के तहत केन्द्र सरकार से निहित है। जब सक्षम प्राधिकारी को यह पता चलता है कि प्रत्यक्ष प्रतिफल जिसके लिए किसी अचल सम्पत्ति का अन्तरण किया जाना है, उक्त सम्पत्ति के वास्तविक उचित बाजार मूल्य के 15% से कम है, तो वह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 पघ (1) के अंतर्गत ऐसी अचल सम्पत्ति की खरीद के लिए आदेश दे सकता है और तब ऐसी सम्पत्तियां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 पड़ (1) के तहत केन्द्र सरकार में निहित कर दी जाती हैं।

ऐसी अधिगृहीत सम्पत्तियों का वास्तविक कब्जा हमेशा उनकी नीलाम करने से पहले नहीं लिया जाता। कई बार, विभाग द्वारा ऐसी सम्पत्तियों का वास्तविक कब्जा लिए बिना ही अधिगृहीत सम्पत्तियों को "जहां है, जैसा है" के आधार पर नीलाम कर दिया जाता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान नीलामियों में बेची गई सम्पत्तियों के विवरण निम्नानुसार हैं:–

वित्त वर्ष	बेची गई सम्पत्तियों की सं.
1997–98	5
1998–99	10
1999–2000	3

इटली के साथ व्यापार

7364. **श्री आर. एल. भाटिया** :

श्री अब्दुल हमीद :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और इटली के बीच लेखा क्षेत्र की सेवाओं में व्यापार बढ़ाने हेतु कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) तथा कानसिगलिओं नाजिओनेल देई डोटोरी कामर्सिएलिस्टी (सीएनडीसी) तथा कानसिगलिओ नाजिओनोल देई राजिओनेरी (सीएनआर) आफ इटली की संयुक्त सलाहकार समिति ने 3–4 मार्च, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ एक ऐसे तंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है जिसके द्वारा दोनों देशों की लघु तथा मंझले आकार की लेखा फर्मों की सेवाएं उनके लाभ के लिए उपलब्ध हो सकेंगी, जिन्हें भारत तथा इटली के बीच व्यापार बढ़ाने की भागीदारी में उनकी व्यावसायिक सेवाओं की आवश्यकता होगी।

छोटे शहरों में फिल्म समारोह

7365. **डा. ए. डी. के. जयशीलन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चक्रण आधार पर फिल्म समारोहों का आयोजन छोटे शहरों में भी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) फिल्म समारोह निदेशालय प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करता है जिसे दिल्ली और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, होटलों, सिनेमा थिएटरों आदि जैसी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित फिल्म निर्माण करने वाले शहरों में बारी–बारी से आयोजित किया जाता है। इसके अलावा, फिल्म समारोह निदेशालय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के तत्वावधान में भारत में स्थित सम्बन्धित विदेशी मिशनों की सहमति से चुने

जाने वाले विभिन्न शहरों में विदेशी फिल्म समारोह भी आयोजित करता है।

(ख) विभिन्न वर्षों में निम्नलिखित केन्द्रों में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किए गए थे।

जनवरी, 1999	—	हैदराबाद
जनवरी, 1997	—	तिरूवनन्तपुरम
जनवरी, 1995	—	मुम्बई
जनवरी, 1994	—	कलकत्ता
जनवरी, 1992	—	बंगलौर
जनवरी, 1991	—	मद्रास
जनवरी, 1990	—	कलकत्ता

यह निदेशालय 2000–2001 के दौरान नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता तिरूवनन्तपुरम में जर्मन फिल्म समारोह आयोजित करने के बारे में भी विचार कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू उत्पादक

7366. **श्री जी. गंगारेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 2000 माह के मध्य में आंध्र प्रदेश में 2000 से अधिक तम्बाकू उत्पादकों ने तम्बाकू बोर्ड के कार्यालय का घेराव किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) आंध्र प्रदेश के कई सौ तम्बाकू उपजकर्त्ता 16 मार्च, 2000 को तम्बाकू बोर्ड के कार्यालय में एकत्र हुए थे।

(ख) अपनी मांगों को मनवाने के लिए।

(ग) उनकी मांगों के बारे में सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई की है:–

i) फसल के आकार का निर्धारण करते समय बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार तम्बाकू को प्लेटफार्मों पर खरीदने के लिए विनिर्माताओं, निर्यातकों तथा व्यापारियों के साथ बैठकें आयोजित की।

ii) अति आपूर्ति की स्थिति से निपटने के लिए किसानों के साथ बैठकें आयोजित कीं।

iii) बाजार में प्रवेश करने के लिए सरकारी एजेंसी को शामिल करना।

iv) फिलहाल उपजकर्त्ताओं के नए पंजीकरण न करना।

मीडिया सम्राट रूपर्ट मरडोच के साथ बातचीत

7367. **श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी** :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मीडिया सम्राट रूपर्ट मरडोच ने 15 मार्च, 2000 को उनसे मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन–किन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई;

(ग) चर्चा के क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सम्राट रूपर्ट मरडोच को महाराष्ट्र में टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र की स्थापना करने की अनुमति दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उस केन्द्र की स्थापना किस स्थान पर किए जाने की संभावना है; और

(छ) उससे किन क्षेत्रों के लाभान्वित होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह बिना किसी विशेष कार्यसूची के एक शिष्टाचार बैठक थी। इसलिए इसमें किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा की गई थी।

(घ) मिस्टर मरडोच से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विदेशी टी. वी. चैनलों के साथ गठबंधन

7368. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6, अप्रैल, 2000 को "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में डी.डी. स्टाप्स बीइंग क्वाय सीक्स एलाएंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सी.एन.एन., बी.बी.सी., सोनी, एन.एच.के. आदि विदेशी टी.वी. चैनलों के साथ गठबंधन का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, गठबंधन के लक्ष्य उद्देश्य क्या हैं तथा गठबंधन कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप दूरदर्शन को होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे टी. वी. कार्यक्रमों पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रेस में मिली सूचना के अनुसार विदेशी प्रसारकों से चर्चाएं मात्र समन्वेषी प्रकृति की ओर अनिर्णायक थीं। उनका उद्‌देश्य दूरदर्शन के प्रसारण की गुणवत्ता सहित विषय–वस्तु का सुधार करना था जिससे दूरदर्शन के दर्शकों एवं राजस्व में वृद्धि हो सके।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम में एल्यूमिना संयंत्र

7369. डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम में एल्युमिना संयंत्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से लंबित पड़ा है; और

(ग) इस प्रस्ताव को मंजूरी कब तक मिल जायेगी?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में आयकर की वसूली

7370. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर वसूली की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितनी कर राशि का संग्रहण/की वसूली किया जाना शेष है; और

(ग) उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में निगम कर और आयकर की कुल वसूली नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	वसूलियां	
	निगम कर	आयकर
	(रुपये करोड़ों में)	
1997–98	383.94	137.18
1998–99	332.74	155.59
1999–2000	531.52	173.64

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के बारे में वसूली के आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में निगम कर और आयकर की कुल बकाया मांग निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	कुल बकाया मांग	
	निगम कर	आयकर
	(रुपये करोड़ों में)	
1997–98	50.31	60.07
1998–99	55.00	70.31
1999–2000	51.66	56.93

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आंकड़े 31 दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार हैं।

(ग) कर की वसूली एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे विस्तृत सांविधिक प्रक्रियाएं अंतर्ग्रस्त हैं। इनमें ब्याज लगाना, अर्थदण्ड लगाना, बैंक खातों की कुर्की करना, चल और अचल सम्पत्तियों आदि की कुर्की एवं बिक्री करना शामिल है। उच्च प्राधिकारियों द्वारा उच्च मांग से संबंधित मामलों की निरंतर आवधिक समीक्षा एवं निगरानी की जाती है तथा करों की वसूली करने के लिए समय–समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किये जाते हैं।

तमिलनाडु को अनुदान

7371. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु को कौन–कौन से विभिन्न प्रकार के अनुदान मिलें;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अपनी आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण और वित्तीय संकट से निपटने के लिए राज्य को क्या विशेष सहायता दी गई;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा धनराशि का प्रवाह बहुत धीमा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) तमिलनाडु में पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(च) क्या इस बात की कोई जांच होती है कि केन्द्रीय योजना के अंतर्गत जिस उद्देश्य के लिए धनराशि प्रदान की गई हो उसका उसी के लिए उपयोग किया जाए और राज्य द्वारा नियमित रूप से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाए; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) पिछले तीन सालों से लेकर आज की तारीख तक के दौरान राज्य को जारी अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा इस अवधि के दौरान तमिलनाडु राज्य सरकार की योजना सहायता और वित्त आयोग अनुदानों को छोड़कर कोई अन्य विशेष केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्रीय करों और प्रभारों में हिस्सा प्रत्येक माह की पहली तारीख को मासिक किस्तों में जारी किया जाता है। अन्य अनुदान तथा सहायताएं निधियों के उपयोग और दिशा–निर्देशों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

(ङ) से (छ) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए निधियां विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा की जाती है। इस तरह से जारी निधियों के उपयोग का मानीटरन, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा तदर्थ दिशा–निर्देशों और राज्यों द्वारा उन्हें दिए गए प्रतिवेदनों के अनुसार होता है। राज्यों को जारी केन्द्र प्रयोजित स्कीमों की सभी निधियों का लेखा–परीक्षण, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा होता है। संघ सरकार की तरफ से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में निधियों में किया गया कोई भी अंतरण इंगित होता है। केन्द्रीय लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर संसद की लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जाता है।

विवरण

वित्त मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु को जारी सहायता अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राज्य योजना हेतु सकल अनुदान	स्तरोन्नयन तथा विशेष समस्या अनुदान	स्थानीय निकाय अनुदान	आपदा राहत निधि के लिए केन्द्रीय हिस्सा	रेलवे यात्री भाड़े के ऐवज में अनुदान
1997–98	438.13	0.84	100.71	46.97	24.54
1998–99	375.08	35.21	99.90	49.37	24.54
1999–2000	467.39	26.03	100.72	51.47	24.54
2000–01 से आज की तारीख तक	67.70	–	–	18.59	5.26

राष्ट्रीय तम्बाकू नीति

7372. **श्री राजैया मल्याला :**

श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय तम्बाकू नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर तम्बाकू के नकारात्मक प्रभाव के लिए सार्वजनिक रूप से तम्बाकू उद्योग को जिम्मेदार ठहराने के लिए कौन–सी नीति अपनाई गई है अथवा प्रस्तावित है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जी. आई. सी. के सातवें बैच के छात्रों का नियोजन

7373. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जी. आई. सी. के छठे बैंच के प्रशिक्षित छात्रों की बीमा उद्योग या प्रस्तावित निजी क्षेत्र उद्योग में नियोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आज की तारीख के अनुसार जी. आई. सी. के कितने प्रशिक्षित छात्रों को नियोजित नहीं किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) शैक्षणिक वर्ष 1993–94 (छठा बैच) के दाखिले के लिए प्रभावी नौकरी की सुनिश्चितता से सम्बद्ध प्रणाली समाप्त कर दी गई है। तथापि, इस बात पर सहमति हो गई है कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली सहायक संवर्ग को 25 प्रतिशत रिक्तियों को साधारण बीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम का छठा बैच उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। साधारण बीमा निगम के पास उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, पांचवें बैच तक प्रशिक्षित किए गए सभी विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

आम का निर्यात

7374. **श्री अनंत गंगाराम गीते** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आम का उत्पादन करने वाले तथा उनका निर्यात करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में अपर्याप्त प्रशीतन भंडार सुविधाओं के कारण आम पारगमन के दौरान ही पक जाते हैं;

(ग) सरकार द्वारा आम जैसे नष्ट हो जाने वाले फल के निर्यात को बढ़ाने के लिए विदेशों की भांति कंटेनरों में प्रशीतन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन–कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक आम बोर्ड का गठन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) देश में आम का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य हैं :– आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। निर्यातों का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार आम का निर्यात करने वाले मुख्य राज्यों में शामिल हैं:–आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र सहित देश से निर्यात होने वाले आम प्रशीतित स्थिति के तहत समुद्री/हवाई मार्ग से भेजे जाते हैं। ऐसे आम जिनका कच्चे किंतु तैयार स्थिति में निर्यात किया जाता है वे मार्ग में आंशिक रूप से पक जाते हैं। कृषि एंव प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा प्रयास किया गया है कि इन फलों की परिरक्षण अवधि बढ़ाने के लिए रीफर कंटेनरों के अतिरिक्त नियंत्रित वातावरण (सीए) कंटेनरों के माध्यम से आम तथा अन्य फलों का निर्यात किया जाए। सी ए प्रौद्योगिकी को भारतीय स्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए इस समय प्रयोग किए जा रहे हैं। अभी तक सी ए कंटेनरों के जरिए आमों की खेप भेजने का परीक्षण कुछ हद तक सफल रहा है। एपीडा सी ए कंटेनरों से आम सहित विभिन्न फलों के निर्यात हेतु प्रौटोकोल तैयार कर रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र

7375. **श्री तिरूनावकरसू** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कंप्यूटर हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा हार्डवेयर विनिर्माताओं को कुछ एशियाई देशों से मिल रही प्रतिस्पर्द्धा के मद्देनजर क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999–2000 के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य 624 मिलियन अमरीकी डालर का है।

(ग) हार्डवेयर के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाओं/प्रोत्साहनों की अनुमति प्रदान की गई है:–

– निर्यात हेतु उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निर्यात नीतियों का सरलीकरण जैसे कि 5% सीमाशुल्क के भुगतान पर ई पी सी जी योजना के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा प्रदान करना। 10% की दर से किसी अतिरिक्त सीमाशुल्क/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

– निर्यातोन्मुखी इकाईयों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध करवाना, जिनमें शामिल है:– पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल, घटकों तथा अन्य निविष्टियों का शुल्क मुक्त आयात, निर्यात के बदले कर अवकाश तथा घरेलू बाजार को पहुंच प्रदान करना। ये इकाईयां किसी भी योजना के तहत स्थापित की जा सकती हैं, अर्थात् इलैक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर टेकनोलोजी पार्क (ई एच टी पी), निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ई पी जेड) तथा 100% निर्यातोन्मुखी ईकाईयां (ई ओ यू)। ई एच टी पी योजना विश्वोन्मुख इलैक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं।

– निर्यात संबंधी प्रक्रिया/प्रलेखन का सरलीकरण जैसे केवल निर्यात हेतु स्थापित इकाईयों में स्वतः मार्ग से 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करना, प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका (खंड–1), 1997–2002 के अध्याय IX के अनुसार स्वयं प्रमाणन के आधार पर अनेक क्रिया कलापों की अनुमति प्रदान करना, ई एच टी पी इकाईयों के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रिया के मामले में उप–संविदा का सरलीकरण, 3 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक के निवेश वाली ई एच टी पी ईकाइयों तथा इलैक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर सामान के आयातकों को उनके द्वारा आयातित वस्तुओं को शीघ्र निकासी के लिए पात्र बनाना।

– अंतर्राष्ट्रीय दरों पर सभी निवेशों को उपलब्ध कराने हेतु क्रमशः शुल्क छूट हकदारी प्रमाण–पत्र/शुल्क हकदारी पास बुक/शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण–पत्र योजनाओं में प्रावधान करना, प्रदत शुल्कों की क्षतिपूर्ति करना, निर्यात उत्पाद में इस्तेमाल किए गए शुल्क मुक्त आयातित माल की क्षतिपूर्ति करना।

– अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रियाकलापों हेतु अधिक निवेश करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकी अनुसंधान हेतु किसी विश्वविद्यालय,कॉलेज अथवा किसी संस्थान अथवा किसी वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसिएशन को किए गए भुगतान पर 12.5% की कटौती प्रदान करना।

बी. आई. सी. के अधीन संपत्तियों के किरायों में संशोधन

7376. **श्री पी. सी. गढ़वी** :

श्री रामसिंह राठवा :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पचास वर्ष या उससे भी अधिक समय से कानपुर में कब्जा की गई आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन और इन संपत्तियों के वैद्य उत्तराधिकारियों के बीच किराये में संशोधन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी सम्पत्तिवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थिति को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क)

क्रम संख्या	संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल	निर्मित क्षेत्र
1.	हरनारायण बंगला 14/46, सिविल लाइन्स, कानपुर	1.21 एकड़ (5846 वर्ग यार्ड)	962.19
2.	क्लॉक व्यू बंगला, 14/109ए सिविल लाइन्स, कानपुर	1.33 एकड़ (6349 वर्ग यार्ड)	1013.38
3.	न्यू लैंड 14/99, सिविल लाइन्स, कानपुर	1.52 एकड़ (7356.8 वर्ग यार्ड)	1906.12

(ख) से (घ) (1) हरनारायण बंगला

भू-स्वामी और बी. आई. सी. के बीच हुए अनुबंध पत्र के अनुसार 1.1.1987 से 360 रु. प्रति माह की दर से पट्टा शुल्क देय था, लेकिन भू-स्वामी ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष एक प्रतियाचिका दायर कर दी, जिसमें उसने किराये का निर्धारण, देय बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया। इसी प्रकार निगम ने भी किराये के गलत निर्धारण के विरुद्ध याचिका दायर कर दी जबकि संबंधित परिसंपत्ति बट्टे पर है और बट्टे के प्रभार का भुगतान अनुबंध की शर्तों द्वारा अधिशासित है। दोनों याचिकाएं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष लंबित हैं।

(2) क्लॉक व्यू बंगला एंड न्यू लैंड बंगला

क्लाक व्यू बंगला के लिए 210.55 रु. प्रति माह और व्यू लैंड बंगला के लिए 195.30 रु. प्रति माह का किराया है, जो कि न्यायालय में जमा किया जा रहा है, क्योंकि शेख फखरूद्दीन अली अहमद के वक्फ के मुतवाल्वी द्वारा बेदखली के मामले में दायर किए गए हैं। यह मामला II जे एस सी सी, कानपुर के न्यायालय में लंबित है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की अनुषंगी विदेशी कम्पनियां

7377. **डॉ. वी. सरोजा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी फर्मों को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में अनुषंगी कम्पनियां स्थापित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी विदेशी फर्म ने अनुषंगी कम्पनियां स्थापित करने में रुचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में विदेशी इक्विटी निवेश के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 51 प्रतिशत या उससे ऊपर विदेशी इक्विटी सहित अनुषंगी कम्पनियों की स्थापना अनुमत की जाती है। 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के लिए न्यूनतम 0.5 मिलियन अमरीकी डालर का पूंजीकरण तथा 75 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी के लिए न्यूनतम 5 मिलियन अमरीकी डालर का पूंजीकरण अपेक्षित है।

जहां विदेशी इक्विटी 75 प्रतिशत से अधिक है, वहां न्यूनतम पूंजीकरण 50 मिलि. अमरीकी डालर होगा तथा 100 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी धारक कंपनी होगी तथा न्यूनतम 25 प्रतिशत घरेलू इक्विटी वाली अपचायी कम्पनियों द्वारा विशिष्ट कार्यकलाप किए जाएंगे। ऐसी धारक कम्पनी की 5 मिलियन अमरीकी डालर की न्यूनतम पूंजी वाली 100 प्रतिशत अनुप्रवाह अनुषंगी कम्पनी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। किन्तु ऐसी अनुषंगी कंम्पनी को केवल सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से 25 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा तक 3 वर्ष की अवधि के भीतर अपनी इक्विटी विनिवेश करनी होगी।

(ग) और (घ) 51 प्रतिशत अथवा उससे ऊपर के विदेशी इक्विटी निवेश वाली अनेक अनुषंगी कम्पनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र में स्थापित की गई हैं।

राजस्थान में साम्भर नमक क्षेत्र

7378. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

प्रो. रासासिंह रावत :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साम्भर नमक क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए राजस्थान के साम्भर नमक क्षेत्र को सरकारी उपक्रम मैसर्स हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण विकास हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार लगातार केन्द्रीय सरकार को साम्भर नमक क्षेत्र को वापिस करने की प्रार्थना कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकार की मांग से सहमत न होने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुड्हा जहापोग डेम तथा बोरवेल के निर्माण, उपस्कर की स्थापना, मीटरगेज रेलवे लाईन को ब्रॉड गेज लाइन में बदलने तथा नमक शोधन की स्थापना सहित विभिन्न विकास कार्यों के लिए 368.69 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

(घ) और (ङ) राजस्थान सरकार ने सांभर साल्ट के क्षेत्र को पट्टे से हटाकर पुनः हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था। फिर भी इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह कंपनी के समग्र हित में नहीं था।

[हिन्दी]

उद्योग में एफ. डी. आई. तथा एन. आर. आई. निवेश

7379. **श्री चन्द्रकांत खैरे :**

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान जिन उद्योगों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अनिवासी भारतीयों के निवेश से वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में भविष्य में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है तथा इस प्रयोजनार्थ शत–प्रतिशत अनिवासी भारतीयों तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के लिए किन–किन क्षेत्रों का चयन किया गया है;

(ग) क्या नये उद्योग स्थापित करने के लिए औरंगाबाद, महाराष्ट्र के कुछ पुराने उद्योगों को भी विदेशियों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण): (क) पिछले पांच वर्षों (1.1.1995 से 31.12.1999 तक) की अवधि में विदेशी सहयोग के कुल 10,974 (वित्तीय तथा तकनीकी) प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं, जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ. डी. आई.) और अनिवासी भारतीय (एन. आर. आई.) के रूप में कुल 1,82,292.84 करोड़ रुपये की राशि का निवेश अंतर्ग्रस्त है।

(ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति की समीक्षा करके, सरकार ने निम्नलिखित मदों को छोड़कर शेष सभी मदों/कार्यकलापों को विदेशी/एन. आर. आई./ओ. सी. बी. निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत रखने का निर्णय लिया है:—

1. औद्योगिक लाइसेंस की अपेक्षाओं वाले सभी प्रस्ताव जिसमें (1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस की अपेक्षा वाले मद; (2) लघु उद्योग के लिए आरक्षित मदों को बनाने वाली इकाइयों की इक्विटी पूंजी में 24% से अधिक विदेशी निवेश और (3) नयी औद्योगिक नीति, 1991 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित स्थापना–स्थल संबंधी नीति के तहत औद्योगिक लाइसेंस की अपेक्षा वाली सभी मदें शामिल हैं।

2. ये सभी प्रस्ताव जिनमें विदेशी सहयोगकर्त्ता का भारत में पहले से ही उद्यम/समझौता स्थापित रहा हो। ऐसे मामलों में दिनांक 14.12.1998 का प्रेस नोट संख्या 18 (1998 की श्रृंखला) में विहित कार्यपद्धतियां लागू होंगी।

3. वे सभी प्रस्ताव जो कि विदेशी/एन. आर. आई./ओ. सी. बी. निवेशकों के पक्ष में किसी मौजूदा भारतीय कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण से संबंधित हों।

4. ऐसे सभी प्रस्ताव जो अधिसूचित क्षेत्रीय नीति/सीमाओं के बाहय आते हों अथवा ऐसे क्षेत्रों के तहत आने वाले सभी प्रस्ताव जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है और/अथवा जब कोई निवेशक एफ. आई. पी. बी. को कोई आवेदन करना चाहे और स्वतः अनुमोदन मार्ग का लाभ न उठाना चाहे।

(ग) और (घ) पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में उद्योग/संयुक्त उद्यम स्थापित करने

के लिए कुल 35 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं जिनमें 667 करोड़ रुपये की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि अंतर्ग्रस्त है।

[अनुवाद]

धनराशि हेतु बहुपक्षीय एजेंसियों से सम्पर्क किया जाना

7380. डॉ. संजय पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण लेने के संबंध में राज्य सरकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस मुद्दे पर राज्य सरकारों से कोई आपत्तियां प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं। संविधान के उपबंधों के अंतर्गत, किसी राज्य को ऋण प्रदान करने की कार्यपालक शक्तियां भारत के राज्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। साथ ही, संविधान की 7-वीं अनुसूची के अधीन "विदेशी ऋण" संघ सूची में आते हैं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने समय-समय पर विदेशी सहायता के लिए विदेशी एजेंसियों के समक्ष परियोजनाओं को प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकारों/केन्द्र के मंत्रालयों द्वारा पूर्ण की जाने वाली औपचारिकताओं के संबंध में दिशा/निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार इन परियोजना प्रस्तावों को आयोजना प्राथमिकताओं, बजटीय स्वीकृतियों योजना आयोग से प्राप्त स्वीकृति सहित प्रशासनिक स्वीकृतियों को प्राप्त करने का सुनिश्चियन करने के बाद केन्द्र के मंत्रालयों के माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग को भेजा जाए।

(ङ) से (छ) ऐसे कोई दृष्टान्त सामने नहीं आए हैं जहां राज्य सरकार ने परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की इस प्रक्रिया के प्रति आपत्ति प्रकट की हो।

केरल में खान और खनिजों की खोज

7281. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में खान (लौह और अलौह दोनों) और खनिज सम्भावनाओं की खोज और दोहन की नई योजनाएं तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में यूरेनियम और थोरियम जैसी भारी धातुओं में खनिज प्रचुर मात्रा में हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य में इन खनिजों के दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी. एस. आई.) ने 1999-2000 में निम्न खनिजों के अन्वेषण कार्य हाथ में लिए:-

(1) कन्नूर जिले में तालिपारम्बा और कन्नूर के बीच मृत्रिका संसाधन संभाव्यता का मूल्यांकन और कसारगोड़ा जिले में मृत्रिका और सम्बद्ध खनिजीकरण के लिए गवेषण।

(2) अट्टापाडी घाटी (कोट्टाथारा ब्लाक), पालक्काड़ जिले के भागों में स्वर्ण के लिए गवेषण।

(3) केरल के पालक्काड जिले में कुराक्कड कुण्डू-कल्लामाला क्षेत्रों में स्वर्ण के लिए विस्तृत गवेषण।

(4) अट्टापाड़ी घाटी, पालक्काड जिले के भागों में स्वर्ण के लिए प्रारंभिक गवेषण।

(5) केरल के कसारगोड़, कन्नुर, बयाना, काजीकोड, मालप पुरम और पालाक्काड जिलों में आयामी पत्थरों के लिए क्षेत्रीय संसाधन सर्वेक्षण।

खनन एवं भूविज्ञान विभाग (डी ओ एम) केरल वर्तमान में (1) तिरूवन्तपुरम, कन्नुर और कसारगोड़ा जिलों में चाईनाक्ले (2) कसारगोड़ा क्षेत्र में लिग्नाईट और (3) कोल्लम, त्रिसूर और मालयपुरम जिलों में ब्रिक एवं टाइल्स बनाने के लिए मृत्रिका के निक्षेपों के आकलन संबंधी गवेषण कार्य कर रहा है।

राज्य में अनेक खनिज यथा बॉक्साइट, फायरक्ले, कायोलिन, लाइमसैल, चूना पत्थर, सिलिका सैण्ड तथा बीच सैण्ड जिनमें इलिमेनाइट रूटाइल, जिरकान, सिल्लीमेनाइट और मोंजाइट आदि मौजूद होते हैं, उनका गवेषण कार्य किया जा रहा है।

(ग) और (घ) केरल राज्य का यूरेनियम का अपना कोई स्वतंत्र भण्डार नहीं है। तथापि, केरल में मोंजाइट युक्त भारी खनिज बालू भण्डार हैं। मोंजाइट दुर्लभ अर्थ फोस्फेट खनिज है और इसमें 10% तक थोरियम आक्साइट तथा 0.3% तक यूरेनियम आक्साइट मौजूद होता है।

परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) के अधीन इण्डियन रेअर अर्थ्स लि. (आईआरईएल) जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) है तथा केरल सरकार के अधीन केरल मिनरल्स एण्ड मेटैल्स लि. (केएमएमएल) जो केरल सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है इनके द्वारा इल्मेनाइट खनन से मोंजाइट को उप उत्पादन के रूप में प्राप्त किया जाता है। मोंजाइट को रेअर अर्थ तथा थोरियम व यूरेनियम के मिश्रण के उत्पादन हेतु संसाधित किया जाता है।

पेटेंट नेटवर्क का विकास

7382. **श्री अनंत गुढे** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पेटेंट से संबंधित संस्थाओं के नेटवर्क के विकास, विस्तार और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सामान्यतः प्रत्येक राज्य तथा विशेषकर महाराष्ट्र में स्थानवार इस समय कौन–कौन सी/किस प्रकार की/किसी श्रेणी की संस्थाएं कार्यरत हैं;

(ग) वैश्वीकरण के मद्देनजर बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए पेटेंट संगठन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नागपुर में पेटेंट सूचना केन्द्र उन्नयन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (घ) पेटेंट कार्यालय कलकत्ता (मुख्यालय), दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में स्थित है। ये कार्यालय प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के आधार पर कार्य करते हैं। ये कार्यालय सरकार को नीतिगत तथा परामर्शदायी सेवाएं उपलब्ध कराने के अलावा पटेंट अधिनियम, 1970 और डिज़ाइन अधिनियम, 1911 को भी प्रशासित करते हैं। इस कार्यालय के कार्यों में पेटेंट प्रदान करना, डिजाइनों का पंजीकरण, पेटेंट संबंधी सूचना उपलब्ध कराना, पेटेंट संशोधन पेटेंटों के रजिस्टार का अनुरक्षण करना, आई. पी. आर. के प्रति जागरुकता उत्पन्न करना, पेटेंट दस्तावेजों की आपूर्ति, पेटेंट सूचना प्रणाली, नागपुर के माध्यम से खोजबीन सेवाएं, आदि जैसी पेटेंट संबंधी सेवाएं उपलब्ध करना शामिल है।

सरकार की योजना इन कार्यालयों के आधुनिकीकरण तथा पेंटेंट व डिजाइन प्रदान करने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने की है। इस योजना में निम्न शामिल हैं—मानव संसाधन विकास, कार्य प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण और पुनर्गठन, सभी कार्यालयों को नेटवर्क से जोड़ना और पिछले लंबित पड़े आवेदनों का निपटान करना, जागरुकता सृजन संबंधी कार्यकलाप, आदि।

पेटेंट सूचना प्रणाली, नागपुर को भी, जिसे पहले 1996 में आधुनिकीकृत किया गया था, पेटेंट कार्यालय के आधुनिकीकरण की प्रस्तावित योजना में शामिल किया गया है। ताकि इसकी संभाव्यताओं को पूरा लाभ मिल सके।

दूरदर्शन केन्द्र ठेका आधारित कर्मचारी

7383. **श्री वी. एस. शिवकुमार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में लोग ठेके के आधार पर समाचार वाचक और उद्घोषक के रूप में कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या समाचार वाचन और कार्यक्रम उद्घोषणा का कार्य स्थायी प्रकृति का अर्थात हमेशा होने वाला होने के कारण सरकार का विचार इन लोगों को नियमित पदों में शामिल करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केरल दूरदर्शन केन्द्र में कितने व्यक्ति ठेके के आधार पर समाचार वाचक और उद्घोषक के रूप में कार्यरत हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) समाचारवाचकों तथा उद्घोषकों को कार्य सुपुर्दगी के आधार पर सूचीबद्ध करने संबंधी वर्तमान प्रणाली से दूरदर्शन की दिन–प्रतिदिन की व्यावसायिक एवं कार्यात्मक अपेक्षाओं की बेहतर ढंग से पूर्ति हो रही है।

(घ) इस समय नैमित्तिक समाचारवाचकों के पैनल में सात व्यक्ति तथा नैमित्तिक उद्घोषकों के पैनल में सोलह व्यक्ति हैं।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

7384. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री उत्पादों के निर्यात में वर्ष 1998–99 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1997–98 की तुलना में वर्ष 1998–99 के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात प्रमुख बाजार/मदों के रूप में इस प्रकार रहा:–

मा. : मात्रा मी. टन में, मू. : मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

बाजार	1997–98		1998–99	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
जापान	70955	641.69	67277	549.16
यूएसए	32914	161.04	34472	147.68
यूरोपीय संघ	34875	113.81	54261	163.78
दक्षिण पूर्व एशिया	218263	314.23	116610	183.27
मध्य पूर्व	17618	39.91	17274	35.40
अन्य	11193	25.20	13040	27.62
कुल	385818	1295.86	302934	1106.91

मा. : मात्रा मी. टन में, मू. : मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

मद	1997–98		1998–99	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रशीतित श्रिम्प	101318	866.37	102484	800.22
प्रशीतित मछली	188029	200.47	108556	118.43
प्रशीतित स्क्विड	35095	74.73	32254	64.34
प्रशीतित कटलफिश	37258	89.22	34589	65.39
अन्य	24118	65.07	25051	58.53
कुल	385818	1295.86	302934	1106.91

वर्ष 1998–99 के दौरान जापान प्रमुख बाजार के रुप में रहा है। जिसका कुल अर्जित की गई विदेशी मुद्रा में 49% से अधिक हिस्सा रहा। इस वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात मे मामूली गिरावट आई। जापान को श्रिम्प का निर्यात करने में भारत का स्थान इंडोनेशिया के बाद दूसरा रहा। चीन के बाजार में होने वाले निर्यात में मात्रा और मूल्य के रूप में भारी गिरावट आई। चीन को होने वाले निर्यात में गिरावट मुख्य रूप से निर्यात आय की वसूली नहीं होने के कारण रही। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर तथा वियतनाम, के बाजारों में होने वाला निर्यात उन देशों की मुद्राओं के अवमूल्यन के कारण काफी कम हो गया। कटलफिश तथा स्क्विड का निर्यात जो समुद्री उत्पादों के निर्यात, मदों में प्रमुख मदें हैं, में मात्रा एवं मूल्य के रूप मे गिरावट आई है, हालांकि स्क्विड के मामले में इकाई मूल्य वसूली में वृद्धि हुई। प्रशीतित मछलियों के निर्यात में भी गिरावट आई।

(ग) भारत सरकार द्वारा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के जरिए भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल है: प्रसंस्करण उद्योग द्वारा उपयोग जा रहे उपस्करों की खरीद के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन, नए प्रॉम फार्मों का विकास, अमरीकी बाजार के संबंध में बाजार अनुसंधान आयोजित करने के लिए एम्पीडा को प्राधिकृत करना, विदेशों में समुद्री खाद्य से संबंधित मेलों मे भाग लेना, चीन,दक्षिण कोरिया और ताईवान के बाजारों में बाजार सर्वेक्षण करना, पर्यावरण–अनुकूल मात्स्यिकी का प्रचार करने के लिए प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन, विविधिकृत मात्स्यिकी पर जोर देना, श्रिम्प फर्मों में बीमारी की रोकथाम के उद्देश्य से समस्यओं का पता लगाने के लिए एक परियोजना को स्वीकृति देना, इस उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक विशष कार्य दल की स्थापना करना और भारत से मूल्यवर्द्धित उत्पादों के निर्यात संवर्द्धन की अनिवार्यता पर जोर देना।

[हिन्दी]

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

7385. श्री नवलकिशोर राय :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक तैयार करते समय हाल ही तक 343 मदों को शामिल किया जाता था परन्तु अब उनकी संख्या बढ़ाकर 543 कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वृद्धि के क्या कारण हैं और किन–किन मदों को सूची में शामिल किया गया है;

(ग) क्या सूचकांक निर्धारण में असंगठित क्षेत्र में उत्पादित मदें केवल 25 प्रतिशत होती हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं, और असंगठित क्षेत्र में उत्पादित किन–किन मदों को शामिल किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (डॉ. रमण) : (क) आधार वर्ष 1980–81 वाले औद्योगिक उत्पादन के पिछले सूचकांक की तुलना में, जिसमें 352 मदें शामिल थीं; 27 मई, 1998 को जारी किये गये संशोधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में, जिसका आधार वर्ष 1993–94 है, 543 मदें शामिल हैं।

(ख) औद्योगिक क्षेत्र के बदलते स्वरूप को और इसकी वृद्धि दर को युक्तिसंगत रूप से प्रतिबिंबित करने की दृष्टि से, समय–समय पर तुलनात्मक आधार वर्ष को और नजदीक लाकर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में संशोधन किया जाता है। सूचकांक की आधार अवधि में परिवर्तन करने से मदों के समुच्चय में भी परिवर्तन हो जाता है, ताकि मदों के महत्व को उचित प्रकार से दर्शाया जा सके। इस कारण नयी औद्योगिक उत्पादन श्रृंखला में नयी मदों/समूहों को शामिल करना आवश्यक हो गया है। नयी मदों के नाम विवरण–। में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) असंगठित क्षेत्र की मदों के संबध में नियमित मासिक उत्पादन आंकड़ों के उपलब्ध ने होने के कारण, मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक श्रृंखला के संकलन हेतु मात्र अठारह मदों के मासिक आंकड़े ही उपयोग में लाये जाते हैं। इन मदों के नाम व अंशदान विवरण–II में दिये गये हैं।

विवरण-I

1993–94 *श्रृंखला में अलग–अलग मदों सहित नये मद समूहों की सूची:*

क्रम सं.	एन. आई. सी.–87	मद समूह	अलग–अलग मद (मदें)
1	2	3	4
		खनन	
1.		ग्रनाइट	ग्रनाइट
2.		लेटराइट	लैटराइट
3.		पैरलाइट	पैरलाइट
4.		शेल	शेल
5.	लघु खनिज विनिर्माण		लघु खनिज
1.	2100	डीऑयलड मस्टर्ड केक	1. डी ऑयल्ड मस्टर्ड केक
2.	2100	सोयाबीन ऑयल	2. सोयाबीन ऑयल
3.	2100	सूरजमुखी का तेल	3. सूरजमुखी का तेल
4.	2113	नारियल का तेल	4. नारियल का तेल
5.	2113	विनौले का तेल	5. बिनौले का तेल
6.	2113	डीऑयल्ड राइस ब्रान	6. डीऑयल्ड राइस ब्रान
7.	2113	मुंगफली का तेल	7. मुंगफली का तेल
8.	2113	सरसों का तेल/रेप सीड ऑयल	8. सरसों का तेल/रेप सीड ऑयल
9.	2113	राइस ब्रान ऑयल	9. राइस ब्रान ऑयल

1	2	3	4
10.	2113	टिल सीड ऑयल	10. टिल सीड ऑयल
11.	2220	भारत में बनाई हुई विदेशी शराब	11. भारत में बनाई हुई विदेशी शराब
12	2230	देशी शराब	12. देशी स्प्रिट
			13. देशी शराब
13.	2471	100% नॉन–कॉटर्न यार्न	14. ऐक्रिलिक यार्न
			15. फाइबर यार्न
14.	2471	100% नॉन–कॉटर्न क्लाथ	16. ग्रे क्लाथ
			17. पोलिस्टर फाइबर क्लाथ
			18. सिंथेटिक क्लाथ
			19. जरी सिल्क क्लाथ
			20. सिंथेटिक क्लाथ डाइड
			21. अन्य रंगे हुये सिंथेटिक वस्त्र
			22. पोलिस्टर क्लाथ
15.	2471	ब्लैंडिड क्लाथ	23. ब्लैंडिड सोर्टस
			24. सूटिंग क्लाथ
			25. मिक्स्ड फैब्रिक्स
			26. टैरी कौटन शर्टिंग
			27. सूटिंग्स
16.	2471	ब्लैंडिड यार्न	28. सूट से अलग धागा
17.	2540	यार्न	29. यार्न
18.	2600	कौटन हौजरी क्लाथ	30. सूती बने हुए कपड़े
			31. अन्य वस्त्रों से महिलाओं के वस्त्र तैयार करना
			32. सभी प्रकार के वस्त्र
			33. पायजामा/पैंटें
			34. बुने हुए वस्त्र सूती
			35. शर्टें/बुशर्टें
			36. अंतरीय सूती बनियान
			37. ट्रैसिंग, गारमेंट्स

1	2	3	4	
19.	2810	कोरोगेटेड बाक्से/कार्टनस (सभी प्रकार के)	38.	कोर्टनस सभी प्रकार
			39.	कोरुगेटेड बाक्सें
20.	2910	अपर्स	40.	शू अपर्स
21.	2920	चमड़े के वस्त्र	41.	चमड़े के वस्त्र
22.	2920	चमड़े की वस्तुएं	42.	चमड़े की वस्तुएं
23.	3014	इंडोसुल्फन टेक्निकल	43.	इंडोसुल्फान
24.	3014	मोनोकरोटोफोस	44.	मोनोरोटोफोस
25.	3022	सिंथेटिक रेजिन	45.	इपोक्सी रेजिन
			46.	आयन एक्सचेंज रेजिन
			47.	सिंथेटिक रेजिन
			48.	अन्य सिंथेटिक रेजिन
26.	3029	मैटालाइज्ड बौप फिल्में	49.	बौप फिल्में
27.	3043	हेयर ऑयल/आर्युर्वेदिक हेयर ऑयल	50.	आयुर्वेदिक मेडिसिनर हेयर ऑयल
			51.	हेयर ऑयल
28.	3059	अगरबत्ती	52.	अगरबत्ती
29.	3080	फायर वर्क्स	53.	फायर वर्क्स
30.	3080	हाई एक्सप्लोसिब नाइट्रो गिलसरीन वेसड	54.	हाई एक्सप्लोसिब नौन–जिलेटिनस
31.	3092	फोटोफिल्म/रोल फिल्म	55.	रोल फिल्म
			56.	फोटो फिल्म
32.	3095	सभी प्रकार के एड्हेसिब्स	57.	सभी प्रकार के एड्हेसिब्स
33.	3121	शीट्स (पी वी सी/रबड़)	58.	शीट्स
34.	3140	एविएसन टरबाइन ईंधन	59.	एविएसन टरबाइन ईंधन
35.	3140	बीट्मेन	60.	बीट्मेन
36.	3140	भट्टी तेल	61.	भट्टी तेल
37.	3140	हाई स्पीड डीजल	62.	हाई स्पीडट डीजल
38.	3140	लाइट डीजल तेल	63.	लाइट डीजल तेल
39.	3140	लो सल्फर हैवी स्टाक	64.	लो सल्फर हैवी स्टाक
40.	3140	लुब्रीकेटिंग तेल	65.	लुब्रीकेटिंग तेल

1	2	3	4
41.	3140	मोटर स्प्रिट	66. मोटर स्प्रिट 80
			67. मोटर स्प्रिट 83/87
			68. मोटर स्प्रिट 87/93
42.	3140	नेफ्था	69. नेफ्था
43.	3140	प्राकृतिक गैस	70. प्राकृतिक गैस
44.	3140	पेट्रोलियम कोक केलसाइन्ड	71. पेट्रोलियम कोक केलसाइन्ड
45.	3140	बढ़िया केरोसीन	72. बढ़िया केरोसीन
46.	3150	तरल पेट्रोलियम गैस	73. तरल पेट्रोलियम गैस
47.	3205	चमकीली टाइलें/ सिरेमिक टाइलें	74. चमकीली टाइलें 75. ब्लाक तथा टाइलें
48.	3213	बोतल/बोतल ग्लास समान	76. बोतल का समान
			77. सभी प्रकार के बोतल
49.	3233	एच. टी. इन्सुलेटर	78. हाई टेंन्सन इन्सुलेटर
			79. स्टोन चिप्स
50.	3261	पौलिस्ड ग्रेनाइट/स्टोन चिप्स	80. पौलिस्ड ग्रेनाइट
			81. कंक्रीट स्लीपर
51.	3293	रेलवे/कन्क्रीट स्लीपर	82. रेलवे स्लीपर
52.	3301	छड़ें तथा रौड्स	83. अन्य छड़ें तथा रौड्स
			84. एम. एस. छड़ें तथा रौड्स
			85. स्टील की छड़ें तथा रौड्स
53.	3301	कार्बन स्टील	86. बिलेट्स तथा स्लैब्स
			87. ब्लम्स
			88. स्टील इनगॉट्स प्लेन कार्बन
			89. स्टील इन्गॉट्स
			90. बिलेट्स
54.	3301	एच. आर. कायल्स/स्केल्प्स	91. स्केल्प्स
			92. एच. आर. कायल्स स्ट्रिप्स
55.	3301	रेलवे सामग्री	93. रेलवे सामग्री
56.	3301	स्टेनलैस/अलॉय स्टील	94. स्टेनलैस/अलॉय स्टील
57.	3303	स्पान्ज लौह	95. स्पान्ज लौह
58.	3309	प्लेट्स	96. प्लेट्स
59.	3313	वायर रोप्स	97. वायर रोप्स
60.	3314	इलैक्ट्रिक शीट्स	98. स्टील शीट्स, प्लेट्स एंड स्ट्राप्स
61.	3314	जी. पी./जी.सी. (रंग चढ़े)	99. जी. पी./जी. सी. शीट्स (रंग चढ़े)

1	2	3	4
62.	3314	टिन प्लेट्स (डब्ल्यू. डब्ल्यू. सहित)	100. टिन प्लेट्स एंड शीट्स
			101. टिन प्लेट्स एंड शीट्स
63.	3319	सी. आर. शीट्स/कायल्स	102. कोल्ड रौल्ड स्ट्रिप्स
			103. सी. आर. कायल्स तथा शीट
			104. कोल्ड रोल्ड स्टील शीट्स तथा स्ट्रिप्स
64.	3319	एच. आर. शीटें	105. सभी प्रकार के स्ट्रिप्स तथा सर्किल
65.	3320	अन्य फेरी अलाय	106. अन्य फेरो अलाय
66.	3370	सी. आई. कास्टिंग	107. सी. आई. कास्टिंग
67.	3402	वैल/ऑफ-शोर प्लेटफॉर्म्स	108. वैल प्लेटफार्म्स
68.	3431	कृषि उपकरण	109. कृषि उपकरण
69.	3469	प्रेशर कुकर को छोड़कर धातु के बर्तन	110. अल्यूमिनियम के बर्तन
			111. स्टील के बर्तन
70.	3469	प्रेशर कुकर	112. प्रेशर कुकर
71.	3519	डम्पर	113. डम्पर
72.	3519	हाइड्रोलिक मशीन/हाइड्रोलिक सिलेंडर	114. हाइड्रोलिक मशीन
			115. हाइड्रोलिक सिलेन्डर
73.	3519	व्हील एम. टी. डी. डम्प लोडर	116. व्हील एम. टी. डी. फ्रंट डम्प लोडर
74.	3544	प्रिंटिंग मशीनरी	117. प्रिंटिंग मशीनरी
75.	3545	फर्नेस	118. फर्नेस
76.	353 एंड 354	अन्य औद्योगिक मशीनरी	119. अन्य औद्योगिक मशीनरी
77.	3559	सील्ड कम्प्रेशर्स	120 सील्ड कम्प्रेशर्स
			121. अन्य कम्प्रेशर्स
78.	3561	वेगन टिप्पलर्स सहित मेटिरियल हैंडलिंग उपकरण	122. मेटिरियल हैंडलिंग उपकरण
			123. अतिरिक्त पुर्जे
			124. कन्वेयर्स
			125. वेगन टिप्पलर्स
79.	3562	मोनो ब्लाक	126. मोनो ब्लाक
80.	3562	पुर्जे तथा सहायक पुर्जे (पम्प तथा कंप्रेशर्स)	127. पूर्जे तथा सहायक पुर्जे (पंप तथा कंम्प्रेशर्स)

1	2	3	4
81.	3563	गियर बॉक्स	128. गियर बॉक्स
82.	3570	डायमंड टूल्स	129. डायमंड टूल्स
83.	3593	वाशिंग/लाण्डरी मशीन इत्यादि	130. वाशिंग/लाण्डरी मशीन इत्यादि
			131. माइक्रो इलैक्ट्रिक उपकरण
84.	3603	कन्ट्रोल पैनल/बोर्ड/डिस्क	132. पैनल बोर्ड
			133. पैनल तथा कन्ट्रोल डिस्क
85.	3603	संरक्षण प्रणाली/स्विच बोर्ड/स्विच गियर आदि	134. संरक्षण प्रणाली
			135. स्विच बोर्ड
			136. स्विच गियर
			137. विद्युत उपकरण/मशीनरी
			138. इलैक्ट्रिक स्विचिंग
86.	3603	स्विच गियर (सर्किट ब्रेकस)	139. एल. टी. एंड एच टी. सर्किट ब्रेकर्स
87.	3604	विद्युत मोटर्स, फेस–1	140. मोटर्स फेस–1
88.	3609	स्टेंपिंग (लेमिनेशन)	141. स्टेंपिंग
89.	3609	टरबाईन (सिस्टम/हाइड्रो)	142. वाटर टरबाईन
			143. स्टीम टरबाईन
90.	3610	इन्सुलेटिड केबल्स/सभी प्रकार के तार	144. पी. वी. सी. इंसुलेटिड केबल
			145. पी. वी. सी. इंसुलेटिड फ्लेकसिबल
			146. रबड़ इंसुलेटिड केबल्स
			147. वायर रोपस (इंसुलेटिड)
			148. तार
91.	3631	आटो लेम्पस	149. आटो लेम्पस
92.	3639	लाइटिंग, फिटिंग एंड फिक्सचर्स	150. लाइटिंग, फिटिंग एंड फिक्सचर्स
93.	3720	व्हील एंड एक्सल, पूरा सेट	151. व्हील एण्ड एक्सल, पूरा सेट
94.	3731	चेसिस (असीम) भारी वाणि. वाहन के लिए (बस, ट्रक)	152. चेसिस (असीम); बस (डीजल)
			153. चेसिस (असीम); ट्रक बेन (डीजल)
95.	3748	इंजिन	154. इंजिन
96.	3748	स्प्रिंग	155. लीफ स्प्रिंग
97.	3801	सभी किस्म के सीरिंज	156. सभ किस्म के सीरिंज
98.	3871	लिखने के उपकरण	157. बाल पेन
			158. बाल पेन रिफिल
			159. फाउंटेन पेन

विवरण-II

आई आई पी श्रृंखला में सम्मिलित लघु क्षेत्र की मदों की सूची (आधार 93–94–100)

क्रम संख्या	मद का विवरण	1000 में से भार
1.	बिस्कुट (एस.एस.आई.)	1.7604
2.	पेपर तथा पेपर बोर्ड (एस.एस.आई.)	0.0176
3.	भारतीय किस्म के चमड़े के जूते (एस.एस.आई.)	0.0521
4.	पेंट, इनमेल तथा वार्निश (एस.एस.आई.)	0.2605
5.	आप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट (एस.एस.आई.)	0.0019
6.	सभी किस्म के साबुन (एस.एस.आई.)	0.4977
7.	माचिस (एस.एस.आई.)	0.2565
8.	पाइप तथा ट्यूब (एस.एस.आई.)	0.1002
9.	स्टील कास्टिंग (एस.एस.आई.)	0.1619
10.	बोल्ट एंड नट (एस.एस.आई.)	1.7404
11.	जिप फासनर्स (एस. एस. आई.)	0.2632
12.	डीजल इंजिन (एस. एस. आई.)	0.0104
13.	एयर तथा गैस कम्प्रेशर्स (एस. एस. आई.)	0.0557
14.	मशीन टूल्स (एस. एस. आई.)	0.5002
15.	विद्युत तथा वितरण ट्रांसफार्मर्स (एस. एस. आई.)	0.0161
16.	विद्युत मोटर्स (एस. एस. आई.)	0.0578
17.	सभी किस्म के इलैक्ट्रिक पंखे (एस. एस. आई.)	0.0125
18.	पेंसिल (एस. एस. आई.)	0.7136
	योग	6.4987

[अनुवाद]

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया निवेश

7386. श्री कृष्णमराजू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान अप्रैल के पूर्वार्ध के पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कुल कितना शुद्ध निवेश किया गया और पिछले वर्ष की संगत अवधि में इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कुल कितना निवेश किया गया और ऋण बाजार में वर्षवार उनकी क्या स्थिति है; और

(ग) विदेशी संस्थागत निवेशकों को ज्यादा निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने चालू वर्ष के दौरान अप्रैल, 2000 के पूर्वाद्ध तक 6548.30 करोड़ रुपये का निवल निवेश किया है जो पिछले वर्ष की संगत अवधि के दौरान 1475.80 करोड़ रुपए के निवल निवेश की तुलना में है।

(ख) सेबी के अनुसार, देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवल निवेश निम्नानुसार हैं:–

1997–98	+5957.43 करोड रुपए
1998–99	(–) 1584.35 करोड़ रुपए
1999–2000	+10,121.93 करोड़ रुपए

सेबी तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, उनके द्वारा ऋण बाजार में बकाया स्थितियों संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों को आकृष्ट करने के लिए सरकार समय–समय पर विदेशी संस्थागत निवेशकों की निवेश नीति में आवश्यक परिवर्तन करती है। सरकार द्वारा किए गए कुछ परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:–

(क) विदेशी संस्थागत निवेशकों की सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों तथा राजकोषीय हुंडियों में निवेश करने की अनुमति देना।

(ख) विदेशी संस्थागत निवेशक/उप–लेखाओं की व्यष्टि निवेश सीमा को किसी कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना।

(ग) किसी व्यष्टि कम्पनी में विदेशी संस्थागत निवेशकों

के निवेश की कुल सीमा को 30 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत करना।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण जमा-अनुपात

7387. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऋण–जमा–अनुपात स्थिति पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय केन्द्रीयदल ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया है;

(ख) प्रत्येक राज्य में दौरे के क्या परिणाम निकले; और

(ग) प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण–जमा–अनुपात में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) अल्प ऋण जमा (सीडी) अनुपात वाले कुछ राज्यों के संयोजक बैंकों को हाल ही में सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के ऋण जमा अनुपात तथा बैंकों के ऋण प्रवाह की भी समीक्षा करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की विशेष बैठकें आयोजित करने की सलाह दी गई। इन बैठकों में वित्त राज्य मंत्री (व्यय, बैंकिंग एवं बीमा) तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के निष्पादन की विस्तार से समीक्षा की गई है। यह आशा की जाती है कि इससे बैंकों के निष्पादन में सुधार होगा।

खनिजों की आवश्यकता और उपलब्धता

7388. श्री साहिब सिंह : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न खनिजों जैसे डोलोमाइट, बाक्साइट, सोना, लोहा, मैंगनीज, तांबा, जस्ता, क्रोमाइट, चूना पत्थर और एपटाइट और फास्फोराइट की राज्यवार अलग–अलग वर्तमान आवश्यकता और उपलब्धता कितनी है;

(ख) पांच–दस वर्षों के बाद इन खनिजों की आवश्यकता और उपलब्धता अनुमानतः कितनी होगी; और

(ग) सरकार द्वारा देश में खनिजों की आवश्यकता और उपलब्धता के अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का विचार है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) खान विभाग के अधीन एक अधीनस्थ संगठन भारतीय खान ब्यूरो (आई. बी. एम.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1997–98 में अखिल भारतीय स्तर पर, निम्न खनिजों की खपत और उत्पादन नीचे दिया गया है। तथापि, खनिजों की राज्य–वार आवश्यकताओं और उपलब्धता के बारे में डिसएग्रिगेटिड सूचना को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(टन में)

खनिज	खपत	उत्पादन
डोलोमाइट	2848500	3002880
बाक्साइट	5362800	6112131
स्वर्ण	*	2636 कि. ग्रा.
लौह अयस्क	33596700	75723000
मैग्नीज	1097800	1641963 (अयस्क)
तांबा	58705 (धातु)	4499716 (अयस्क)
जस्ता	729903 (धातु)	292524 (सांद्र)
क्रोमाइट	574600	1515286
चूना पत्थर	95316350	110441000
एपाटाइट और फास्फोराइट	2974400	1226575

*स्वर्ण के खपत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में खनिजों की मांग और आपूर्ति के अनुमान लगाए जाते हैं। अतः, खनिजों के लिए लगाए गए इस प्रकार के अनुमान वर्ष 2001–2002 में समाप्त हो रही नौंवी योजना के लिए ही उपलब्ध हैं और उसके बाद के नहीं। ऐसे अनुमानों में सभी खनिजों की आवश्यकता और उपलब्धता पर अलग–अलग डिसएग्रीगेटिड सूचना भी उपलब्ध नहीं हैं

(ग) खनिजों की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच में अंतर को आमतौर से खनिजों/धातुओं के आयात द्वारा पूरा किया जाता है। सरकार ने खानों और खनिजों के विकास के लिए दीर्घकालिक उपाय किए हैं। वर्ष 1993 में गैर–ईंधन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति बनाई गई थी। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में, वर्ष 1994 और

हाल ही में, दिसम्बर, 1999 में संशोधन किया गया था, ताकि खनन क्षेत्र को और अधिक निवेशक अनुकूल और प्रगतिशील बनाया जा सके। हाल ही में, किए गए संशोधनों द्वारा विश्वव्यापी व्यवस्था के अनुरूप टोही प्रचालनों की अवस्था प्रारंभ की गई है और प्रक्रियागत विलम्ब को कम करने के लिए खनन पट्टों की मंजूरी, नवीकरण और अंतरण हेतु राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं तथा राज्यों को अवैध खनन आदि पर रोक लगाने और अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

दूरदर्शन पर धारावाहिकों के एपिसोड का प्रसारण

7389. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन पर एक धारावाहिक के अधिकतम कितने एपिसोड के प्रसारण की अनुमति है;

(ख) उन धारावाहिकों के क्या नाम हैं जिनके 300 एपिसोड के प्रसारण की अनुमति है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1999–2000 के दौरान विज्ञापनों द्वारा धारावाहिक–वार कितना राजस्व प्राप्त किया गया है;

(घ) महाभारत और रामायण के कितने एपिसोड के प्रसारण की अनुमति दी गयी; और

(ङ) ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित उन नये धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें चालू वर्ष के दौरान शुरू किये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) दूरदर्शन ने हाल ही में प्रत्येक साप्ताहिक धारावाहिक को शुरू में 26 प्रकरण और दैनिक धारावाहिकों को 100 प्रकरण आबंटित करना आरंभ किया है। इनके प्रसारण अवधि को बढ़ाने की अनुमति निर्माण गुणवत्ता, विज्ञापन आय, टी.आर.पी. रेटिंग (लोकप्रियता), धारावाहिक के पिछले प्रदर्शन और दूरदर्शन को देय भुगतान के आधार पर दी जाती है। उपरोक्त मानदण्डों के पूरा होने पर प्रकरणों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) डीडी–1 पर महाभारत और रामायण के क्रमशः 93 और 104 प्रकरण प्रसारित किए गए हैं। डीडी–2 पर महाभारत के 94 प्रकरणों को फिर से प्रसारित करने की अनुमति दी गई थी। रामायण को डीडी–2 पर प्रसारित नहीं किया गया था।

(ङ) चालू वर्ष के दौरान ऐतिहासिक घटनाओं पर किसी नए धारावाहिब का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एक ऐतिहासिक धारावाहिक "महाराणा प्रताप" की वर्ष के दौरान प्रसारित करने के लिए पुनः सूचीबद्ध किया गया है।

अनुबंध

राष्ट्रीय नेटवर्क और मैट्रो नेटवक पर 1999–2000 के दौरान विज्ञापनों के माध्यम से अर्जित धारावाहिक–वार राजस्व

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	राशि (रु.)
1	2	3
राष्ट्रीय नेटवर्क		
1.	जय हनुमान	200,293,000
2.	ओम नमः शिवाय	185,200,000
3.	नूरजहां	88,368,000
4.	सुराग	66,455,000
5.	जय माता की	38,731,000
6.	गीता रहस्य	34,196,400
7.	श्री कृष्णा	32,500,000
8.	जय गंगा मैया	31,536,000
9.	चन्द्रकांता	30,904,000
10.	राज कहानी	30,375,000
11.	अर्धांगिनी	20,400,230
12.	स्कूल डेज	13,190,000
13.	विलायती बाबू	12,330,000
14.	मिले सुर मेरा तुम्हारा	11,307,500
15.	फुगिटिव दा मोस्ट वान्टेड	10,630,016
16.	दीवार	10,360,140
17.	अपराजिता	10,325,000
18.	बेटा	9,980,000

1	2	3
19.	तुलसी	9,977,108
20.	इन्तजार और सही	9,737.106
21.	शक्तिमान	9,282,500
22.	कामयाबी	9,258,284
23.	इतिहास	7,400,000
24.	वक्त की रफ्तार	7,050,000
25.	औरत	6,975,000
26.	माया	6,925,000
27.	बेताल पच्चीसी	6,528,000
28.	दिल अपना प्रीत परायी	5,500,000
29.	सुनहरे पल	5,110,000
30.	लेकिन वो सच था	4,625,000
31.	बुल बुल बाग	4,500,000
32.	राजा का बाजा	4,400,000
33.	आहुति	4,220,000
34.	अमर चित्रकथा	4,116,250
35.	दया सागर	3,925,000
36.	अभिमान	3,900,000
37.	उल्लंघन	3,600,000
38.	बालदूत	3,240,000
39.	अग्नि	3,225,000
40.	सपने अपने अपने	3,000,000
41.	कच्ची राहें	2,800,000
42.	इधर उधर	2,570,000
43.	महाराणा प्रताप	2,475,000
44.	मीठी मीठी बातें	2,400,000
45.	मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल	2,244,000
46.	दफ्तरनामा	1,650,000
47.	बिन्नी दा पुह	1,075,000

1	2	3
48.	यादगार	975,000
49.	सितारों के संग	960,000
50.	स्वराज	787,500
51.	सौदागर	750,000
52.	आपकी शांति	668,000
53.	मायावी नगरी	650,000
54.	महात्मा	493,750
55.	रूप सुहाना	406,500
56.	दृष्टांत	400,000
57.	युग	300,000
58.	एक कहानी	225,000
59.	जिन्दगी नवरंग है	150,000
60.	घर संसार	114,000
61.	फ्रीडम वोऐज	60,000
62.	ब्रहमपुत्र	32,000
मैट्रो नेटवर्क		
1.	न्याय	19,200,000
2.	जाने भी दो पारो	11,560,000
3.	हिन्दुस्तानी	11,335,000
4.	राजा और रैंचो	11,130,000
5.	कैप्टन हाऊस	9,830,000
6.	यूनाइटेड टेली शापिंग	7,837,500
7.	म्यूजिक स्टेशन	7,090,000
8.	श्रीमान श्रीमती	6,160,000
9.	सी हॉक्स	5,665,000
10.	शो नं. 1	5,620,000
11.	भाभी मां	5,490,000
12.	शेर मेरा यार	4,860,000

1	2	3
13.	अलिफ लैला	4,115,000
14.	क्रास फायर	3,927,500
15.	तेरे घर के सामने	3,600,000
16.	किस्मत	3,382,500
17.	डिजनी क्लब	3,187,500
18.	अघात	3,165,000
19.	टी. वी. ब्रांड	2,730,000
20.	फ्रंट पेज	2,475,000
21.	धूप छांव	2,430,000
22.	सत्या	2,120,000
23.	शिखर तक	2,145,500
24.	जैनिथ दी कम्प्यूटर शो	2,100,000
25.	चैम्पियन	2,097,500
26.	आजा हसा जा	2,040,000
27.	मैट्रो मेरा नाम	1,991,000
28.	बंधन	1,800,000
29.	ये तेरा घर ये मेरा घर	1,727,500
30.	अग्निपथ	1,620,000
31.	अदा	1,494,000
32.	रंग रंगीली छैल छबीली	1,400,000
33.	फाइव डेज थ्रिलर	1,245,000
34.	डक टेल्स	1,207,000
35.	फीलिंग फाइल	1,130,000
36.	बच्चों की अदालत	1,042,500
37.	आई. बी. पी. उस्ताद	1,000,000
38.	वण्डरलस्ट इंडिया	945,000
39.	जूही	900,000
40.	फ्लैश गोर्डन	840,000

1	2	3
41.	दे काल हिम डेंजरस	700,000
42.	अपनी तारीफ	700,000
43.	ट्रेवल हावर	690,000
44.	अपनी पसंद	595,000
45.	सर्कस	570,000
46.	पानीपत की आखिरी जंग	540,000
47.	स्वराज	525,000
48.	आखिर कौन	510,000
49.	आशियाना	490,000
50.	मम्मिस अलाइव	476,250
51.	इंडिया प्रोग्रेस	455,000
52.	गुल स्नोबर	450,000
53.	मेड लाइन	423,750
54.	मिक्की एंड फ्रैंडस	397,500
55.	गुफ् टुप	397,500
56.	डिफेंडर्स ऑफ दी अर्थ	390,000
57.	एडवांचर्स ऑफ सोनिक दा हेज	390,000
58.	चिप एंड डेल	379,500
59.	क्वॉक बैक	360,000
60.	डेनिस दा मीनेस	352,500
61.	साजिश	350,000
62.	सुनहरी यादें	337,500
63.	फुगिटिव दा मोस्ट वान्टेड	337,500
64.	इट डाइजेस्ट	322,500
65.	सपने	300,000
66.	अंजाम	280,000
67.	एडवांचर ऑफ विन्नी दा पुह	255,000
68.	मिक्की एंड डोनाल्ड	247,500

1	2	3
69.	दिल–ए–नादान	245,000
70.	कौन होगा वारिस	237,500
71.	मैरी गो राउंड	217,500
72.	दा मास्क	195,000
73.	रंगीले सपने	180,000
74.	पड़ोसन	180,000
75.	कार्टून वर्ल्ड	180,000
76.	हम होंगे कामयाब	172,500
77.	एडवांचर्स ऑफ मिक्की	157,500
78.	वी लव यू	153,500
79.	सुपर बुक	142,500
80.	राज की अदभूत घटना	142,500
81.	लाबदेव की नायिका	140,000
82.	कोशिश	140,000
83.	आईना	140,000
84.	गुम्मी बीयर्स	127,500
85.	स्कूबाई दू	123,750
86.	बेताल पच्चीसी	101,250
87.	ए फ्यू रूपीज मोर	97,500
88.	सौदागर	75,000
89.	टॉम एंड जेरी	67,500
90.	दिल दरया	60,000
91.	काला पर्वत	45,000
92.	जवाब आएगा	45,000
93.	टेल मी वाय	25,000
94	जेरेम्स एडवांचर	15,000

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा आन्ध्र प्रदेश में खनन अन्वेषण

7390. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और माइनिंग एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आंध प्रदेश में कौन से स्थानों पर खनन अन्वेषण/सर्वेक्षण कार्य चल रहा है; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी. एस. आई.) और खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम. ई. सी. एल.) आध्र प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में खनिज गवेषण/सर्वेक्षण कर रहे हैं:–

जी. एस. आई. द्वारा खनिज गवेषण :--

स्वर्ण :

1. दोना सैक्टर, जोन्नागिरि शिस्ट बैल्ट, जिला कुरनूल।
2. बोकसमपल्लै उत्तर ब्लॉक, रामगिरि शिस्ट बैल्ट, जिला अनन्तपुर।
3. पेडापर्तीकुन्टा ब्लॉक, दक्षिणी कोलार शिस्ट बैल्ट, जिला चित्तूर।
4. गडवाल शिस्ट बैल्ट, गडवाल क्षेत्र, जिला, महबूबनगर।

हीरा :

1. कृष्णा, खाम्माम तथा नालगोण्डा जिलों के भाग।
2. कड्डापाह बेसिन के पश्चिमी, दक्षिण–पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग अनन्तपरु तथा कुरनूल जिलों के कुछ हिस्सों में समीपवर्ती ग्रेनाइट वाला भू–भाग।
3. अन्नतपुर और कुरनूल जिलों में हागारी नदी ड्रेनेज बेसिन के साथ–साथ।

कोयला :

1. धम्मारयेरला–अब्बूगुडेम ब्लॉक, चिन्तालचिल्का क्षेत्र और खाम्माम जिले में सान्तीनगरम ब्लॉक।
2. खाम्माम और पश्चिम गोदावरी जिलों में सीतानगरम क्षेत्र और सिद्धवरम–अलिपल्ली क्षेत्र।
3. पश्चिम गोदावरी जिले में नरसिंगपुरम क्षेत्र।

जी. एस. आई. द्वारा सर्वेक्षण कार्य :

1. नैल्लोर तथा प्रकासम जिलों में, अंतर–देशीय नदी घाटियों में क्वाटर्नरी अध्ययन।

2. काकीनाडा नगर के अर्बन एगलोमरेट, पूर्व गोदावरी जिले तथा पूर्व गोदावरी और विशाखापटनम जिलों में येलेरू नहर के साथ-साथ पर्यावरणीय अध्ययन।

3. कूरनूल तथा महबूबनगर जिले में आयामी पत्थर के संसाधन के लिए सर्वेक्षण।

4. ए. पी. एम. डी. सी. की एक प्रायोजित मदें के रूप में जिला प्रकासम के चिमाकुरथी क्षेत्र में गैलेक्सी ग्रेनाइट निक्षेपों का मूल्यांकन।

इसके अतिरिक्त, एम. ई. सी. एल. खाम्माम, गोधावरी और वारांगल जिले में, कोयले के लिए गवेषण और विकासात्मक खनन कर रहा है।

(ख) जी. एस. आई. की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

(i) डोना पूर्व ब्लॉक में 1.15 और 4.35 ग्रा./टन के बीच में औसत ग्रेड वाले लगभग 9 एम. टी. स्वर्ण अयस्कों के संभावित संसाधन तथा डोना-टेम्पल ब्लॉक में 0.4 एम. टी. स्वर्ण, अयस्क निक्षेप की पुष्टि की।

(ii) बोकसमपल्ली-उत्तर ब्लॉक, रामगिरी शिस्ट बैल्ट, जिला अनन्तपुर, पेडापर्तीकुन्टा ब्लॉक, दक्षिणी कोलार शिस्ट बैल्ट, जिला चित्तूर तथा गडवाल शिस्ट बैल्ट के अतकुर ब्लॉक में छुट-पुट मूल्य वाले स्वर्ण के पाए जाने की रिपोर्ट मिली है।

(iii) अनन्तपुर जिले में अनुम्पल्ले में किए गए गवेषण से पता चला कि किम्बरलिटिक निकाय हीरा-युक्त है और यह 60 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला है। 1434 टन के बल्क सैम्पल की प्रोसेसिंग से 13.90 कैरेट वजन के 44 हीरों की प्राप्ति हुई है, जिनमें से 7.78 कैरेट वजन वाला एक हीरा जैम क्वालिटी का है तथा किम्बरलाइट बॉडी से प्राप्त हुआ अभी तक का सबसे बड़ा क्रिस्टल है।

इसके अतिरिक्त जी. एस. आई. और एम. ई. सी. एल. ने गोदावरी घाटी में कोयले के क्रमशः 13586.8 एम. टी. और 1827.59 एम. टी. निक्षेपों का अनुमान लगाया है।

उड़ीसा में काजू की खेती

7391. श्री अनंत नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में आज की स्थिति के अनुसार कितने क्षेत्र में काजू की खेती की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार काजू की खेती में स्थानीय लोगों को शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) इस समय उड़ीसा में काजू बागान के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र 14100 हैक्टेयर है।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य काजू विकास निगम एक नोडल एजेन्सी है जो सीमान्त और लघु जोतधारी लाभार्थियों सहित एससी और एसटी किसानों का चयन करके उड़ीसा में काजू विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है।

[हिन्दी]

एच. एम. टी. घड़ियां

7392. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा अपनी घड़ियों के बाजार का विस्तार करने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एच. एम. टी. घड़ी उद्योग घाटे में चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कितने घाटे में चल रहा है तथा सरकार द्वारा इन घाटों को कम करने हेतु किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) एच. एम. टी. वॉच

बिजनेस ग्रुप घाटे में चल रही है और इसने 1998–99 तक 63.69 करोड़ रुपये का घाटा उठाया है। एच. एम. टी. का एक व्यापक टर्नअराउन्ड प्लान सरकार के विचाराधीन है जिसमें वित्तीय और संगठनात्मक पुनर्गठन और कर्मचारियों का युक्तिकरण करना परिकल्पित है। वॉच बिजनेस ग्रुप का पुनरुद्वार किया जाना प्रस्तावित है और इस प्लान के तहत् लाभ का होना सारगर्भित है

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों का निर्यात

7393. **श्री जार्ज ईडन :**

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर–यूरोपीय देशों के लिए समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु समुद्री उत्पाद निर्यातक कंपनियों को निर्यात निरीक्षण एजेंसी कोड देने के लिए कोई मानदंड तय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोचीन निर्यात क्षेत्र में ई. आई. ए. कोड की अनुमति हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(घ) उन्हें शीघ्र अनुमति देने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के निर्यात के लिए अनुमोदन और सरकारी प्रसंस्करणकर्त्ता कोड संख्या प्रदान करने हेतु मानदण्ड, ताजे, प्रशीतित एवं प्रसंस्कृत मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग) नियम 1995, में विर्निर्दिष्ट है जो कि भारत सरकार की दिनांक 21.8.95 की अधिसूचना संख्या 730(ई) में दिए गए हैं। तथापि, यूरोपीय संघ को छोड़कर अन्य देशों को किए जाने वाले निर्यात के लिए प्रतिष्ठानों के अनुमोदन हेतु अपेक्षाएं, स्पष्टीकरण एवं दिशानिर्देश हाल ही में निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा अधिक स्पष्ट किए गए हैं।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कपास का आयात

7394. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**

श्री तरूण गोगोई :

श्री सुन्दर लाल तिवारी :

श्री श्रीनिवास पाटील :

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष कपास के आयात का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कुल कितनी मात्रा में कपास के आयात की संभावना है;

(ग) किन–किन देशों में कपास का आयात किया जाएगा;

(घ) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और

(ङ) इसकी मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिमगी एन. रामचन्द्रन): (क) 19.4.1994 से अपरिष्कृत कपास का आयात खुला सामान्य लाइसैंस (ओ. जी. एल.) के अंतर्गत है। कपास और वस्त्र उद्योग से संबंधित प्रयोक्ता मिलें और अन्य सरकार की नीति के ढांचे के भीतर कपास का आयात कर सकते है।

(ख) कपास सलाहकार बोर्ड ने 10.3.2000 को हुई अपनी बैठक में चालू कपास मौसम 1999–2000 (अक्तूबर–सितम्बर के दौरान 12 लाख गांठों (प्रत्येक गांठ 170 कि. ग्रा.) के संभावित आयात का अनुमान लगाया है। जबकि इसकी तुलना में पिछले कपास मौसम 1998–99 के दौरान 7.87 लाख गांठ का आयात किया गया था।

(ग) जिन प्रमुख देशों से भारत में कपास का आयात किया जाता है उनमें पश्चिमी अफ्रीका (आइवरी, कोस्ट, टोगा, बुर्किना फासो), मिश्र, सूडान, पूर्वी अफ्रीका (तंजानिय, यूगांडा, मोजांबिया, यू॰ एस॰ ए॰, आस्ट्रेलिया, चीन आदि) शामिल हैं।

(घ) आयात पर खर्च होने वाली संभावित कुल विदेशी मुद्रा परिवर्तन दर के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समय–समय पर कीमतों पर निर्भर करती है। 28.4.2000 तक की स्थिति के अनुसार, आयात के लिए पंजीकृत कपास की 13.69 लाख गांठों में से 16.2 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की केवल 0.843 लाख गांठों का ही आयात किया गया।

(ङ) भारत कपास के उत्पादन में आत्म–संतुष्ट है। तथापि, मूल्य और गुणवत्ता के प्राचलों के आधार पर आयात किया जाता है। भारत सरकार ने कपास विकास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है जिसका उद्देश्य घरेलू वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुसंधान, किसानों को प्रौद्योगिकी प्रचार, विपणन इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार तथा जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियों का आधुनिकीकरण करना है।

राज्यों को संरचनात्मक सुविधाएं

7395. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय योजना जिसमें पिछड़े राज्यों की आधारित संरचना संबंधी सुविधाओं का विकास भी शामिल है, में निर्धारित किए गए मापदण्डों में कोई छूट प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) किन–किन राज्यों को पिछड़े राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने की दृष्टि से अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित करने हेतु कार्यान्वित की जा रही दो केन्द्रीय योजनाओं, नामतः विकास केन्द्र योजना और एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना, के तहत अन्य राज्यों को प्रदान की जाने वाली क्रमशः 10 करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के प्रति पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उसे बढ़ाकर क्रमशः 15 करोड़ रुपये और 4 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की आठवीं अनसूची में निम्नलिखित 16 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की सूची में रखा गया है:

1. अरुणाचल प्रदेश
2. असम
3. गोवा
4. हिमाचल प्रदेश
5. जम्मू और कश्मीर
6. मणिपुर
7. मेघालय
8. मिजोरम
9. नागालैंड
10. सिक्किम
11. त्रिपुरा
12. अंडमान और निकोबार
13. दादरा और नागर हवेली
14. दमण और दीव
15. लक्षद्वीप
16. पांडिचेरी

नेशनल रिन्यूअल फंड

7396. श्री जी. जे. जावीया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल रिन्यूअल फंड द्वारा अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ख) वर्ष 1999–2000 के लिए कितना बजट आबंटित है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कोष को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (डॉ. रमण) : (क) राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एनआरएफ) से सहायता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तथा संगठित क्षेत्र के योक्तीकृत कामगारों को परामर्श, प्रशिक्षण, आदि के लिए प्रदान की गयी है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सहायता केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उपलब्ध करायी गयी है। उपलब्ध सूचना के के अनुसार 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार 1,36,110 कामगारों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त किया है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि के तहत कामगारों की पुनर्तैनाती में उनकी सहायता करने हेतु उन्हें परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कर्मचारी सहायता केन्द्र स्थापित किये गये हैं। राष्ट्रीय नवीकरण निधि के तहत स्थापित 66 कर्मचारी सहायता केन्द्रों के प्रबंधन संबंधी देखरेख देश भर में फैले 12 नोडल अभिकरणों द्वारा की जाती है और उनमें 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, संगठित क्षेत्र से योक्तीकृत किये गये 47,050 कर्मचारियों को रखा गया है।

(ख) राष्ट्रीय नवीकरण निधि का अनुरक्षण 1998–99 तक लोक लेखा के अधीन किया जाता रहा है (संशोधित अनुमान 1999–2000 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान की योजना के लिए 174.05 करोड़ रुपये तथा परामर्श, पुनः प्रशिक्षण आदि की योजना के लिए 5.50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना एक सरकारी संकल्प के माध्यम से एक सीमित अवधि के लिए तथा अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए चलाए जाने हेतु फरवरी, 1992 में की गयी थी। राष्ट्रीय नवीकरण निधि वर्तमान स्वरूप में सरकार के समीक्षाधीन है।

डी. ई. पी. बी.

7397. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**

श्री किरीट सोमैया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमाशुल्क विभाग ने कांच के मनकों के निर्यातकों द्वारा गलत तरीके से ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास बुक स्कीम का लाभ लेकर 5 करोड़ रुपये की अनियमितताएं करने का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे निर्यातकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। कलकत्ता स्थित सीमाशुल्क गृह ने दिसम्बर, 1999 और जनवरी, 2000 में ऐसे मामलों का पता लगाया था जिनमें कतिपय निर्यातकों ने अप्रैल, 1999 से जून, 1999 के दौरान बहुत ऊंचे नौतल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर कांच के मनकों का निर्यात किया था ताकि धोखाधड़ी से लगभग 5 करोड़ रुपये के शुल्क हकदारी पास बुक क्रेडिट का लाभ लिया जा सके। इस राशि में से लगभग 1.54 करोड़ रुपये का शुल्क हकदारी पास बुक क्रेडिट महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा मना कर दिया है। उक्त मामलों में अंतर्ग्रस्त एक निर्यातक को गिरफ्तार कर लिया गया था और आद में उसे न्यायालय के आदेश के तहत जमानत पर छोड़ दिया गया था। सभी मामलों में आगे की जांच–पड़ताल चल रही है और उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

उड़ीसा में खनिजों का उपयोग

7398. **श्री के. पी. सिंह देव : क्या खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विकास सूचकांक में उड़ीसा राज्य की स्थिति जो इस संदर्भ में औसत से कम है में सुधार लाने हेतु वहां उपलब्ध बाक्साइट, कोयला, समुद्री जीव और पर्यटन इत्यादि जैसे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किए जाने हेतु किन्हीं प्रभावी उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) उड़ीसा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनो के इष्टतम उपयोग हेतु, उचित नीतिगत उपाय करना मुख्यतः उड़ीसा राज्य सरकार का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार ने

उड़ीसा के प्राकृतिक संसाधनों यथा बाक्साइट, कोयला, समुद्री जीवन तथा पर्यटन के इष्टतम उपयोग हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

(i) सरकार ने एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना को अनिवार्य लाइसेंस के प्रावधानों से मुक्त कर दिया है। जो कोई भी एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करना चाहते हैं, वह औद्योगिक उद्यमी का ज्ञापन (आई. ई. एम.) फाइल करके, ऐसा कर सकता है।

(पप) केन्द्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि. (नालको) एल्यूमिना तथा एल्यूमिनियम का उत्पादन करके उड़ीसा के बॉक्साइट संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर रही है। बाक्साइट खानों की क्षमता को 2.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष (टीपीए) से 4.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने, एल्यूमिना शोधनशाला की क्षमता को 0.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.575 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने तथा एल्यूमिनियम प्रगालक की क्षमता को 2,30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,45,000 टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के लिए नालको दो विस्तार कार्यक्रमों का भी क्रियान्वयन कर रहा है।

(पपप) सैंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड (सी. एम. पी. डी. आई. एल.), विभागीय ड्रिलों का प्रयोग करके, तलचेर और ईब नदी नामक उड़ीसा की दो कोलफील्ड में कोयले के निक्षेपों का विस्तृत गवेषण कर रहा है। नौंवी योजना के प्रथम 3 वर्षों के दौरान तलचेर और ईब नदी कोलफील्ड में कुल 3.80 बिलियन टन कोयला निक्षेपों की पुष्टि की गई है। उड़ीसा राज्य में कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सरकार ने कारगर उपाय किए हैं। वर्ष 1991–92 में कोयले के 22.60 मिलियन टन के उत्पादन स्तर की तुलना में, वर्ष 1999–2000 के दौरान कोयले का 43.55 मिलियन टन का उत्पादन स्तर प्राप्त किया गया है।

(iv) समुद्री मछली के संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए, केन्द्र द्वारा प्रायोजित "डेवलपमेंट ऑफ मैरीन फिशरीज" योजना का, राज्य में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य, मछली उत्पादन और राज्य से समुद्री उत्पादों के निर्यात में बढ़ोत्तरी करने हेतु परम्परागत मछली सेक्टर का प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा लघु यंत्रिकृत मछली सेक्टर का विकास करना है।

(v) राज्य सरकार को पर्यटन संबंधी आधारिक संरचना तथा मेलों और उत्सवों के लिए वित्तीय सहायता केन्द्र द्वारा प्रदान की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयला की बिक्री में अनियमिततायें

7399. श्री मानसिंह पटेल : क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औद्योगिक इकाईयों/विद्युत संयंत्रों को कोयला बेचे जाने और अनियमितताएं बरतने के संबंध में हाल ही में सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान सतर्कता/केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कितने मामले सौंपे गए हैं और अब तक इनमें से कितने मामलों की जांच की गई; और

(घ) मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन के कारण कोयले की प्रभावी बिक्री/विपणन प्रीमियम को समाप्त करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए किए गए प्रयास/किए जाने वाले प्रयास का ब्यौरा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) हाल में विगत समय में ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिनांक 1 जनवरी, 2000 से कोयले के वितरण और कीमत पर पूरी तरह से नियंत्रण हटा लेने के बाद, उपभोक्ताओं से और अधिक सीधा संपर्क करने, प्रणाली और कार्यवाहियों को सरल बनाने, पिछले चलन के आधार पर वैयक्तिक उपभोक्ताओं द्वारा बुकिंग करवाए जाने के क्रम में कोयले की आपूर्ति करने और खुली बिक्री योजना के अंतर्गत काफी मात्रा में कोयला उपलब्ध करवाने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया लि. कोयले की बिक्री की एक नीति तैयार कर रही है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा

7400. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आई. पी. ओ. जारी करने के प्रस्ताव संबंधी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बाजार में बैंकों द्वारा शेयरों के बेचे जाने से इसकी बाजार में भरमार से बचने के लिए शेयरों की सुचारु बिक्री सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 6 बैंकों ने अपनी बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से पूंजी बाजार में प्रवेश की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है। इस समय बैंकों के नामों को प्रकट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) का आकार और समय आदि बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट की स्थिति और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आई पी ओ) की अपनी अभिलाषा जैसे बाहय मदों पर निर्भर करता है। निर्गम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निर्गम मूल्य, वास्तविक सार्वजनिक निर्गम आदि का समय का निर्णय निर्गम के अग्रणी प्रबन्धकों के परामर्श से बैंकों द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

भोजपुरी में एक नया चैनल

7401. **श्री तूफानी सरोज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भोजपुरी भाषा में कोई नया चैनल प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर भोजपुरी भाषा के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर भोजपुरी भाषा के कार्यक्रमों को पर्याप्त समय दिया जाता है; और

(छ) यदि हां, तो वर्ष 1999 के दौरान कितने घंटे का समय भोजपुरी भाषा के कार्यक्रमों को दिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रसार भारती की मौजूदा नीति के अनुसार, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए संविधान में मान्यताप्राप्त भाषाओं के संबंध में ही क्षेत्रीय भाषायी उपग्रह सेवाएं आरंभ की जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय चैनल पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय भाषा अर्थात हिन्दी में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर किसी क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम शुरू करने की कोई योजना नहीं है। तदनुसार, भोजपुरी सहित किसी क्षेत्रीय भाषा में दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर समय स्लॉट आबंटित करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एस टी सी द्वारा तम्बाकू की खरीद

7402. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) द्वारा तम्बाकू उत्पादकों से अप्रैल, 2000 में कितनी मात्रा में तम्बाकू की खरीद की गई;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम तम्बाकू उत्पादकों को कीमतों का अच्छा भुगतान नहीं कर रही है;

(ग) क्या इस समय एस टी सी को तम्बाकू के निर्यात के लिए कोई आर्डर मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एस टी सी द्वारा तम्बाकू की खरीद हेतु नियमित निर्यात के आर्डर प्राप्त करने हेतु एक अलग प्रकोष्ठ बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) एस टी सी ने अप्रैल, 2000 में आंध्र प्रदेश नीलामियों में 1,75,601 किग्रा. तम्बाकू की खरीद की है।

(ख) एस टी सी अच्छी कीमत का भुगतान कर रही है।

(ग) और (घ) निर्यात आदेश प्राप्त करने के लिए एस टी सी प्रयासरत है।

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे कोई उपाय नहीं किये गए हैं।

बोर्ड आव् स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज लि.

7403. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोर्ड आव् स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड व्यापक पुनर्गठन करने जा रहा है तथा आर्थर एंडरसन कंसलेटेन्सी द्वारा दूरसंचार व्यापार डिवीजन को एक पृथक कंपनी के रूप में स्थापित करने एवं मद्रास एल्युमिनियम कंपनी का विलय स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज में करके फेरस धातु व्यापार के ग्रुप को मजबूत बनाने के संबंध में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य में कोई ग्रीनफील्ड एल्युमिनियम परियोजना शुरू करने का भी निर्णय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कंपनी द्वारा किए गए प्रमुख पुनर्गठन कार्य क्या हैं; और

(घ) यह कहां तक लाभप्रद साबित होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज लि. एक निजी कंपनी है। कंपनी से प्राप्त सूचना से यह संकेत मिलता है कि स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज लि. का बोर्ड अपने व्यवसाय की पुनः संरचना कर रहा है और उसने, कानून द्वारा यथा अपेक्षित सभी आवश्यक अनुमोदनों के अध्यधीन, अपने समूचे दूरसंचार व्यवसाय को एक अलग कंपनी के रूप में अलग करने संबंधी आर्थर एण्डरसन इंडिया प्रा. लि. की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। इसकी सूचना एक प्रैस रिलीज के माध्यम से दी गयी थी। इसके अतिरिक्त, स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लि. के बोर्ड ने मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लि. को विलय स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लि. में करने का निर्णय लिया है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ने भी विलय की योजना का अनुमोदन कर दिया है। उक्त विलय भी कानून द्वारा यथा अपेक्षित सभी आवश्यक अनुमोदनों के अध्यधीन है,

(ख) कंपनी ने वर्तमान स्थिति में कोई ग्रीनफील्ड एल्युमिनियम परियोजना आरंभ न करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जैन टी. वी. को आई. डी. बी. आई. की सहायता

7404. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक सभा चुनाव, 1999 के ठीक पहले आई. डी. बी. आई. ने जैन टी. वी. को कोई अग्रिम दिया था या किसी धनराशि के लिए समर्थन दिया था;

(ख) क्या यह निर्णय आई. डी. बी. आई. के बोर्ड द्वारा लिया गया था;

(ग) क्या जैन टी. वी. द्वारा इसकी प्रतिभूति सुनिश्चित की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो आई. डी. बी. आई. द्वारा जैन टी. वी. को दी गई राशि की तुलना में प्रतिभूति स्वरूप रखी गई वस्तु का अनुमानित मूल्य क्या था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे

पाटील) : (क) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि सितम्बर 1999 में गेटवे अर्थ स्टेशन स्थापित करने तथा टी. वी. चैनल पर होम शॉपिंग, ई–कॉमर्स एवं इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की एक परियोजना के लिए जैन स्टूडियोज लि. को 24 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने यह सूचित किया है कि मंजूर किए गए 6 करोड़ रुपए के ऋण का प्रथम भाग 11 अप्रैल, 2000 को संवितरित किया गया था।

अलग–अलग सत्ताओं को ऋण देकर किसी खास आर्थिक क्रियाकलाप का वित्तपोषण किए जाने के बारे में निर्णय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने वाणिज्यिक निर्णय तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण विनियमों तथा एक्सपोजर मानदण्डों के ढांचे के भीतर अपने–अपने संबंधित बोर्डों द्वारा निर्धारित ऋण नीति के आधार पर लिया जाता है। तथापि, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित प्रथाओं और रीति–रिवाजों तथा वित्तीय संस्थाओं को शासित करने वाली संविधियों के प्रावधानों के अनुरूप और लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबन्धों के अनुसार अलग–अलग एककों से संबंधित जानकारी के प्रकट किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

[हिन्दी]

विधान सभा सदस्यों को आयकर से छूट

7405. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने विधान सभा सदस्यों को बढ़े हुए वेतन और भत्ते पर आयकर से छूट की मांग के लिए सितम्बर, 1998 में कोई पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) किसी राज्य के विधान मण्डल अथवा उसकी समिति के सदस्यों द्वारा प्राप्त किए गए भत्तों की छूट सीमा वित्त अधिनियम, 1997 के तहत दिनांक 1.4.1998 से 600/– रुपए से बढ़ाकर 2000/– रुपए प्रतिमाह कर दी गई थी। तत्पश्चात्, आगे और वृद्धि करने पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया।

ब्रिटेन द्वारा भारतीय चावल का बहिष्कार

7406. श्री जयभद्र सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन में एशिया के अनाज व्यापारियों को भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करते समय सबसे पहले बासमती चावल का बहिष्कार करने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि ब्रिटेन में एशियाई मूल के खाद्यान्न व्यापारियों के एक वर्ग ने भारतीय चावल का बहिष्कार करना शुरू किया है। इसके पश्चात यू. के. के कृषि, मत्स्य एवं खाद्य मंत्रालय द्वारा एक अभियान चलाया गया ताकि बासमती चावल के प्रमाणीकरण तथा बासमती चावल में गैर–बासमती चावल की पहचान के लिए एक पद्धति विकसित की जा सके।

(ग) इस मामले को सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ उचित रूप से उठाया गया है।

एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड में वित्तीय अनियमितता

7407. श्री शिवाजी माने : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र को एक उपक्रम एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा निधियों के कथित वित्तीय अनियमितताओं और दुर्विनियोजन संबंधी अनेक अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर अगले क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के विरुद्ध कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। ये कंपनी द्वारा अपनाई गई कुछ परियोजनाओं से संबंधित हैं। संबंधित मामलों की जांच करने के पश्चात् ही, जहां कहीं भी आवश्यक होगा, उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सभा चुनाव

7408. श्री विजय गोयल :

श्री नरेश पुगलिया :

श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हुए राज्य सभा चुनाव में धन बल का उपयोग किए जाने संबंधी समाचार प्राप्त होने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त ने वित्त मंत्रालय को राज्य सभा के चुनावों के परिणाम को प्रभावित किए जाने के किसी भी कदम के प्रति सतर्क रहने के लिए पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (ग) इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

सन टी. वी. की आय

7409. श्री पी. एच. पांडियन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : "सन टी वी" द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान चुकाए गए आयकर का वर्ष का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : मैसर्स सुमंगली पब्लिकेशन्स लि. चेन्नई (सन टी. वी.) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए 10,75,06,884/- रुपये, कर निर्धारण वर्ष 1998–1999 के लिए 14,51,03,035/– रुपए तथा कर निर्धारण वर्ष 1999–2000 के लिए 14,85,50,911/– रुपये आय कर के रूप में अदा किए गए हैं।

[हिन्दी]

बालको में रिक्त पद

7410. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड में निदेशक (कार्मिक) का पद रिक्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निदेशक (कार्मिक) के चयन हेतु किसी पैनल का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक इन चुने हुए व्यक्तियों के पैनल में से निदेशक (कार्मिक) को नियुक्त न करने के क्या कारण हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी. ई. एस. बी.) ने, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बालको) में निदेशक (कार्मिक) के चयन हेतु एक पैनल की सिफारिश की है। सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार, इस पैनल की प्रोसैसिंग शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की महिला कर्मचारियों का उत्पीड़न

7411. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997–98 और वर्ष 1999–2000 के दौरान आज तक स्टेट बैंक आफ इन्दौर की दिल्ली स्थित शाखाओं में

कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न तथा मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना से संबंधित शाखावार और मामलेवार कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या बैंक द्वारा कर्मचारियों के इन अभ्यावेदनों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो यदि उनकी शिकायतों के फलस्वरूप कोई कार्यवाही की गई हो, तो क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

झंझरा परियोजना हेतु सामग्रियों के खरीद

7412. **श्री सुनील खां** : क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के झंझरा परियोजना हेतु ठेकेदार के माध्यम से कतिपय खान संबंधी तथा कार्यालय की सामग्रियों बाजार मूल्य से 6 अथवा 10 गुना अधिक मूल्य पर खरीदा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) सरकार द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विद्यमान नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए उपकरण प्राप्त किए जाते हैं। महत्वपूर्ण मदों/कल-पुर्जों को मूल उपकरण निर्माताओं से (कुछ मामलों में आयात करके) खरीदा जाता है तथा उनकी कीमत की तुलना स्थानीय बाजार कीमत से नहीं की जा सकती है।

(ख) उपर्युक्त सामग्री से बने हुए विनिर्दिष्ट गुणवत्ता वाले देश में बने हुए कल-पूर्जों को प्राप्त करने के भी प्रयास किए जाते हैं। हाल में सरकार द्वारा आयतित पुर्जों पर लगाया जाने वाला आयात शुल्क कम कर दिया गया है; जिसके फलस्वरूप समग्र लागत में कमी आई है।

अपराह्न 12.½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्न-लिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2000 का संख्यांक 1) - सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-लेखाओं की समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 1912/2000]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2000 का संख्यांक 2) - सरकारी क्षेत्र के उपक्रम - लेखाओं पर टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 1913/2000]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2000 का संख्यांक 3)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम - संव्यवहार लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 1914/2000]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) प्रेस काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल

पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 1915/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 की धारा 57कग और 57कङ के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा. का. नि. 368 (अ) जो 28 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल के विनिर्माताओं के पास निर्यात हेतु पड़े माल पर अप्रयुक्त शुल्क क्रेडिट की वापसी की प्रक्रिया निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा. का. नि. 369(अ) जो 28 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नये संदाय नियमों में निर्धारित मासिक विवरणी के लिए प्ररूप विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 1916/2000]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 2000 जो 16 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 249 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 1917/2000]

(3) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) देना बैंक, सामान्य विनियम, 1998 जो 15 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 142 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आन्ध्रा बैंक, सामान्य विनियम, 1998 जो 16 दिसंम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/31/72/130 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 1918/2000]

(4) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 29क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 183 (अ) जो कि 1 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 जुलाई, 1992 की अधिसूचना स. का. आ. 573(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण)।

[ग्रंथालय में रखी गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 1919/2000]

(5) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 186 (अ) जो 1 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 27 जून, 1969 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2561 को रद्द करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 1920/2000]

(6) संविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 28 अप्रैल, 2000 को जारी आदेश, जो 1 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 425 (अ) में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 जुलाई, 1988 की अधिसूचना संख्या का. आ. 557 (अ) में प्रकाशित आदेश में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 1921/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण): महोदय, श्री उमर अब्दुल्ला की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन

काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स गुडस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1922/2000]

(3) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1998–99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1923/2000]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : महोदय, श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्रकण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1924/2000]

(3) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 19 की उपधारा (2) के अंतर्गत हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) (संशोधन) नियम, 2000 जो 19 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 340 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1925/2000]

(4) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 405 (अ) जो 25 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 26 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 557 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1926/2000]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानुपर के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1927/2000]

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ रीता वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड और खान और खनिज मंत्रालय के बीच वर्ष 2000–2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1928/2000]

(2) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड और खान और खनिज मंत्रालय, खान विभाग के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 1929/2000]

(3) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और खान और खनिज मंत्रालय, खान विभाग के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 1930/2000]

(4) मिनरल एक्सप्रोलेशन कारपोरेशन लिमिटेड और खान और खनिज मंत्रालय, खान विभाग के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 1931/2000]

अपराह्न 12.01 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के पहली से पांचवी तक की बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.1½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्यमंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम साजीवन (बांदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे गए पत्रों के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.02½ बजे

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. बी. बी. रमैया (एलूरू) : महोदय मैं सांख्यिकी और और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय-संसद सदस्य, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन करने के प्रस्ताव के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता है।

अपराह्न 12.03 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

उन्यासीवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. (श्रीमती) बीट्रीक्स डी. सूजा : महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के उन्यासीवां प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम बीच में कैसे शुरू कर सकते हैं। इस समय सभा-पटल पर पत्र रखे जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

करता हूं कि बजट सत्र की शेष समयावधि के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:–

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:–

(i) सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 2000

(ii) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2000

(iii) मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2000

(iv) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 2000

(v) मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2000

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। व्यवधान पैदा न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित दो मदों को आगामी सप्ताह के दौरान चर्चा के लिए कार्य–सूची में सम्मिलित किया जाए:

(1) केरल में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम अर्थात फैक्ट (फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर) अमोनियम सल्फेट का विपणन न होने के कारण घाटे में चल रहा है।

(2) मूल्य वृद्धि के कारण केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चावल तथा अन्य खाद्यान्नों की आपूर्ति अवरुद्ध हो गई है। खुले बाजार के मूल्य केन्द्रीय विभाग के मूल्यों से कम हो गए हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई मामला उठाना चाहते हैं तो आप इसे 'शून्य काल' में उठा सकते हैं। इस समय नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो श्री महाले कहेंगे उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : महोदय, कृपया अपने स्थान पर जाइए। यह शून्य काल नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह में निम्नलिखित विषय चर्चा के लिए समाविष्ठ करने का कष्ट करें:–

1. नासिक महाराष्ट्र 2003 में बड़ा कुंभमेला होने वाला है। इसमें देवलाली, नासिकरोड़, नासिक त्र्यबकेश्वर आता है। कुंभ मेला के पहले सुविधा होने के लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता मिलनी जरूरी है।

2. महाराष्ट्र राज्य में विशेषतः मालेगांव, भिवंडी, इचलकरंणी, यहां पॉवरलूम की संख्या ज्यादा है। पंद्रह लाख लोग निर्भर करते हैं लेकिन यह पॉवरलूम पर भारी आर्थिक संकट आया है। सूद की कीमत कम करना, गोडाउन की संख्या बढ़ाना, ब्याज दर कम करना।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को चर्चा हेतु सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:–

1. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोकारो एवं करगली क्षेत्र के अंगवाली कोयला खदान को अविलम्ब खोलने की व्यवस्था की जाये।

2. बिहार राज्य के गिरिडीह जिला के आदिवासी इलाके में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा विशेष निधि का आबंटन एवं सरकारी अभिकरणों द्वारा उचित सहयोग प्रदान करने की महती आवश्यकता।

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषय लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें:–

1. सम्पूर्ण देश में दलितों का सामूहिक नरसंहार एवं उनके उत्पीड़न पर विचार।

---
* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

2. प्राकृतिक आपदा चक्रवात एवं तूफान से हुए धन एवं जन से हानि की उत्पन्न स्थिति पर विचार।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जायें:–

1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत देशभर के बेरोजगारों को दो लाख रुपये तक ऋण देने की योजना में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वीकृत ऋण बैंकों द्वारा टालमटोल किया जा रहा है। डिफाल्ट परिवार सदस्य घोषित नहीं के बावजूद ऋण नहीं देने से युवक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार तत्काल बैंकों को ऋण देने हेतु बाध्य करे जिससे बेरोजगार समय पर ऋण प्राप्त कर सकें।

2. भारत भर के किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु प्रत्येक ग्राम में शत–प्रतिशत अनुदान पर ट्यूबवैल एवं विद्युत व्यवस्था सहित केन्द्र सरकार स्वीकृत करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपने स्थान पर जायें। 'शून्य–काल' नहीं है।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जायें:–

1. चाय तथा कॉफी की कीमतो जबरदस्त कमी आने से उत्पन्न गंभीर स्थिति के कारण कृषकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चाय पर उत्पाद–शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए और कॉफी उत्पादकों को विशेष सहायता मंजूर की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

2. पिछले सात दिनों के भीतर नासिक में ईसाई होस्टल में लड़कियों पर हमले की गंभीर घटनाएं, अहमदाबाद में एक प्रार्थना सभा आयोजित करने वाले लोगों पर हमला, झांसी में एक कान्वेंट पर हमला और अल्पसंख्यकों पर हुए कुछ अन्य हमलों द्वारा काफी डर उत्पन्न फैला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य काल' नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जायें। यह 'शून्य–काल नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य काल' नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री धर्मराज सिंह पटेल, कृपया अपने स्थान पर जायें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, यह सही तरीका नहीं है। आप अपने सदस्यों को बढ़ावा दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़ा जाए:–

अभी हाल ही में मोटर लगे चरखे में 12, 16 और 24 तकालवों के उपयोग की सफल खोज हुई है। इसके सार्वजनिक व औद्योगिक उपयोग को बढ़ावा देकर, पिछड़े ग्रामीण अंचलों में रोजगार के अवसर पैदा कर लोगों को आजीविका के साधन दिए जा सकते हैं। अतः सरकार से अनुरोध है कि इन चरखों को औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग करने को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना तैयार की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव। कृपया अपने सदस्यों को वापस जाने के लिए कहिए। यह 'शून्य काल' नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : महोदय, आम सहमति नहीं, तो बिल नहीं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका नहीं है। यह 'शून्य–काल नहीं है जहां आप ऐसे मामलों को उठा सकें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : महोदय, मेरा

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुरोध है कि निम्न मद को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाये:

चार किलोमीटर लम्बी ड्राइव-इन बीच (मुझापिलारगाडी समुद्र तट, कन्नौर) को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। यह भारत का एक बहुत ही अनूठा समुद्र तट है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाए-

अभी हाल ही में बिहार राज्य से अलग कर एक नए राज्य की घोषणा की गई है। नए राज्य में 18 जिले होंगे, जो शेष बिहार की तुलना में अधिक सक्षम हैं। इस राज्य के आय के साधन तुलनात्मक अधिक हैं, जबकि क्षेत्रफल और जनसंख्या कम है। वनांचल खानों, उद्योगों, वनों से राजस्व प्राप्त करता है, शेष बिहार के पास मात्र खेती और वह बाढ़ से प्रभावित, आय का साधन है। शेष बिहार के सामने आज अस्तित्व का ही प्रश्न आकर खड़ा हो गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री एन. जनार्दन रेड्डी का नाम पुकारा है।

श्री सुरेश कुरूप : मैं एक गंभीर मामला उठाना चाहता हूं। मैंने नोटिस दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। इसके बाद हम शून्य-काल संबंधी मामलों पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में हत्याएं हो रही हैं। हमने जीरो ऑवर में इस मामले को उठाने के लिए नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चौबे जी, अभी कालिंग अटेंशन है, इसके बाद में जीरो ऑवर है।

[अनुवाद]

श्री नवल किशोर राय, आपने अपने निवेदन में जो लिखा है, वह आपने पढ़ कर नहीं सुनाया है। आपने कोई अन्य मामला पढ़ा है। केवल स्वीकृत मामले को ही पढ़ना चाहिए।

ऐसा करना सभा की कार्यवाही के अनुरूप नहीं है। कृपया सभा में ऐसा न करें। सभा एक महत्वपूर्ण स्थान है।

श्री पी. सी. थॉमस : मुझे अपने निवेदन के माध्यम से एक बहुत ही गंभीर मामला उठाना है।

अध्यक्ष महोदय : श्री थॉमस, आप हमेशा सभा के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पी. सी. थॉमस : मुझे अवसर दिया गया था फिर भी मैं अपना अनुरोध नहीं पढ़ सका।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नही किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.17 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए सिपाहियों की भर्ती में कतिपय राज्यों से असमानुपाती प्रतिनिधित्व

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : महोदय, मैं गृह-मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करता हू और अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

"केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए सिपाहियों की भर्ती से कतिपय राज्यों से असमानुपाती प्रतिनिधित्व से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम।"

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : महोदय, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में कांस्टेबलों की भर्ती राज्यों/संघ, शासित क्षेत्रों से की जाती है और वर्ष में प्रत्येक केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल में कुल रिक्तियां निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं:-

(i) सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और असम राइफल्स में 90% तथा केन्द्रीय रिजर्व

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पुलिस बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 100% रिक्तियों की संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या अनुपात के आधार पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बीच आबंटित किया जाता है।

(ii) सीमा सुरक्षा बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस और असम राइफल्स में 10% रिक्तियां उन सीमावर्ती राज्यो को आबंटित की जाती हैं जहां संबंधित केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल तैनात किए जाते हैं, यह उपर्युक्त (i) के अंतर्गत उनके कोटे के अलावा है।

(iii) यदि किसी विशेष राज्य/संघ शासित क्षेत्र में भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार नहीं आते हैं, तो ये रिक्तियां, महानिदेशक के विशिष्ट अनुमोदन से अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपवर्तित कर दी जाती हैं।

केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में 31.03.2000 की स्थिति के अनुसार राज्यवार प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

जब कभी किसी बल विशेष में भर्ती किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र से की जानी होती है तो उसका प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों/समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है।

केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में कांस्टेबल की भर्ती के लिए निम्नतम शैक्षिक अर्हता 10वीं पास है तथा कतिपय शारीरिक मानदण्ड भी नियमित किए गए हैं।

संलग्न विवरण से यह भी देखा जा सकता है कि किसी एक विशेष राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अनुपात में कमी प्रत्येक बल में भिन्न–भिन्न है। कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में कमी, पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण तथा कुछ क्षेत्रों में लोगों के भर्ती के लिए आगे न आने के कारण है। जब कभी किसी एक विशेष राज्य/संघ शासित क्षेत्र के प्रतिनिधित्व में कमी होती है तो उस कमी को दूर करने के लिए भविष्य में की जाने वाली भर्तियों में ऐसे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की और रिक्तियां आबंटित करके कमी को दूर किया जाता है।

उन राज्य/संघ शासित क्षेत्रों, जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, उन्हें भावी भर्ती अभियानों में अतिरिक्त रिक्तियां दी जाएंगी।

** 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में राज्यवार प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरण*

(प्रतिशत में)

राज्य	जनसंख्या अनुपात	सीमा सुरक्षा बल	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	भारत तिब्बत सीमा पुलिस	असम राईफल्स
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
आंध्र प्रदेश	7.86	2.04	4.27	6.97	0.09	4.00
असम	2.64	3.74	3.52	3.98	0.60	7.70
अरुणाचल प्रदेश	0.10	0.03	0.07	0.05	0.02	0.59
बिहार	10.23	8.91	10.81	9.95	2.12	8.13
गोवा	0.14	0.02	0.06	0.05	0.07	–
गुजरात	4.88	1.87	2.06	2.70	0.10	–
हरियाणा	1.93	8.99	7.17	4.48	10.11	6.07
हिमाचल प्रदेश	0.61	3.04	2.88	3.07	23.30	6.75
जम्मू और कश्मीर	0.91	5.71	3.63	2.53	6.56	0.90

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	5.31	2.65	3.22	4.19	0.42	2.69
केरल	3.44	4.65	4.59	3.27	2.19	7.26
मध्य प्रदेश	7.84	4.27	5.28	6.87	3.29	3.42
महाराष्ट्र	9.33	2.43	5.23	6.29	0.40	2.00
मणिपुर	0.22	0.61	1.14	0.39	0.09	2.59
मेघालय	0.21	0.36	0.14	0.12	0.007	0.81
मिजोरम	0.08	0.04	0.03	0.04	0.007	2.42
नागालैंड	0.14	0.38	0.09	0.16	0.007	2.75
उड़ीसा	3.73	1.85	3.80	3.73	0.57	2.22
पंजाब	2.39	6.18	4.89	5.27	5.49	5.82
राजस्थान	5.20	9.23	7.14	5.87	3.36	2.73
सिक्किम	0.05	0.05	0.04	0.05	0.03	2.07
तमिलनाडु	6.59	3.28	5.26	5.43	0.66	2.32
त्रिपुरा	0.32	1.38	0.78	0.53	0.08	1.42
उत्तर प्रदेश	16.44	17.53	17.61	15.50	37.55	14.93
पश्चिम बंगाल	8.06	9.17	5.68	7.47	0.88	5.00
संघ शासित क्षेत्र						
अ. और नि. द्वीप समूह	0.03	0.04	0.06	0.14	0.05	0.38
चंडीगढ़	0.08	0.03	0.04	0.03	0.06	–
दादरा और नगर हवेली	0.02	–	0.01	–	–	–
दमण और दीव	0.02	0.07	0.03	–	–	–
दिल्ली	1.11	0.83	1.35	0.67	0.57	–
लक्षद्वीप	0.01	–	–	0.01	0.07	–
पांडिचेरी	0.09	0.04	0.09	0.11	–	–

* सभा पटल पर भी रखा गया।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य सभा–पटल पर रखा है, उसमें केवल कुछ ही मुद्दों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने अन्य मुद्दों का उल्लेख नहीं किया है।

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, मुझे केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यहां केवल एक नाम है। श्री जनार्दन रेड्डी के नाम के अतिरिक्त यहां अन्य कोई नाम नहीं है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : सभी भर्ती होने वालों को अंग्रेजी तथा हिन्दी में काम करने की सम्यक जानकारी होना आवश्यक है। केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों में सिपाहियों की भर्ती के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में लिखित–परीक्षा ली जाती है। इसलिए आप राज्यों को आबंटित कोटे को पूरा नहीं कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पाण्डियन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि नोटिस में केवल एक नाम दिया गया है। इसमे कोई दूसरा नाम नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का अनुपालन करना होता है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : जिस भर्ती हुए सिपाही ने दसवीं की कक्षा उतीर्ण की हो विशेष रूप से गैर हिन्दी भाषी राज्यों से आया हुआ व्यक्ति अंग्रेजी अथवा हिन्दी नहीं लिख सकता है। अतः, इसमें बाधा है। इसीलिए स्थायी समिति ने हाल ही में एक संकल्प पारित किया है जिसके बारे में गृह मंत्री अच्छी तरह जानते हैं। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों में सिपाहियों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में परीक्षा देने का विकल्प दिया जाना चाहिए। इसके साथ–साथ उन्हें परिवीक्षा अवधि के भीतर व्यावहारिक ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। सेवा आयोग से भी एक पत्र प्राप्त हुआ है। जो उम्मीदवार अखिल भारतीय स्तर पर सिविल सेवा परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें सभी परीक्षा–पत्र न केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी में बल्कि किसी भी अन्य प्रोदेशिक भाषा में लिखने की अनुमति दी गई है। जब उन्हें किसी भी भाषा में लिखने की अनुमति दी गई है तो एक सिपाही, जो केवल दसवीं कक्षा तक पढ़ा होता है, पर केवल अंग्रेजी तथा हिन्दी में लिखने के लिए जोर नहीं डाला जा सकता है। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा सभी अहिन्दी भाषी राज्यों में कम नियुक्ति हुई है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों ने एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें सिपाहियों की कुल संख्या 69,000 हैं। इसमें से तमिलनाडु में 473 तथा आंध्र प्रदेश में 372 हैं।

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा) : कर्नाटक के बारे में स्थिति क्या है?

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : कर्नाटक की भी स्थिति समान है। अतः आपने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है कि आप इस असंतुलन को ठीक करने वाले है। मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस मामले की जांच करें तथा स्थानीय भाषाओं में आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से उनकी बहाली का आदेश दें तथा उन राज्यों को उचित महत्व दिया जाए जो अन्य राज्यों की तुलना में कम संतुलित हैं। मैं इस संबंध में उचित निर्देश देने के लिए मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैंने इस वाद–विवाद में भाग नहीं लिया।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम की अवहेलना नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं तो आप अलग से सूचना दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. एच. पांडियन : तमिलनाडु में केवल एक ही चयन केन्द्र है। एक से ज्यादा चयन केन्द्र होने चाहिए ताकि नवयुवक आ सकें और भाग ले सकें...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : श्री जनार्दन रेड्डी ने जो कुछ कहा हैं मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक सशस्त्र बलों तथा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के बारे में ससंद सदस्यों की इच्छा का संबंध है, इनमें सभी राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह बहुत ही वैध और उचित मांग है। वस्तुतः जहां तक सशस्त्र बलों का संबंध है, कुछ क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि कभी किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा होता था। लेकिन बाद में सरकार के सभी राज्यों को शामिल करने के सजग प्रयास के बाद उन राज्यों ने स्वयं अपना प्रतिनिधित्व कम कर लिया था। वे कहते रहे हैं कि "सशस्त्र बलों की नियुक्ति केवल गुण, अर्हता के आधार पर क्यों न हो, आप सभी क्षेत्रों से

उन्हें नियुक्त करने की कोशिश क्यों कर रहें हैं। लेकिन मैं, समझता हूं कि सरकार ने सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के प्रयास की दिशा में उचित कदम उठाया था।

यही प्रयास हमारे केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में भी लागू है। यह मामला गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति में उठाया गया है तथा इस पर विस्तृत चर्चा हुई। उसके बाद ही भारत के संबंध में यह विशेष सिफारिश की गई है। इसका आकलन किए जाने की जरूरत है। कि क्या यही समस्या का कारण है क्योंकि मैं पाता हूं कि जहां तक केरल का संबंध है उसका प्रति-निधित्व उसके प्रतिशत से ज्यादा है। .....*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरा करने दीजिए। जहां तक महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों का संबंध है, उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। यह बहुत कम है। यह केरल से भी बहुत कम है। यह पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से भी बहुत कम है। अतः यह विशेष कारक अथवा अन्य कारक जिनकी चर्चा मैंने पहले ही की है, किस हद तक जिम्मेदार है, यह आकलन का विषय है। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है स्थायी समिति ने एक औपचारिक सिफारिश की है। इसने कहा है:–

> "इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि सी. पी. एम. एफ. की बहाली के लिए परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को संविधान आठवीं अनुसूची में दी गई 18 भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा देने का विकल्प होना चाहिए। इसके साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने का प्रावधान होना चाहिए कि नवनियुक्त उम्मीदवार अपनी परिवीक्षा के दौरान कार्यकारी हिन्दी की जानकारी हासिल करें।"

अतः मैं सभा को आश्वासन देना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय इस सिफारिश की जानकारी हासिल कर रहा है। हम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ विचार-विमर्श कर इसकी जांच कर रहे हैं। क्योंकि यह निर्धारित करना मूलतः उनका काम है कि कौन-सी योजना लागू की जानी चाहिए। लेकिन हमारा प्रयास यह देखना है कि नियुक्ति सभी राज्यों में हो तथा जहां प्रतिनिधित्व कम है वहां के लिए अगली बार, अगले वर्ष कोटा बढ़ा दिया जाए। यह एक उचित कदम होगा। मैं समझ सकता हूं कि यह विशेष ध्यानाकर्षण क्यों उठाया गया है। मेरा प्रयास यह देखना है कि अर्धसैनिक बलों में देश के किसी भी हिस्से का प्रतिनिधित्व भाषा अवरोध के कारण कम न हो। यह मेरा ईमानदारी पूर्वक प्रयास होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : चयन केन्द्र के बारे में क्या है? तमिलनाडु राज्य में केवल एक चयन केन्द्र है। ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, ध्यानाकर्षण के बारे में श्री जनार्दन रेड्डी कुछ और स्पष्टीकरण चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : इस विषय पर स्थायी समिति में चर्चा हुई थी। इसकी जांच के बाद कि ऐसा क्यों हो रहा है, समिति ने अपनी सिफारिश दी थी। केरल में 80 प्रतिशत उम्मीदवार स्नातक हैं। आंध्र प्रदेश में भी उनमें से अधिकांश स्नातक हैं। जो नियुक्ति के पात्र हैं। अतः यदि आप अखिल भारतीय सेवा की परीक्षाएं क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कर रहे हैं तो कृपया इस मांग पर भी आप विचार कीजिए। आप ने हमें आश्वासन भी दिया था। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं इस संबंध में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम इसकी जांच कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : "शून्य काल" शुरू करने से पहले दो विशेषाधिकार सूचनाओं पर विचार करना है।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा है। आपको व्यवस्था देनी है। मैंने 29 नवम्बर को भाषण दिया था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैंने 29 नवम्बर को एक भाषण किया था। एन. वी. प्लांटेशन कम्पनी के मालिक ने जिस प्रकार वक्तव्य दिया, प्रेस कांफ्रेंस की और हाउस की प्रोसिडिंग्स के ऊपर जिस प्रकार के रिमार्क दिए, मैंने उसके संबंध में अपने भाषण में उल्लेख किया। आप उसके ऊपर रूलिंग दें।

अपराह्न 12.29 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

विशेषाधिकार का प्रश्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री किरीट सोमैया की विशेषाधिकार सूचना के संबंध में मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री किरीट सोमैया, संसद सदस्य ने 8 दिसम्बर, 1999 को श्री सन्दीप महेश्वरी, कार्यकारी निदेशक, एन बी प्लांटेशन के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी थी जिसमें आरोप लगाया

था कि श्री महेश्वरी ने लोक सभा में दिए गए एक साक्षात्कार में उनके ऊपर आक्षेप लगाया था। सभा में एन बी प्लांटेशन के विरुद्ध दिए गए अपने भाषण को श्री सोमैया द्वारा यह कहना कि 'यह व्यावसायिक दुश्मनी के कारण है तथा हास्यापद है'। श्री महेश्वरी ने उनपर लांछन लगाया है तथा इस प्रकार उन्होंने विशेषाधिकार हनन तथा सभा की अवमानना की है।

श्री सन्दीप महेश्वरी से इस संबंध में बयान देने को कहा गया था तथा इस संबंध में उन्हें जो कुछ कहना था, उन्होंने श्री किरीट सोमैया, संसद सदस्य से एक लिखित अयोग्य क्षमा याचना की थी।

श्री महेश्वरी द्वारा दी गई लिखित क्षमा याचना को देखते हुए मैंने मामले को समाप्त करने का फैसला किया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक और विशेषाधिकार हनन सूचना श्री विजय गोयल द्वारा दी गई है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल, चेयरमैन एन. डी. एम. सी. के विरुद्ध दी गई आप की विशेषाधिकार हनन सूचना मेरे विचाराधीन है। कृपया समझिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 'शून्य काल' की कार्यवाही शुरू करेगी।

श्री दासमुंशी

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्मम) : मेरी विशेषाधिकार सूचना का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि आपकी विशेषाधिकार सूचना भी मेरे पास विचाराधीन है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं कैसे बोल सकता हूं?...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.31 बजे

(इस समय श्री ब्रह्मानंद मंडल तथा कुछ अन्य सदस्य सभापटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री दासमुंशी को बोलने के लिए कहा है। क्या आपने कोई सूचना दी है। कृपया अपनी सीट पर जाइए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. संजय पासवान (नवादा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में 16 दलितों की हत्या हुई है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद आपको मौका मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं होगा।...

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद आपको मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

मैंने श्री दासमुंशी को मौका दिया है। उनके बाद आपको मौका मिलेगा। कृपया समझिए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.32 बजे

(इस समय श्री ब्रह्मानंद मंडल तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही उन्हें बोलने के लिए कह दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनके बाद आपको बुलाऊंगा। कृपया समझिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.35 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 15 पर विचार करेगी।

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य, वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं विधेयक को *पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.06 बजे

राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987, में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

देश में आवास वित्त संस्थाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के अंतर्गत जुलाई, 1988 में एक मुख्य एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी। इसे आवास वित्त कंपनियों (एच. एफ. सी.) को विनियमित करने और उनकी निगरानी करने का काम उसी प्रकार सौंपा गया जिस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एन. बी. एफ. सी.) को विनियमित करती है और उनकी निगरानी करता है। आवास वित्त कंपनियों गैर बैंकिंग वित्त कम्पनियों का ही छोटा हिस्सा है। प्रस्तावित प्रावधानों से राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास वित्त कंपनियों के अच्छे और उनका सर्वांगीण विकास करने में सहायता मिलेगी तथा जमाकर्ताओं के हितों की भी सुरक्षा की जा सकेगी।

राष्ट्रीय आवास बैंक को देश में आवास बंधक कार्य करने के लिए एक गौण बंधक बाजार का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आवास वित्तीय संस्थानों द्वारा यह मांग बहुत लंबे समय से की जा रही है कि ऋण चुकाने वाले कर्जदाताओं से शीघ्र कर्ज वसूली के तरीके अपनाये जायें। आवास वित्त संस्थाओं ने यह प्रस्ताव किया है कि ऋण वसूली के तरीके को सरल, शीघ्र और कम लागत का बनाने के लिए वसूली अधिकारियों द्वारा इन संस्थानों में प्रतिभूति के तौर पर जमा की गई संपत्ति को बेचने का प्रावधान किया जाये। इस विधेयक में वसूली अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने के लिए अपीलीय ट्रिब्युनल की स्थापना का भी प्रावधान है।

राष्ट्रीय आवास बैंक के पूंजीगत तथा शेयरधारकों के आधार को व्यापक बनाने को भी आवश्यक समझा जा रहा है। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय आवास बैंक की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है, और इसे 2000 करोड़ रुपये तक और बढ़ाने के लिए सामर्थ्यकारी प्रबंधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है। यह भी प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा, अन्य संस्थानों को शेयर धारिता की पेशकश इस तरह करें कि भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों या अन्य संस्थानों के स्वामित्वाधीन-अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों का राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी पूंजी के कुल योग में किसी भी समय

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

51 प्रतिशत से कम शेयर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक मंडल के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव किया गया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना से इसके संचालन के परिप्रेक्ष्य में जो भी अनुभव प्राप्त हुआ है, उनसे यह आवश्यक समझा गया कि राष्ट्रीय आवास बैंक के निर्विरोध संचालन के लिए इस अधिनियम में कुछ संशोधन लाए जाएं तथा इसे कुछ अतिरिक्त कार्य जैसे कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के वित्त पोषण और आवासीय कस्बों और एवं आवास विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिम राशि देने, ऋणों की प्रतिभूति, म्यूचल फंड को स्थापित करने और आवास संबंधी बंधक बीमा कार्य संबंधी अधिकार दिए जाएं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य सभा द्वारा यथापारित इस विधेयक पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

"कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987; में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मंत्री जी जो बिल लाये हैं, वह बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण बिल है। इसका उद्देश्य बैंक बनाना है और तुरंत बैंक बनाना ही सबका उद्देश्य है। लेकिन इस बिल में कोई स्टेटमैंट ऑफ आब्जैक्ट्स एंड रीजन मेमोरैंडम नहीं है। आप रूल 64 के तहत देखिये कि किसी भी बिल में पब्लिकेशन से पहले स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एंड रीजन मेमोरैंडम होना चाहिए, लेकिन इस बिल में नहीं हैं। रूल 64 के तहत आप तभी अनुमति दे सकते हैं।

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)* यह एक ही संशोधन नहीं है अन्य कई संशोधन भी हैं; जिसमें प्रदत्त पूंजी के 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रूपये करना भी शामिल हैं....*(व्यवधान)*

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : इसे राज्य सभा ने पारित कर दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : तो क्या हुआ? राज्य सभा द्वारा पारित कर दिए जाने का यह अर्थ नहीं है कि लोक सभा अपनी आंखें बंद कर लें। हम, अपने परिधि में, यह कार्य कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं केवल निवेदन कर रहा हूं। मैं कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। यह महत्वपूर्ण विधेयक है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण और बड़े विधेयक को प्रवर समिति द्वारा पुनः परीक्षण के पश्चात् ही सरकार पारित करा सकती है। यह छोटा-मोटा कार्य नहीं अपितु एक बैंक की स्थापना का प्रश्न है। हम बैंक की स्थापना के लिए विधान को पारित करने वाले हैं। क्या हमें इस विधेयक पर केवल आधे घंटे की चर्चा करके इसे पारित कर देना चाहिए? यही मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में, हमने पहले ही यह निर्णय लिया है कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं इस पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। महोदय, इसके साथ उद्देश्य तथा कारण बताने वाला विवरण नहीं है।

[हिन्दी]

इसमें कोई ऑब्जैक्ट नहीं है, मैमोरेंडम नहीं है, कुछ नहीं है। इतने सारे अमैंडमेंट हुए।....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : यह पहले ही तय हो गया था कि बिना बहस के पास करेंगे। ये फैसला नहीं करते हैं, यही मुश्किल है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : आप कौन से बिल की बात कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप वाले बिल की बात कर रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : वह अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और मंडे को आयेगा।....*(व्यवधान)* आप सैलरी बिल की बात कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : उस पर भी मेरा समर्थन आज से ही है।

श्री प्रमोद महाजन : कानूनों के हिसाब से वह मंडे को आयेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, नियम 64 में लिखा है:

"अध्यक्ष महोदय, उन्हें निवेदन किए जाने पर, किसी भी विधेयक के प्रकाशन का आदेश दे सकते हैं"....*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं आपसे विनिर्णय चाहता हूं क्योंकि इस का संबंध नियम से है। मंत्री महोदय इस पर कैसे उत्तर दे सकते हैं?.....*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मुझे तथ्यात्मक गलती को सुधारने का अवसर दिया जाए....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने नियमों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया है...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मैं केवल तथ्यात्मक चूक को सुधारने का प्रयत्न कर रहा हूं।....*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय के निर्णय लेने के पूर्व प्रत्येक सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। उद्देश्य तथा कारण संबंधी विवरण भी है...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, उद्देश्य और कारण संबंधी विवरण विधेयक के साथ जुड़ा हुआ है। टिप्पण और खण्ड भी है। वित्तीय ज्ञापन भी है। प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन भी है। हमारे द्वारा परिचालित विधेयक में यह सब शामिल है। इसलिए, महोदय, यह कोई कारण नहीं हो सकता।

हम किसी नए बैंक की स्थापना नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने परिचायक टिप्पणियों में कहा था कि बैंक की स्थापना 1987 में ही की जा चुकी है और वह तब से कार्य कर रहा है। हम कालान्तर पर केवल इसके कार्य को विधेयक लाकर सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। 1987 में इसी प्रकार के संशोधन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में भी किए गए थे ताकि गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर नियंत्रण किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हमारा व्यवस्था का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : इस बिल के बारे में है?

श्री मुलायम सिंह यादव : जी नहीं। बिल के बारे में तो इन्होंने सोमवार के लिए कह दिया है। सोमवार को मैं रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल होने के बाद बोलिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरा एक से व्यवस्था का सवाल है कि देश की जनसंख्या कल 100 करोड़ हो गई और एक बच्चे को सफदरजंग अस्पताल में 100 करोड़वां बच्चा मान लिया। प्रधानमंत्री जी ने सदन के बाहर तो घोषणा की पर प्रधान मंत्री जी को उसकी घोषणा सदन के अंदर करनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण मामला है। यह मामला राजनैतिक नहीं है, सत्ता और विपक्ष का सवाल नहीं है। हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही है, जमीन सिकुड़ती जा रही है। संसाधन और सिकुड रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिजूल खर्च हो रहा है। ....*(व्यवधान)* सदन चल रहा था, घोषणा सदन के अंदर करनी चाहिए थी। इसमें किसी की दो राय नहीं है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। ये कहेंगे कि एक बच्चा पैदा हुआ है। हमें उस बच्चे के पैदा होने की खुशी है। उस परिवार के लिए शुभकामनायें हैं। लेकिन इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं कि बच्चा पैदा हुआ हुआ तो सब उसे गोद में लिए घूम रहे हैं। इसके मायने और बच्चे पैदा कीजिए और जनसंख्या नियंत्रण मत कीजिए। उस गांव की महिला जिसे कोई सूचना नहीं है, जिसने किसी ऐसे गांव में बच्चे को जन्म लिया होगा जहां सड़क, पानी, बिजली, सफाई या डाक्टर नहीं है, क्या उस महिला के बच्चे को किसी ने उठाया? सरकार ने इसी बच्चे को 100 करोडवां कैसे मान लिया *(व्यवधान)* यह मामूली सवाल नहीं है। यह गंभीर सवाल है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कल, माननीय प्रधान मंत्री को सभा में वक्तव्य देना था परंतु सदस्यों ने उन्हें देने नहीं दिया।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप नई राजधानी कहां बनायेंगें। आप सूबों का बंटवारा करेंगे, राजधानी, सचिवालय, गवर्नर हाउस, असेम्बली बनायेंगे और पूरी जमीन कम करेंगे। जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह जीरो ऑवर नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह व्यवस्था का सवाल है। यह

[श्री मुलायम सिंह यादव]
गलत है। मैं चाहता हूं कि सदन के अंदर घोषणा करनी चाहिए। यह बाहर बात करने की परम्परा मत डालिये। आज यह चिन्ता का विषय है। बड़ी चिन्ता होगी जब हम पानी, बिजली, मकान, रोटी नहीं दे पाएंगे। देश की यह हालत होने वाली है, इसलिए इस सवाल की यहां घोषणा करनी चाहिए थी, बाहर इसकी घोषणा करनी अनुचित है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मुलायम सिंह जी जो बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, उससे सब सहमत हैं। प्रधान मंत्री जी ने देश की आबादी सौ करोड़ हो गई, ऐसी कोई घोषणा नहीं की। 100 करोड़ आबादी होना किसी की घोषणा का मोहताज नहीं है, इसमें सरकार को घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं मुलायम सिंह जी से इस बात से सहमत भी हूं कि जिस बच्चे को 100 करोड़वां बच्चा माना जा रहा है, वह किसने तय किया है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक मिनट में 50 के करीब बच्चे पैदा होते हैं। अपनी जो क्लॉक चली थी, उसमें 12.56 बजे कौन सा बच्चा था, पता नहीं है। वह गांव में भी कहीं हो सकता है, सुदूर किसी प्रांत में हो सकता है, अब मीडिया को कोई न कोई कार्यक्रम लगता है, करना था, इसलिए उन्होंने दिल्ली में जाकर के होस्पिटल में बच्चे को कहा कि यह 100 करोड़वां बच्चा है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। ...*(व्यवधान)* जहां तक स्टेटमेंट का सवाल है।

श्री मुलायम सिंह यादव : इस बच्चे को सरकार की मंत्री ही गोद में लिए हुए थी और बच्चे के परिवार को पुरस्कार भी दिया गया।

श्री प्रमोद महाजन : हो सकता है कि किसी बच्चे को मंत्री जी ने गोद में लिया हो। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं कहता हूं कि झगड़ा खत्म करो। मुलायम सिंह जी खुद गांव के बच्चे को गोद में लें।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हम गांव के गरीब बच्चा गोद में लेंगे, जिसको कोई नहीं उठाता। शहर के सम्पन्न परिवार के बच्चे को लेने वाले तो बहुत हैं, हम तो उस बच्चे को लेंगे, जो गंदा है, मैला है, हम उस बच्चे को गोद में लेंगे। उसको हम अपने हाथ में लेंगे।....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मेरी प्रार्थना है कि नेशनल हाउसिंग बैंक के बिल पर बहस शुरू करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री दास मुंशी की आपत्ति के बारे में यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है ऐसे विधेयक में पुरःस्थापना के स्तर पर ही उद्देश्यों और कारणों का कथन जोड़ा जाता है। प्रतियां माननीय सदस्यों को भी परिचालित की जाती है।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं इस सभा में माननीय वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए इस विधान का स्वागत करता हूं। इस देश में अथवा कहीं के भी हर नागरिक का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के लोगों के लिए रोटी कपडा और मकान ये तीन महत्वपूर्ण मुद्दे थे। वृहद आवास कार्यक्रम समय की मांग है। गांवों से शहरों में आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हम देखते हैं कि महानगरों और अन्य क्षेत्रों में झुग्गी झोंपड़ी बढ़ती चली जा रही हैं। अभी कुछ देर पहले श्री मुलायम सिंह यादव ठीक ही कह रहे थे कि हमारी जनसंख्या ने एक बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : यह गम्भीर मुद्दा क्यों है.....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : जनसंख्या बढ़ रही है और इसके साथ-साथ आवास की समस्या भी बढ़ रही है इस विधेयक को लाकर उस अधिनियम को संशोधित किया जाएगा। जो 1987 में पारित किया गया था।

अपराह्न 2.19 बजे

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई)*

वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम के अंतर्गत की गई। यह आवासीय वित्तीय संस्थाओं को वित्त प्रदान करने और आम लोगों को पुनर्वित्त प्रदान करने वाली एक मुख्य एजेंसी है। यह संगठन आवास वित्त कम्पनियों को विनियमित करने और उनका पर्यवेक्षण करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। इस विधेयक से हम आवास वित्तीय संस्थाओं की गतिविधियों को दुरुस्त करने में समर्थ होंगे। निसंन्देह इससे संस्था के कार्यों में तेजी लाने में सहायता मिलेगी और देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अधिक से अधिक मकान बनाए जा सकेंगे।

आवास वित्तीय कम्पनियों में स्वास्थ्य और सार्वभौमिक विकास को बढ़ावा देने वाले यह प्रस्तावित प्रावधान हमारे गरीब लोगों का जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहे हैं, अवश्य सहायता करेगा।

इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण विशेषता जिसे मैं समझता हूं वह यह है कि इससे ऋणों की वसूली में तेजी आएगी, भुगतानों जो अतिदेय है की वसूली में तेजी इस विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। इस संशोधन के द्वारा बैंक अपने ऋणों की वसूली आसानी से कर पाएगा और जिस अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना किए जाने का प्रावधान है उससे भी ऋणों की वसूली में मदद मिलेगी। क्योंकि यदि वसूली करने वाले अधिकारियों के निर्णय के संबंध में कोई शिकायत है तो वे अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए इस अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और लोगों के लिए यह सहायक भी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे इस विधेयक में बताया गया है कि वह ऋणों की वसूली में तेजी के संबंध में हैं। पूर्व में ऋणों की वसूली के बारे में कई मामले थे। वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के भी सम्मुख यही मुख्य समस्या थी। इस अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना किये जाने से लोगों को लाभ होगा। इसके साथ ही बैंक आसानी और शीघ्र धन प्राप्त करने में समर्थ होंगे।

यह संशोधन बदले हुए वातावरण के कारण लाया गया है और अग्रिम राशि शहरों को दी गई थी। यह आवास अथवा बीमा कारोबार का भी बंधक (रेहन) करने में सहायता मिलेगी।

अन्य विशेषता प्राधिकृत पंजी है जिसे 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया गया है इसके साथ ही केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अधिसूचना जारी करके इसे 2,000 करोड़ रुपए तक कर सकती है। यह सहायक होगा क्योंकि वे ऋण दे रही हैं और वसूली की अवधि भी लम्बी होगी। ऋणों की दीर्घ अवधि भी बैंकों के समक्ष हमेशा बाधा उत्पन्न करती थी। इस संशोधन द्वारा इस समस्या का हल होगा। बंधक सुविधा बैंकों के कार्यकरण में सही वातावरण सृजित कर रही है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से इक्विटी के संबंध में जानना चाहता हूं। यहां कहा गया है कि यह 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। सरकार का हिस्सा केवल 49% होगा। अतः वास्तव में इसमें सरकार का हिस्सा 51 प्रतिशत होना चाहिए ताकि संसद और सरकार का इस पर पूरा नियंत्रण बना रहे। लेकिन यह देखा गया है कि यह मात्र 49 प्रतिशत ही दिया जाएगा। यह ज्वलंत मुद्दा है और मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इक्विटी के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। यही एक बात है जिससे भविष्य में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस मामले में इसे 49 प्रतिशत क्यों रखा गया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। यह विधान हमारे देश में लोगों को निःसन्देह लाभ पहुंचाएगा। यह नया वातावरण प्रदान करेगा और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिक से अधिक आवासों का निर्माण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मदद करेगा। सरकार को पूरे देश के लिए व्यापक आवास योजना तैयार करनी चाहिए।

महोदया, जैसाकि मैंने पहले ही बताया है कि राष्ट्र के सम्मुख यह ज्वलन्त मुद्दा है इसलिए आवास को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए इस संशोधन से मैं समझता हूं कि सरकार व्यापक आवास कार्यक्रम आरम्भ कर सकेगी।

सभापति महोदय : अब डॉ. नीतिश सेनगुप्ता बोलेंगे। आपका नियत समय 10 मिनट है।

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मैं 10 से भी कम समय लूंगा चूंकि मेरे पास आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं है।

महोदया, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे याद है कि जब 1987 में इसकी स्थापना की गई थी वह काम आधे अधूरे मन से किया गया था। यह भारतीय रिजर्व बैंक के एक अंश के रूप में रखा गया था जिसमें केवल एक निदेशक था। वहां पर्याप्त निरीक्षण एवं नियंत्रण नहीं था। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आवास बैंक को एक बड़े घोटाले में घसीटा गया। विद्यमान विधेयक ने इसमें निरीक्षण एवं नियंत्रण पुरः स्थापित करने हेतु काफी कुछ किया है ताकि यह सही प्रकार से आवास वित्त के ढांचे के पिरामिड रूप से शीर्ष निकाय के रूप में कार्य कर सके।

महोदया, मैं एक दो टिप्पणियां करना चाहता हूं पहली यह कि राष्ट्रीय आवास बैंक की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी 350 करोड़ रुपए की होगी। मेरे विचार है कि यह बिल्कुल अपर्याप्त और थोड़ी है इस बैंक से जिस प्रकार के कार्यों की अपेक्षा की गई है मैं समझता हूं कि उसके लिए इस प्रावधान को हटा देना चाहिए और इस पूंजी को 2,000 करोड़ रुपए निर्धारित कर देना चाहिए।

आवास कार्यों के लिए जहां हजारों करोड़ों रुपयों की आवश्यकता पड़ती है और आवास वित्त निकायों जिसकी इस बैंक को सेवा करनी है मैं समझता हूं कि इसमें कुछ के पास

[डॉ. नीतिश सेनगुप्ता]

बहुत अधिक शेयर पूंजी होनी चाहिए। अतः इस पर और शोरगुल किये बिना मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय आवास बैंक की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी 2000 करोड़ से कम नहीं होने चाहिए अथवा इसे बढाकर इतना किया जाना चाहिए। इस अनिश्चितता को हटाया जाना चाहिए क्योंकि बहुत शीघ्र ही इसके काम करने के दौरान मुझे पूरा विश्वास है कि इस 350 करोड़ रुपए को अपर्याप्त पाया जाएगा तब पुनः सरकार को सभा में इस अधि ानियम में संशोधन लेकर आने पड़ेंगे।

महोदया, मैं समझता हूं कि श्री दासमुंशी पूरी स्थिति को अच्छी तरह से नहीं समझे हैं उन्होंने सोचा कि यह नया विधेयक है। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि राष्ट्रीय आवास बैंक विधेयक 1987 से विद्यमान है जब पहली बार इस विधेयक को पुरः स्थापित किया गया था। अतः इसे नए विधेयक के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि इसे बिल्कुल अलग विधेयक माना जाना चाहिए।

मैं अन्य सुझाव देना चाहता हूं। सरकार के लिए इसकी अंशधारिता 49 प्रतिशत रखना क्यों जरूरी हुआ? सरकार इसमें क्या अन्तर्ग्रस्त है? मैं समझता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक को इस मामले में आगे आना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मात्र टोकन के अलावा सरकार की अंश धारिता में सीधी अंतर्ग्रस्तता न हो टोकन 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और उस प्रकार सार्वजनिक धनराशि का जिसकी अन्य निकाय को आवश्यकता है अधिक आवश्यक क्षेत्रों को आवश्यकता है मैं समझता हूं कि उसे बचाया जाए और अनावश्यक धनराशि के उपयोग से भी बचाया जाए।

महोदया, मैंने कई निरीक्षण और नियंत्रण देखे हैं जिन्हें उपयोग करने ऋणों आदि की वसूली करने जैसा कि सार्वजनिक ऋण वसूली अधिनियम के अंतर्गत यह भूमि राजस्व है, जैसे कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। यह बहुत अच्छा है। अपीलीय ट्रिब्यूनल का प्रावधान बहुत अच्छा है। मैं आशा करता हूं कि इस निरीक्षण और नियंत्रण से राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसी भूमिका करने की स्थिति में होगा जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इससे अधिक कुछ महत्वपूर्ण नहीं है कि आवास क्षेत्र अच्छी तरह से कार्य करे। अतः आवास क्षेत्र में धन लगाया जाए मैं समझता हूं कि इसमें पर्याप्त अवसर है और देश विकास करेगा।

मेरा अन्य सुझाव यह है कि राष्ट्रीय आवास बैंक को मात्र आवास वित्त निकायों को वित्त प्रदान करने वाले निकाय के रूप में नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि यह बैंक बड़ी आवास कम्पनियों अथवा सहकारिताओं या बडी नगरपालिकाओं तथा निगमों को सीधा ऋण प्रदान कर सके। मैं समझता हूं कि उन्हें मात्र आवास वित्त संस्थाओं की मार्फत ही कार्य नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ प्रावधान होने चाहिए ताकि राष्ट्रीय आवास बैंक बड़े पैमाने पर आवासीय कार्यकलापों के लिए सीधा धन दे सकें।

इन संशोधनों के साथ मैं आशा करता हूं कि 1991—92 में हुए घोटाले, जो पूरे देश में छाए रहे थे जहां आवास बैंक ने, मुझे याद है, ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी की पुनरावृत्ति न हो।

वास्तव में, हर्षद मेहता को वह प्रसिद्ध चैक ग्रीनडले बैंक द्वारा आवास बैंक के माध्यम से जारी किया गया था जबकि, उस समय आवास बैंक के पास उस धन के भुगतान के लिए कोष नहीं था। उस समय यह अफवाह थी कि तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने किसी के निर्देश के तहत कार्य किया तथा निर्देश के स्रोत का पता नहीं चल सका। इन्हीं वजहों से बेचारे मनोहर शेरवानी जो कि ईमानदार एवं परिश्रमी बैंकर थे, अपना जीवन खो दिया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब जांच एवं संतुलन के सुझाये गये नये तरीके से मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

मैं इस राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं। महोदया, आप को बहुत—बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री वी. राधाकृष्णन आप का नाम अभी नहीं भेजा गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : अब, मैं भेज रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं अगली पंक्ति में बैठे सदस्यों की सांकेतिक भाषा का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री वरकला राधाकृष्णन : सभापति महोदया, सामान्य तौर पर मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं कर सकता। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने लंबे विधेयक पर विचार—विमर्श के लिए मात्र एक या डेढ़ घंटे का समय दिया गया है। यह एक प्रतिष्ठित सदन है। हम लोग कानून बनाने के लिए चुन कर आते हैं लेकिन हमें कानून न बनाने के लिए कहा जाता है। लोक सभा राज्य सभा का विकल्प नहीं है। विधान बनाने एवं कुछ दूसरे मामलों में यह सदन सर्वोच्च है। भले राज्य सभा सहमत न हो, इस सदन का फैसला अंतिम होता है। लेकिन सरकार सोचती है कि वह किसी भी मामले को राज्य सभा द्वारा

पास कर दिये जाने पर इस सदन में कि हम लोगों को विचार–विमर्श के लिए समय दिये बिना पास करवा सकती है। "राज्य सभा द्वारा पुनरःस्थापित एवं पास किए गये" शीर्षक को रखने की अनिवार्यता हम लोगों को चुनौती देने के लिए है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार सदैव विधेयक इसी तरह लाती है ताकि सदस्यों को समय न मिले, वे बहस न कर सकें, वे संशोधन का कोई सुझाव न दे सकें। वर्तमान में यह एक निरंतर प्रक्रिया बन गई है। मैं सरकार से पूछता हूं कि उसे यह शक्ति किसने दी है? वह इस तरह के निष्कर्ष पर कैसे पहुंची है? संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि सहमति न होने पर हम अंतिम फैसला करें। सरकार चाहती है कि यह विधेयक एक या दो घंटे में पास हो जाये भले ही औपचारिकता पूरी न हों तथा कार्य मंत्रणा समिति में भी इस पर विचार–विमर्श न हो।

यह अत्यंत लम्बा संशोधन है। यह कमोबेश मूल संविधि की तरह है। अगर हम इसे पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ने के लिए कम से कम एक घंटा लगेगा। उन्हें हमें इतनी परेशानी में नहीं डालना चाहिए। हम पहले से ही परेशान हैं। विधेयक पर विचार के दौरान जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है एक बार जब विधेयक पर चर्चा शुरू की जाए जाए तो उस समय दूसरे किसी मामले पर विचार नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन यहां, सब कुछ चल रहा है।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया संशोधन के विषय में कहें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : नहीं महोदया, मुझे यह सब कुछ कहना है, यहां सब कुछ कहा जाता है। कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन विधेयन इस सदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जब किसी मामले पर विचार चल रहा है। तो किसी दूसरे मामले को नहीं उठाना चाहिये। लेकिन हम इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। यह कहते हुये मुझे अफसोस हो रहा है। यह विधेयक तीन वर्ष का प्रावधान करने के लिए लाया गया है।

यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। उनकी मुख्य चिन्ता वसूली की है अतः इस संशोधन में वसूली की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आप को वसूली की बहुत ज्यादा चिंता है। लेकिन ऋण के वितरण से आपको कुछ लेना–देना नहीं है। क्या आपने बैंक का विवरण पढ़ा है? गरीब लोग ऋण नहीं ले पा रहे हैं। गरीब लोग बहुत सारी तकनीकी परेशानियों में उलझा दिये जायेंगे। वे उनसे उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र, सम्पत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य दूसरे प्रमाण पत्रों की मांग करेंगे। वित्तीय संस्थानों द्वारा उनसे यह कहा जायेगा कि वे ये सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। उन्हें इतनी परेशानियों से गुजरना होगा। आप को मालूम होना चाहिये कि एक व्यक्ति की पूरे जीवन यह महत्वाकांक्षा है कि उसका अपना घर हो। यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की महत्वकांक्षा होती है और यह अत्यंत स्वाभाविक रहती भी है। यह अनिवार्य है कि हम इस विधेयक के सभी पहलुओं का अत्यंत बारीकी से अवलोकन करें। लेकिन, दुर्भाग्य से हमें समय नहीं मिला इस विधेयक की तकनीकियों को जानने के लिए हमें पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है।

आपने एक सरकारी रिसीवर की नियुक्ति की है। दूसरी समस्या यह है कि किसी अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी। इसमें अपील करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जब आप यह कहते हैं कि अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन वह न्यायालय की शारण में जा सकता है, तो आप उसे छूट नहीं दे रहे हैं। यह छूट का मामला नहीं है कि आप उसे दे रहे हैं। यह वह मूल अधिकार है जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। आप के बगल में बैठे हुये माननीय मंत्री महोदय, श्री राम जेठमलानी इससे अवगत हैं। क्या यह आप द्वारा नागरिकों की दी गई छूट है जो कि आप इस मामले को धारा 226 और 227 के अधीन उन्हें न्यायालय में ले जाने को कह रहे हैं? वास्तव में यह दी गई छूट नहीं है। आपने कहा है कि अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन वह अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध मामले को उठा सकते हैं। अपील का अधिकार देने में क्या परेशानी है? जब नागरिक अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से संतुष्ट नहीं है। तो उसे अपील दायर करनी चाहिए। क्या अपीलीय न्यायाधिकरण एक उच्च सत्ता है? अपीलीय प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी जिला जज के स्तर का होता है। जो व्यक्ति जिला जज नियुक्त होने की योग्यता रखता है उसे पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। यही उसकी योग्यता है तो अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय की क्या विधिक औचित्यता या कठिनाई है? नागरिकों को इसके आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? आप क्यों कहते हैं कि वह अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है? क्या यह पर्याप्त है?

दूसरे, आप यह क्यों नहीं सोचते हैं ऋण की प्रक्रिया और आसान हो ताकि इसका लाभ आसानी से गरीब जनता तक पहुंच सके? समस्या की जड़ यही है। आप वसूली के बारे में सोचते हैं। यह पूर्णतः ठीक है। किन कारणों से ऋण नहीं दिए जा रहे हैं? ऋण की वसूली के लिए एक लम्बा समय दिया जाता है। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन आप यह क्यों नहीं सोचते हैं आसान तरीके से ऋण का वितरण हो। मान लो कोई गरीब व्यक्ति आवास ऋण के लिए औवदन करता है। तो वह इसे तीन या चार किस्तों में प्राप्त करेगा और वह भी एक या दो वर्ष की प्रतीक्षा के बाद। आपको मालूम है कि आवास का निर्माण, अत्यंत महंगा कार्य है। एक दिन या एक माह बाद निर्माण सामग्री की कीमत बढ़ जाती है। यदि वह 10,000 के ऋण प्राप्त करने का आवेदन देता है, जब तक उसे पूरा ऋण

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

दिया जाएगा तो निर्माण की लागत रु. 20,000 या रु. 25,000 तक पहुंच जाएगी। वह बहुत अधिक परेशानियों में पड़ जायेगा। यदि आप को गरीब लोगों एवं उनकी प्राथमिक आवश्यकता की थोड़ी भी चिन्ता है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि ऋण वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाएं। यह इतनी अधिक किस्तों में नहीं दिया जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह शर्त अवश्य रखी जाए ताकि यह जाना जा सके कि धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया था। लेकिन इतनी अधिक शर्तें न थोंपे। उसे पहली किस्त नींव पूरी हो जाने पर मिलती है। दूसरी किस्त एक निश्चित स्तर तक कार्य के पूर्ण हो जाने पर तथा तीसरी किस्त आवास के पूरा हो जाने पर दी जाती है किसी गरीब व्यक्ति को इतनी कठिनाइयों एवं कष्टों से केवल इस कारण से गुजरना पड़ता है कि उसने वित्तीय संस्थान से धन प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन्, अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन् : मैं केवल विधेयक के विषय में बोल रहा हूं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मुझे मालूम है। समय कम है। आपके दल को दिया गया समय खत्म हो गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन् : मैं क्या करूं? यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण धाराओं के विषय में कुछ कहना है।

निदेशकों के संबंध में विधेयक में यह प्रावधान है कि शेयर होल्डर या जमाकर्त्ता दो निदेशकों का चुनाव कर सकते हैं। यह ठीक है, लेकिन अध्यक्ष या निदेशक या दोनों ही की अनुपस्थिति की स्थिति में दो अन्य निदेशकों की नियुक्ति भी अनिवार्य है। अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक या अंशकालिक हो सकते हैं। अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति पूर्णकालिक होना अनिवार्य नहीं है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि अध्यक्ष पूर्णकालिक हो। यह आकस्मिक कार्य नहीं होना चाहिए। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण कर सकता है। यही वह नियम है जिसे अब बनाया जा रहा है। यह पर्याप्त नहीं है हमें इस पर सोचना है।

वसूली के विषय में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब सभी दूसरे तरीके असफल हो जाएं तो अन्तिम चरण में राजस्व की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी तो बहुत सारे पृष्ठ पढ़े जाने हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन् : मैं केवल एक पृष्ठ की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* यह व्यवस्था की गई है कि बैंक कलैक्टर को धनराशि के लिए एक प्रमाण पत्र जारी कर सकता है और कलेक्टर उस धनराशि की वसूली उसी तरीके से करेगा जैसे कि बकाया पड़े भू–राजस्व की करता है। धारा के पहले भाग में यह भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय आवास बैंक वसूली के अन्य तरीकों के पूर्वाग्रह के बिना, राज्य सरकार को प्रार्थना पत्र भेज सकता है कि वह वसूली करे। मेरा सुझाव यह है कि जब ऋण वसूली के सभी उपाय समाप्त हो जायें तब इसे अंतिम उपाय के रूप में अपनाना चाहिए।

सभापति महोदय : इसमें बीस साल लगेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन : सभापति महोदया, आप इस बात को समझ सकती हैं कि ऐसे मामलों में बैंक कर्मियों की यह प्रवृति रहेगी कि गरीब आदमी को तंग करें। उनकी भेड़ों को ले जायेंगे, उसकी गायों को ले जाऐंगे, और यहां तक कि उसके घर को कुर्क कर लेंगे, परंतु वे हजारों उन अन्य लोगों पर कार्यवाही नहीं करेंगे जिन पर करोड़ों रुपये का बकाया है और वे यों ही छोड़ दिए जाते हैं। उनके मामलों में जिलाधीश की कोई रिपोर्ट नहीं होती है और उनके मामले में राजस्व वसूली संबंधी कोई कार्यवाही नहीं होती। यदि एक गरीब आदमी, जिसके जीवन का लक्ष्य 20,000, या 25,000 रुपयों में एक घर बनाने का होता है, और वह समय पर ऋण वापस नहीं कर पाता है तो, ये लोग बहुत सतर्क हो जाते हैं और वे जिलाधीश को लिख देंगे। राजस्व वसूली की कार्यवाही तुरंत प्रारंभ की जाएगी और सतर्कता अधिकारी उसके घर पर जाकर उसका सब कुछ कुर्क कर लेगा। उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। यही अनुभव हमें संपूर्ण भारत से प्राप्त होता है। वे उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जिसने 20 लाख या 25 लाख रुपये का ऋण दोमंजिला इमारत या यहां तक कि पांच मंजिला होटल के निर्माण के लिए लिया है। उनके विरुद्ध कोई वसूली कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसलिए, पहली बात जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि वितरण प्रणाली को सरल बनाया जाए न केवल कोई व्यक्ति यथाशीघ्र ऋण प्राप्त कर सके अपितु उसे यह बिना किसी कठिनाई के भी प्राप्त कर सके। दूसरे, वसूली की कार्यवाही भी इतनी कठोर होनी चाहिए और गरीब व्यक्ति को कुछ राहत मिलनी चाहिए। उसे केवल इस कारण ही कठिनाइयों में नहीं डालना चाहिए कि उसने ऋण लिया है।

सभापति महोदय : आप यदि चाहें तो इस विधेयक पर दो घंटे तक बोल सकते हैं, परंतु समय सीमित है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं कुछ अन्य पहलुओं का जिक्र नहीं कर पाया, जैसे, निदेशक मंडल के संबंध में और आवास बैंक से संबंधित रिजर्व बैंक के अधिकारों के संबंध में। पहले, यह सारे अधिकार रिजर्व बैंक के पास थे। अब, इस संशोधन के पश्चात्, राष्ट्रीय आवास बैंक को ये अधिकार प्राप्त होंगे। कहां तक और कितना ये कार्यान्वित हो पाएंगे ऐसे विषय में जिनका निर्णय तो बाद में ही होगा। विगत में हमारे अनुभवों के आधार पर, हमें दुगना सावधान होना चाहिए। जैसा कि विधेयक में ही बताया गया है कि उदारीकरण के कारण, विधेयक में यह परिवर्तन किये गये हैं।

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव जी आप कृपया समाप्त करें, मुझे दूसरे वक्ता को बुलाना है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अब, मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करें। मैं विधेयक में संशोधन की मांग नहीं करूंगा; परंतु मेरा सुझाव यहां यह है कि सरकार द्वारा बाद में बनाए जाने वाले नियमों में इसमें संशोधन किया जा सकता है। जब नियम बनाए जाते हैं तब कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि इसकी कार्यवाही सरल हो, और गरीब व्यक्ति के सामने आने वाली कठिनाइयां दूर की जाएं। मेरे विचार से मंत्री महोदय इन सभी पहलुओं पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : जब नियम तैयार किये जायें तब आप अपने सुझाव लिखित में भेज सकते हैं। आपके सभी मुद्दों को नोट कर लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1987 में की गई थी। माननीय मंत्री जी ने यह महसूस किया कि लोगों के लिये मकान एक प्रमुख आवश्यकता है, इसलिये इस विधेयक में काफी संशोधन लाये हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी के श्री पी. आर. दासमुंशी ने कहा कि इसमें स्टेटमेंट और आब्जैक्टिव्स नहीं हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जब राज्यसभा में बिल आया था तो उसमें स्टेटमेंट और आब्जैक्टिव्स थे। शायद इसमें अमेंडमेंड्स इतने हैं कि मंत्री जी ने उन्हें लाना आवश्यक नहीं समझा।

सभापति महोदय, समय-सीमा को समझता हुआ मैंने अपना भाषण छोटा कर दिया है। इस विधेयक में बताया गया है कि कैपिटल कितना होगा, डायरेक्टर कौन होगा, उसकी कार्य प्रणाली कैसी होगी और जो कम्पनी हाउसिंग का काम कर रही है, उसके रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या होगा। साथ ही यदि वह कम्पनी किसी प्रकार की कोई गड़बडी करती है तो उससे रकम किस प्रकार वसूल की जायेगी। जैसे कलैक्टर लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत ड्यूज की रिकवरी करता है, उसी प्रकार से कम्पनी से भी पैसा लिया जायेगा। यदि कम्पनी गड़बड़ी करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल किया जायेगा। इसके लिये कम्पनी को प्रॉपर मौका दिया जायेगा कि किस कारण से कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। इसमें अपील करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को होगा। केन्द्रीय सरकार पैनल इंट्रैस्ट दे सकती है। स्पेशल ऑडिट के नाते जो वसूली की जानी होगी, वह की जायेगी। इसके अलावा इसमें कम्पनी को वाइंड अप करने का तरीका बताया गया है। यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के निर्णय पर कोई व्यक्ति किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकता। इसी प्रकार से जो एपीलेट आफिसर होगा, वह अपने पद पर पांच साल के लिये काम करेगा जिसे निर्णय लेने का अधिकार होगा। मैं समझता हूं कि देश में हाउसिंग समस्या को हल करने के लिए तथा लोगों को रहने के लिए मकानों का मिलना बहुत आवश्यक है, इसको समझते हुए माननीय मंत्री जी सुन्दर और अच्छे ढंग से जो अमेंडमेंट लाये हैं, मैं समझता हूं कि उसके लिए वे निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इसमें स्टेटमेंट आफ ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता नहीं थी। 1987 के एक्ट में जो अमेंडमेंट आये हैं, मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से इनका समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : सभापति महोदया, मैं राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2000 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदया, हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में आवास अर्थात आवास का अधिकार भी मूलभूत अधिकारों के रूप में माना गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये एक निर्णय द्वारा अनुच्छेद 21 में इसकी व्याख्या की गयी है। अब, इस राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक को वित्तीय संस्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाया जा रहा है ताकि लोगों के लिए आवास निर्माण किया जा सके। राज्य में ऐसे लाखों लोग हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। उदाहरण के लिए, चेन्नई, मुम्बई, दिल्ली और देश के कई भागों में लोग

[श्री पी. एच. पांडियन]

मलिन बस्तियों में रह रहे हैं। उन्हें आवास की कोई गारंटी नहीं दी गई है। उसके बदले उन्हें उनके घर से इस आधार पर निकाल दिया जाता है कि उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वे सम्पन्न लोगों को बड़े–बड़े भवन बनाने के लिए ऋण देने के साथ–साथ मलिन बस्तियों को समाप्त करने और गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आवास बनाने पर ध्यान दें।

महोदय, मैं वित्तीय संस्थानों के द्वारा धारा 49 के उल्लंघन पर दिये जाने वाली सजा में परिवर्तन किये जाने की सराहना करता हूं। पहले, धारा 49 इस प्रकार थी:

"धारा 36 क की उपधारा (2) के अंतर्गत जो कोई भी अधिकृत अधिकारी के आदेश का अनुपालन करने में असफल होता है, उसे कैद हो सकती है जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और ऐसे आदेश के उल्लंघन जारी रहने पर उसे जुर्माना देना होगा जो 50 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगा";

इस धारा का धारा 52 (क) के बिना काम चलाया जा रहा है। फिर भी यह दण्ड दिए जाने की गारंटी है। इसी के साथ, इस राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक के अलावा अन्य किसी भी वित्तीय संस्थान में, ऋण वसूली अभिकरण (डी. आर. टी.) में जुर्माना वसूल करने का प्रावधान नहीं है। न्यायाधीश को किसी व्यक्ति या निगमित संस्थान या किसी निगम पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है। यह वित्तीय संस्थानों के लिए एक कठोर प्रावधान है। हो सकता है, यह व्यक्तियों के लिए न हो। मैं धारा 52 (क) की बात कर रहा हूं। वित्तीय संस्थानों को यह अर्थ दण्ड भुगताना पड़ेगा व्यक्तियों को नहीं। इसके बावजूद भी यहां यह कठोर प्रावधान है। परंतु वसूली के लिए, कुछ जोर–जबरदस्ती का तरीका पैसे को पाने के लिए अपनाना पड़ता है।

महोदय, जहां तक पीठासीन अधिकारी से संबंधित प्रश्न है, 'यह कहा गया है कि वे या तो जिला न्यायाधीश हो या उसके योग्य हों। यह सच है। परंतु यह भी कहा गया है कि, 'वह भारतीय विधि सेवा का सदस्य हो'। मैं 'भारतीय विधि सेवा' को नहीं समझ पा रहा हूं। इसमें आगे कहा गया है, उस सेवा में कम से कम तीन वर्ष तक संवर्ग 'दो' के पद पर कार्य किया हो"। 'भारतीय विधि सेवा का क्या अर्थ है?" मुझे नहीं लगता, इस तारीख में किसी 'भारतीय विधि सेवा' नामक सेवा का अस्तित्व है। कोई भारतीय न्यायिक सेवा भी नहीं है। किसी भी मामले के निपटाम में, हमें न्यायायिक व्यवहार की आवश्यकता है। इसलिए इस प्रावधान को लागू करने के लिए प्रथम खंड ही पर्याप्त है अर्थात वित्तीय संस्थानों और बैंकों के मध्य किसी भी मामले में निर्णय देने के लिए काफी है।

महोदय, जहां तक वसूली अधिकारी द्वारा राजस्व के आदेश को लागू करने का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे यहां होना चाहिए और यहां ऐसा है। अन्यथा, आप किसी भी ऋण की वसूली नहीं कर सकते जब तक कि वसूली अधिकारी के जरिए आदेश को लागू न करें। अपीलीय वसूली ट्रिब्यूनल, जिसे आवास वित्तीय संस्थान ऋण वसूली ट्रिब्यूनल कहां जाएगा, को कानूनी अधिकार दिया गया है।

मैं इन उपायों का स्वागत करता हूं। इसके साथ ही, मैं वित्त मंत्री से यह भी निवेदन करता हूं कि अपनी शक्ति वह गरीबों के लिए घर बनाने और मलिन बस्तियों को खत्म करने पर लगाएं। उन्हें गरीबों के हितों और झोपड़ियों में और फुटपाथ पर रहने वालों के हितों को अपने दिमाग में सर्वप्रथम रखना चाहिए।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : सभापति, महोदया, आवास बैंक अधिनियम, 1987 में प्रस्तावित यह संशोधन एक स्वागत योग्य कदम है। हमें आज हमारी आवश्यकता यह है कि लाखों गरीब व्यक्तियों को आवास प्रदान किया जाये। मेरे ख्याल से इस संशोधन के लागू होने से देश में गरीब लोगों के लिए आवास के निर्माण में तेजी आएगी।

जहां तक ऋण वसूली का प्रश्न है, यदि प्रशासन जनसंख्या के 25 प्रति 'क्रीमी लेयर' की आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही ध्यान केन्द्रित करेगा तो, इस देश के गरीबों के लिए कैसे आवासों का निर्माण होगा? मंत्री महोदय को ऐसे कार्यक्रमों को बनाना चाहिए जिसमें कम लागत में अधिक मकानों का निर्माण किया जा सके, ना कि बैंकों को अधिक राशि प्रदान की जाये जो महल और कोठियों के निर्माण हेतु ऋण देते हैं। देश के 70 प्रतिशत आबादी के पास रहने के लिए घर नहीं है। हमारे कानूनों का ध्येय गरीब लोगों के लिए अधिक आवासों के निर्माण का होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस संशोधन के बाद, उदार दृष्टिकोण और कम ब्याज दर के साथ, लाखों गरीब लोगों के लिये, नये आवासों का निर्माण होगा। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री यह बात अपने दिमाग में रखेंगे और बेघरों के लिए आवासों के निर्माण के लिए प्रयत्न करेंगे।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी जो राष्ट्रीय आवास बैंक विधेयक लाए हैं, 1987 में इसे अधिनियमित किया गया था। अब इसमें ये संशोधन लाए हैं जिसमें इन्होंने दावा किया है कि रिजर्व बैंक को 1997 में संशोधन करके शक्तियां दी गई कि नॉन बैंकिंग

कंपनियों पर कड़ाई से कानून लागू करेंगे। 1997 वाला कानून हम देखते हैं तो देश भर में बैंकिंग कंपनियों में जो छोटे--छोटे इनवैस्टर गरीब आदमियों ने पेट काटकर पैसा जमा किया था, उन सबको लूटकर वे कंपनियां भाग गईं। वे बेचारे दर–दर भटक रहे हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है। फिर इन्होंने दावा किया कि उसी तरह की नॉन बैंकिंग कंपनियों पर जिस तरह से रिजर्व बैंक को ज्यादा पावर्स देकर अधिकार दिया गया था कि कोई शोषण नहीं कर सके, लूटकर भाग नहीं सके, उसी तरह के अधिकार फिर राष्ट्रीय आवास बैंक को भी दे रहे हैं जिससे जो ऋण लेने वाला होगा, नॉन बैंकिंग कंपनियां होंगी, उन पर ज्यादा सख्ती से कार्रवाई कर सकेंगे जो सब्सीडरी कंपनियां होंगी। मंत्री जी दावा करते हैं लेकिन हमें पूरा संदेह है क्योंकि इनके जनरल बैंकों का हाल ही चौपट है जो 98,000 करोड़ देश भर में हाल है कि एन. पी. ए. (नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट) हो गया, वह डूबने वाला खाता है। तो यह कानून बनाने से क्या सुधार होने वाला है? गरीब आदमी ने खासकर राष्ट्रीय आवास बैंक का नाम ही नहीं सुना है। गरीब आदमी को उससे कोई मतलब नहीं है। शहरों में बड़ी–बड़ी अट्टालिकाएं बन रही हैं। पटना में नीलगिरि, हिमगिरि नाम से बन रही हैं और वे लोग इस बैंक से लोन लेकर अट्टालिकाएं बनाएंगे और उसमें खण्ड–खण्ड करके बेचते हैं। इसमें यह क्लॉज है कि इसकी पूंजी साढ़े तीन अरब से बढ़ाकर 20 अरब रुपये की जाए। इससे पता चलता है कि मंत्री जी इस मामले में उदार हैं। आम गरीब तो बिलो पावर्टी लाइन है, उसको इंदिरा आवास योजना से भी लागू नहीं होता है। उसकी बहुत खराब हालत है।

अपराह्न 3.00 बजे

दिल्ली शहर में जो गरीब लोग 20 वर्ष से झुग्गी झोंपड़ी बना कर रह रहे हैं, उनको आप उजाड़ रहे हैं। उनके घरों पर आप बुलडोजर फिरवा रहे हैं। इसको कोई देखने वाला नहीं है। बड़े लोगों को सहूलियत हो, वह अपने पैसे से घर बनायें और उनको अपने पैसे से दिक्कत है तो उनके लिए बैंक भी खोल कर दे दिये जायें। श्री गोपाल सिंह नेपाली ने कहा है कि यह नहीं चलने वाला है। मैं श्री यशवन्त बाबू को याद दिला दूं कि श्री गोपाल सिंह नेपाली की प्रथम कविता थी–

जब चंद्र किरण से महलों की दीवार चमकती रहती है,
चांदनी झोंपड़ी से लिपट–लिपट भर रात सिसकती रहती है।

इसलिए मैं इस विधेयक, कानून का पन्ना पलटकर देख रहा था कि इसमें कहीं गरीब आदमी का भला होने वाला है, उसके लिए एक भी घर बनने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जो होशियार आदमी है, पैसे वाला है, उन सबके घर कैसे महल बन जायें और जिनकी झोंपड़ी है वह खत्म हो जाये यानी जो कामगार लोग हैं वे देश से उजड़ जायें, गरीब हो जायें, ऐसी व्यवस्था है। यह आवास बैंक कड़ाई करे, इनका पैसा न डूबे और इससे देश की तरक्की हो इसकी हम कामना करते हैं। लेकिन इस तरह के कानून जो बड़े आदमी को बढ़ाने वाले हैं और गरीब आदमी की उपेक्षा करने वाले हैं, वे हमको पसंद नहीं हैं।

गांव में राष्ट्रीय आवास बैंक से कोई घर बनेगा? किसी को मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी। यह ऐसा कानून है जिसमें आदमी लिखा–पढ़ी करते–करते, दौड़ते–दौड़ते बेदम हो जायेगा और उसको कुछ नहीं मिलेगा। हम माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करेंगे कि हिन्दुस्तान की जो परिस्थिति है, गरीबों की जो तीन मौलिक समस्याएं हैं–रोटी, कपड़ा और मकान, वे सबको मिलें। आप खजाना मंत्री हैं इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है। आपने पी. डी. एस. पर दाम बढ़ा दिये हैं। इसके लिए हम शांता कुमार जी को घेरते हैं तो वे किसी तरह जवाब देकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन सारा कसूर आपका है। आप सारा फिस्किल डेफीसिट गरीबों पर लाद रहे हैं। आप हिन्दुस्तान के खजाने के मालिक हैं इसलिए हम आपसे अपेक्षा करेंगे।... *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल): मंत्री जी बिहार के हैं इसलिए काफी प्यार उमड़ रहा है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार के हैं, यह ठीक है। लेकिन ये बिहार के पक्ष में काम नहीं करते, ऐसा हमको कभी अहसास नहीं हुआ। हमारे बिहार के मंत्री हैं। ये बहुत कठोरता से काम करते हैं लोग शिकायत करते हैं कि ये बिमारू राज्य हैं। वे आलोचना के लिए कहते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं है। बहुत से राज्य पिछड़ गये हैं। जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। इन सबको बिमारू राज्य कहा जाता है। इनको बिमारू राज्य इसलिए कहते हैं कि वहां जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो रहा है अथवा... *(व्यवधान)* बिमारू में उड़ीसा नहीं है तो आप उड़ीसा का पन्ना अलग कर लीजिए। हमसे तो आप 1937 में ही अलग हो गये थे। 1937 तक तो बिहार और उड़ीसा एक ही साथ थे। किस बात में आपमें फर्क है। सब कुछ एक जैसा है। इसलिए बिमारू राज्य पर लोग हंसते हैं लेकिन बिमारू राज्य को वाह–वाही भी देनी चाहिए क्योंकि उनके बीच रीजनलिज्म नहीं है। वे असली राष्ट्र की मुख्य धारा वाले लोग हैं। इसलिए जब वित्त मंत्री बिहार की फेवर नहीं करते हैं तो हम इन पर नाराज होते हैं। लेकिन हम गौरवान्वित भी होते हैं कि बिहार से श्री जगजीवन बाबू मंत्री

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

हुए, सुबग बाबू हुए, केदार पाण्डे हुए आदि मंत्री हुए। अन्य लोग अपने राज्य का बजट लेकर चले जाते हैं कि बंगाल बजट है, महाराष्ट्र बजट है लेकिन हमारे यहां के जो मंत्री हैं, उन्होंने कभी बिहार का फेवर किया हो, कुछ ज्यादा हिस्सा दे दिया हो ऐसा कोई आरोप नहीं आता है। इसके लिए हम गौरवान्वित हैं। हम इसलिए छटपटाते हैं कि वह चाहें हमारे यहां का मंत्री हो या देश के किसी हिस्से का मंत्री हो, वह हिन्दुस्तान का मंत्री है। हम भी हिन्दुस्तान का दसवां हिस्सा है। उसकी पीड़ा से हम मंत्री को अवगत कराते हैं कि हमारी यह पीड़ा है। मैं यह भी कहता हूं कि जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, हिन्दुस्तान आगे बढ़ जायेगा, नहीं बढ़ सकता। जॉन हुल्टन आई. ए. एस. आफिसर था। उसने एक किताब लिखी–बिहार भारत का दिल है। वह अंग्रेज अफसर था। उसने आजादी की लडाई के समय किताब लिखी थी। हिन्दुस्तानभर में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कहीं एक शब्द भी नहीं कहा। यदि उनके बारे में कुछ कहेंगे तो हमें संतोष होगा, नहीं तो हमें बराबर आपत्ति रहती है कि यह भी कानून आ रहा है, वह भी कानून आ रहा है। सब बड़े आदमियों को बनाने वाला है कि उनकी तरक्की, उनका धन बढ़े। फिस्कल डैफीसिट में एक भी बड़े आदमी को छूने का काम नहीं किया।....*(व्यवधान)* मिट्टी के तेल के दाम दुगने कीजिए....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी तो हाउसिंग बैंक की बात कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : रोटी, कपड़ा और मकान तीन मुख्य आवश्यकताओं में एक मकान भी है। हमारी पीडा है कि गरीब आदमी को बैंक से सहूलियत दें। लेकिन गरीब आदमी को इसमें कहीं कुछ मिल रहा। इसमें एक क्लॉज वह भी रहता कि गरीब आदमी लोन लेकर घर बनाना चाहता है तो वह बिना परेशानी के बना सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

[अनुवाद]

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : इस विधेयक से केवल गरीब लोगों को फायदा है, उनको नहीं जो कि भव्य भवन बनाना चाहते हैं क्योंकि उन पर इस प्रकार का धन प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध है। मध्य वर्ग के लोग अपनी बचत का निवेश आवास क्षेत्र में करना शुरू कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके जीवन काल में उनका एक घर हो। उनके जीवन का यही अंतिम लक्ष्य है। माननीय वित्त मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि मद्रास में कई ऐसी समितियां हैं जो कि मध्यम वर्ग द्वारा किए गये निवेश से बहुत अधिक जमा राशि प्राप्त करती हैं। ये समितियां आवास निर्माण में धन लगाती हैं। मद्रास में 10 से 15 निधियां लाभ कोष है। जिनकी कुल जमा राशि लगभग 400 करोड़ रुपये है, लेकिन अब वे बन्द हो गये हैं। निदेशक मण्डल ने समस्त धन को दूसरे कार्यों में लगा दिया है। मेरा सुझाव है कि जब संस्थानों को इतना अधिक धन दिया जाता है तो उनकी भी कुछ विश्वसनीयता होनी चाहिए ताकि उस धन का समुचित उपयोग हो एवं निवेशकों के हित भी सुरक्षित रखे जा सके। मध्यम वर्ग और मुख्य रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों ने अपने आवास के निर्माण के लिए इन योजनाओं में धन लगाये हैं। आवास के निर्माण के बाद तीन से चार वर्षों में भी वे अपने आवास की मरम्मत कराने में सक्षम नहीं हो पाते। उनके आवासों की मरम्मत करने के लिए सरकार के पास केन्द्रीय स्तर या राज्य स्तर पर कोई योजना नहीं है। इसी तरह सामान्य मजदूर भी अपने आवास की मरम्म्त कराने में सक्षम नहीं है। सरकार ने निवेश का 51% निवेश प्राप्त किया है। इस धनराशि का कुछ हिस्सा गरीब एवं मध्यमवर्ग के लोगों को दिया जाना चाहिए ताकि मात्र उधारी की वसूली के बजाये वे प्रत्यक्ष रूप से कुछ लाभ भी प्राप्त कर सकें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गरीब लोग ऋण नहीं चुका रहे हैं। वे ऋण अदा कर रहे हैं। इस संबंध में मैं सदन का ध्यान 36(ई) के प्रावधान की तरफ दिलाना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है "किसी दी गई सहायता या उसकी किसी किस्त को चुकाने में कोई चूक करता है या किये गये किसी करार के अनुसार संबंधित शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है।"

यदि एक किस्त भी देय है तो संस्थान उस विशिष्ट लाभग्रही के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देता है।

धारा 36 टी और अधिक खतरनाक है। इसमें कहा गया है:

"यदि कोई कर्जदार अपील दायर करता है तो अपीलीय न्यायाधिकरण इस अपील को तब तक स्वीकार नहीं करेगा। जब तक, वह व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण में वसूली अधिकारी द्वारा निर्धारित देय धनराशि का 75% जमा न कर दिया हो...."

अतः उन साधारण मध्यम वर्ग के लोगों का क्या होगा जो दो या तीन किस्त जमा करने में असफल रहे हैं। उन्हें दूसरी जगह से तुरंत उधार और लेकर संपूर्ण ऋण का 75% जमा करना होता हो। आम लोगों के लिए यह बहुत कठिन है। यदि इस प्रकार की प्रक्रिया जारी रहेगी तो वे सदैव के लिए कर्जदार बने रहेंगे।

बहुत सी राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर की संस्थायें हैं। जो कि धन प्राप्त कर रही हैं और उस धन को जिला स्तरीय संस्थानों को देने से पहले सेवा प्रभार ले रही हैं। मैं यह बात तमिलनाडु में प्राप्त अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। तमिलनाडु में एक आवास विकास सोसाइटी है। यह अनेक स्रोतों से धन उधार लेती है। वे कुछ धनराशि लेते हैं तब इसे जिला स्तरीय संस्थाओं को दे देते हैं। वे बदले में, और सेवा प्रभार लेते हैं। तत्पश्चात् यह धनराशि प्राथमिक बैंकों को दे दी जाती है। इस प्रकार एक कर्जदार को तीन स्तरों पर सेवा प्रभार, अदा करना पड़ता है। अतः मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि प्राथमिक बैंकों को प्रत्यक्ष रूप से धन दिया जाना चाहिए ताकि आम लोगों द्वारा दिये गये सेवा प्रभार के रुप में कमी की जा सके। वर्तमान में, सेवा प्रभार के रूप में उन्हें बहुत ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि जो धन वे प्राप्त करते हैं वह विभिन्न संस्थाओं से होकर गुजरता है। अतः इस पहलू का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

तीन संस्थान हैं जो कि धन की वसूली के लिए बनाये गये हैः एक कलैक्टर के माध्यम से, दूसरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं तीसरा वसूली प्राधिकरण के माध्यम से। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि अन्य दो संस्थाओं के बजाए, हम सीधे वसूली न्यायाधिकरण में जा सकते हैं।

मैं मसौदा बनाने वालों को, वकीलों के जज के रूप में नियुक्ति का लाभ प्रदान करने का प्रावधान करने के लिए प्रशंसा करता हूं। 36ट में यह कहा गया हैः

"कोई व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा, जब तककि वह

(क) जिला जज है, या रहा है या होने की योग्यता रखता है।

(ख) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा है, या कम से कम 3 वर्ष तक उस सेवा में ग्रेड दो के पद पर रहा है।

वृत्तिशील, वकीलों के लिए इस तरह का संकेत कि इस प्रकार के न्यायाधिकरण में वे नियुक्ति पा सकेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोग इस विशेष क्षेत्र में विशेषतता प्राप्त कर रहे हैं। इससे वे अपने ज्ञान का उपयोग इस उद्देश्य के लिए कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान (नवादा) : माननीय सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि इस व्यवस्था ने नेशनल हाउसिंग बैंक की जरूरत को समझा। हमारे रघुवंश भाई ने बड़ा अच्छा कहा था कि इसे कोई जानता नहीं है, यह सही बात है। 1987 से यह बैंक बना हुआ था, लेकिन इसे कोई नहीं जानता था, लेकिन आज से यह बैंक जाना जायेगा, इतना हमें विश्वास है। जो एमेंडमेंट पहले होने चाहिए थे, वे एमेंडमेंट 10 साल, 13 साल में नहीं किये गये। मकानों की आवश्यकता को वाजपेयी जी ने समझा है और यशवन्त सिन्हा जी ने समझा है और तभी यह एमेंडमेंट किया है। निश्चित तौर से जो रोटी, कपड़ा और मकान की बात कई मित्रों ने कही, हाउसिंग बैंक में एमेंडमेंट के बाद, जितने बेघर इस देश में हैं, खास कर गरीब लोग जो बेघर हैं, उनको घर बनाने में, मकान देने में सुविधा मिलेगी। इसके लिए तमाम नियमों का सरलीकरण किया गया है, लोन के लिए पहले जो दस्तावेज 1000 पन्ने के थे, इस रिकमंडेशन से उनको हल्का किया गया है, सिम्पलीफाइ किया गया है, इससे काफी लाभ होगा और निश्चित तौर से मकान बनाने में जो दिक्कत हैं, वे दूर होंगी।

मकान बनाने से रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं, मकान बनाने से रोजगार का एक रास्ता खुलता है। मकान में ईंट लगती है, गारा लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, इसलिए विभिन्न रास्ते खुलते हैं, एवेन्यूज खुलते हैं, एम्पलायमेंट की पोसिबिलिटीज़ खुलती हैं, इसलिए इसका सीधे उससे ताल्लुक है। हमारे पी. एम. साहब ने एश्योर किया था, कमिट किया था कि रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। इस हाउसिंग बैंक संशोधन से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बेघरों को घर और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इस संशोधन के बाद से पंचायत में जो पैक्स होता है और लैम्पस होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक को उससे भी संपर्क करके कार्डिनेट करके काम करना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एन. एच. एफ. डी. सी., बैकवर्ड क्लासेज के लिए एन. एस. एफ. डी. सी. हैं, जो ये तमाम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ मिलजुल कर काम करे तो बेकारों की संख्या जो ओ. बी. सी. में ज्यादा है, कम होगी और उनको सहायता मिलेगी। यह एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। इस संशोधन के बाद से गरीबों को फायदा होगा।

[डॉ. संजय पासवान]

आपने जो कहा है कि एक किस्त न देने के बाद डिफाल्टर माना जाएगा, उसकी एन. पी. ए. बढ़ जाएगी। यह ठीक है कि एक किस्त न देने पर डिफाल्टर करना चाहिए। लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं, क्योंकि कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो इसके लिए सख्ती से वसूली कर सके इसलिए सख्ती होनी चाहिए। हर गरीब और भारतीय में पैसा बचाना स्वभाव से है। हर किसी की लाइफ में एक सपना होता है कि उसका घर हो। इसलिए सब लोग बचत करते हैं। अगर कोई किस्त नहीं देता तो वह मुख्य रूप से डिफाल्टर माना जाए, चाहे वह कितना ही गरीब क्यो न हो। घर से सभी को लगाव होता है। आपने यह प्रावधान ठीक किया है कि एन पी ए बढ जाएगी, इससे जो पहले ही इसका बोझ है, उस पर और बोझ नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग डिफाल्टर वाली बात से सहमत हैं। मेरा विश्वास है कि जो नियम बनाया है इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। इससे बेघरों को घर मिलेगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : दो माननीय सदस्य एक-एक मिनट में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, पहले, श्री मणिशंकर अय्यर। आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : महोदया, अपने अनेक सहकर्मियों मुख्य रूप से श्री सुदर्शन नाच्चीयपन द्वारा दिए गये अत्यंत महत्वपूर्ण सुझावों को ध्यान में रखकर माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विधेयक पर आज अपराह्न मत-विभाजन कराने से अच्छा होता इसे स्थायी समिति या प्रवर समिति को सौंप दिया जाता।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदया, मंत्री जी जो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट लाए हैं, मैं समझता हूं आपने जो सात लाख मकान एक वर्ष में बनाने का वादा देश की जनता से किया है, अगर उसको पूरा कर सकें, मैं फिर से कह रहा हूं अगर उसको पूरा कर सकें तो यह एक्ट एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम आपके साथ हैं।

सभापति महोदया, मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्शन रीजन बिल में दिए हैं। उसमें आखिरी प्राथमिकता यह रही, रूरल हाउसिंग एंड एग्रीकल्चरल हाउसिंग। मैं आशा करता हूं कि यह बहुत अधिक है कम नहीं। सबसे आखिर में आपने ग्रामीण क्षेत्र की आवास योजना के बारे में सोचा और कृषि से जुड़े लोगों की आवास योजना के बोर में सोचा। मैं चाहता हूं कि इसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाये। आपने कारपोरेट सेक्टर को कुछ टैक्स छूट दी हैं। एन. एच. बी. के माध्यम से जो कारपोरेट सेक्टर की प्रॉब्लम्स है, उनको हल करने में उनकी मदद करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं हमारे देश की आवास समस्या की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। कारपोरेट सेक्टर के लोगों की हाउसिंग समस्या को हल करने के लिए हमारे देश की जनता पर क्यों भार डाला जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ अनुभवी लोगों को इसमें रखें। हैबीटेट सेंटर के लोगों को न बना दें। नाम हैबीटेट है, हैबीटेट के अलावा वहां सारी बातें होती हैं, लेकिन हैबीटेट की कोई बात नहीं होती। मैं चाहूंगा हाई-फाई लोगों को बोर्ड में न लें। ऐसे लोगों को लें जो पिछड़े राज्यों से जुड़ी आवास समस्याओं को जानते हों। इसमें फारेन पार्टिसिपेशन भी होगा, यह ठीक बात नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री लक्ष्मण सिंह, कृपया समाप्त करें। मंत्री महोदय को उत्तर देना है और हमें इसे अपराह्न 3 बजकर 30 मिनट तक समाप्त करना है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं एक मिनट में खत्म करता हूं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में आवास समस्या को हल करने के लिए कोई टार्गेट रखिए। नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से इसे हम कैसे हल कर सकें, इस बारे में सोचना चाहिए। आपने 350 करोड़ रुपये से लेकर 2000 करोड़ रुपये तक का प्रावधान नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए किया है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसे 2000 करोड़ रुपये तक नहीं बढाएं, बल्कि 1000 करोड़ रुपये तक ही रखिए क्योंकि पांच वर्ष तक नेशनल हाउसिंग बैंक उन प्राथमिकताओं को पूरा कर सकता है। जो आवास से जुडी समस्याएं हैं। बाद में बढ़ा सकते हैं। लेकिन एकदम बढाना उचित नहीं होगा क्योंकि देश की जनता पर इसका भार पडेगा।

सभापति महोदय : लक्ष्मण सिंह जी, आपने दो मिनट मांगे थे क्योंकि हमारी पार्टी का समय समाप्त हो गया है। उधर से भी बहुत से लोग बोलने के लिए बैठे हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह : इससे आवास की समस्या जुड़ी हुई है

और कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। जो लोग गांव छोड़कर शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए आते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है कि सन् 2015 तक मुम्बई और कलकत्ता जैसे शहरों में आधी आबादी तो उन लोगों की होगी जो गांव छोड़कर शहरों में रोजगार के लिए आ रहे हैं। उनकी आवास समस्या को हल करने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से कोई प्लान बनाइए, टार्गेट बनाइए ताकि इस संशोधन का लाभ हो सके।

यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और मैं मणिशंकर जी का समर्थन करता हूं कि इसे सलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए क्योंकि यह आवास से जुड़ी समस्या है। लोगों को रहने के लिए मकान नहीं हैं, हम लोग इसे ऐसे कैसे पास कर देंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : दूसरे सदन द्वारा यह पहले ही पास किया जा चुका है।

अब मंत्री महोदय उत्तर देवें।

श्री यशवन्त सिन्हा : बारहवीं लोक सभा ने बहसोपरान्त एक राष्ट्रीय आवास नीति स्वीकार की गयी थी। यह संशोधन विधेयक उसी नीति की अनुवर्ती कार्यवाही है जो कि 1998 में स्वीकार की गई थी, इस विधेयक के चार पहलू हैं।

पहला पहलू आवास वित्त आयोग को नियंत्रित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत पहले से ही यह अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। यह बहुत दिनों से लंबित था। राष्ट्रीय आवास बैंक को अब हम भारतीय रिजर्व बैंक को दिये गये अधिकारों से अधिक अधिकार दे रहे हैं। क्योंकि एन. एच. बी. ही वह निकाय है जो कि राष्ट्रीय आवास कम्पनी को नियंत्रित करता है। हम इसे और अधिक अधिकार इसलिए दे रहे हैं कि जमाकर्त्ता को धन की हानि न रहे। दूसरा पहलू यह है कि हम एक बंधक बाजार बनाना चाहते हैं। इस देश में आवास से संबंधित कार्य आगे क्यों नहीं बढ रहे हैं? मूलतः यह प्रश्न धन से एवं वित्त से जुडा है। हमने इस देश में इस प्रकार की वित्तीय संसाधन नहीं बनाया है जो कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद करता। यह एक अत्यंत प्रगतिकारी विधेयक है। जो किं बन्धकदाताओं को एक गौण बाजार प्रदान करेगा। यदी हम बन्धक दाताओं के लिए गौण बाजार बनाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि वसूली की प्रक्रिया को और तेज किया जाए। हमने ठीक–ठीक यही किया है। इसी के साथ–साथ इस प्रकार के कदम उठाकर हम यह सुनिश्चित कर देना चाहते हैं कि प्राकृतिक न्याय के नियम की अवहेलना न हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने का अवसर दिया जाए कि इस अधिनियम के किसी दोष के कारण किसी को भी हानि न उठानी पड़े। हम त्वरित वसूली पर जोर दे रहे हैं क्योंकि उसके बिना गौण बन्धक बाजार नहीं बनाया जा सकता है। अब मैं चौथे पहलू पर आ रहा हूं। इस विधेयक के विचारार्थ पेश किये जाते समय अपने परिचायक भाषण में मैंने कहा था कि इस संशोधन के बाद राष्ट्रीय आवास बैक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों को धन का ऋण देने में सक्षम हो जाएगा। इस संशोधन के द्वारा हम यही प्रावधान करना चाहते हैं कि एन. एच. बी. आवासीय कस्बों एवं आवास विकास योजनाओं को ऋण दे सकें। ये अनिवार्यतः स्लम विकास योजनाएं हैं। अतः हमने यह सुनिश्चित करने पर पूरा ध्यान दिया है कि धन गरीबों के आवास के लिए लगाया जाए। अतः किसी को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि इससे केवल धनी लोगों को सहायता मिलेगी, गरीबों को नहीं। इसका प्राथमिक प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि गरीबों को घर प्राप्त हों।

इस संशोधन का पांचवा पहलू राष्ट्रीय आवास बैंक (एन. एच. बी.) को सशक्त बनाना करना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार का बैंक में 51 प्रतिशत स्वामित्व रहेगा। सरकार से तात्पर्य है, भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) और वित्तीय संस्थानों जिन पर हमारा नियंत्रण है। इन सबके माध्यम से, यह निश्चित किया जाएगा कि सरकार के पास कितना होगा और कितना भार. रि. बैं. के पास। लेकिन हम अपने पास 51 प्रतिशत ही रखेंगे और केवल बकाया 49 प्रतिशत को सार्वजनिक करेंगे।

जहां तक प्रदत्त और अधिकृत पूंजी का सवाल है, हम केवल इसे 2000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए सार्मथ्यकारी शक्ति दे रहे हैं। इस समय एक अधिसूचना के माध्यम से, राष्ट्रीय आवास बैंक की प्रदत पूंजी 350 करोड़ रुपये है। इसको इस संशोधन के माध्यम से विनियमित किया जा रहा है। हम प्रदत्त पूंजी को बढ़ाऐंगे और जब भी आवश्यक होगा हम इसकी सीमा को बढ़ाऐंगे। हम राष्ट्रीय आवास बैंक को सशस्त्र बना रहे हैं और महोदया, जैसा कि मैंने कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि, इस प्रगतिकारी विधान का नतीजा यह होगा कि, गरीबों को सर्वाधिक फायदा होगा।

मुझे खुशी है कि इसे इस सभा के सभी वर्गों का सर्वाधिक समर्थन मिला है। मैं विशेष रूप से मेरे मित्र श्री चेन्नीतला का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा को सकारात्मक रूप दिया है। मैं श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री राधाकृष्णन दोनों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम गरीबों का पूरा ध्यान रखेंगे।

[श्री यशवंत सिन्हा]
इससे केवल धनाड्यों को ही सहायता नहीं मिलेगी। यह मूलतः गरीबों को सहायता देगा। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि गरीबों को सच में आवास मिलें। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने 2 मिलियन घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। जो आंकड़े मैंने इकटठे किए हैं, उसके अनुसार 1998-99 में हम निर्मित या निर्माणाधिन 1.7 मिलियन घरों के लक्ष्य तक पहुंचे हैं। हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1999-2000 में हम इस आंकड़े को दुगना करने की आशा रखते हैं। इस प्रकार हम इस देश के आवास संबंधी पहलू को 'बजटीय और वित्तीय संस्थानों' के समर्थन के द्वारा इसे आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक रोजगार देता है। यह बड़ी संख्या में उद्योगों को जैसे इस्पात और सीमेंट को आधार देता है, इसलिए मैंने मेरे तीनों बजटों में आवास को सर्वाधिक बढ़ावा दिया है। इसलिए, मैं यह सुझाव दूंगा कि, जो सुझाव श्री मणि शंकर अय्यर ने.....*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : क्या मैं मंत्री से यह निवेदन कर सकता हूं कि वे उस सज्जन द्वारा उठाए गये मुद्दे का उत्तर दें जिन्होंने चुनाव में अपने पूर्ववर्ती सदस्य को हराया था? उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।

श्री यशवंत सिन्हा : उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। यह केवल इस बात के लिए हैं कि प्राप्त राशि की वसूली के लिए ऋणदाता कंपनी के अधिकारी तक पहुंच सके। केवल यही बात है। यदि आप यह अधिकार नहीं चाहते हैं तो बंधक बाजार रहेगा ही नहीं। ....*(व्यवधान)* अन्यथा, आपका बंधक बाजार अस्तित्व में नहीं आयेगा? इसे होना ही चाहिए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब इस विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकत हुआ।

खंड 2 से 29 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिऐ गये।

सभापति महोदय : मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.29 बजे

रेलवे अभिसमय समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में संकल्प

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंगारू लक्ष्मण) : कुमारी ममता बनर्जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर का पुनरीक्षण करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति, 1998 के तीसरे प्रतिवेदन, जो लोक सभा में 21 अप्रैल, 1999 को प्रस्तुत क्रिया गया था, में अन्तर्विष्ट पैरा 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 47 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर का पुनरीक्षण करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति, 1998 के तीसरे प्रतिवेदन, जो लोक सभा में 21 अप्रैल, 1999 को प्रस्तुत किया गया था, में अन्तर्विष्ट पैरा 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 47 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बहरामपुर, उड़ीसा) : सभापति महोदय, मैं आपको यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। श्री रामानंद सिंह के द्वारा प्रस्तुत संकल्प का मैं एक तरीके से

समर्थन करता हूं। विभिन्न राज्यों की जो बात हमें परेशान करती रही है वह यह है कि गरीबों के लिए किए गए विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए दी गई निधियों का उपयोग उचित ढंग से उपयोग नहीं किया गया। यह तथ्य है कि एक वर्ष में कुछ हद तक गरीबी अपशमन हुआ है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग अनुमानतः कम होकर 37.7 प्रतिशत तक रह गए हैं। पर यह तथ्य है कि गरीबों को मदद करने का दृष्टिकोण रखते हुए बनाई गयी परियोजनाओं के बावजूद, जो हमारे लिए आवश्यक है उसे भी हम प्राप्त नहीं कर पाए।

विभिन्न दलों के मतभेद भुलाकर, हमें विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्थानों पर जिस प्रकार के निधि का उपयोग हो रहा है उसकी समीक्षा करनी चाहिए। मैं राज्यों का नाम नहीं लूंगा, मैं स्वयं को अपने राज्य उडीसा तक ही सीमित रखूंगा। जो उड़ीसा के लिए सत्य है वही देश में विभिन्न राज्यों के लिए भी सच है। जल संसाधनों को ही लीजिए। जलन संग्रहण के ढांचे इस देश में कृषि के विकास को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई किसी स्थान पर जाता है तो, वह देख सकता है कि पुराने जल संग्रहण के ढांचे अनावश्यक हो गये हैं या ठीक से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वनरोपण नहीं हो रहा है, या इसका और कोई कारण है?

अपराह्न 3.34 बजे

(**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*)

हमने नौं पंचवर्षीय योजनाएं देखी हैं। अब नौवीं योजना चल रही है। यदि हमने जल संग्रहण के ढांचे की देखभाल के लिए और जल संग्रहण परियोजनाओं के लिए कुछ कदम उठाए होते, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या देश के किसी भी भाग में सूखा नहीं पड़ता।

हम जोर से चिल्ला रहे हैं कि हमें पानी नहीं मिलता। परंतु उस धन के बारे में सोचिए जो इन सालों में पानी को प्राप्त करने पर खर्च हुए हैं। उस धन के बारे में सोचिए जो सिंचाई के स्थान को सुधारने के लिए खर्च किया गया है। उन गहरे बोखेल के बारे में सोचिए जो पानी की प्राप्ति के लिए खोदे गये। हमें सालों से इस पर सोचना चाहिए था कि बारिश की कमी से या किसी अन्य विपदा से जल स्तर नीचे रहा है। इसे हमारे योजना के निर्माताओं ने और विभिन्न स्थानों पर काम करने वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए था।

हम विभिन्न पहलूओं पर पैसे खर्च कर रहे थे। रोजगार आश्वासन योजना को ही लीजिए। यह योजना प्रशंसनीय है जिसका लक्ष्य यह देखना कि कम से कम गरीब लोगों को कम से कम काम तो मिले। पिछले साल ही, बारहवीं लोक सभा में, सरकार ने एक संकल्प यह कहते हुए पास किया था कि, यदि काम की कमी या किसी और कारण से लोग बाहर जा रहे हैं तो रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत कम से कम 25 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त काम दिया जाए, जिससे यह आश्वासन रहे कि लोगों को काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़े और वे अपने घर से बेघर न हो।

मेरे राज्य में हम बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है जहां मेरे क्षेत्र से लोग जो एक विशेष प्रकार के वातावरण के आदी हैं को गुजरात और अन्य जगहों पर अनजान माहौल में अपनी अजीविका के लिए थोड़े पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वे अरुणाचल प्रदेश भी गये हैं। जहां कि परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं है। इसका यह नतीजा हुआ कि, उन्होंने जो कुछ भी थोड़े पैसे इन जगहों पर कमाए होंगे, जब वे वापस आते हैं, कईयों के दिल टूटे होते हैं, और कईयों का स्वास्थ्य खराब, कई तो अन्य स्वास्थ्य संबंधी खराबियों से मर तक जाते हैं।

रोजगार आश्वासन योजना का लोगों की गरीबी के अपशमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लोगों के जीवन के सभी स्तरों पर संपूर्ण भ्रष्टाचार व्याप्त है। यही ऐसा मामला है जिससे इस महान सभा के सभी लोगों को उद्वेलित होना चाहिए जिसने इतने सारे अच्छे संकल्पों को पारित किया है। इस उद्देश्य के लिए निधियों का सृजन किया जा रहा है, परंतु इस क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया गया। उदाहरण के लिए ट्रायसेम का ही मामला लीजिए। हम जरूरतमंद नवयुवकों और नवयुवतियों को प्रशिक्षण देते हैं, परंतु प्रशिक्षण के बाद हम उन्हें किसी भी प्रकार का काम या औजार प्रदान नहीं करते हैं जिससे वे कोई काम कर सकें। हम बैंकों को निधि देने के लिए प्रेरित नहीं करते, जिससे वे यहां वहां छोटा–मोटा काम देख सकें। आप किसी भी बैंक को देखिए, वे निधि देने में बहुत समय लगाते हैं। जिला उद्योग केन्द्र इतनी सारी परियोजनायें पारित करते हैं परंतु जब वे बैंकों में जाते हैं, बैंक ऋण देने में बहुत अनुदार होते हैं। भारत सरकार कई परियोजनाओं हेतु लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए बैंकों को धन उपलब्ध कराती रही है। जिससे कि वे स्वयं की सहायता हेतु समूह तैयार कर सकें और अपने लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कार्य की तालाश कर सकें। परंतु बैंक धन देने में यह तर्क देते हुए आगे नहीं आ रहे कि इस धन की वसूली संभव नहीं है। यदि इसकी वसूली संभव नहीं है तो हम ऐसे तरीके क्यों नहीं निकालते जिससे कि लोगों को पैसा मिल सके और बैंक भी राशि वसूल सकें?

[श्री अनादि साहू]

मैं एक दृष्टांत दूंगा। भारत सरकार की एक योजना है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के लोग—उनमें से कुछ सात या आठ लोग एक समूह का गठन करके—ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम छोर भुवनेश्वर से लगभग 220 किलोमीटर दूर है। एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु, इसे सरकार द्वारा संबंधित विभाग एवं संबधित बैंकिंग संस्था द्वारा पारित करवाने के लिए इन सात या आठ व्यक्तियों को एक साथ तीन या चार बार भुवनेश्वर आना पड़ेगा।

अब तीन या चार बार आने-जाने में समय और पैसे की जरूरत पड़ती है और कोई भी धन खर्च करने में समर्थ नहीं है, यद्यपि सरकार निधि उपलब्ध कराती रही है। मैं इसका सिर्फ एक दृष्टांत दे रहा हूं। कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें संबंधित राज्य सरकार द्वारा बराबर अनुदान दिया जाना है। कुछ मामलों में यह 50:50 है, कुछ मामलों में, यह 75:25 है, कुछ मामलों में, यह 80:20 है और कुछ मामलों में, भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। सर्वप्रथम मैं भारत सरकार के अनुदानों को लेता हूं। भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान कुछ कार्य हेतु राज्यों को जाता है। भारत सरकार के पास राज्यों के इन क्षेत्रों में धन खर्च करने हेतु अपना कोई तंत्र नहीं है। जब राज्यों को धन मिलाता है तो वे उसका क्या करते हैं? वित्तीय कठिनाईयो के कारण, निधियों के दुरुपयोग के कारण एवं राज्यों में उच्च पदों पर आसीन कुछ व्यक्तियों की धन लोलुप प्रवृत्ति के कारण धन का कुछ अन्य प्रयोजनों में विपथन हो जाता है। उसके परिणामस्वरूप जो परियोजना पहले ही शुरू की जा चुकी थी वह पूरी तरह ठप्प से जाती है और दो वर्षों के बाद, यदि आप इसे फिर से शुरू करना चाहते हैं तो आप पाएंगे कि इसकी लागत बढ़ चुकी है और पूर्व-सृजित ढांचा ध्वस्त हो चुका है।

यही स्थिति लघु सिंचाई परियोजनाओं की है। परंतु बांध क्षेत्रों के बारे में विचार कीजिए। लघु सिंचाई परियोजनाओं की यह दुर्दशा है कि जब तक वे पूरी होती हैं तो उसमें पानी उपलब्ध नहीं होता और जो भी थोड़ा बहुत पानी उसमें होता है, वह अंतिम छोर पर उपलब्ध नहीं हो पाता और हम कहते हैं कि हमने कोई लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया है। कुछ मृतप्राय मध्यम सिंचाई परियोजनाओ के संबंध में यह स्थिति है कि लोगों को पानी उपलब्ध नहीं है। कई जगहों पर जलकर की उगाही की जा रही है। परंतु किसानों को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। गलत प्रक्रियाओं को अपनाते रहने के कारण, राजनीतिज्ञों एवं कार्यपालक प्राधिकारियों में प्रतिबद्धता की कमी के कारण हम लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में सफल नहीं रहे हैं।

अब, मैं जवाहर रोजगार योजना पर आऊंगा जो अब जवाहर समृद्धि ग्राम योजना बन गया है और यह ग्राम—स्तर पर अवसंरचना उपलब्ध कराने के लक्ष्यों वाली एक स्व-रोजगार योजना है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह कैसे कार्य कर रहा है क्योंकि हम सभी जानते है कि जवाहर रोजगार योजना के तहत निधियों का अपव्यय किन-किन तरीकों से किया जा रहा है। जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन वाले क्षेत्रों में केवल निहित स्वार्थ ही कार्य कर रहे हैं। हम किसी विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कर रहे हैं। हम आंगनवाडी अथवा उस जैसे कुछ छोटे आवासों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। केवल कागजों पर ही धन खर्च किया जा रहा है।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक सुदूर जनजातीय ग्राम में गया था। कागजों पर, जवाहर रोजगार योजना कोष से एक विद्यालय भवन का निर्माण किया गया है परंतु मैंने वहां एक भी भवन नहीं पाया, क्योंकि समाहर्ता और विधायक ने दस किलोमीटर की दूरी पैदल कभी नहीं नापी और मैंने भी एक सांसद होने के नाते पहले कम अपने चुनाव अभियान में भी उस क्षेत्र का दौरा नहीं किया था। वहां पहुंचने के लिए दस किलोमीटर पैदल चलकर और तीन पहाडों पर चढ़ने के बाद बिना पानी के नीचे उतरना पड़ता है। वहां रहने वाले लोगों को एक घड़ा पानी के लिए तीन से चार किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पुरुषों या महिलाओं का आधा दिन दूरस्थ स्थानों से पानी लाने में ही व्यतीत हो जाता है। उन्होंने एक बढ़िया तरीका ढूंढ निकाला है कि साल वृक्षों के रस को निकालकर उसको किण्वित करके पीते हैं। जिससे वे कुछ देर तक ठीक रहते हैं। जिसके फलस्वरूप, वे लगभग नशे की हालत में होते हैं। मैं उन्हें पूरी तरह से नशाखोर नहीं कहता परंतु उनमें जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं होता है। वे कुछ अर्थपूर्ण करने की मंशा के बगैर बस जीने के लिए जीते हैं। विगत 50-52 वर्षों से हम गरीबी उपशमन के बारे में काफी कुछ सोचते रहे हैं। हम कई तरह से गरीबों के संबंध में सोचते रहे हैं। हम इस सभा में तथा बाहर भी इस संबंध में शोर करते रहे हैं। हम कहते रहे हैं कि हम गरीबों के हिमायती हैं। क्या हम गरीबों के हिमायती हैं? कृपया सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कोष के बारे में सोचिये। कितना धन खर्च किया जा रहा है? कुछ सांसदों पर यह आरोप है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कोष की संस्वीकृति के दौरान कुछ प्रतिशत ले रहे हैं। कुछ समाहर्ता काफी दंभी स्वभाव के हैं। वे धन शीघ्र उपलब्ध कराने एवं कार्यों को किए जाने का कार्य अपने ऊपर लेने से कुछ सांसदों के साथ सहयोग करने हेतु आगे नहीं आते। इस प्रक्रिया पर बेकार की बहस से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से व्यय करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। मैंने इस चीज को अगले दिन देखा कि कई कारणों से सांसद स्थानीय क्षेत्र

विकास योजना की 1600 करोड़ रुपए की राशि बची रह गई है। हो सकता है, हमारी गलती हो। हो सकता है इसमें निष्पादन करने वाले अभिकरण की गलती हो। उपलब्ध कराई गई प्रक्रियाओं में भी त्रुटि हो सकती है। परंतु हमें इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। यही वह समय है जब हम अवश्य विचार करें कि योजना, गैर–योजना एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कोष से दिया जाने वाला धन नियत वर्षों के अंदर क्यों नहीं खर्च किया गया। इसे निर्धारित अवधि के अंदर क्यों नहीं खर्च किया?

मैं आपको एक और दृष्टांत दूंगा जिसमें जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत विगत वर्ष में कोष का केवल 70 प्रतिशत धन ही खर्च किया गया था। हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि केवल 70 प्रतिशत ही क्यों खर्च हुआ? 100 प्रतिशत धन क्यों नहीं खर्च किया गया? जब धन उपलब्ध हैं, परियोजना उपलब्ध है, लोग काम करने को इच्छुक हैं तब क्यों केवल 70 प्रतिशत ही खर्च किया गया। इसकी जवाबदेही होनी चाहिए और आवश्यक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। अन्यथा, यह देश समृद्ध नहीं हो सकता और हम आने वाले दस से पन्द्रह वर्षों में भी विकसित देश नहीं हो सकते। ऐसा क्यों है? ये प्रश्न हम अपने आप से पूछें। इन परियोजनाओं एवं इनके लिए अलग से रखे गए कोष के बारे में हम विचार करें।

मैं आपको इसका एक और दृष्टांत दूंगा। संशोधित बजट में किसी विशेष परियोजना हेतु धन उपलब्ध कराया गया था। यह रकम वर्ष 1999–2000 में 950 करोड़ रुपए थी। परंतु इसे संशोधित बजट में कम करके 720 करोड़ रुपए कर दिया गया क्योंकि कार्य को नहीं किया जा रहा था। मैं केवल उड़ीसा की घटनाओं का ही दृष्टांत दूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं अन्य राज्यों के ब्यौरों में नहीं जाऊंगा क्योंकि तब मैं किसी और के पैरों पर पैर रखूंगा और वह नाराज हो सकते हैं।

उड़ीसा के बारे में, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा धन जारी किए जाने का एक और दृष्टांत दे रहा हूं। नवम्बर 1999 तक जारी की गई रकम 46.95 करोड़ रुपए थी परंतु केवल 9 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। यह केवल 11.36% था। ऐसा क्यों हुआ? मैंने स्वयं से यह प्रश्न पूछा। मैं आप लोगों से भी आपके अपने राज्यों के बारे में यह प्रश्न स्वयं से पूछने का अनुरोध करूंगा कि धन को पूरी तरह क्यों नहीं खर्च किया गया। कम से कम 50 प्रतिशत राशि भी खर्च क्यों नहीं की गई? मेरे राज्य में ई ए एस में नवम्बर तक, केन्द्र सरकार द्वारा 91.18 करोड़ रुपए दिए गए हैं और केवल 29.06 प्रतिशत ही खर्च किया गया था। केन्द्रीय सरकार के अपने सामान्य वित्तीय नियम हैं। जब तक आप उपयोग किए जाने का प्रमाण पत्र नहीं देंगे, दूसरी किश्त जारी नहीं की जाएगी। यह अच्छा है। यह निहायत ही जरूरी है क्योंकि जब तक पहले दिए गए धन को खर्च नहीं किया जाता, केन्द्रीय सरकार दूसरी किश्त क्यों देगी।

महोदय, आपने अवश्य देखा होगा और वे सदस्य जो अन्य समितियों में हैं, उन्होंने भी देखा होगा कि राज्य सरकारें उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजतीं क्योंकि वे जानती हैं कि धन को वेतन का भुगतान करने अथवा अन्य दायित्वों को पूरा करने में लगा दिया गया है। राजनीतिक दलों के रूप में हम दूसरों को यह कहते रहें हैं कि हम ऐसा करेंगे और वह भी विकासात्मक प्रक्रिया पर विचार किए बगैर। मुख्य बात यह है कि हमें विकासात्मक प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए।

जहां तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संबंध है, इसमें 50:50 आधार पर हिस्सेदारी है। क्या हमने इस संबंध में कोई उपलब्धि प्राप्त की है? अब हम इसे कुछ अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के साथ जोड़ रहे हैं। इसमें राज्य सरकार को 50 प्रतिशत देना है और केन्द्र सरकार 50 प्रतिशत देगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राक्कलनों को कुछ इस प्रकार से बढ़ा कर दिखाया गया है कि राज्य सरकार को अपना अंशदान न देना पड़े। परंतु उसी समय उसका आधा हिस्सा अपव्यय कर दिया जाता है क्योंकि यह केन्द्र सरकार का धन है और परियोजना को आधे रास्ते में ही छोड़ दिया जाता है। इंदिरा आवास योजना में, मैंने देखा है कि किसी गरीब व्यक्ति को एक आवास दिलाने में ग्राम सभा एक मिथ्या नाम भर है। ग्राम सभा की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है। केवल बाहुबली या सरपंच को ही पता होता है कि क्या करना है।

वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से अवश्य मजबूत हैं परंतु कोई उत्साह नहीं है। वे बस इन्दिरा अवासा योजना को संस्वीकृत कराना जानते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के तीन–चरण होते हैं। प्रथम चरण में संस्वीकृति प्रदान करने वाले व्यक्ति को आप 1000 रुपए देते हैं; दूसरे चरण में आप कनिष्ठ अभियंता को यह कहने के लिए कि कार्य अधूरा है, 2000 रुपए देते हैं; और तीसरा चरण तब आता है जब सबकुछ पूरा हो जाता है तब अंतिम किश्त को प्राप्त करने के लिए आप प्रखंड विकास पदाधिकारी की इच्छानुसार 1000 रुपए अथवा 1500 रुपए देते हैं। हम इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत एक मकान के निर्माण में 20,000 रुपए अथवा 22,000 रुपए खर्च करते हैं और हम कहते हैं कि हम आश्रय

[श्री अनादि साहू]

उपलब्ध करा रहे हैं, हम कहते हैं कि संविधान की अनुच्छेद 21 में इसका प्रावधान है और यह एक मौलिक अधिकार है। परंतु 3000 रुपए या 4000 रुपए अथवा 5000 रुपए लेते समय हम उस व्यक्ति के प्रति कितना संवैधानिक रवैया अपनाते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति के पेंशन के बारे में सोचिए—चाहें वह विधवा पेंशन हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन। आवेदन पत्र को प्रक्रियात्मक गति देने के लिए पहले सौ रुपए देने पड़ते हैं और वहां के नौकरशाहों के साथ—साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भी 100 रुपए अथवा 400 रुपए अथवा 500 रुपए खर्च करना पड़ता है। निर्वाचित प्रतिनिधि भी पैसा लेते हैं। यदि यह स्थिति है तो क्या हम यह सोच सकते हैं कि कोई उपयुक्त व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन या इस प्रकार की कोई अन्य सहायता प्राप्त भी कर सकेगा?

एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम का उदाहरण लेते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, कुछ महिला अधिकारियों द्वारा घूम—घूम कर यह पता लगाना होता है कि गर्भवती स्त्रियां कौन—कौन हैं, कितने बच्चे स्तन्येमोचित हैं और उनको क्या चीजें दी जानी हैं अथवा उनके लिए क्या किया जाना है। हमारे पास आंगनवाडी की भी व्यवस्था है। मैं एक अन्य स्थान में गया था जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आता। मैं उड़ीसा के फूलबनी निर्वाचन क्षेत्र में छठी या सातवीं शताब्दी के एक पुराने किले की खोज में निकला। मुझे कुछ दूर जाना पड़ा। मैंने वहां बहुत कमजोर बच्चे और गर्भवती महिला को टहलते देखा, अपनी तीव्र जिज्ञासा से मैनें पूछा "आप कैसे रह रहे हैं, इसे देखने के लिए क्या यहां कोई एकीकृत बाल विकास योजना अधिकारी आया?" तुरंत उत्तर मिला "हम नहीं जानते कि वह क्या होता है या होती है, लेकिन धन दिया गया है। सरकार तथा प्रखण्ड कार्यालयों के अभिलेखों में धन दिया गया है।" मैं वहां गया और मैंने अचानक पूछा क्या उन्हें 500 रुपये मिल गये हैं? पहले यह 300 रुपये था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने इसे 500 रुपये कर लिया है। उन्होंने कहा कि धन बांटा जा चुका है। यह कैसे वितरित किया गया? दूर—दराज के क्षेत्रों में लोगों को पैसा नहीं मिला है। गर्भवती महिलाओं या दूध छोड़ने वाले बच्चों, मां का दूध पीने वाले बच्चों आदि को पैसा नहीं मिला है। उन्हें पैसा नहीं दिया गया है। अभिलेखों में हम कहते हैं कि पैसा दे दिया गया है। हमारे अभिलेखों के हम कह रहे हैं कि इतनी महिलाओं को खिलाया गया है और वे स्वस्थ हैं। हम कहते हैं कि स्वस्थ बच्चे को जन्म ले रहे हैं। कल "आस्था" नामक अरबवां बच्चा पैदा हुआ। क्या हमारी अपने आप में आस्था—विश्वास है? क्या यह कहते हुए कि हम आपके लिए हैं, हम विकास की सोच रहे हैं, हम गरीब लोगों में विश्वास पैदा करने में समर्थ हैं? क्या हमने उनके बारे में सोचा है?

ग्रामीण विकास को हमारी विकासात्मक कार्यकलापो में प्रमुख स्थान मिला है। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर नवीं योजना तक प्रत्येक योजना में हम ग्रामीण विकास के बारे में सोचते रहे हैं, हम कृषि के बारे में सोचते रहे हैं और हम कृषकों तथा गरीबों की हालत में सुधार के बारे में सोचते रहे हैं, हमने घटिया किस्म के बीज दिए हैं तो उन फसलों का क्या होगा जिनके बीज ही खराब हों? हमने उपयुक्त कीटनाशी दवाइयां भी नहीं दी, लेकिन आशा करते हैं कि उत्पादन अच्छा होना चाहिए और हम आशा करते हैं कि कृषकों को अच्छा जीवन यापन करना चाहिए।

हमने 12 विभिन्न वस्तुओं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। इससे पहले ये छः वस्तुएं थीं। इन वस्तुओं में मक्का भी एक वस्तु है जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में मक्के का अत्यधिक उत्पादन होता है। निर्वाचन क्षेत्र में दो वर्गों के लोग रहते हैं। एक तिब्बती कृषक तथा दूसरा आदिवासी कृषक है।

तिब्बती धनी हैं। उनके पास इतना पैसा है कि वे उससे 8 या 10 महीनों तक निवार्ह कर सकते हैं, जबकि आदिवासी जो मिला उसी को खाकर जीवन यापन कर रहे हैं। आदिवासी अपने मक्के को 300 रु॰ प्रति क्विन्टल बेचने को तैयार है जबकि तिब्बती कृषक इसे छः महीने रोककर 600 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से बेचते हैं। भारत सरकार ने 600 रुपये प्रति क्विन्टल इसका मूल्य निर्धारित किया है। लेकिन हमने उन आदिवासियों के बारे में नहीं सोचा जो कि अपना उत्पाद इस कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। हमने उनके लिए मंडी की व्यवस्था पर भी विचार नहीं किया। हम केवल सोचते हैं कि हमने मूल्य निर्धारित करके कृषकों के विकास की इतिश्री कर ली है।

महोदय, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं कि इस देश में राहें किस तरह से चल रही हैं। हमारे पास यह दिखाने के लिए अभिलेख और आंकड़े हैं कि हमने तेजी से प्रगति की है। इन आंकड़ों और की गई प्रगति का लेखा जोखा केवल सिद्धान्तहीन लोगों के लिए बनाया गया है चाहें वे राजनीतिक हों या नौकरशाह, बिचोलिए हों या पंचायत स्तर के लोग हों या विभिन्न स्तरों पर चुने गए प्रतिनिधि हों। हम सभी को सोचना चाहिए कि किस तरीके से यह रुग्णता ठीक की जा सके और भारत को उस सही रास्ते पर ले जाया जा सके जहां विकास अच्छा हो, जनता समृद्ध हो और जनता की भलाई हो।

[हिन्दी]

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा) : सभापति जी, मुझे इस नॉन यूटीलाइजेशन ऑफ फंड्स बाइ दी स्टेट रेज्योल्यूशन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। जो कुछ मेरे कुलीग ने कहा, उनकी ज्यादातर बातों से मैं सहमत हूं। इस देश के अंदर इलैक्टेड बॉडीज नीचे से लेकर ऊपर तक हैं। विलेज लैवल पर करीब–करीब 2,27,698 पंचायते हैं। जिसके अंदर इलैक्टेड लोग आते हैं। करीब 5,906 इंटरमीडिएट लेवल की बौडीज हैं और 4074 डिस्ट्रिक्ट लैवल की हैं। 34 लाख के करीब ऐसे सदस्य हैं जिन्हें इस देश के लोग पंचायत मैम्बर से लेकर ऊपर तक के लिए चुनते हैं। सैंट्रल गवर्नमैंट की जो डिफरैंट स्कीम्स है जिसके लिए स्टेट को गुरबत दूर करने, कॉमन आदमी के लिए, सड़कें, घर, स्कूल आदि बनाने के लिए दिया जाता है, उन सारे पैसे के अंदर, तमाम स्कीम्स के अंदर, ये 34 लाख आदमी जिन्हें इस देश की जनता चुनती है, का हाथ बहुत कम होता है। आज इस देश के अंदर जितनी गड़बड़ हो रही है, जितना करप्शन हो रहा है, सैंट्रल गवर्नमैंट जितना पैसा स्टेट गवर्नमैंट को भेज रही है, उसकी सबसे बडी वजह यह है कि इलैक्टेड आदमी को हम कहीं भी इनवॉल्वड नहीं कर रहें हैं। हम सबसे ज्यादा भरोसा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा भरोसा उस बॉडी के ऊपर कर रहे हैं जिनका इस देश के साथ कमिटमेंट हो सकता है लेकिन आम आदमी और गरीब आदमी के साथ कोई कमिटमैंट नहीं है। सैंटर पैसा भेजता है, स्कीम्स बनाकर भेजता है, स्टेट गवर्नमेंट उन तमाम पैसों को दूसरे काम में इस्तेमाल कर लेती है। ज्यादातर स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। वहां उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे कामों के अंदर किया जाता है। सरकारी नौकरों को तनख्वाहें देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से डिपार्टमैंट ऐसे हैं जहां सरकारी लोगों को पांच छह महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। वे वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं। उनसे समझौता कर रहे हैं, एग्रीमैंट कर रहे हैं और लोन लेकर आ रहे हैं।

मैं इस हाउस के अंदर कहना चाहता हूं कि तमाम पैसा जो वर्ल्ड बैंक से आयेगा, उस काम के लिए नहीं लगेगा बल्कि उसे दूसरे काम के लिए लगाया जायेगा। उसको वापस करना मुश्किल हो जायेगा। उसका सूद देना मुश्किल हो जायेगा। जब तक पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर हम ईमानदारी के साथ नहीं सोचेंगे कि इस देश के गरीब आदमी की गुरबत को कैसे दूर करना है तब तक इस देश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ सकता।

अपराह्न 4.00 बजे

जब तक उस आखिरी आदमी की, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तकलीफ दूर नहीं करेंगे, तब तक देश मजबूत नहीं होगा। आज पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अभी तक जो डाटा मेरे पास है, मेरे दोस्त ने ज्यादातर बातें कहीं हैं, उन्हें मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है और 25 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार पैसा लगती ही नहीं है। 25 प्रतिशत उसे देना है लेकिन कोई पैसा नहीं लगाती। केन्द्र सरकार जो पैसा देती है, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ 46.11 प्रतिशत पैसा खर्च किया गया। जवाहर ग्राम योजना के अंदर, इंदिरा आवास योजना के अंदर मकान बनाने के लिए 1985 से 2000 तक 9 लाख 17 हजार 324 करोड़ रुपया दिया गया। कितनी बड़ी रकम है। क्या कभी, किसी ने सोचा है कि इतनी बड़ी रकम कहां चली गई, इस पैसे से कितने मकान बनें?

मेरे एक फाजिल दोस्त ने बहुत ठीक कहा कि गरीब आदमी जब मकान का सैंक्शन करवाने जाता है तो उसे एक एक जगह रिश्वत देनी पड़ती है। मुझे उत्तर प्रदेश में बताया गया कि जूनियर इंजीनियर से लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक 32 प्रतिशत, 40 प्रतिशत कमीशन देते हैं। मुझे याद है, उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि जो पैसा ऊपर से जाता है, एक रुपये में से 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है। हम जब तक इसे सुपरवाइज नहीं करेंगे, इसके ऊपर चैक नहीं करेंगे तब तक कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं कोई पार्टी पोलीटिक्स की बात नहीं कर रहा कि आपकी सरकार में इम्प्रूवमैंट हुआ है, उनकी सरकार में नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)* अगर पार्टी पोलीटिक्स होगी तो चल रहा है, वह चलता रहेगा। जितना करप्शन आपकी सरकार में है, पिछली सरकारों में उतना करप्शन नहीं रहा उत्तर प्रदेश में नीचे से लेकर मंत्री तक पैसा कमाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते। मैं इस हाउस में नाम नहीं लेना चाहता लेकिन यदि आप मुझसे बात पूछेंगे तो मैं नाम लेकर बता दूंगा कि कौन आदमी क्या–क्या कर रहा है। मैं पार्टी पोलीटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं कि इस देश के गरीब आदमी के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर इसी तरह पार्टी पोलीटिक्स होती रहेगी तो गरीब आदमी गरीब से गरीबतर होता चला जाएगा। पार्टी पोलीटिक्स से ऊपर उठ कर सोचना पड़ेगा। मैं इस हाउस में कई बार कह चुका हूं।

श्री राम जेठमलानी साहब यहां तशरीफ रखते हैं। उनसे भी कहना चाहता हूं कि आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोई ऐकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसके नीचे के अधिकारियों की कोई

[श्री राशिद अल्वी]

ऐकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक बार एक साल, दो साल की मेहनत के बाद आई. ए. एस. कर लिया, बेईमानी का परमानेंट सैर्टीफिकेट मिल गया कि इस देश के अंदर जितना लूट सकते हो, लूटो। कितने पब्लिक सैक्टर हैं जो नुकसान में जा रहे हैं। हम फैसला करते हैं कि फलां आई. ए. एस. अफसर को इस पब्लिक सैक्टर का इन्चार्ज बना दिया जाए। एक सैर्टीफिकेट दे देते हैं। बिरला की फैक्ट्री अरबों रुपये कमाएगी, सरकार की फैक्ट्री नुकसान में जाएगी। प्राईवेट आदमी बस चलाएगा, पैसा कमाएगा लेकिन सरकार की बस नुकसान में जाएगी। सरकार की बिजली चोरी भी होगी और नुकसान में भी जाएगी। लेकिन प्राईवेट सैक्टर की बिजली फायदे में जाएगी। कौन है जिम्मेदार? इतनी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और हमें इस बारे में फैसला करने में असमर्थ हैं। हमें इस पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ऐग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस देश में करीब 34 लाख आदमी हैं जिन्हें हर पांच साल के बाद चुना जाता है, उन्हें इन्वॉल्व करना पडेगा। वे तमाम सैंटर की स्कीमें जिनमें सैंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, उनके अंदर एम. पीज का इम्पोर्टेंट रोल होना चहिए। उन कमेटीज को चेयरमैन पार्लियामेंट का मेम्बर होना चाहिए। पार्लियामेंट के मैम्बर को यह इख्तियार होना चाहिए कि वह जाकर देखे कि उस पैसे का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। आंखें बन्द करके पैसा नहीं देना चाहिए। एम. पी. को अख्तियार होना चाहिए कि उसके रिव्यू करे, आफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सके और जब तक यह सब कुछ नहीं होगा, एम. पी., एम. एल. एज. और नीचे तक ये अखितयारात नहीं पहुंचेगे, आप इसके अंदर कितनी भी बहस करते रहें, इसके अंदर कोई तब्दीली आने वाली नहीं है।

एम्पलायमेंट एश्योरेंस स्कीम का जो गवर्नमेंट का डाटा है, जिला परिषद इस स्कीम को एम. पी. के कन्सलटेशन में आगे बढ़ाती है। 1996–97 तक 63.85 परसेंट पैसा खर्च हुआ, 1997–98 में 67.37 परसेंट पैसा खर्च हुआ, 1998–99 में 83.98 परसेंट पैसा खर्च हुआ और 1999–2000 के अंदर सिर्फ 42.74 परसेंट पैसा खर्च हुआ। इतने एम. पीज यहां बैठते है, जिला परिषद के लोग और कलैक्टर किस एम. पी. को कन्सल्ट करता है। मैं अपना जाती तजुर्बा बता रहा हूं, टेलीफोन करके अगर बात कर लेते हैं तो बडी भारी बात है। अधिकारी उस समझा देंगे कि कन्सलटेशन का मतलब मशविरा करना है, फैसला आपको करना है। एम. पी. को पूछ लीजिए कि कौन सी सड़क बनानी है, कह दीजिए कि मेरी समझ में नहीं आ रही, आप अपनी मर्जी से सड़क बनाइये। उसके अंदर नीचे से ऊपर तक करप्शन होता है, नीचे से ऊपर तक पैसा लिया जाता है। मेरे अपने क्षेत्र की बात मैं करता हूं। अमरोहा क्षेत्र के अंदर दो मिलोमीटर की सड़क बननी थी, सरकार की एक स्कीम आई कि जो गांव पक्की रोड़ से जुड़े नहीं हैं, उनको सरकार जोड़ेगी। शर्त यह है कि गांव की आबादी एक हजार से ज्यादा होनी चहिए और पक्की रोड से जुड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने पूरे क्षेत्र के अंदर घूमकर ऐसे गांवों की एक फेहरिश्त बनाकर सरकार को भेजी। सरकार ने मुझे लिखकर भेजा कि फलां गांव के अंदर जो पक्की सड़क बनी हुई है। मैंने इंजीनियर को कहा कि चलो मुझे दिखाओ, कहां पक्की सड़क है। कच्ची सड़क 20 तरीके की है, उस पर साइकिल भी नहीं चल सकती। उसके अंदर 2–2, 3–3 गज के गड्ढे हैं, लेकिन कागज के ऊपर लिखा हुआ है कि 10 साल पहले सड़क बनी थी, डामर की बनी हुई है, बहुत बढ़िया सड़क है और वह सड़क अभी तक है। हर साल उस सड़क पर मेंटीनेंस का खर्चा हो रहा है। सरकार कह रही है कि सड़क तो बन ही नहीं सकती, 10 साल से बनी हुई है। अब एम. पी. के पास क्या जरिया है कि उस सड़क को बनवायें। क्षेत्र के लोग चिल्ला रहे हैं कि उस सड़क को बनना चाहिए। आप सिर्फ लिखकर दे सकते हैं, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी आंखों के सामने बेईमानी हो रही है, आंखों के सामने करप्शन हो रहा है। आप चुने हुए नुमाइन्दे हैं, लेकिन आपके पास कोई कानून नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है कि आप उसके खिलाफ कुछ कर सकें। यह कोई एक मिसाल नहीं है, मैं ऐसी पचासों मिसाल दे सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं बहुत अदब के साथ यही कहना चाहता हूं।

ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन के ऊपर मेरे भाई ने कहा कि कागज के ऊपर ओल्ड एज पेंशन भी मिल रही है, लेकिन मेरे पास पचास कम्प्लेंट्स है कि उनके पास पैसा नहीं जा रहा है। वे चैक लेने जाते हैं, अगर किसी का चैक है तो पैसा देना पड़ता है। सरकार क्या सोच नहीं सकती, क्रास चैक बनाकर उनका एकाउण्ट खोलकर सीधे उनको पैसा उनके एकाउण्डट के अंदर पैसा पहुंचा दें। इसके अन्दर कौन सी परेशानी है, लेकिन इसके अन्दर परेशानी यह है कि फाइल तो नीचे से आनी है और नीचे वाले को फाइल के ऊपर लिखना है कि किस तरीके से हमें पैसा मिलना है। अगर सरकार विडोज और ओल्ड एज के लोगों के सीधे एकाउण्ट खोलकर पैसा सीधे उनके एकाउण्ट के अंदर भेज दे तो यह बेईमानी भी बचेगी और बूढ़े आदमी और गरीब औरत के पास सीधे पैसा भी पहुंच जायेगा। इसके अंदर मैं चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अलवी, साहब आप स्थान ग्रहण करें।

बाद में आपका भाषण कंटीन्यू रहेगा। अभी चूंकि इस रैजोल्यूशन पर 4.08 बजे तक दो घंटे का समय निर्धारित हुआ था, वह समयावधि समाप्त हो रही है, इसलिए सदन सहमत हो तो समय डेढ़ घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये, चूंकि रैजोल्यूशन का विषय महत्वपूर्ण है। अभी मेरे पास आठ माननीय सदस्यों की सूची है, जिन्हें इस पर बोलना है।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इधर से आपने एक घंटे की बात कही और आपने दो घंटे की बात कही तो मैं डेड़ घंटे समय बढ़ाता हूं। अब आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज का गैर सरकारी सदस्य कार्य लिया जायेगा या नहीं।

सभापति महोदय : अगर यह रैजोल्यूशन डेड़ घंटे में पूरा हो गया तो आप लोगों की स्पीच के बाद आगे को रैजोल्यूशन ले लिया जायेगा।

श्री राशिद अलवी : मैं तो अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जो पैसा हम भेजते हैं, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं होता। जो पैसा भेजते हैं, उसका गलत इस्तेमाल होता है। जो पैसा भेजते हैं वह रिश्वत के अंदर चला जाता है। मैं सरकार को मशविरा देना चाहता हूं कि इस रिजोल्यूशन का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि इसके अंदर चुने हुए जन प्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। ऐसी तमाम स्कीमें जिनका फंड केन्द्र भेजता है, सांसद चेयरमैन होना चाहिए। उसको फाइनल अख्तियार होना चाहिए। जो दूसरे इलेक्टिड लोग हैं उनको भी लगाया जा सकता है। मैं यह भी नहीं कहता कि सिर्फ सांसदों को ही रखें, उसमें विधायकों को भी लिया जा सकता है, उन्हें भी बनाया जा सकता है। लेकिन जब तक इस तरीके का सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, तब तक पैसा का गलत इस्तेमाल होता रहेगा। मैं इस रिजोल्यूशन का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

अपराह्न 4.11 बजे

(डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : सभापति महोदय, पांच मई को निजी प्रस्ताव के माध्यम से श्री रामानन्द सिंह ने ग्रमीण क्षेत्रों के विकास एवम् गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित निधि का सदुपयोग न करने पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत सरकार से समुचित कार्यवाही करने एवम् कार्यान्वयन में तीव्रता लाने वाला जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सर्वप्रथम मैं श्री रामानन्द सिंह को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ग्रामीण संबंधी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि समय-समय पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित अनेक कार्यक्रम दिए हैं। लेकिन विचार इस बात करने की आवश्यकता है कि क्या इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। कौन से कारण हैं कि जितने कार्यक्रम बनते हैं, जब उनके कार्यान्वयन को देखा जाता है तो पाया जाता है कि ठीक तरह से नहीं हो रहा है। इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कार्यक्रम में कोई कमी है या कार्यान्वयन में कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीजों में कमी है। जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, वे अधिकांश दिल्ली में ए. सी. लगे हुए दफ्तरों में बैठ कर बनाए जाते हैं। ऐसे लोग बनाते हैं जिनका ग्रामीण क्षेत्रों का कोई अनुभव ही नहीं है। मैंने देखा है कि कहीं भी किसी जन प्रतिनिधि को कार्यक्रम बनाते दफा विश्वास में नहीं लिया जाता। यह भी देखा गया है कि जब भी सरकार में कोई परिवर्तन होता है तो नया कार्यक्रम आ जाता है। इससे अधिकारी और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कार्यक्रमों के साथ-साथ पदों का भी सृजन होता है, वह ज्यादातर ऊपर के स्तर पर होता है। कहां किस आई ए एस को इंचार्ज बनाना है या एच एस ओ हो या कोई प्रदेश जैसे यू. पी. या हिमाचल प्रदेश के कैडर का हो, किस प्रकार अधिक से अधिक अधिकारियों के पदों का सृजन किया जाए, किस प्रकार से कार्यक्रमों की बागडोर अपने हाथ में ली जाए, इसकी चिंता ज्यादा की जाती है और कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कम की जाती है।

रमेश चेन्निथल्ला जी को इस बात पर आपत्ति थी कि जे. आर. वाई. का नाम क्यों बदला गया। वैसे उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जवाहर लाल जी का नाम अलग नहीं किया गया, वह आज भी जुड़ा हुआ है। यह ठीक है कि वे आपके दल के नेता रहे हैं, लेकिन वे इस राष्ट्र के माननीय और सम्माननीय भी हैं। आपका हमारे साथ विरोध और मतभेद हो सकता है, पार्टी की नीतियों को लेकर हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के नेताओं को लेकर कहीं कोई झगड़ा या मतभेद नहीं है। मैं इनकी एक बात से सहमत हूं कि केवल कार्यक्रम का नाम बदल देने से या नया कार्यक्रम देने से विकास नहीं हो जाएगा। उसके कार्यान्वयन की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज एक नहीं पचासों कार्यक्रम इस प्रकार के चल रहे हैं, चाहें प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना कह दीजिए, चाहें जे. आर.

[श्री महेश्वर सिंह]

वाई. कह दीजिए, ग्रामीण समृद्धि योजना कह दीजिए। योजनाओं की कमी नहीं है, लेकिन हमें ग्राउंड रिएल्टी की ओर देखना होगा। जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, उनको विश्वास में लेकर कोई कार्यक्रम नहीं बनेगा, वह कार्यक्रम कभी सफल नहीं होगा। मैं आपका ध्यान जे. आर. वाई. की तरफ ले जाना चाहूंगा, क्योंकि विस्तार से साहू जी ने कहा है। लेकिन जे. आर. वाई. के बारे में मैं जरूर कुछ बाते कहना चाहूंगा। जब यह कार्यक्रम बना था तब यह कहा गया कि पचास प्रतिशत पैसा तो मजदूरी पर खर्च होगा ताकि लोगों को रोजगार के अवसर मिलें और पच्चीस प्रतिशत मैटिरियल पर खर्च होगा लेकिन जगह की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम क्या हुआ और इसके लिए पैसे देने का आधार क्या है? इसमें आधार जनसंख्या है और मैंने पीछे भी उदाहरण दिया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे हिमाचल या पूर्वोत्तर राज्य या उत्तरांचल है वहां पर एक कि.मी. सड़क बनाने पर कितना खर्च होता है, उसका अनुमान लगाना चाहिए। वह तो कोई अनुमान नहीं लगाता। अब पच्चीस प्रतिशत मैटिरियल पर खर्च करें, कैसे उस काम को करें? अगर एक चट्टान कहीं सड़क पर फंस जाये तो उसको तोड़ने में ही सारा पैसा लग जाता है। हमें पैसा कितना मिलता है? पहाड़ी क्षेत्रों को जो पैसा मिलता है, चूंकि जनसंख्या बहुत कम है, बिखरी हुई आबादी है, हमें जे आर वाई में एवरेज पन्द्रह हजार रुपये प्रति पंचायत मिलता है और बदले में यहां से क्या लिखा जाता है कि जो कार्यक्रम होगा, कार्य जो किया जाएगा, वह परमानेंट एसैट होना चाहिए। पन्द्रह हजार रुपये में क्या परमानेंट एसैट करेंगे, क्या घर की दो सीढ़ियां बनाकर बैठ जाएं? पन्द्रह हजार रुपये में क्या कोई कार्य संभव है? अनेकों बार इस सदन में भी मैं इस बात को उठा चुका हूं कि कम से कम जलेटिन खरीदने के लिए तो इसमें प्रावधान करिए कि अगर सड़कों का निर्माण करना है, कोई चट्टान आ जाये और जब तक उस चट्टान को तोड़ा नहीं जाएगा, विस्फोट पदार्थ खरीदने का कोई प्रावधान नहीं होगा तो हम सड़क कैसे बनाएंगे लेकिन कोई नहीं सुनता और वह कहते हैं कि पच्चीस प्रतिशत मैटिरियल कंपोनेंट है और पिचहत्तर प्रतिशत लेबर कंपोनेंट होगा, कैसे काम होगा? इसलिए मेरा यह कहना है कि जब योजनाएं बनाते हैं तो प्रांत का भी विचार करना चाहिए कि किस प्रांत की क्या भौगोलिक स्थिति है और वहां वर्किंग सीजन कितना है। यह पैसा खर्च नहीं होता, सारे आंकड़े यहां बताते गये हैं कि यह क्यों खर्च नहीं होता? क्योंकि साल के शुरू में कोई पैसा नहीं देता और जनवरी, फरवरी के महीने में यहां से तारें और फैक्स आता है कि पैसा मांगो। कहां मांगें, कहां उस पैसे को खर्च करें? जब सारा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है तो पैसा लेकर क्या करेंगे? हमारे यहां जनवरी और फरवरी में काम ही नहीं हो सकता, तब जोर देते हैं कि पैसा ले जाओ। साल भर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और जब सर्दियों के दिन आते हैं तो जोर देते हैं कि पैसा आकर ले जाओ। जब हम खर्च नहीं कर सकते तो पैसा देने के लिए उदार हो जाते हैं, इसलिए इन सब बातों पर विचार करना होगा। केवल योजनाओं के नाम बदलने से उन्नति नहीं होगी। नयी-नयी योजनाओं के लाने से कोई उन्नति नहीं होगी, मैं तो यहां तक कहूंगा कि समय आ गया है, सब योजनाओं की समीक्षा करके एक छत के नीचे ले आइए ताकि कुछ न कुछ काम हो और कुछ परिणाम निकलें।

इसी प्रकार से मैं फ्लोरिकल्चर की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। फ्लोरिकल्चर का काम उन लोगों को दिया गया जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। आई आर डी पी परिवार को और इसलिए कि ये फूल की खेती करेंगे, फूल पैदा करेंगे और फिर गरीबी के स्तर से ऊपर उठेंगे। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को अपनाया और जब फूल पैदा कर दिये तो खरीदने वाला कोई नहीं है। जब खुराना जी की दिल्ली में फूल बेचने ये लोग आये तो पचास प्रतिशत रिजेक्शन करके फार्मर का फूल किनारे फेंक दिया गया और रिपोर्ट में जो गरीब था, वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गया लेकिन वास्तविकता यह है कि वह गरीबी की रेखा से भी नीचे जाकर डूब गया क्योंकि उसने जो फूल का उत्पादन किया था, वह कहीं बिकता नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है। केवल कार्यक्रम बनाने से नहीं होता। कहा गया है कि गांव में बैठा जो शिल्पकार है, उसे औजार खरीदने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। यहां आपने उसके बारे में चर्चा की है लेकिन कितने लोगों को वे औजार मिलते हैं? जो मिलते हैं, वे किस स्टैंडर्ड के मिलते हैं, क्योंकि हर जगह रेट कांट्रैक्ट है। रेट कांट्रेक्ट के समय तो औजार बेचने वाला बढ़िया से बढ़िया औजार दिखा देता है लेकिन जब गरीब लोगों को औजार देंगे तो हथौड़ा ऐसा दिया जाता है कि एक ठोकर मारो तो हथौड़े के दो टुकड़े हो जाते हैं। त्रिपाल ऐसा देंगे कि अगर कहीं ब्याह शादी में लगाए तो वह फट जाता है। सारी बारिश हमारे सिर पर पड़ती है, इस प्रकार का मैटिरियल दिया जाता है, इसलिए इन बातों पर जब तक हम गहराई से विचार नहीं करेंगे तब तक इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार से ई. ए. एस. का पता जाता है। एम्पलायमेंट जनरेशन के लिए गांव में पैसा जाता है। इसमें भी आबादी आधार होगा। अर्थात् जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें हमको छुट्टी क्योंकि जनसंख्या आधार रखोगे तो पैसा घटेगा। हमारी जो विकट समस्या है, आप उसको भलीभांति जानते हैं। यह माननीय सदन अच्छी तरह जानता है। हमको

जनसंख्या के आधार पर पैसा मिलता है। अगर जनसंख्या बढ़ाएंगे तो भी मुसीबत है। पहले ही सौ करोड़ हो गई है, हम बढ़ाएंगे तो और दुर्गति होगी।...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल): जनसंख्या तो बढ़ा देंगे लेकिन भौगोलिक परिस्थिति को कैसे बदलेंगे? जनवरी, फरवरी में बर्फ को गिरने से कैसे रोकोगे?

श्री महेश्वर सिंह : अगर हर बात को जनसख्या से जोड़ोगे, एक तरफ सरकार कहती है, चाहें किसी भी पार्टी की सरकार आए, सरकार कहती है कि बढ़ती हुई आबादी देश के हित में नहीं है। इसको कम करें और दूसरी तरफ कहते हैं कि पैसा चाहिए, तो जनसंख्या बढाइए। हम किसके आदेश को मानें? खंडूरी जी ठीक कह रहें हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ भी गई, तो बर्फ पड़ने की स्थिति में क्या करेंगे। हमारे यहां क्षेत्र छः–छः महीने बर्फ से ढके रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कार्यक्रम बनाते समय इन हमारे बातों पर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय से मैं पुरजोर आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस बात पर विचार करें कि ईएएस कार्यक्रम में जनसंख्या को क्या आधार बनाना है? मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, हमारे यहां एक–एक ब्लाक में 47 से 50 तक पंचायतें हैं। जहां तक क्षेत्रफल का सवाल है, हिमाचल प्रदेश देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन वह 55 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। एक दिन मंत्री जी कह रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश में आबादी बहुत कम है।

सभापति महोदय : आप कृपया विषय पर बोलिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए पैसे का उपयोग राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं।

श्री महेश्वर सिंह : मैं नहीं समझता कि मैं विषय से बाहर जा रहा हूं। मैं विषय से बाहर नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, एक दिन मंत्री जी कह रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश में मनीआर्डर करें, तो लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहां पर जनसंख्या ऐसी है। दूसरी तरफ वे यह सोच नहीं रहे हैं कि विकास की मूल धारा में इन पहाड़ के लोगों को, कंदराओं के लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा, तो इसका क्या परिणाम होगा, इन सब बातों की ओर भी ध्यान देना होगा।

अंत में, मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए, तीन–चार सुझाव प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा पहला सुझाव है, अब समय आ गया है कि जितने भी विकास के कार्यक्रम हैं या जो भी आप नए कार्यक्रम बनाने का विचार रखते हैं, इन सब कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक समिति का गठन कर दीजिए। इस समिति की अध्यक्षता स्वयं मंत्री जी करें और हर प्रांत से एक अनुभवी सांसद को इसका सदस्य बनाया जाए, जो इन सब कार्यक्रमों की समीक्षा करे। जहां तक हो सके, इन सब कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ दिया जाए और एक नोडल एजेंसी होनी चाहिए, जो विभिन्न मंत्रालयों से मिलने वाले पैसे को देखें कि किस प्रकार खर्च हो रहा है और क्या कार्यक्रम बन रहे हैं। कभी–कभी पैरेलल कार्यक्रम बन जाते हैं। सिंचाई की एक योजना मुख्य विभाग भी बना रहा है, ब्लाक डेवलपमेंट भी बना रहा है और जिलाधीश के यहां एनडीए के तहत भी बन रही है और पैसा दिया जाता है। ऐसी स्थिति होने पर पता चलता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जिस प्रकार कागजों में सड़कें बनी होती हैं, वहीं हाल इसका होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए।

दूसरी बात, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की तरह विधायकों के लिए स्थानीय विकास निधि बनाई गई है। महाराष्ट्र राज्य में तो बना दी गई है और कुछ अन्य प्रांत भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि कोई एम एल ए अनुशंसा करता है, तो सारे का सारा पैसा ब्लाक डिपार्टमेंट के द्वारा खर्च होता है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का अधिकांश पैसा ब्लाक डवेलपमेंट के द्वारा जाता है। स्टाफ की हालत देखिए, मैं आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताता हूं, हिमाचल प्रदेश का इतना बड़ा क्षेत्रफल है और केवल दो कनिष्ठ अभियन्ता हैं, तीन–चार डिस्ट्रिक्ट्स में केवल एक एसडीओ है। इतना ही नहीं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए काफी लम्बा–चौड़ा प्रोसीजर है। अगर खर्च सीमा 80 हजार रुपए से ऊपर यानि एक लाख रुपए हो गई तो एक्जीक्युटिव इंजीनियरों की मंजूरी चाहिए। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भी लोक निर्माण विभाग से नियुक्त किए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के क्या अपने एस. डी. ओ. और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर नहीं हैं? इन पदों पर भी ऐसे लोगों को भेजा जाता है, जो सबसे निकम्मे होते हैं। जिनसे कहा जाता है कि आप ब्लाक डिपार्टमेंट का काम सभांलिए, जहां तुलनात्मक दृष्टि से काम कम है। मेरा सुझाव है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लोक निर्माण विभाग में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर बैठा है, अनेक एस.डी.ओ. बैठे हैं, ये लोग वहां क्यों नहीं भेजे जा सकते हैं। इनको आप इस काम के लिए एलाउन्स दे सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि फील्ड में स्टाफ ज्यादा होना चाहिए। आई. ए. एस. लोगों को बैठाकर ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते हैं। अगर गांवों की उन्नति करनी है, तो आपको अधिक ध्यान देना होगा। इसके साथ ही जहां एसी या अन्य गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, वहां उन अधिकारियों को पैदल जाना होगा। इसलिए फील्ड स्टाफ की अधिक भरती की

[श्री महेश्वर सिंह]

जानी चाहिए। इन कार्यक्रमों की केन्द्रीय स्तर पर समीक्षा भी होनी चाहिए। जो प्रांत अच्छा काम करते हैं, उन्हें वर्ष के अंत में पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और जो ठीक काम नहीं करते, उन्हें दंडित और प्रताड़ित किया जाना चाहिए। यहां जो काम करता है उसकी भी पहचान नहीं होती और जो नहीं करता, उसकी भी पहचान नहीं होती, यह देखना बहुत आवश्यक है।

महोदय, इन्होंने जो एम. पी. को अध्यक्ष बनाने की कही, मुझे लगता है कि शायद सारे प्रांत इस चीज के लिए तैयार न हों। इसमें कठिनाई आ सकती है लेकिन एक चीज जो सुनिश्चित की जा सकती है कि जो डीआरडीए की बैठक होती है, उसमें स्थानीय सांसद की सुविधा भी देखी जाए। आमतौर पर यह होता है कि प्रांत में सरकारें किसी पार्टी की हैं, और सांसद दूसरे दल का है। वे जानबूझ कर तब मीटिंग बुलाते हैं जब सांसद यहां होता है ताकि वह आ ही न सके। महोदय, ज्यादातर मीटिंग्स उन दिनों में होती हैं जब हम यहां सत्र में होते हैं। उन्हें मालूम है कि शनिवार को कभी सत्र नहीं होता, लेकिन वे शनिवार को मीटिंग करेंगे, क्योंकि शनिवार प्रांतों में छुट्टी नहीं होती, लेकिन वे जानबूझ कर देखेंगे कि किस दिन यहां व्हिप इश्यु हुआ है, उस दिन डीआरडीए की मीटिंग हो जाएगी। हमारे लिए इसलिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रांत में हमारी अपनी सरकार है। लेकिन हमने वे दिन भी देखें हैं जब हम विपक्ष के सांसद थे, प्रदेश में और कोई सरकार थी। क्या दिक्कतें आती हैं, हम अच्छी तरह इस पीड़ा को समझते हैं। वे मीटिंग ऐसे समय पर बुलाएंगे जब हम आ ही न सकें।

महोदय, यहां सब माननीय सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बातें कहीं हैं और मांग की है कि डीआरडीए का अध्यक्ष सांसद होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए, क्योंकि हम केन्द्र के प्रतिनिधि हैं। अगर यह संभव नहीं हो तो कम से कम यह सुनिश्चित करिए कि डीआरडीए की मीटिंग में उसकी भागीदारी हो, उसकी सुविधा के अनुसार मीटिंग रखी जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए मैं आपके प्रति और माननीय सदन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, यहां जो माननीय सदस्य जो संकल्प लाए हैं। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और आपने मुझे समय दिया, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं।

महोदय, लोकसभा मंदिर के समान है और उस मंदिर में सबसे पहले उन 60 करोड़ लोगों की पूजा होनी चाहिए जिन्होंने हमें यहां भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके ऊपर आपके हिसाब से आपत्ति आती है—एक आपत्ति नैसर्गिक होती है और एक मानव निर्मित सरकार द्वारा आती है। मैं सरकार निर्मित आपत्ति को तो सचमुच बोलता हूं कि यह परिचक्र है और यह परिचक्र अभी नहीं बल्कि हमेशा से 60 करोड़ जनता के ऊपर आ रहा है। हमने कारगिल चक्र निभाया, लेकिन इस चक्र को दूर करने की बात नहीं की, यह मेरा सवाल है। इस सवाल को कैसे हल करना है, इस बारे में हमें सोचना है।

महोदय, जब नैसर्गिक आपत्ति आती है तो बहुत सी कठिनाई पैदा हो जाती है, अभी जैसे थोड़े दिन पहले एक राज्य में आई थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं एक बार मोरारजी भाई के पास गया और उनसे बोला कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पांच बांध पैसे के अभाव में ऐसे ही पड़े हैं। उन्होंने अपने सैक्रेट्री को बुलाया और कहा कि चाहें जैसे भी करो, इनके यहां जल्दी से इस काम के लिए पैसे भेजो। उस बांध के लिए पांच वर्ष की मुद्दत थी और वह काम ढाई वर्ष में पूरा हो गया। महोदय, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मोरारजी भाई ने खुद बोला कि जो काम ज्यादा लम्बे समय तक पड़ा रहता है तो उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, इसलिए समय पर काम पूरा होना चाहिए। उस वक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 50–50 छोटे बांध बन गए। अभी भी जब अंगूर आता है तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का पहला नम्बर आता है। मार्केट में सब्जी जाती है। तो पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र का नम्बर आता है। हमेशा बख्शीश में ढाल मिलती है? यह क्या है? यह सरकार द्वारा निर्मित कारण है। इस पर चर्चा होती है, बहस होती है, लेकिन खुले दिल से विकास पर बहस नहीं होती है। बाबू जी के बारे में अभी भी बोला है, नौकरशाही के बारे में बोला है। नौकरशाही के बारे में जितनी सरकार जवाबदेह है उतने ही हम भी जवाबदेह हैं। हम लोग अच्छे नहीं हैं। अच्छा अधिकारी हर तरह से बिगड़ जाये, ऐसी हम कोशिश करते हैं। इस पर भी जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। अगर ऐसा हो जाये तो ठीक-ठीक काम हो जायेगा और गरीबों का भला हो जायेगा। केवल सरकार ही जवाबदेह है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, हम भी जवाबदेह हैं।

मान्यवर, परिस्थितियां बहुत कठिन है, उनको सुलझाने के बारे में सोचना चाहिए। शुरू में ही ऐसा काम हो रहा है। आज मैं बहन मेनका गांधी के दफ्तर में गया। एक संत शराब के खिलाफ प्रचार करता है और बहुत सीधा आदमी है। वह कागज ढंग से लाया नहीं था। वह बोलीं कि आप ठीक कागज नहीं लाये हैं। यह आदमी बोला कि ऑडिट विभाग ने मुझसे 50

हजार रुपये मांगे कि मैं ठीक कागज कर देता हूं। माननीय मंत्री महोदय, २८ आज की बात है। उससे ऑडिट विभाग में बोला गया कि 50 हजार रुपये दे दो, मैं ठीक कागज करके देता हूं। दो लाख रुपये उसे मिलने थे। यह कैसे चलेगा। मेरे जैसा चालक आदमी पैसा भी नहीं खर्च करता और कागज भी ठीक करवा लेता। उसने पैसा खर्च नहीं किया, उसे गर्व है। हमें इस पर सोचना चाहिए।

जंगल के बारे में हम हमेशा पंथ–प्रधान को कहते रहते हैं। लेकिन भीत भी, दीवार भी सीधी होती है। ऐसे कारोबार नहीं चलता है। आज जंगल के बारे में परिस्थिति बहुत खराब है। अफसर लोगों ने जंगल काट दिये हैं पहले रैवेन्यू मिलता था लेकिन अब नहीं मिलता है। लोग जंगल खा गये हैं। इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए और सब तरह से विकास के बारे में सोचना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

डॉ. रामाकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : सभापति महोदय, आदरणीय रामानन्द सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजित विभिन्न योजनाओं विशेषकर ग्रामीण गरीबी उपशमन क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित निधियों का राज्यों द्वारा उपयोग न किये जाने पर उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की है और ऐसी ही इस लोक सभा और सदन की भी राय है। इसलिए सभापति महोदय, यह आवश्यक है कि केन्द्र से जो पैसा ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को जाता है, उसका दुरुपयोग न हो और योजनाएं ठीक ढंग से चलें, इस संबंध में मैं कुछ आंकड़ें आपने के सामने रखना चाहता हूं जो ग्रामीण रोजगार योजना है, जवाहर रोजगार योजना है, इसमें मध्य प्रदेश में केवल 46 प्रतिशत खर्च किया गया है। इसी तरह से सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 58 प्रतिशत खर्च किया गया है। मैं केवल मध्य प्रदेश की ही आंकड़ें आपके सामने रख रहा हूं। मेरे से पहले भी पूर्व–वक्ताओं ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और यह बताया है कि जो पैसा केन्द्र से जाता है मुश्किल से उसका 50 प्रतिशत ही खर्च हो पाता है और उसका दुरुपयोग भी होता है। माननीय सभापति महोदय, दुख की बात है कि कारगिल का जो पैसा खर्च हुआ था वह तनख्वाह में मध्य प्रदेश में इसी तरह बांट दिया गया था। जो पैसा गरीबों की पेंशन के लिये इस योजना के अंतर्गत जाता है, उसका भी काफी दुरुपयोग किया जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि इन योजनाओं के अंतर्गत जो पैसा भेजा जाता है, उनके लिये खर्च न होकर अनाप–शनाप कार्यों में खर्चे कर दिया जाता है। इस संबंध में मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो चिंता व्यक्त की है, उसके लिये आवश्यक है कि इन योजनाओं की मानिटरिंग की जाये या हर प्रदेश के हर जिले में एम. पी. को डी. आर. डी. ए. का चेयरमैन बनाया जाये तभी इन योजनाओं को सार्थक कर सकते हैं। उन योजनाओं में पैसा भी ठीक से उपयोग में ला जा सकेगा।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटवा ने इस सदन में एक प्रश्न के उत्तर में यह घोषणा की थी कि माननीय सदस्यों को उनके जिला में डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा तथा साथ ही जो चुने हुये प्रतिनिधि हैं, उनको भी उसमें भागीदारी दी जायेगी। इसमें सरकार की भी जवाबदेही होनी चाहिए। कि इस पैसे का सदुपयोग करें ताकि गरीबों को इसका फायदा मिल सके और गांवों का विकास हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : सभापति महोदय, श्री रामानन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प पर विचार करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

राज्यों द्वारा धनराशि का सदुपयोग किया जाना एक प्रमुख प्रश्न है, धनराशियों का उपयोग न किया जाना एक पहलू है और राज्यों द्वारा इस धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया जाना दूसरा पहलू है, कतिपय राज्यों का वित्तीय घाटा बहुत अधिक हो गया है आज सुबह ही जब माननीय मंत्री जी प्रश्न 663 का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने उन राज्यों की सूची बताई जिन पर बडी मात्रा में ऋण बकाया हैं, उन्होंने सभी राज्यों की सूची बताई। मैं कहना चाहूंगा कि जब राज्य ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें दी गई धनराशियों को दूसरी जगह व्यय किए जाने की संभावना है। मुझे विभिन्न लोगों ने कहा है कि कुछ राज्यों ने धनराशि को अन्यत्र लगाया है इसे उस मद पर व्यय नहीं किया गया जिसके लिए यह ली गयी थी।

निधियों और बजट पर संसद में मतदान होता है, हम इस पर वाद–विवाद करते हैं, संसद सदस्य इस वाद–विवाद में भाग लेते हैं और तब ही विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। इसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए धन पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन, इस धन को

[श्री पी. एच. पांडियन]

उपयोग में लाने में उपयोग में न लाने में संसद सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है, जैसा कि कतिपय माननीय सदस्यों ने कहा कि इस सभा द्वारा राज्यों को स्वीकृत निधियों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी संसद सदस्यों को सौंपी जानी चाहिए, उदाहरण के लिए जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना या एकीकृत ग्रामीण विकास योजना।

इन कार्यक्रमों के तहत राज्य सरकारों को आम आदमी की गरीबी के निवारण के लिए निधियां दी जाती हैं। हमें देखना होगा कि क्या आम आदमी को वास्तव में लाभ मिला है और क्या आम आदमी को इन योजनाओं से वास्तविक अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। मैं जानता हूं कि कई सूचीबद्ध ठेकेदार जो कि ठेकेदारी से संबंधित इन कार्यों को बेनामी लेते हैं। चाहें वे वी. पी. एल., ए. पी. एल., या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नाम पर ही क्यों न हो। केन्द्र सरकार का कोई भी कार्यक्रम अन्तोगत्वा आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता, इसे बिचोलियों द्वारा हड़प लिया जाता है, यह यहां तक कि उस क्षेत्र के निवासियों तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। माना कि एक टैंक की सफाई की जानी है और इसके लिए धन राशि मंजूर कर ली जाती है। इसे स्थानीय पंचायत का अध्यक्ष ले लेता है, कभी वे इसे अपने आप कर लेते हैं, और कभी इसे अपने एजेंटों के माध्यम से करवा लेते हैं। इसलिए जिला मुख्यालयों में एक ऐसी स्थायी निगरानी तन्त्र की व्यवस्था होनी चाहिए जिसका मुखिया संसद सदस्य हो। ताकि वे योजनाओं के कार्यान्वयन तथा धनराशि के उपयोग पर निगरानी रख सकें। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जिस पर 33.78 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि हो, इन निधियों का उपयोग कैसे कर पायेंगे? उड़ीसा तथा अन्य राज्य अपने ऋण अग्रिमों को बट्टे खाते में डाल चुके हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे निगरानी तंत्र व्यवस्था करने की वास्तविकता को समझें। यह ही मेरे निवेदन का पहला भाग है।

तत्पश्चात् इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहां कोई टैंक नहीं होगा और न कोई टैंक की सफाई होगी लेकिन, फिर भी पंचायत संघ का स्थानीय कनिष्ठ अभियंता अपनी 'मीजरमेन्ट–बुक' में उक्त कार्य की प्रविष्टियां दिखाएगा। वे सब आपस में मिल जाएंगे और बिल पास कर देंगे जबकि वहां साफ किए गए टैंक का कोई अस्तित्व भी नहीं होगा। ग्रामीण सड़कों की भी यही कहानी है। गांव की सडकों की कोई मरम्मत नहीं की जाती, आम आदमी गांव में रह रहा है। वह दिल्ली जिला मुख्यालयों या राज्य की राजधानियों में नही रहता। इसलिए कार्यक्रम सभी गांवों में पहुंचने चाहिए। हम गांवों में जाते हैं। सभापति महोदय, मैंने चुनाव के दौरान और उसके बाद लगभग सभी गांवों का दौरा किया है, जब कभी मैं कहीं जाता हूं तो मैं गांवों में ही जाता हूं क्योंकि ग्रामीणों को संसद सदस्यों से सर्वोच्च आशाएं होती हैं।

अब विधान सभाओं के सदस्यों के स्थानीय प्रशासन से निष्ठा होती है लेकिन संसद सदस्य अपने दलगत भावना से ऊपर उठे रहते हैं। हम सभी पार्टी से ऊपर उठने की बात करते हैं, इसलिए, कार्रवाई करने से पूर्व किसी उपबन्ध को लागू करने से पूर्व, केन्द्रीय वित्तपोषण से किए जा रहे किसी कार्य को शुरू करने से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, राज्य सरकार, कलेक्टर या स्थानीय प्रखण्ड विकास अधिकारी को संसद सदस्य से अनुमति लेनी चाहिए क्योंकि उसने पूरे क्षेत्र का दौरा किया है और वह ही मूल्यांकन कर सकता है कि वास्तव में राशि को खर्च किया गया है या नहीं। केन्द्रीय वित्त पोषण के माध्यम से किए गए कार्यों में राज्यों के मंत्री रुचि नहीं लेंगे। वे अपने बजट अनुभानों के निष्पादन में ही रुचि लेंगे। वहां केन्द्रीय मंत्री सांसदों से विचार–विमर्श कर सकते हैं। हम तक आसानी से पहुंचा जा सकता हैं और उन तक भी। इसलिए इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए एक गहन संगती एवं एक गहन सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

अंततः ये सभी कार्यक्रम गरीब लोगों के लिए तय किए जाते हैं। हमें यह पता लगाना है कि इन कार्यक्रमों एवं परियाजनाओं के कार्यान्वयन से सामान्य व्यक्ति के जीवन में उन्नति हुई है। और क्या कुछ सीमा तक गांवों का विकास हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है।

हर साल हम बजट पास करते हैं और हर साल ही यह किसी की तिजौरी या जेबों में चला जाता है। पूरे भारत में एक ठेकेदार ही लाभ कमाता है। यदि एक रेलवे के ठेकेदार को देखें तो वो अमीर मिलेगा। यदि हाईवे के ठेकेदार को लें तो वो सबसे अमीर व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि ये लोग जनता के पैसे का लेन–देन करते हैं। ये अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ सांठ–गांठ कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। जहां तक अन्य गैर–कार्यकारी अधिकारियों का प्रश्न है, वे ऐसा नही कर पाते। इसलिए हम उस समिति में सांसदों को नामित किया जाना चाहिए जो केन्द्रीय वित्त पोषण से संबंधित हो और उनकी अनुमति के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाना चाहिए। जनता के पैसे की सुरक्षा के लिए मंत्री जी को एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। हर साल हम हर राज्य को 500 करोड़, 600 करोड़ या 1000 करोड़ रुपये देते हैं किंतु प्रगति है कहां कहीं भी प्रगति नहीं है। कोई राज्य इन निधियों का

उपयोग किसी दूसरी परियोजनाओं में कर लेते हैं। तो कुछ राज्य इसका उपयोग राजमार्ग बनाने में कर लेते हैं। किंतु उन्हें गांवों और पंचायतों की सड़कों की फिक्र नहीं होती कुछ राज्य पंचायतों को बराबर की राशि का अनुदान नहीं दे पाते हैं। जब ये राज्य पहले से ही भारी वित्तीय घाटे में हों और उन पर करोड़ों रुपये का ऋण बकाया हो तो ये राज्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पंचायतों को बराबर की राशि का अनुदान कैसे दे सकते हैं।

आज सुबह वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने कहा कि ''संघीय ढांचे में हमें ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है जिससे कि हम राज्यों के वित्तीय अनुशासन पर नजर रख सकें।'' जो व्यक्ति रुपये दे रहा है यह अधिकार उसी के पास है। अतः संसद ही 'मानीटरिंग बॉडी' हो सकती है क्योंकि वही राज्यों को धन मंजूर करती है और उन्हें धन देती है। वे यहीं जवाबदेह हो सकते हैं और कहीं नहीं क्योंकि इस पर चर्चा यहीं होती है, इसे मंजूरी यहीं दी जाती है। मैं कहूंगा कि हर नागरिक के दिमाग में सबसे पहले इन निधियों का उपयोग आम आदमी के लाभ के लिए किए जाने की बात आनी चाहिए।

मैं गैर सरकारी सदस्यों के इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे दरअसल इस मामले पर विचार–विमर्श करने का अवसर मिला है। यह केन्द्रीय सरकार को देखना चाहिए कि क्या राज्य सरकारें कार्य का निष्पादन कर रही हैं क्या वे आबंटित निधियों का उपयोग कर रही हैं अथवा वे इन निधियों का उपयोग किसी अन्य परियोजना के लिए तो नहीं कर रहे? हो सकता है कि कुछ राज्यों ने पुल बनाए हों मगर सड़कें न बनाई हों बिना सड़कों पुल किस काम के होंगे। लगभग सभी राज्यों की परिवहन व्यवस्था चरमराई हुई है। पूरे भारत में यहां दिल्ली में, मुम्बई, तमिलनाडु या किसी भी अन्य राज्य में परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। स्टार न्यूज की एक खबर के अनुसार जिस किसी राज्य में परिवहन व्यवस्था फेल हुई है। वह राज्य दिवालिया हो गया। इसलिए, हमें पहले ऐसे राज्यों का मूल्यांकन करना चाहिए तदुपरान्त उन्हें निधियां आबंटित करनी चाहिए। यदि किसी राज्य पर बकाया राशि बहुत अधिक है तो उसके ऋण माफ कर देने चाहिए। इसलिए मैंने आज सुबह कहा कि ''कुछ राज्यों में ऋणों को माफ करने या उन्हें बट्टे खाते में डालने का मापदण्ड क्या है? कई राज्यों जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा कई छोटे राज्यों में ऋण बट्टे खाते में डाले गए हैं। यही मापदण्ड तमिलनाडू और अन्य राज्यों के लिए भी अपनाए जाने चाहिए जिनकी वित्तीय स्थिति खराब है। यदि किसी राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है तो वह आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : मध्य प्रदेश में तो कोई समस्या नहीं है।

श्री पी. एच. पांडियन : माफ कीजिएगा, तो मैं मध्य प्रदेश का नाम हटा लेता हूं।

मुझे इन विचारों का अभिव्यक्ति करने का अवसर मिला धन्यवाद, सभापति महोदय।

***श्री पी. सी. थॉमस (मुवत्तुपुजा)** : आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य द्वारा यह महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत करने का धन्यवाद करूंगा। हमारे देश में बहुत सारी परियोजनाएं हैं। एक तरह से यहां परियोजनाओं की कोई कमी नहीं है। किंतु असल समस्या तो इन परियोजनाओं का उपयोग में न लाना है। यह सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के विभिन्न पहलुओं के बारे मे है। यह सच है कि सदस्य को राशि जारी करने के बाद भी इसका समय पर सही उपयोग नहीं किया जाता। कुछ दिनों पहले केरल के एक स्थानीय समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें सदस्यों पर निधियों का अनुपयोग का आरोप था। इससे हम बडी विकट स्थिति में आ गए। इस समाचार के पीछे केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार को लिखा वह पत्र था जिसमें राज्य द्वारा उपयोग की गई राशि का प्रतिशत दर्शाया गया था। हालांकि, राज्य सरकार को यह पत्र केवल यह स्मरण कराने के लिए लिखा गया था कि निधियों के पूर्ण और सही उपयोग से कितना लाभ होगा। इसमें आगे दिखाया गया है कि कुल राशि का लगभग 59 प्रतिशत उपयोग ही राज्य में हुआ है। इसमें उपयोग का सदस्यवार ब्यौरा भी दर्शाया गया है। मेरी राशि के उपयोग का ब्यौरा 59.9 प्रतिशत दर्शाया गया है। एक पल के लिए तो मैं स्तब्ध रह गया क्योंकि मैंने आबंटित राशि अधिक राशि मंजूर की थी।

महोदय, निधियों को रोके रखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मांगें कई प्रकार की हैं और केरल में हम सभी सांसद पंचायत के सदस्यों की तरह कार्य करते हैं। मैं नहीं सोचता कि इस बारे में राज्य को लेकर कोई विवाद हो सकता है क्योंकि हमारे पास एकदम निचले स्तर से प्रारंभ किए जा रहे कई कार्यक्रम हैं और हम इन कार्यक्रमों को गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारे द्वारा उक्त राशि का उपयोग ने किये जाने का समाचार हमारे लिए एक बड़ी ही हैरानी वाली बात है। इस मामले में उपयोग की गणना का मूल्यांकन उपयोग–प्रमाण पत्रों के आधार पर किया ही गया था न कि उस राशि के आधार पर जो हमने इन योजनाओं के लिए हमें मंजूर की थी। आखिरकार हमी दोषी बन गए और यह बड़े ही खेद की बात है।

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी. सी. थॉमस]

अब, मैं चर्चा के मूल पहलू पर आता हूं गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए हमारे पास सैंकडों परियोजनाएं और योजनाएं हैं। इसमें भारी मतभेद हैं कि इन निधियों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं किंतु इस भ्रांति का एक अलग पहलू भी है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों संबंधी आंकड़ों में काफी अंतर है। इन आंकड़ों में भी भारी अंतर नजर आ रहा है। केन्द्रीय सरकार के आंकड़े कहते हैं कि केरल में केवल 25 प्रतिशत लोग ही गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं जबकि राज्य सरकार के आंकड़ों अनुसार यह संख्या 42 प्रतिशत है। महोदय, इसलिए इससे संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए एक सर्वसम्मिति तक पहुंचने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। ऐसी भ्रांतियों के कारण मेरे राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मैं महसूस करता हूं कि समय की मांग यह है कि गरीबी की रेखा से रहने वाले लोगों के बारे में उपर्युक्त धारणाएं विकसित की जाएं और एक ऐसा शोध किया जाए जिससे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए एक त्रुटिविहीन प्रणाली विकसित की जा सके।

मैं एक मुद्दे को दोहराने की अनुमति चाहूंगा। मेरे सहयोगियों द्वारा उठाया गया यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। महोदय, कई राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है। कि वो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में अपना 50 प्रतिशत का अंशदान कर सकें। अतः इसका सही विकल्प बल्कि समाधान तो ग्रामीण विकास संबंधी स्थाई समिति के सुझाव ही हो सकते है। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार राज्यों का ऐसी योजनाओं को चलाने के लिए प्रतिशत निधियां आबंटित करें और बाद में 50 प्रतिशत राशि राज्य को ऋण मानकर उसे वसूल कर लें। महोदय, इन सुझावों को मान लेने से निधियों की कमी से संबंधित समस्याओं को सुलझाने की दिशा में यह एक अच्छा प्रयास होगा।

यह सभी जानते हैं कि योजनाओं के निष्पादन प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। जैसे जैसे प्राशासनिक पद्धति की परतें बढ़ती हैं वैसे ही भ्रष्टाचार की परतें और उसकी मात्रा भी बढ़ती जाती है क्या यह शर्म की बात नहीं है कि हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित करते समय लाभार्थी के पास एक रुपए में से केवल 16 पैसे ही पहुंच पाते हैं। हम इस तरह बिगड़ती हुई स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते। हमें इस स्थिति से निपटना होगा। इस देश में भ्रष्टाचार को उखाड़ फैंकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। ऐसा एक कदम है—यह सुनिश्चित किया जाए कि धन समय पर जारी हो और यह निम्नतम स्तर पर पहुंचे। जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (डीआरडीए) को सुदृढ़ बनाया जाए। मैं अपने प्रिय सहयोगी श्री पांडियन के सुझावों से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि सांसदों को चेयरमैन बनाया जाना चाहिए। दरअसल मैं यह कहने में एक कदम आगे जा रहा हूं कि जिस समिति के सांसद सदस्य हैं उन्हें उस समिति का चेयरमैन बनाया जाए यह उचित नहीं है, ठीक नहीं है क्योंकि कई बार नौकरशाह चेयरमैन की हैसियत के अनुरूप समिति के सदस्य को अनुगृहीत करना पड़ता है। नयाचार की यही मांग है। कई अवसरों पर तो वे उस तक की अनदेखी कर जाते हैं। एक कड़वी सच्चाई यह भी है इसलिए यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित किसी विशेष परियोजना के लिए आबंटित निधि से संबंधित किसी समिति का गठन किया जाता है तो उसकी समुचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सांसद को ही उस समिति की अध्यक्षता करनी चाहिए और यदि वह संसद किसी अन्य आवश्यक कार्य में लगा हुआ है तो उसे वह अधिकार भी होना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति को नामजद करके वहां भेज सके। यदि समितियों में नामित करने की सुविधा होगी तो सदस्य अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को समिति में भेजकर अपनी सुविधा भागीदारी सुनिश्चित कर सकेगा।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, पंचायत राज एक वास्तविकता बन चुकी है। कई राज्यों में यह बड़े ही प्रभावशाली ढंग से काम कर रही है। इस प्रकार, इस अवसर का उपयोग कर, पंचायती राज संस्थानों के स्तर पर लोगों की भागीदारी से केन्द्रीय सरकार की गई योजनाओं का समन्वय एवं उनका कार्यान्वयन किया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत जारी किए जाने वाले धन के वितरण में बैंकों की भागीदारी और उनके कार्य-निष्पादन पर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह देखा गया है कि इन वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारी ऐसी योजनाओं में गरीब लाभार्थियो के मार्ग में बिना वजह रोड़े अटका देते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के मामले में भी किसी तरह लाभग्राही बना गरीब युवा एकल अधिकारी के कुचक्र के कारण उस राशि से वंचित हो जाता है जो उसे बैंक के माध्यम से मिलनी चाहिए। बड़े खेद की बात है। महोदय, इस पहलू पर भी गौर किया जाना चाहिए।

महोदय, विविधीकरण भी एक गंभीर समस्या है। मैं आपको

अपना अनुभव बताता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र मुलानतुरुति ब्लाक में नार्वे सरकार की एक योजना में गरीब ग्रामीण महिलाओं को कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए राशि स्वीकृत की गई थी। पूरे डेढ़ साल के बाद भी 4 लाख रुपए की स्वीकृति राशि में से एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मुख्य कारण था राजनीति और राज्य सरकार के दो विभागों–सामाजिक कल्याण विभाग और महिला कल्याण विभाग की आपसी लड़ाई। महोदय, इस समस्या के पीछे कई कारण हैं और इसका समाधान इतना आसान नहीं है। इसके समाधान के लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठाने होंगे ताकि इस देश के गरीबों में से भी सबसे गरीब को इसका सही लाभ मिल सके।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : सभापति महोदय, श्री रामानन्द सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अपराह्न 5.03 बजे

(**श्री पी. एच. पांडियन** *पीठासीन हुए)*

सही मायनों में आज देश की बढ़ती हुई गरीबी को रोकने के लिए इसके अनुसार अगर कार्य किया जाये तो निश्चित रूप से देश के गरीबों को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी, उनकी गरीबी दूर करने में निश्चित रूप से यह कुछ कारगर साबित होगा। केन्द्र से कितनी ही योजनाओं के लिए पैसा हम सीधे प्रदेश सरकारों को भेजते हैं, परंतु विशेष तौर से उत्तर भारत के राज्य जो हिन्दी भाषी राज्य कहे जाते हैं, उनमें से किसी भी राज्य में दिये हुए बजट का 100 परसेंट यूटीलाइजेशन नहीं हो पाता। कोई भी राज्य, जितना धन उसको मिलता है, निश्चित स्कीम के अंतर्गत उसका पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाता और वह पैसा अगले साल के बजट में एडजस्ट करना पड़ता है। केन्द्र सरकार के द्वारा परिवार कल्याण योजना, इन्दिरा आवास योजना, दुर्बल आवास योजना, पेयजल योजना, जवाहर रोजगार योजना, ट्राइसेम, ड्वाक्रा, सुनिश्चित रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, इन सब में पैसा सीधे दिया जाता है, लेकिन स्थिति यह है कि जिलों में कोई भी अधिकारी सही मायनों में इन योजनाओं को, जितना जिले में बजट जाता है, क्रियान्वित करना नहीं चाहता। इन्दिरा आवास योजना के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि जिस गरीब को हम घर देना चाहते हैं, उस गरीब की जेब से जब तक वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को, विकास खंड के अधिकारियों को 20 परसेंट या 25 परसेंट पैसा रिश्वत के रूप में नहीं मिल जाता, तब तक उसका घर स्वीकृत नहीं होता, भले ही प्रधान ने प्रस्ताव भेज दिया हो। ये सब बातें सही मायनों में इस देश में गरीबों का शोषण करने के लिए हो रही हैं और हमारी योजनाएं उसके कारण क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। पेयजल योजना में अमल न होने के कारण आज कई प्रदेशों में सूखे की वजह से मारामारी हो रही है, पीने के पानी नहीं हैं। महिलाएं तीन–चार किलो मीटर दूर जाकर पानी लेकर आती हैं। पशुधन समाप्त हो रहा है, परंतु उसके लिए हम पीने के पानी की आवश्यकता को गांव में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है कि हमारी योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पा रही हैं। जलाशय बनाने के लिए एक योजना केन्द्र सरकार की थी, परंतु उस योजना के अंतर्गत पैसा का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर जलाशयों का निर्माण इन प्रदेशों में हो गया होता तो जो सूखे की महामारी इतनी व्यापक है, उसमें कमी आ गई होती। भूमि का जल स्तर भी बढ़ गया होता। मैं विशेष तौर से केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि जो प्रदेश योजनाओं में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, विशेष रूप से उत्तरी भारत के राज्य, इन प्रदेशों को देखने के लिए कोई मानेटरिंग सैल होना चाहिए। हर प्रदेश में अलग–अलग मानेटरिंग हों। केन्द्र की टीम वहां जाए और हर तीसरे महीने मीटिंग करे और पूछे कि इन योजनाओ में कार्य क्यों नहीं हो रहा है। इन योजनाओं में तेजी से अमल हो, नहीं तो दूसरे फंड भी रोक दिये जाएंगे।

अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि वहां प्रशासनिक व्यय बढ़ रहे हैं। यह ठीक बात है। मैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहता हूं। वहां विधान सभा में जब बजट पारित होता है तो उस बजट का 94 प्रतिशत बजट प्रशासनिक व्यय में खर्च हो जाता है। केवल छः प्रतिशत बजट विकास कार्यों के लिए भेजा जाता है और विकास कार्यों में भी भ्रष्टाचार है, यह बात सभी स्वीकार करते हैं। हम सोच सकते हैं कि छः प्रतिशत में कितना विकास कार्य हो पाता होगा।

जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलने में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जवाहर लाल नेहरू जी का नाम अभी भी इस योजना के साथ जुड़ा हुआ है। सही मायनों में इस योजना में भी श्रमिक दिवस सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कोई भी प्रदेश उसके अनुसार काम नही करता। इस योजना के अंतर्गत जलाशय, बांध बनाए जा सकते हैं, सड़कों का निर्माण किया जा सकता है और कुएं खोदे जा सकते हैं। परंतु इस योजना का भी पैसा उपयोग में नहीं आ पा रहा है। ट्रायसम की योजना हमारे बेराजगार नवयुवकों के लिए है। लेकिन वे बेकार सड़कों पर घूम रहे है। उनको रोजगार के साधन गांव में मुहैया होने चाहिए, प्रशिक्षण देने का काम भी

[श्री छत्रपाल सिंह]

वहीं होना चाहिए, टूल किट्स और तकनीकी प्रदान की जानी चाहिए। योजनाएं तो बहुत हैं, मगर उनका कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा और इस कारण बेराजगारों की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इस देश में पांच करोड़ नौजवान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं। लेकिन इससे दुगने बेरोजगार नौजवान ऐसे हैं, जिन्होंने अपना नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज नहीं कराया। गांव में लड़के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कर लेते हैं, वे जानते हैं कि रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराने पर रोजगार तो मिलना है नही, इसलिए वे अपना नाम वहां पंजीकृत कराना जरूरी नहीं समझते।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में भी एक लाख रुपये तक का लोन बांटने का प्रावधान है। उसमें दस प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। परंतु प्रदेश सरकार जहां इसमें रुचि नहीं लेती, वहां बैंक भी इस कार्य में आड़े आते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट बनाकर बैंक को देता है तो जब तक वहां दक्षिणा नहीं दी जाती तब तक उसका प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं होता। यहां वित्त मंत्री जी नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे बैंकों की तरफ भी ध्यान दें। बैंकों में प्रधान मंत्री रोजगार योजना में जितनी फाइलें बनकर जाती हैं, उनमें से केवल दस प्रतिशत स्वीकृत की जाती हैं, नब्बे प्रतिशत पर कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगाकर वापस कर दिया जाता है। विशेष तौर से ग्राम विद्युतीकरण के मामले में जितना पैसा केन्द्र में भेजा जा रहा है, समस्या यह आ रही है कि विद्युतीकरण में अगर किसी गांव में चार खंभे भी खड़े कर दिये गये हैं तो प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि यह गांव विद्युतीकरण के घेरे में आ गया और किसी गावं में, जहां बहुत कम आबादी है और मुख्य गांव में अगर दो हजार आबादी है तो भी कहा जाता है कि इस गांव का विद्युतीकरण हो गया और वह विद्युतीकरण के लिए दुबारा स्वीकृत सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता। मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामीण रोजगार विकास मंत्री यहां बैठे हैं और पॉवर मंत्री जो उनके साथ कैबिनेट में बैठते होंगे, पॉवर मंत्री जी के साथ बात करके कहें कि जो गांव हम विद्युतीकरण के लिए ले रहे हैं, उसमें यह प्रावधान करें कि अगर गांव में मुख्य विलेज, बड़े विलेज से ज्यादा आबादी है और बगैर विद्युतीकरण के वह गांव बाकी रह गया है तो उस गांव को विद्युतीकरण की सूची में सांसद और विधायकों के द्वारा सम्मिलित कराया जाना चाहिए... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पांच माननीय सदस्यों ने अभी बोलना है और इनमें से हर एक को दो मिनट देने हैं। ये सभी सदस्य भाजपा के हैं। चूंकि आपने ही दस मिनट ले लिए हैं इसलिए मंत्री जी सीधे अपना जवाब देना आरंभ करेंगे अब कोई अन्य सदस्य नहीं बोलेगा।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह : इन सब योजनाओं को समाप्त करके केवल एक योजना पर आइए जिसका नाम "ग्राम उत्थान योजना" हो और उसका चेयरमैन सांसद को बनाइए क्योंकि पैसा सीधे केन्द्र से जाता है और एम. पी. को एक-एक गांव का पता रहता है कि किस गांव की क्या आवश्यकता है। जिस तरह माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि सांसद डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन होना चाहिए, केन्द्र से जितना पैसा जाता है, इस योजना की सही मोनीटरिंग के लिए एम. पी. को अधिकार दिये जाने चाहिए जिससे योजनाएं सही तरीके से लागू हो सके।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, से यह अपील करना चाहूंगा कि उन्हें बहुत जल्दी नहीं करना चाहिये क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मैं दूसरे माननीय सदस्यों की बात नहीं दोहराना चाहता। मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं।

आपको केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि यह बहस अपराह्न 5.30 तक समाप्त हो जाए एवं प्रत्येक सदस्यों को केवल दो मिनट बोलना है। केवल दो मिनट का समय हमारे द्वारा सुझाव देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इस समय सभा में मुश्किल से 25 सदस्य हैं तथा पत्रकार दीर्घा पूरी खाली पड़ी हुई है। कभी-कभी ऐसा लगता है मानों इतना महत्वपूर्ण विषय इस परिस्थिति में विचार-विमर्श करने लायक नहीं है।

सभापति महोदय : श्री खंडूड़ी जी, आपके दल के इन पांच माननीय सदस्यों को मैं कितना समय दूं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, प्रत्येक को तीन मिनट का समय दे सकते हैं।

सभापति महोदय : केवल आपके पक्ष के कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए रह गये हैं। माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देना है। आप क्या सुझाव दे रहे हैं?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : माननीय सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद भी यहां उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि वे भी अपना प्रस्ताव पेश करें।

श्री खारबेल स्वाइं : यदि ऐसा है तो आप दूसरे किसी को समय दे सकते हैं। धन्यवाद।

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात कहें। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। माननीय मंत्री महोदय, को अपराह्न 5.30 बजे अपना उत्तर देना है।

श्री खारबेल स्वाइं : यह रोजगार गारंटी योजना से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने प्रत्येक ब्लाक को उसमें निवास कर रही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियो में बांट दिया है। प्रत्येक वर्ष 'क' श्रेणी के लिए एक करोड़ रुपया, 'ख' श्रेणी के लिए 75 लाख रुपया एवं 'ग' श्रेणी के लिए 50 लाख रुपये का आबंटन किया जाता है।

रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार का यह दिशानिर्देश है कि उन लोगों का हाजिरी रजिस्टर तैयार किया जाए जोकि दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं तथा जिनको कार्य पर लगाया जाता है। उड़ीसा तथा कई अन्य राज्यों में मेरे देखने में ऐसा रजिस्टर कभी नहीं आया निर्देश के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत 30% कार्य सिंचाई, सड़क निर्माण या किसी स्कूल-भवन आदि के निर्माण का होना चाहिए। लेकिन, दिशा-निर्देश का पालन कहीं नहीं किया जाता है। आप किसी भी राज्य में यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें पंचायत समिति का चेयरमैन या कलेक्टर यह कहेगा कि पक्का रोड बनाने के लिए उसके पास धन नहीं है। दिशानिर्देश के मुताबिक धन का 75% मजदरी पर तथा 25% सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिए। यदि आप इस निर्देश का पालन करेंगे तो आपको केवल कच्चा रोड़ ही मिलेगा क्योंकि निर्देश के मुताबिक 75% धन मजदूरी पर लगना चाहिए। लेकिन यदि आप एक घर या स्कूल भवन या पक्का रोड बनायेंगे तो सामग्री पर खर्चा मजदूरी के खर्चा से बहुत अधिक होगा।

यहां मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि हाजिरी रजिस्टर (मास्टर रोल) बनाने तथा धन का 75% भाग का मजदूरी पर खर्च किये जाने का प्रावधान खत्म किया जाना चाहिए। यह मेरा प्रथम सुझाव है।

दूसरा सुझाव इन्दिरा आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा पेंशन से संबंधित है। लाभ ग्रहियों की पहचान ग्राम सभा स्तर पर की जाती है। बहुत से मामलों में होता क्या है कि, सरपंच ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाता है। मानों ब्लाक स्तर पर यह निश्चय किया जाता है कि गांव के दो लोगों को आवास दिया जाएगा तो 50 अन्य लोग भी कहेंगे कि उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए क्योंकि वे इसके पात्र हैं। चूंकि सरपंच किसी को नाराज नहीं करना चाहेगा। अतः वह लोगों की सूची तैयार कर लेगा। लेकिन नियम यह है कि ग्राम सभा को केवल दो लाभग्राहियों के नाम की संस्तुति करनी है। सरपंच 50 लोगों के नाम की संस्तुति करता है। परिणामतः ब्लाक स्तर पर सत्तासीन पार्टी या विधायक जो अधिक प्रभावशाली होता है, अपनी पसंद के उन दो नामों की संस्तुति करता है जो संभवतः उपयुक्त लाभग्राही न हों।

उड़ीसा में, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके चार बेटे हैं, मासिक आय 20,000/- रुपये है और 20 एकड़ जमीन है, वे भी इंदिरा आवास योजना से ऋण प्राप्त कर लेंगे। बहुत से परिवार ऐसे हैं। जिसमें पति वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं एवं पत्नी विधवा-पेंशन। यह सब कुछ उड़ीसा जैसे राज्य में हो रहा है।

इस विषय में, मेरा सुझाव है कि एक समिति गठित की जाए जिसमें संसद सदस्य, जिसकी इसमें प्रमुख हैसियत होगी, विधायक एवं सरपंच होने चाहिए। जो कि लाभग्राहियों के नाम का चुनाव कर सकें। यह मामला केवल सरपंच के निर्णय पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। समिति तीन या चार बैठकें करें। आजकल किसी नये व्यक्ति को लाभ नहीं दिया जा रहा है। यदि कोई लाभग्राही की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर दूसरे को लाभ दिया जा रहा है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कुछ नियम बनाये जाने चाहिए जिसके तहत किसी कलेक्टर या अधिकारी द्वारा जानबूझकर कार्य को क्रियान्वित करने में अड़चन पैदा करने पर, उसे दण्डित किया जा सके। पहले हम सोच रहे थे कि यदि वह इस तरह का कोई कार्य करता है तो हम उसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन हाल ही में बहस के दौरान माननीय मंत्री महोदय, श्री अरूण शौरी ने कहा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव लाकर देखें इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होगा। इसे 'विशेषाधिकार' के अंतर्गत नहीं रखा सकते। इसका मतलब यह होगा कि कलेक्टर या अधिकारी जानता है कि यदि वे कोई कार्य शुरू नहीं कराते तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अतः कम से कम एक ऐसा तन्त्र बनाया जाना चाहिए जिससे कि यदि वह जानबूझकर कोई गलती करता है तो उसे इसका दण्ड दिया जा सके।

अन्ततः, अभी मेरा विश्वास है कि केन्द्र सरकार का कार्यकरण राज्य सरकार की तुलना में अधिक अच्छा है। सांसदों को और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए। पहले लोग सोचा करते थे कि सांसद दिल्ली भाषण बाजी के लिए जाते हैं लेकिन संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बाद सांसदों के

[श्री खारबेल स्वाइं]
हाथ में जो दो करोड़ की धनराशि दी जा रही है। इससे, उनसे लोगों की आशायें और बढ़ गई हैं।

अब लोग सोचते हैं कि हम उन्हें चावल एवं गेहूं देने में सक्षम होंगे। लेकिन हम अपने को असहाय पाते हैं। इसलिये, मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगा कि सांसदों को और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए और उन्हें केन्द्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं से सम्बद्ध किया जाना चाहिए ताकि वे सभी योजनाओं पर निगरानी रख सकें।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, सन् 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ था और आज हम सन् 2000 में नौंवी पंचवर्षीय योजना में चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जितनी योजनाएं बनीं, उनकी अगर सारी राशि गांवों तक पहुंच जाती, सही हाथों में पहुंचती, उसका सही सदुपयोग होता और अधिकारी लोग सही ढंग से लगन के साथ काम करते तो शायद आज गांवों की काया पलट जाती और गरीबी के दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन स्वाधीनता के लगभग 53 वर्षों के पश्चात्, गणतंत्र दिवस की स्वर्ण जयंती के पश्चात् आज हम सन् 2000 में गांवों का यदि निरीक्षण करें तो उसी गरीबी का एकमात्र साम्राज्य चारों ओर दिखाई देता है। मैं यदि कवि के शब्दों में कहूं कि–

"श्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं,
मां की छाती से चिपक सिसक–सिसक रह जाते हैं।"

महोदय, यह वास्तव में बड़ी कारुणिक स्थिति है। सन् 1971 में प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था और अब 1971 को भी लगभग 29–30 वर्ष हो गए, लेकिन क्या गरीबी हटी, अपितु गरीबी और बढ़ गई। श्री रामानंद सिंह द्वारा जो प्रस्तुत प्रस्ताव है, वह यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं, विशेष कर ग्रामीण गरीबी उपशमन क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित निधियों का राज्यों द्वारा उपयोग न किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। महोदय, राज्यों के संसाधन सीमित हैं। केन्द्र सरकार पैसा तो देती है लेकिन राज्यों का 73 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाने में या उनके जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खर्चे हैं, उनकी नॉन प्लान के अंदर चले जाते हैं और जो विकास का कार्य वास्तव में होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। आज गांव में जो सरपंच है, वह जिस गांव का रहने वाला है, वह उस ढाणी में तो काम करवाता है, लेकिन एक पंचायत में पांच–सात ढाणियां होती हैं, एक मुख्य गांव होता है, उस मुख्य गांव में जो उसके समर्थक होते हैं। उनकी तो वह करता है लेकिन अन्य ढाणियों की निरंतर उपेक्षा होती है, चाहें बिजली का प्रकाश पहुंचाना हो या अन्य काम हो। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि छः सूत्री कार्यक्रम अपना लिया जाए–खेती, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य, इन छः चीजों को गवर्नमेंट कंसनट्रेट करके पूरा ध्यान लगाए। किसान की खेती अच्छी हो, खेती के लिए पानी अच्छा हो, भूमि सुधार के कानून लागू हो जाएं, खेती के बीज समय पर मिल जाएं, काश्तकारों को लोन लेने में कोई दिक्कत न हो, सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, बिजली समय पर मिल जाए, बच्चों के लिए शिक्षा की ठीक से व्यवस्था हो जाए, सामान ले जाने के लिए सड़क की व्यवस्था हो जाए, गांवों में बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर इन छः चीजों को आधार मान कर ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया जाए और इसके लिए केन्द्र सरकार जो भी पैसा देती है, उसका मोनिटरिंग और कोआर्डीनेशन ठीक प्रकार से हो तो मैं समझता हूं कि गांवों की काया पलट सकती है।

महोदय, आप जानते हैं जहां चाह है वहां राह है। गरीबी केवल बातों से नहीं हटेगी।

"कथनी थोथी जगत में, करणी उत्तम सार
कह कबीर करणी सबल, उतरे भव–जल पार।"

आज हम सबके अंदर जो नौकरशाही और लालफीताशाही है, तो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, जो शहरों में वातानुकूलित कमरों में रह कर जिन योजनाओं का निर्माण करते हैं, वे ग्रामों की वस्तुस्थिति से भली प्रकार परिचित नहीं हैं। गांवों में कैसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, कहां किस चीज की आवश्यकता है, कैसे वहां विकास होना चाहिए, वे उस ओर ध्यान नहीं देते।

महोदय, मैं इस प्रस्ताव का तो पुरजोर समर्थन करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि केन्द्र सरकार मोनिटरिंग की ठीक से व्यवस्था करे। ग्रामीण विकास का काम राज्यों के जिम्मे है लेकिन जब केन्द्रीय सरकार पैसा देती है तो उसका पूरा अधिकार होता है कि वह निर्देश और आदेश भी दें तथा उसकी क्रियान्वित भी सही ढंग से देखे और उसकी मोनिटरिंग भी ठीक ढंग से हो। मान्यवर, कल ही जिस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा था कि केन्द्र की लगभग 452 योजनाओं पर 30 करोड़ रुपये प्रत्येक पर खर्च होना था। करीब 205 योजनाओं पर कुल 52987 करोड़ रुपया लगना चाहिए था। लेकिन अब 84167 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सारे कुएं के अंदर ही मांग पड़ी हुई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि केन्द्रीय निधियों का उपयोग भली

प्रकार हो और जो प्रधान मंत्री जी ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और ग्राम समृद्धि योजना चालू की है, सारी योजनाओं को मिला कर इसमें 6 चीजें शामिल हैं, इस पर पूरा ध्यान दिया जाये। समयबद्ध कार्यक्रम, सही मॉनिटरिंग, सही तालमेल और सही निर्देशन हो तो सही काम हो सकता है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा एवं कुछ सुझाव दूंगा। सर्वप्रथम, मैं श्री रामानंद सिंह को इस अत्यंत महत्पूर्ण प्रस्ताव को लाने के लिए बधाई देता हूं।

ग्रामीण गरीबी उपशमन क्षेत्र के अंतर्गत अनेक योजनायें है लेकिन गरीबी जहां की तहां बनी हुई है। इसका मूल कारण सभी योजनाओं को केन्द्रीय स्तर पर बनाया जाना है। इस तरह की गरीबी उपशमन योजनायें निचले स्तर पर बनाई जानी चाहिए। गुजरात राज्य में हमने ही ये 'गोकुल ग्राम योजना' नामक योजना बनाई है। यह योजना स्थानीय लोगों द्वारा केवल बनाई ही नहीं गई बल्कि उन्हीं के द्वारा लागू भी की गई है। हमारा देश बहुत विशाल है। यदि केन्द्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई जाती है तो यह देश के सभी भागों के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। यदि कोई योजना दक्षिण भाग के लिए अच्छी है तो हो सकता है उत्तर भाग के लिए अच्छी न हो। इसलिए जब भी इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है, उसमें स्थानीय लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन योजनाओं को केन्द्र में बनाये जाने के बजाय, यथासंभव, संबंधित क्षेत्रों में बनाया जाना चाहिए।

बहस के लिए कोई पूछ सकता है कि गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों को क्यों सूखे का सामना करना पड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि योजनायें उनकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं बनाई गई हैं। मेरे गृह–राज्य गुजरात में वर्षा की औसत दर में कमी हुई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कच्छ में पिछले 50 वर्षों में बहुत कम वर्षा हुई है। भूमि के अंदर पानी की एकदम अभाव है। किसान वहां कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। वे केवल नर्मदा से पानी प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं। इस समस्या का समाधान केवल नर्मदा बांध से हो सकता है। हमें 700 कि.मी. दूर से पानी लाना पड़ता है। पर्यावरण से जुड़े कुछ कार्यकर्ता बड़े बांधों की उपयोगिता पर आपत्ति उठा रहे हैं। यदि भांखड़ा नांगल वहां नही होता या मैसूर में विश्वेसवरा बांध नहीं होता तो वहां के लोगों का हश्र क्या होता? केवल बड़े बांधों से ही समस्या का समाधान हो सकता है। अन्यथा अस्थायी बांध की वजह से करोड़ों गैलन पानी समुद्र में बेकार चला जाता है। यदि ऐसा नहीं रहा होता तो कच्छ और उत्तरी गुजरात कृषि की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र होता। अब मैं कह सकता हूं कि हम गरीब हैं क्योंकि बड़े बांध नहीं बनाये गये हैं।

मैं यह भी कहता हूं कि सीमावर्ती राज्य होने की वजह से लोग हमारे राज्य में आ रहे हैं। अतः जनसंख्या वह दूसरा कारक है जो कि हमारे राज्य की गरीबी के लिए उत्तरदायी है। अतः मैं सुझाव देना चाहूंगा कि योजनायें स्थानीय स्तर पर बनाई जानी चाहिये ताकि हम किसानों के लिए कुछ कर सकें। अन्तः में मैं श्री रामानन्द सिंह को यह प्रस्ताव लाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदय, मैं श्री रामानंद सिंह जी द्वारा विकास संबंधी जो प्रस्ताव सदन में लाया गया है, उसका स्वागत करता हूं। यह बहुत ही सराहनीय है और बहुत की अच्छे सुझाव लोगों ने, माननीय सदस्यों ने दिये हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, मगर विकास के नाम पर जो बातें शायद मेरे सुनने में नहीं आई हैं। विकास के नाम पर बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। उनका पैसा जिले में आता है। मैं बिहार की बात कहना चाहता हूं। प्रखंड और जिला स्तर पर पता नहीं होता है कि जो पैसा ग्रामीण विकास के नाम पर जाता है, वह कहां खर्च होता है? दिल्ली में बैठ कर हिसाब–किताब किया जाता है। उसमें कपाट है। एन. जी. ओज. परिवार नियोजन, पर्यावरण और साक्षरता के नाम पर पैसा लेते हैं। जिला और प्रखंड स्तर पर ग्रामीण विकास के नाम पर जो पैसा केन्द्र सरकार देती है, उसका जब तक सर्टिफिकेट न मिले तब तक आगे पैसा नहीं मिलना चाहिए। कई जगह पैसे का दुरुपयोग होता है। जो लोग योजना पूरी न करके पैसे लेने का काम करते हैं, उनके खिलाफ़ जब तक सख्ती के कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम यहां कहते रहेंगे, आप पैसा देते रहेंगे। और पैसा खाने वाले पैसा खाते रहेंगे गरीबों और ग्रामीणों के नाम पर जो पैसा जाता है, वह जब तक ईमानदारी से खर्च नहीं होगा और योजना पर नहीं लगेगा तब तक यह चीज व्यर्थ जाएगी।

यहां गांवों के विकास की बात कही गई। गांवों में गरीबों को घर, सड़कें, बिजली और अस्पताल चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि सब को पढाओ–लिखाओ और साक्षर बनाओ, दूसरी तरफ गांवों में देखने पर सब कुछ अजीब लगता है। सभी माननीय सदस्य गांवों से चुन कर आते हैं। गांवों में स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं हैं और यदि शिक्षक हैं तो स्कूल भवन

[श्री राम टहल चौधरी]

नहीं हैं। इन सब बातों पर ध्यान रखा जाए। वहां स्कूल और सड़कों का निर्माण करवाया जाए। किसान जो पैदा करता है, उसे उसकी उचित कीमत मिलनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा तो सही मायने में गांवों का विकास हो सकता है। आप अभी जो पैसा देते हैं, उसे कोई देखने वाला नहीं है। योजना एअर-कंडिशन्ड ऑफिसेज में बैठ कर बनाई जाती है। उन्हें यह पता नहीं होता कि किस गांव में सड़क, स्कूल की जरूरत है। सिंचाई के लिए चैक डैम वहां बनता है, जहां पानी नहीं है, सड़क वहां बनती है जहां उसका उपयोग नहीं है। जन प्रतिनिधियों की राय लेकर योजना बनानी चाहिए तभी पैसा ठीक से खर्च होगा। इस पर लगाम लगनी चाहिए। आप उसे खुले सांड की तरह छोड़ देते हैं। खाने वाले पैसा खा रहे हैं और उसे लूट रहे हैं।

यहां माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिए। केन्द्र सरकार की तरफ से जो राशि जाती है, उसकी देखरेख के लिए एक कमेटी बने। उस कमेटी में जन-प्रतिनिधि रहें। सासंद उस कमेटी के चेयरमैन या हैड हों। इससे ठीक से कार्रवाई होगी। विकास के नाम पर जिले में जो बैठक होती है, उसकी चिट्ठी बैठक खत्म होने के बाद मिलती है और बैठक उस समय बुलाई जाती है जब संसद सत्र चलता है। गड़बड़ी को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि आप उसमें जन प्रतिनिधियों और सांसदों को जोड़ें तभी उसकी देखरेख हो सकती है और समय पर योजना तैयार हो सकती है। चार-पांच वर्ष तक काम लम्बित रहता है और समय पर पूरा नहीं होता। चूंकि समय कम है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए माननीय रामानन्द सिंह जी द्वारा लाए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वह इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, माननीय सदस्य श्री रामानन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प में सभा की चिन्ता जाहिर होती है और ग्रामीण विकास योजनाओं के सही कार्यान्वयन के लिए विभिन्न दलों से संबंधित सदस्यों की इच्छा व्यक्त होती है ताकि राज्यों द्वारा धनराशि का पूरा उपयोग किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों को लाभ मिल सकें। सरकार इन योजनाओं के लिए बहुत बड़ी धनराशि आबंटित करती है और यह आवश्यक है कि इन योजनाओं का लाभ सीधा निर्धनों को मिले। सभा में आज तथा कल इस संकल्प पर हुई जोरदार चर्चा में माननीय सदस्यों ने अनेक मुद्दे उठाए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इस संकल्प पर जोरदार चर्चा करने और अनेक मुद्दे उठाने के लिए माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं।

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम, राज्य-सरकारों द्वारा धन का उपयोग न करना; दूसरा, कार्यों के कार्यान्वयन में राज्यों सरकारों की ओर से विलम्ब; तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार देना; और अन्त में, इन योजनाओं में संसद सदस्यों की भूमिका। सरकार अधिक नहीं तो कम से कम माननीय सदस्यों की तरह इसके बारे में चिंतित अवश्य है। सरकार पहले से ही ग्रामीण विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी और कारगर बनाने के मुद्दे पर विचार कर रही है। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिसके परिणाम शीघ्र ही आएंगे।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का उल्लेख करूंगा।

जहां तक राज्यों द्वारा केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के उपयोग का संबंध है, मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में सक्षम रहा है कि वर्ष 1998-99 में सरकार द्वारा दिए गए धन का राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों में पूरी तरह उपयोग किया जाए। जैसा कि राज्यों ने बताया है कि राज्य का हिस्सा और उसके पास उपलब्ध प्रारंभिक रोकड़ (ओपनिंग बैलेंस) सहित उपलब्ध धन के व्यय का प्रतिशत 1998-99 में विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत इस प्रकार था:-जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 83 प्रतिशत, सुनिश्चित रोजगार योजना (ई. ए. एस.) के अंतर्गत 84 प्रतिशत, इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 82 प्रतिशत, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आई. आर. डी. पी. के अंतर्गत 82 प्रतिशत, एन. एस. ए. पी. के अंतर्गत 78 प्रतिशत, ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी. के अंतर्गत 95 प्रतिशत और सी. आर. एस. पी. के अंतर्गत 116 प्रतिशत।

इसी प्रकार 1999-2000 के दौरान राज्य का हिस्सा और उसके राज्यों के पास उपलब्ध प्रारंभिक रोकड़ (ओपनिंग बैलेंस) सहित उपलब्ध धन के व्यय का प्रतिशत अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जे. जी. एस. वाई. के अंतर्गत 51 प्रतिशत, ई. ए. एस. वाई. के अंतर्गत 56 प्रतिशत, आई. ए. वाई. के अंतर्गत 59 प्रतिशत, एस. जी. एम. वाई के अन्तर्गत 32 प्रतिशत, एन. एस. ए. पी. के अंतर्गत 62 प्रतिशत, ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी. के. अंतर्गत 96 प्रतिशत और सी. आए. एस. पी. के अन्तर्गत 41 प्रतिशत है।

सामान्यतः वर्ष 1999-2000 के आंकड़े दिसम्बर/जनवरी

माह तक के हैं और कुछ राज्यों के मामले में ये आंकड़े केवल अक्तूबर तक के ही हैं। पूरे वर्ष के कुल व्यय के आंकड़े अभी राज्यों द्वारा दिए जाने हैं। अधिकतर कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय के आंकड़े 100 प्रतिशत से कम होने का यह भी एक कारण है। मुझे आशा है कि जब पूरे साल की रिपोर्ट आएगी तो उसमें काफी सुधार होगा। इन कार्यक्रमों अन्तर्गत के सभी राज्यों का कार्य निष्पादन समान नहीं है। वर्ष 1998–99 में संबंधित राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार मध्य प्रदेश में व्यय का प्रतिशत कुल उपलब्ध धनराशि का 90 प्रतिशत था और बिहार में यह 74 प्रतिशत था।

वर्ष 1999–2000 में रोजगार सृजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति इन कार्यक्रमों के पुनर्गठन के कारण धीमी थी। आई. आर. डी. पी. और अन्य संबद्ध कार्यक्रमों के पुनर्गठन द्वारा 1.4.1999 से एक नया स्व–रोजगार कार्यक्रम अर्थात् स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एस. जी. एस. वाई. आरंभ किया गया था।

सभापति महोदय : इस संकल्प पर चर्चा के लिए आबंटित समय अपराह्न 5 बजकर 38 मिनट पर समाप्त हो चुका है। यदि सभा सहमत होती है तो हम चर्चा का समय 5 बजकर पचास मिनट तक बढ़ा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां, महोदय।

सभापति महोदय : समय बढ़ाया जाता है। अब मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री ए. राजा : गांवों में निर्धनता को दूर करने के लिए बनाए गए पूर्व कार्यक्रमों की कमियों को ध्यान में रखते हुए एस. जी. एस. वाई कार्यक्रम आरंभ किया गया है इसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में माना गया है पूर्व जवाहर रोजगार योजना, जे. आर. वाई. के पुनर्गठन के बाद 1.4.1999 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जे. जी. एस. आई. आरंभ की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना को विकसित करना था, जबकि इनका गौण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों के लिए रोजगार सृजन करना था। सुनिश्चित रोजगार योजना, ई. ए. एस. का 1.4.1999 से पुर्नगठन किया गया था। संशोधित मार्ग–निर्देशों को अंतिम रूप देने और उसके परिचालन और कार्यान्वयन में लगी एजेंसियों को सक्रिय बनाने में समय लगने के कारण वर्ष 1999–2000 के प्रथम छः महीनों के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन की गति बहुत धीमी रही।

वर्ष 1999–2000 में देश में आम चुनाव की घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा नई योजनाएं शुरू करने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।

राज्यों द्वारा निधियों को समय से उपयोग करने को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने निधियों को जारी करने के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित व्यवस्था की है:

विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को दो किस्तों में धन दिया जाता है। दूसरी किस्त तभी दी जाती है जबकि राज्य/जिले ने उस कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गये धन का 60 प्रतिशत उपयोग कर लिया हो।

धन जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करते समय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और धन उपयोग के सर्टिफिकेट पर जोर दिया जाता है।

यदि दूसरी किस्त के लिए प्रस्ताव दिसंबर के बाद प्राप्त होता है तो राज्यों को दिए जाने वाले धन में कटौती कर दी जाती है यदि प्रस्ताव जनवरी में प्राप्त होता है तो दूसरी किश्त में 10 प्रतिशत की कटौती कर दी जाती है। यदि प्रस्ताव फरवरी में प्राप्त होते हैं तो 20 प्रतिशत की कटौती कर दी जाती है और यदि प्रस्ताव मार्च में प्राप्त होते हैं तो 30 प्रतिशत की कटौती की जाती है। एक वर्ष से दूसरे वर्ष में धन ले जाने की सीमा जो कि वर्ष 1998–99 के दौरान 25 प्रतिशत थी, को वर्ष 1999–2000 के दौरान कम करके 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इस सीमा को एक अप्रैल, 2000 से और कम करके 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

धन जारी करने की ये शर्तें राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूर करती है कि उनके द्वारा धन का यथा संभव पूरा उपयोग किया जाए, अन्यथा उन्हें अपना पूरा आबंटित धन नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्री समय–समय पर राज्यों को धन का पूरा उपयोग करने का सुझाव देते रहते हैं। मंत्रालय जनता की सक्रिय भागीदारी से एक कुशल निगरानी तंत्र की आवश्यकता को पूरी तरह महसूस करता है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को राज्य जिला और ब्लाक स्तरों पर इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यक्रमों का निरीक्षण करने, उस पर निगरानी रखने और इसके कार्यान्वयन का संचालन करने हेतु सतर्कता और निगरानी समितियां गठित करने का सुझाव दिया है। ये समितियां जिलों में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के धन के दुरूपयोग की शिकायतों की भी जांच करेगी। राज्य सरकार की समितियों में

[श्री ए. राजा]

निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक राष्ट्रीय दल का एक प्रतिनिधि और राज्य विधान सभाओं का एक-एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में है। जिला स्तर की समितियों में उस जिले के संसद सदस्य, विधायक सदस्य के रूप में हैं। ब्लॉक स्तर की समितियों में संसद सदस्य, विधायक और निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधि और राज्य विधान सभाओं के प्रतिनिधि भी सदस्य हैं।

मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए, उनके प्रभावी कार्यान्वयन में आ रही कठिनाईयों का पता लगाने के लिए और जहां भी आवश्यक हो, बीच में उपचारात्मक कार्यवाही करने के साथ-साथ आकलन करता रहता है। मंत्रालय ने चालू वर्ष के दौरान सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के शीघ्र आकलन का कार्य भी आरंभ कर दिया है। मंत्रालय कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु पंचायत राज संस्थाओं की सक्रिय भूमिका को पूरी तरह स्वीकार करता है। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने की ओर सरकार का ध्यान पहले से ही है। अतः कार्यक्रमों के निर्देशों में इस महत्वपूर्ण पहलू को शामिल करने पर ध्यान दिया गया है।

जहां तक संसद सदस्यों की भूमिका का सवाल है, इस मुद्दे पर बोलने वाले अनेक सदस्य ख्याति प्राप्त अधिवक्ता हैं जिन्हें पता है कि डी. आर. डी. ए. राज्य विधान मंडलों के अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है। एक ओर यह राज्य का विषय है वहीं दूसरी ओर पंचायती राज संस्थाएं हैं जिनके प्रतिनिधि योजनाएं बनाते हैं, स्वीकृत करते हैं और उन्हें कार्यान्वित करते हैं। इन दोनों प्रणालियों को नुकसान पहुंचाये बिना मैं आश्वासन देता हूं कि हम संविधान की सीमा और दायरे के अंतर्गत कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने का पूरा प्रयास करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया अपना संकल्प वापस ले लें।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति महोदय, सभा में प्रस्तुत गैर सरकारी संकल्प पर मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में तथा वरिष्ठ सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और बहुत बहुमूल्य सुझाव दिये। चर्चा के दौरान यह बात अब पूरी सदन की समझ में आ गई है कि गरीबी के उपशमन के लिए बहुत बड़ी राशि विभिन्न मदों में राज्य सरकारों को दी जाती है लेकिन उसका समुचित उपयोग राज्यों में नहीं होता है। इसीलिए यह चर्चा बहुत सार्थक रही है। श्री राधाकृष्णन जी, श्री चेन्नितला तथा श्री पांडियन जी, पक्ष तथा विपक्ष के सभी सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो सुझाव दिये हैं, उनके लिए मैं बहुत आभारी हूं। हमारा यह संसदीय जनतंत्र और संघीय शासन निश्चित रूप से सफल होगा, क्योंकि जहां हमारे सभी सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के बारे में विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि देश के बारे में सोचने वाले बहुत ही गंभीर सदस्य हैं तथा इस देश का तथा लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल होगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह ठीक है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस पर निरंतर समीक्षा की आवश्यकता है। अधिकांश राज्यों द्वारा 50 परसेंट से भी कम गरीबी उपशमन की योजनाओं में जो पैसा आपने दिया है। वह खर्च नहीं हो पाया है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि इसकी निरंतर समीक्षा हो, मॉनीटरिंग हो। कहीं न कहीं आपको सांसदों को इससे जोड़ना होगा। बार-बार यह कहा गया कि यह राज्य का विषय है। जब शत-प्रतिशत राशि आप केन्द्र से दे रहे हैं तो यह कहकर विषय को टालना नहीं चाहिए। मैं आपकी कठिनाई जानता हूं। आदरणीय अटल जी, हमारे प्रधान मंत्री बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वे आक्षेप नहीं सुनना चाहते कि कोई राज्य कहे कि केन्द्र हस्तक्षेप करता है। अब समय आ गया है क्योंकि बहुत लंबे समय से योजनाएं चल रही हैं। जिनमें अरबों रुपया खर्च हुआ, लेकिन उसके अधिकांश हिस्से का दुरुपयोग हुआ है और सही आदमियों तक नहीं पहुंचा है और जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि 1952 से कई योजनाएं चल रही हैं, अगर ठीक से उनका क्रियान्वयन होता तो गांवों की दशा आज बहुत अच्छी होती। इसलिए इनके क्रियान्वयन में सांसदों की भूमिका पर आपको पुनर्विचार करना होगा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल को प्रधान मंत्री जी को और ग्रामीण विकास मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय सुन्दर लाल पटवा जी ने एक प्रश्न के उत्तर में इसी सदन में कहा था कि सांसदों को डी. आर. डी. ए. का चेयरमैन बनाया जाएगा। अब हम रूलिंग पार्टी के हैं इसलिए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने में असमर्थ हैं, लेकिन कायदे की बात यह है कि सदन में कोई मंत्री घोषणा करे और फिर उस घोषणा पर क्रियान्वयन न हो तो समझिये कि यह विशेषाधिकार हनन का सवाल होता है। मैं लोक सभा में जरूर दूसरी बार आया हूं लेकिन 1967 से मेरा संसदीय जीवन विधान सभा में है और इसलिए कृपा करके घोषणा करने के पहले ठोक बजाकर देख लें, जल्दीबाजी में कोई घोषणा न करें। इतना निश्चित करें कि गरीबी उपशमन में केन्द्र जो पैसा दे रहा है, उसकी मॉनीटरिंग के लिए सांसद को कहीं न कहीं जोड़ना चाहिए और बिना सांसदों की उपस्थिति के जो मीटिंग हो जाती हैं, वह रवैया बदलना चाहिए। आपको मुख्य मंत्रियों को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि सांसदों की उपस्थिति में मीटिंग होगी और इन योजनाओं का अप्रूवल आपको सांसदो से लेना पड़ेगा। अध्यक्ष सांसद को बनाइए या जैसी मजबूरी हो, वैसा करिये लेकिन सांसदों से पूछे बिना अनाप-शनाप पैसा खर्च हो रहा है, उसको जरूर देखिये। मैं नहीं कहता कि शत-प्रतिशत सांसदों से पूछकर करें लेकिन यह केन्द्र का पैसा है और हम वहां केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में हैं। इसलिए सांसदों का इनवॉल्वमेंट इसमें जरूर होना चाहिए। मंत्री जी ने

जो औपचारिक उत्तर दिया है, उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं मेरी प्रार्थना यह है कि सांसदों की भागीदारी पर विचार करके आप फैसला करिये नहीं तो संघर्ष बना रहेगा और योजनाओं का समुचित लाभ जिनको चाहिए, वह नहीं मिलेगा।

अंत में उन सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। राधाकृष्णन जी, चैन्नित्तला जी और पांडियन जी जैसे विद्वान लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मुझे खुशी है कि उसमें हमारे देश का भविष्य अच्छा होगा। मंत्री जी ने मोटे तौर से उत्तर दिया है। इससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि इस पर सुधार लाने की सरकार की मंशा है। इसलिए सरकार पर ही भरोसा करता हूं।

महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य ने अपना संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति ले ली है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

अपराह्न 5.49 बजे

(दो) गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में ग्राम सभाओं की भागीदारी

सभापति महोदय : अब सभा डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में ग्राम सभाओं की भागीदारी संबंधी संकल्प पर चर्चा करेगी।

इससे पहले कि हम संकल्प पर चर्चा करें, हमें इस संकल्प पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करना है। क्या हम दो घंटे का समय निर्धारित करें?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : ठीक है, हम इस चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित करते हैं।

अब, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह चर्चा आरंभ करेंगे।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह केन्द्र सरकार के विभिन्न ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रमों जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कार्यक्रमों, के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने में ग्राम सभा की भागीदारी सुनिश्चित करे।"

सभापति जी, मैं सबसे पहले पुराने समाजवादी नेता श्री रामानन्द सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इससे पहले वाले गैर सरकारी संकल्प में चिन्ता व्यक्त की है कि केन्द्र सरकार से राज्यों सरकारों को जो पैसा जाता है, वह पूरा खर्च नहीं होता। हमारे उसमें दो संशोधन हैं। पहला यह है कि जो पैसा पहले जाता था, अब उसमें कम जा रहा है। दूसरा जितना पैसा जाता है, वह सारा खर्च नहीं होता है और तीसरा उसका दुरुपयोग होता है। ये तीनों बातें संकल्प दो में हैं, जो हमने प्रस्तावित किया है। मैं श्री महात्मा गांधी, डॉ. राममनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को स्मरण करता हूं जिन्होंने यह सपना देखा था कि जब विलेज का ऐमपावरमैंट होगा तभी देश मजबूत होगा और आगे बढेगा। उसी ख्याल में मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए और 243 बी को पढ़ना चाहता हूं:—

[अनुवाद]

243(ख) "ग्राम सभा" से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है;

243(क) एक ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के विधान–मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाएं।

[हिन्दी]

मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में यह जोर दिया गया है कि ग्राम सभा का ऐमपावरमैंट हो। इसके अलावा डेमोक्रेसी की स्थापना और उसको मजबूत करने के लिए ग्राम सभा ही मूल इलाज है। मेरा कहना है कि जितनी भी गरीबी उन्मूलन करने वाली योजनायें चल रही हैं, उन सभी में ग्राम सभा की भागीदारी हो और ग्राम सभा में ही सारे फैसले होने चाहिए।

इसके साथ–साथ सरकार जन वितरण प्रणाली में दावा करती है कि हम साढ़े आठ करोड़ रुपये खर्च करते हैं, सबसिडी देते है। 1991 की जनगणना के हिसाब से उस समय देश की आबादी और परिवारों की संख्या कम थी। उस समय यह माना गया था कि 16 करोड़ परिवार हिन्दुस्तान में हैं जिसमें से 6 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। लेकिन कल जब 100 करोड़ की आबादी पूरी हो गई है तो मेरा अनुमान है कि 20 करोड़ परिवारों की संख्या हिन्दुस्तान में हो गई है जिसमें से 8 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। हम लोग जब गांव में जाते है। तब गांव का आदमी क्या बोलता है? वह बोलता है कि हमें लाल कार्ड नहीं मिला यानी गरीबी रेखा से नीचे की जो सहूलियतें मिलनी चाहिए, उसमें हमारा नाम दर्ज नहीं है। आप 100 आदमियों से मुलाकात करेंगे तो उसमें से 15–20 आदमी ऐसे हैं जो सचमुच भूमिहीन हैं। जो काम करके खाते है और जब काम नहीं मिलता तो उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं। इस तरह के लोगों का नाम अभी तक

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

गरीबी रेखा की सूची में नहीं हैं। हम अपेक्षा करेंगे कि सरकार इस पर विचार करे और देखे कि कोई भी गरीब आदमी और गरीबी रेखा से नीचे का परिवार इन योजनाओं की सूची में अपना नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। इसके लिए सर्वेक्षण होना चाहिए।

हमने जो संकल्प दिया है, वह एक तरह से सरकार की मदद में है। सरकार ने ऐलान किया है सन् 2000 का वर्ष ग्राम सभा वर्ष होगा लेकिन केवल यह ऐलान तक ही सीमित है। ग्राम सभा वर्ष के जो उद्देश्य थे, उसकी पूर्ति नहीं हुई बल्कि कागज मे ही लिखा-पढी हुई कि सन् 2000 का वर्ष ग्राम सभा वर्ष मान लिया गया है। इन्फोर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। आज दूरदर्शन में अंट-बंट का प्रचार होता है.. *(व्यवधान)*

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : यह अंट-बंट क्या होता है।...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आप न्यूज में देखिये कि उसमें क्या-क्या दिखाते हैं। सरकार ने केवल ऐलान ही किया है कि यह वर्ष ग्राम सभा वर्ष है। टी.वी., रेडियो एवं अन्य प्रचार मीडिया में पर्याप्त ग्राम पर जोर देना चाहिए। प्रधान मंत्री को ग्राम सभा में शामिल होना चाहिए। जितने हमारे ग्राम विकास के मंत्री हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, एम. एल. ए. और एम. पी. हैं, उन सभी को ग्राम सभा में जाना चाहिए जिससे ग्राम सभा की अहमियत बढ़े। ग्राम सभा कागजों में करने की हिदायत भी दी गई है लेकिन वह जाली होती है, ग्राम सभा बैठती नहीं है।

सन् 2000 को यदि सरकार ने ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है तो ग्राम सभा का ऐमपावरमैंट हो और ग्रास रूट डैमोक्रेसी हो। यदि हम ग्राम सभा को मजबूत करना चाहते हैं तो उसे मीडिया और अखबारों में अहमियत दी जानी चाहिए। आई. एंड बी. मंत्री आन्दोलन में थे, उधर चले गए हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि ग्राम सभा का प्रचार मीडिया द्वारा होना चाहिए। हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि 5-10 बीघे जमीन वाला आदमी भी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों में अपना नाम लिखवा लेता है और असली गरीब आदमी, जो निर्धन है और गरीबी की रेखा से नीचे की डैफीनेशन को पूरा करता है, वह छूट जाता है। ग्राम सभा को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह बैठक करे और उसमें यह तय करे कि कौन आदमी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला है और कौन गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाला है। कागज में लिखा-पढ़ी से काम नहीं होगा। तू कहता कागज की लेखी मैं कहता आंखन की देखी। सर-जमीन पर घूमने से यह जानकारी मिली है कि इस तरह गडबड़ी हुई। पी. डी. एस. सिस्टम के अंतर्गत भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के नामों के चयन करने का काम ग्राम सभा को दिया जाना चाहिए और ग्राम सभा की अहमियत होनी चाहिए।

मिट्टी का तेल, चावल, गेहूं आदि सामान गरीब आदमी के नाम पर जाता है लेकिन वह ब्लैक हो जाता है। निगरानी समिति भी नहीं बनी है। कहा गया था कि जन वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए पंचायत स्तर पर निगरानी समिति बनेगी। कहा गया था कि दुकानवाइज निगरानी समिति बनाएंगे और लाभार्थी उसके सदस्य होंगे लेकिन वह नहीं बनी। देशभर में उस लेवल पर कहीं नहीं है, कहीं-कहीं नाममात्र की निगरानी समिति बनी है। इसलिए यह होना चाहिए कि ग्राम सभा में बैठक हो और पारदर्शिता लाई जाए कि कितना सामान गया, कितना उनको मिला, इस सबका हिसाब-किताब ग्राम सभा करे। पी. डी. एस. के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग छूटे हुए हैं, उन्हें लाल कार्ड, किसी-किसी राज्य में नीला कार्ड भी मिला है, उस कार्ड का निर्धारण ग्राम सभा में हो। सरकार ने पिछले साल अन्नपूर्णा योजना की घोषणा की। जो बूढ़े, निस्सहाय, गरीब, बेहाल लोग हैं, उन को दस किलो मुफ्त अनाज देंगे। लेकिन सालभर में इन्होंने एक आदमी को भी वह नहीं दिया। इस साल 100 करोड़ रुपये का बजट उपबंध हुआ है। लेकिन मैं नहीं जानता कि इससे उनको कोई लाभ मिल सकेगा या नहीं। यह अधिकार भी ग्राम सभा को दिया जाना चाहिए कि गांव के लोग बैठक करके यह तय करें कि दस किलो अनाज किस परिवार को, किस व्यक्ति को मुफ्त में मिलना चाहिए। स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में एलान किया था कि हम एक रुपया देते हैं तो गांवों में 16 पैसे पहुंचते है। इस का इलाज है। ग्राम सभा का ऐमपावरमैंट हो। जमीन के निर्णय, मौनीटारिंग, निगरानी करने का काम ग्राम सभा को दिया जाए। हिन्दुस्तान में 6 लाख गांव गरीब होंगे। भारतीय संविधान में ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। लोक सभा भंग हो सकती है, विधान सभा भंग हो सकती है। कहीं पंचायत का चुनाव नहीं होता तो पंचायत भंग हो सकती है। लेकिन ग्राम सभा भंग नहीं होगी, यह भारतीय संविधान ने उसको दर्जा दे दिया। उसे भंग नहीं होने को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। वह असली ग्रास रूट की संस्था है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, 6 बज चुके हैं। आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 15 मई, 2000 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सांय 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 15 मई, 2000/25 वैशाख, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/7/35/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौंवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतग
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।